



मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिये
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

रिपोर्ट 01-08-2014 को संसद में सदन के पटल पर रखी गई है



संघ सरकार
(संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र)

अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां
2014 की संख्या 17

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिये

संघ सरकार
(संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र)

अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां
2014 की संख्या 17

विषय सूची

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii
अध्याय I : प्रस्तावना		
इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में	1.1	1
लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार	1.2	2
लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन	1.3	2
लेखापरीक्षित इकाईयों का प्रोफाइल	1.4	2
बजट और व्यय नियंत्रण	1.5	13
अध्याय II : दूरसंचार विभाग		
दूरसंचार सेवा सम्भरकों द्वारा अभिदाता सत्यापन	2.1	15
सांझी मोबाइल अवसंरचना योजना	2.2	28
रिलायंस ग्रुप कम्पनियों द्वारा यू सौफ/यू ए एस लाइसेंस करार के निबंधन व शर्तों का उल्लंघन	2.3	37
अध्याय III : डाक विभाग		
डाक विभाग (डा वि) के डाक लेखा कार्यालयों में आन्तरिक नियंत्रण	3.1	43
वित्त मंत्रालय से पारिश्रमिक का अनियमित दावा	3.2	59
राजस्व की हानि	3.3	61
व्यर्थ व्यय	3.4	63
झारखंड डाक सर्किल में वृद्धावस्था पेंशन के वितरण के लिये सेवा शुल्क लागू करने में विफलता	3.5	64
अध्याय IV : इलेक्ट्रानिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग		
दोषपूर्ण उपस्कर की अधिप्राप्ति पर ₹2.43 करोड़ का निष्क्रिय निवेश	4.1	67
व्यावहारिक माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिक अभियांत्रिकी एवं अनुसंधान के लिये सोसायटी (समीर) में परियोजना प्रबंधन	4.2	71

अध्याय V : मंत्रालय के अर्न्तगत सा क्षेत्र		
भारत संचार निगम लिमिटेड में भूमि प्रबंधन	5.1	93
288 एफ हाई काउन्ट ऑप्टिकल फाइबर केबिल की अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति	5.2	105
अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति पर ₹21.71 करोड़ की निधि का अवरोधन	5.3	109
₹2.09 करोड़ का अधिक भुगतान तथा ₹8.12 करोड़ के अधिक कार्य प्रदान किया जाना	5.4	112
भा सं नि लि में अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा का संचालन	5.5	117
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में वायरलाइन और बेतार सेवाओं के परिचालन का प्रदर्शन	5.6	126
लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर अनुवर्ती कार्रवाई	5.7	143
अध्याय VI : सामान्य		
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	6.1	145
अनुलग्नक		
I	टर्म सैल द्वारा नमूना आकार जांचित तथा पता लगाये गैर अनुपालनकर्ता कैफ्स के गैर अनुपालन की प्रतिशतता को दर्शाने वाला विवरण	149
II	2009-10 से 2011-12 के दौरान आकस्मिक बिलों के गैर समायोजन को दर्शाने वाला विवरण	150
III	बैंक स्क्रोल के साथ डाकघर अनुसूचियों के गैर समाधान को दर्शाने वाला विवरण	151
IV	नकद प्रमाणपत्र कार्य में बकाया दर्शाने वाला विवरण	152
V	लम्बित मामलों व भुगतान सूची को दर्शाने वाला विवरण	153
VI	शास्ति ब्याज की गैर वसूली दर्शाने वाला विवरण	154
VII	पेंशन व उस पर कमीशन की बकाया राशि की गैर वसूली दर्शाने वाला विवरण	155
VIII	निरीक्षण रिपोर्ट जारी करने में विलम्ब दर्शाने वाला विवरण	156
IX	मूक खातों पर पारिश्रमिक का अनियमित दावे को दर्शाने वाला विवरण	157
X	तमिलनाडु डाक परिमण्डल द्वारा ₹8.91 करोड़ राजस्व की कम वसूली दर्शाने वाला विवरण	159
XI	चयनित सै स्वी क्षेत्र में कवर किये गये भूखंडों की संख्या का विवरण	160
XII	भा सं नि लि के पूर्ण स्वामित्व व पट्टे पर रखे गये भूखण्ड का विवरण	162
XIII	चयनित परिमण्डल के खाली भूखण्डों से संबंधित विवरण	165

XIV	भा सं नि लि के चयनित परिमण्डल के कुल पूर्ण स्वामित्व व पट्टे पर रखे गये भूखण्ड का विवरण	166
XV	अपने गठन के पश्चात भा सं नि लि द्वारा हासिल की खाली जमीन का विवरण	168
XVI	आच्छादित सै स्वी क्षे में भूमि अतिक्रमण का विवरण	169
XVII	भुगतान के बावजूद पट्टा विलेख के गैर निष्पादन का विवरण	171
XVIII	अप्रयुक्त एस एम पी एस पावर प्लांटों को दर्शाने वाला विवरण	172
XIX	बी एल सी एस की क्षमता का उपयोग	173
XX	यू के के लिए बैंडविथ भाड़े पर लेना	174
XXI	31 मार्च 2012 को समाप्त गत पांच वर्षों में दो यूनिटों में वायर लाईन और बेतार सेवाओं से आय	175
XXII	क्षमता उपयोग	176
XXIII	दिल्ली और मुम्बई में बेतार अभिदाता बेस के टेलीकॉम प्रदाता	177
XXIV	वायरलाईन सेवाएं – गुणता सेवाओं के मापदंड	178
XXV	दिल्ली वायरलाईन सेवाओं में एम टी एन एल और निजी प्रदाताओं के मध्य गुणता सेवा निष्पादन में तुलना	179
XXVI	मुम्बई वायरलाईन सेवाओं में एम टी एन एल व निजी आपरेटरों के मध्य गुणता सेवा निष्पादन में तुलना	182
XXVII	बेतार सेवाओं में एम टी एन एल और निजी प्रदाताओं के मध्य गुणता सेवा निष्पादन की तुलना – दिल्ली सर्किल	185
XXVIII	बेतार सेवाओं में एम टी एन एल व निजी प्रदाताओं के मध्य गुणता सेवा निष्पादन की तुलना – मुम्बई सर्किल	188
XXIX	वित्तीय पैरामीटर: कम्पनी के लक्ष्य बनाम उपलब्धियां	191
XXX	सक्रिय पैरामीटर: कम्पनी के लक्ष्य बनाम उपलब्धियां	192
XXXI	भौतिक पैरामीटर: कम्पनी के लक्ष्य बनाम उपलब्धियां	193
XXXII	दिल्ली और मुम्बई इकाइयों (एम टी एन एल) से संबंधित वायरलाईन व बेतार सेवाओं की आय, अभिदाता बेस और ए आर पी यू	194
परिशिष्ट		
I	सितम्बर 2013 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2011-12 तक के लिये दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय व सूचना प्रौद्योगिकी के अधीन भारत संचार निगम लिमिटेड व महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड से की गई कार्यवाही टिप्पणी की संक्षिप्त स्थिति	195
II	सितम्बर 2013 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2011-12 तक के लिए संचार मंत्रालय व सूचना प्रौद्योगिकी (सं मं व सू प्रौ) के अधीन विभाग से प्रतीक्षित की गई कार्रवाई टिप्पणी की संक्षिप्त स्थिति	197

प्राक्कथन

मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लेन-देनों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उद्भूत निष्कर्ष सम्मिलित हैं। इस प्रतिवेदन में ऐसे मामले उल्लिखित हैं, जो कि 2012-13 में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए। साथ-साथ पूर्ववर्ती वर्षों से सम्बन्धित मामले भी जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किया जा सका था तथा 2012-13 के बाद की अवधि से संबंधित मामले, जहां कहीं आवश्यक समझा गया, को भी शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से प्राप्त सहयोग के लिये आडिट आभार प्रकट करता है।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में संचार मंत्रालय व सूचना प्रौद्योगिकी के वित्तीय लेन-देन की अनुपालन लेखापरीक्षा से उद्भूत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं। इसमें छः अध्याय अन्तर्विष्ट है। अध्याय-I में संचार मंत्रालय व सूचना प्रौद्योगिकी का संक्षिप्त परिचय है जबकि अध्याय-II से V विस्तृत लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ प्रस्तुत करते हैं। अध्याय VI मंत्रालय के अन्तर्गत विभाग द्वारा भेजे गये की गई कार्रवाई टिप्पणियों की संक्षेपण स्थिति प्रस्तुत करता है।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिये गये हैं:

दूरसंचार विभाग (दू वि)

दूरसंचार सेवा सम्भरकों द्वारा अभिदाता सत्यापन

दूरसंचार क्षेत्र में विगत पाँच वर्षों अर्थात् 2007-08 से 2011-12 में 216 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि हुई। दू वि मुख्यालय व टर्म सैल द्वारा अप्रभावी मानीटरिंग व खराब नियंत्रण के कारण अभिदाताओं का शत प्रतिशत सत्यापन जोकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये आवश्यक है, सेवा प्रदाताओं द्वारा सत्यापन की प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने के सात वर्षों के बाद भी नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, जब दू वि ने प्रत्येक सेवा अभिदाता की लेखापरीक्षा जांच कुल अभिदाताओं का 0.1 प्रतिशत तक सीमित कर दी थी, बड़ी संख्या में गैर अनुपालनकर्ता कैफ़स का पता नहीं लग सका तथा सात दूरसंचार सेवा सम्भरकों द्वारा ₹2116.95 करोड़ की शास्ति का भुगतान नहीं हुआ।

पैराग्राफ 2.1

सांझी मोबाइल अवसंरचना योजना

दू वि की सांझी मोबाइल अवसंरचना का मुख्य उद्देश्य अनाच्छादित क्षेत्रों जिनमें ग्रामीण, दूरदराज, पहाड़ी व आदिवासी क्षेत्र शामिल हैं, में वैश्विक सेवा दायित्व निधि के अन्तर्गत बेतार अथवा मोबाइल सेवायें प्रदान करना है। यह लक्ष्य केवल 72 प्रतिशत तक ही प्राप्त किया जा सका क्योंकि अवसंरचना संभरकों द्वारा निर्मित 6026 स्थलों से सेवायें अक्टूबर 2012 तक यू एस पी द्वारा प्रदान नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त दू वि ने अवसंरचना संभरकों को गैर विकिरण अवधि के लिये ₹9.76 करोड़ की आर्थिक सहायता दी थी (290 स्थलों का प्रबन्धन करने हेतु जहां पर किसी यू एस पी द्वारा सेवायें शुरू नहीं की गई थी तथा 474 स्थल जहां सेवायें असाधारण विलम्ब से प्रदान की थी)।

पैराग्राफ 2.2

रिलायंस ग्रुप कम्पनियों द्वारा यू एस ओ एफ/यू ए एस लाइसेंस करार के निबंधन व शर्तों का उल्लंघन

यू एस ओ एफ/यू ए एस एल करार के निबंधनों व शर्तों के उल्लंघन में मैसर्स आर सी एल व मैसर्स आर टी एल द्वारा मोबाइल सेवाओं को एक तरफा बंद किये जाने के कारण उनको आबंटित दूररदाज व अगम्य क्षेत्र, वहन करने योग्य मोबाइल सेवाओं से वंचित रहे।

पैराग्राफ 2.3

डाक विभाग (डा वि)

डाक विभाग (डा वि) के डाक लेखा कार्यालयों में आन्तरिक नियंत्रण

डाक विभाग के पास लेखों को बनाने व अनुरक्षण हेतु एक व्यापक, सम्पूर्ण व विस्तृत तंत्र होने के साथ-साथ निर्धारित जांच व संतुलन भी यह सुनिश्चित करने के लिये है कि नियंत्रण प्रभावपूर्ण है तथा लेखा उचित रीति से तैयार किये हैं तथा विभिन्न प्राधिकृत माध्यमों के द्वारा समय पर प्रस्तुत किये गये हैं, डाक विभाग ने विद्यमान नियंत्रण तंत्र को उचित महत्व नहीं दिया। परिणामस्वरूप, 2009 से बैंक समाधान कार्य बकाया था, इसके कारण बैंक से ₹19354.89 करोड़ के आहरण तथा ₹26637.83 करोड़ की राशि के प्रेषण के सम्बंध में बैंक स्क्रोल व डाकघर अनुसूची, दोनों में मर्दे असम्बद्ध रहीं। 2790228 नकद प्रमाणपत्रों जिनका मूल्य 13 डा ले का में ₹1420.90 करोड़ है, को जारी करने व उन्मोचन करने की पोस्टिंग का कार्य अप्रैल 1999 से बकाया था। नकद प्रमाणपत्रों की आपत्ति पुस्तिका में ₹19433.97 करोड़ की बकाया राशि मार्च 2012 तक असमायोजित रही। इसके अतिरिक्त, 15 डाक लेखा कार्यालयों में आकस्मिक व्यय के गैर समायोजन में ₹367.40 करोड़ में से ₹70.57 करोड़ का समाधान किया गया। पेंशन में ₹38.04 करोड़ (कमीशन सहित) की वसूली अन्य विभागों से उनकी तरफ से पेंशन भुगतान के लिये की जानी थी।

पैराग्राफ 3.1

वित्त मंत्रालय से पारिश्रमिक का अनियमित दावा

डाक विभाग ने वित्त मंत्रालय (वि मं) से तकनीकी रूप से पुनः चालू हुये निष्क्रिय खातों पर 2009-10 से 2012-13 की अवधि के लिये ₹18.60 करोड़ के पारिश्रमिक का अनियमित रूप से दावा किया था, इसमें गुजरात, तमिलनाडु व राजस्थान डाक परिमंडलों द्वारा कोई सुसंगत प्रयास नहीं किया गया।

पैराग्राफ 3.2

राजस्व की हानि

विभागीय अनुदेशों के उल्लंघन में, समाचारपत्र जो कि आर एन आई के साथ पंजीकृत नहीं किये गये थे, को रियायती टैरिफ प्राप्त करने हेतु अनुमत किया, जिसके परिणामस्वरूप तमिलनाडु डाक परिमंडल में ₹8.91 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई।

पैराग्राफ 3.3

व्यर्थ व्यय

डा वि 2004 में क्रय किये गये बोगियों के उपयोग हेतु प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹5.46 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ।

पैराग्राफ 3.4

झारखंड डाक परिमंडल में वृद्धावस्था पेंशन के संवितरण के लिये सेवा प्रभार वसूल करने में विफलता

दिसम्बर 2005 के डाक निदेशालय के अनुदेशों के उल्लंघन में, चीफ पोस्टमास्टर जनरल झारखण्ड डाक परिमण्डल 2008-2013 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन के संवितरण के लिये ₹1.52 करोड़ के सेवा प्रभार वसूल करने में विफल रहे।

पैराग्राफ 3.5

इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी ई आई टी वाई)

दोषपूर्ण उपस्कर की अधिप्राप्ति पर ₹ 2.43 करोड़ का निष्क्रिय निवेश

एस टी क्यू सी निदेशालय द्वारा दोषपूर्ण उपस्कर बदलने हेतु पूर्तिकार पर संविदात्मक दायित्व लागू न कर पाने की विफलता से उपस्कर चालू नहीं हो पाये व ₹2.43 करोड़ का निष्क्रिय निवेश हुआ। इसके अतिरिक्त तीन इलेक्ट्रॉनिक्स परीक्षण प्रयोगशालायें, जिनके लिये उपस्कर की अधिप्राप्ति की गई थी, उद्योगों को विशेष परीक्षण सेवायें नहीं दे सकीं।

पैराग्राफ 4.1

अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी व अनुसंधान के लिये सोसायटी (समीर) में परियोजना प्रबन्धन

समीर द्वारा ली गई परियोजनाओं की नमूना जांच में खराब वित्तीय प्रबन्धन, परियोजना दिशानिर्देशों का गैर निर्माण, केन्द्रीकृत परियोजना क्रियान्वयन व मानीटरिंग प्रणाली की कमी, लागत व कीमत निर्धारण में खामियां तथा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों पर सुपरिभाषित नीति की कमी, प्रौद्योगिकी

स्थानान्तरण व पेटेन्ट अधिकारों की कमी का खुलासा हुआ। विगत पांच वर्षों में ₹200 करोड़ से अधिक व्यय करने के बाद भी, समीर केवल तीन पेटेन्ट तथा एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्राप्त करने में समर्थ रहा जो उसके आर एवं डी की खराब गुणता को दर्शाता है।

पैराग्राफ 4.2

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा के उ)

भारत संचार निगम लिमिटेड में भूमि प्रबन्धन

यद्यपि कम्पनी एक दशक से भी ज्यादा समय से अस्तित्व में है, उसके पास कोई भूमि प्रबंधन नीति नहीं है। इसके न होने के कारण कम्पनी इसके कब्जे में बहुत बड़ी फैली हुई पूर्ण स्वामित्व की 402.99 लाख वर्गमीटर जमीन को अतिक्रमण/निरस्तीकरण से बचाने में असमर्थ रही क्योंकि कम्पनी को अपने नाम पर उत्तराधिकार में प्राप्त जमीन के हस्तांतरण/नामांतरण/परिवर्तन करने में असाधारण विलंब हुआ। इसके अलावा घाटे में रहने वाली कंपनी खाली भूखंडों के व्यावसायिक कार्य में लेते हुए अतिरिक्त राजस्व उगाहने की दिशा में भी असमर्थ रही। कंपनी के सिविल विंग द्वारा दी गयी जानकारी और इसके लेखापरीक्षित लेखों में दर्शाये गये आंकड़ों में कम्पनी की उत्तराधिकार में प्राप्त जमीन व पट्टे पर ली गयी जमीन की कीमतों में भारी अंतर पाया गया, जिसके कारण कंपनी की परिसम्पत्तियां वार्षिक लेखा में कम परिलक्षित हुई है।

पैराग्राफ 5.1

288 एफ हाई काउन्ट आप्टीकल फाइबर केबिल की अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति

फील्ड इकाइयों से बिना किसी मांग के भा सं नि लि द्वारा 288 एफ हाई काउन्ट आप्टीकल फाइबर केबिल की अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति की गई थी जिसके परिणामस्वरूप तीन वर्षों से अधिक समय तक प्राप्त हुई केबिलों का 50 प्रतिशत से अधिक उपयोग नहीं हुआ, इससे ₹41.30 करोड़ की निधि का अवरोधन हुआ।

पैराग्राफ 5.2

अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति पर ₹21.71 करोड़ की निधि का अवरोधन

भा सं नि लि के परिमंडल/इलेक्ट्रिकल विंग द्वारा एस एम पी एस पावर प्लांट तथा वातानुकूलित इकाइयों की अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति के कारण एक वर्ष से चार वर्षों से अधिक समय तक उनका उपयोग नहीं हुआ। इससे 1,612 एस एम पी एस पावर प्लांट व 617 वातानुकूलित इकाइयों निष्क्रिय रही तथा परिणामता: ₹21.71 करोड़ की निधि का अवरोधन हुआ।

पैराग्राफ 5.3

₹ 2.09 करोड़ का अधिक भुगतान तथा ₹ 8.12 करोड़ का अधिक कार्य प्रदान किया जाना

भा सं नि लि के मिजोरम एस एस ए में आन्तरिक नियंत्रण की विफलता से ₹8.12 करोड़ के अतिरिक्त कार्य प्रदान किये गये तथा केबिल कार्यों के निष्पादन में निजी ठेकेदार को ₹2.09 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

पैराग्राफ 5.4

भा सं नि लि में अन्तराष्ट्रीय लम्बी दूरी सेवा का प्रचालन

अन्तराष्ट्रीय समुद्री केबिल संघ में शामिल होने में देरी और विफलता के कारण भा सं नि लि द्वारा अन्तराष्ट्रीय लम्बी दूरी (अ लं दू) सेवा के प्रचालन में कमियां पाई गईं। आगे चलकर इसी के कारण अ लं दू सेवा के प्रचालन में बैंडविथ की क्षमता के कम उपयोग और बैंडविथ को प्राप्त करने में परिहार्य व्यय हुआ।

पैराग्राफ 5.5

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (म टे नि लि) में वायरलाइन व बेतार सेवाओं के परिचालन का प्रदर्शन

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के प्रचालनात्मक प्रदर्शन ने सेवा की खराब गुणता दर्शाई। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि विद्यमान उपस्कर के अनुरक्षण में कमी के साथ-साथ प्रचालन लागत भी बढ़ गई थी। प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अप्रभावी योजना व मॉनीटरिंग के कारण वायरलाइन ग्राहकों के अभिदाता बेस में बड़ी गिरावट आई। बेतार अभिदाताओं की कम वृद्धि के लिये अप्रभावी योजना, बेतार अवसंरचना उपस्कर का विलम्बित विस्तार, सेवा की खराब गुणता जिम्मेदार घटक है। इसने मार्केट शेयर को प्रभावित किया व बाद में सेवाओं से आय में कमी भी आई।

पैराग्राफ 5.6

अध्याय-I प्रस्तावना

1.1 इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (भा नि म ले प) की यह रिपोर्ट 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (सं सू प्रौ म) भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों की अनुपालन लेखापरीक्षा तथा उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा क्षे उ) के मामलों से सम्बन्धित है।

अनुपालन लेखापरीक्षा लेखापरीक्षित इकाई के व्यय, प्राप्तियों, परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों से संबंधित लेन-देनों की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए है कि क्या भारत के संविधान एवं लागू विधि, नियमों, विनियमों के प्रावधानों तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विभिन्न आदेशों एवं निर्देशों का पालन हो रहा है। अनुपालन लेखापरीक्षा में नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों की जांच भी शामिल है जो उनकी वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य तथा विवेक के साथ साथ दिये गये उद्देश्य की प्राप्ति के संबंध में उसकी प्रभावशीलता को निर्धारित करने हेतु आवश्यक है।

लेखापरीक्षायें भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (भा नि म ले प) की ओर से अनुमोदित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की जाती है। ये लेखापरीक्षा मानक उन प्रतिमानों को निर्धारित करते हैं जिनकी लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा करने में अनुसरण करने की अपेक्षा की जाती है और गैर अनुपालन के व्यक्तिगत मामलों के साथ-साथ उन कमजोरियों को सूचित करने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय प्रबंधन एवं आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली में विद्यमान हैं। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से कार्यपालिका को उपचारी कार्यवाही करने हेतु सक्षम बनाने की अपेक्षा की जाती है, जो संगठन के उन्नत वित्तीय प्रबंधन तथा बेहतर शासन में सहायक हो।

यह अध्याय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (सं सू प्रौ म) के विभागों एवं संबंधित इकाइयों के संगठनात्मक ढांचे और प्रोफाइल के विवरण तथा साथ ही लेखापरीक्षा की योजना व सीमाओं और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के सारांश के साथ-साथ विभागों के व्यय की संक्षिप्त विवेचना प्रस्तुत करता है। **अध्याय II से V** मंत्रालय के अधीन दूरसंचार विभाग (दू वि), डाक विभाग (डा वि), इलैक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी (इ सू प्रौ) विभाग तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा क्षे उ) के अनुपालन लेखापरीक्षा से प्राप्त वर्तमान टिप्पणियों/निष्कर्षों से संबंधित है।

1.2 लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार

भारत के संविधान के अनुच्छेद क्रमशः 149 एवं 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवाशर्त) अधिनियम 1971 से प्राप्त हुआ है। भारत के निमलेप भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा, निमलेप (क श एवं से श) अधिनियम¹ की धारा 13² के अर्न्तगत करते हैं। अनुपालन लेखापरीक्षा के सिद्धान्त और विधि-तन्त्र भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखा एवं लेखापरीक्षक विनियमावली 2007 में नियत है।

1.3 लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन

अनुपालन लेखापरीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों में निहित सिद्धान्तों एवं पद्धतियों के अनुरूप संचालित की जाती है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया समग्र रूप में मंत्रालय/विभाग तथा उसकी प्रत्येक इकाई में किए गए व्यय, क्रियाकलापों के महत्व/जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के स्तर, समग्र आंतरिक नियंत्रण के निर्धारण तथा पत्रधारकों के हितों पर आधारित जोखिम मूल्यांकन के साथ प्रारम्भ होती है। पूर्व लेखा परीक्षा निष्कर्षों पर भी इस प्रक्रिया में विचार किया जाता है। इस जोखिम मूल्यांकन के आधार पर लेखापरीक्षा करने के लिए एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना बनाई जाती है।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा पूर्ण होने के पश्चात लेखापरीक्षा निष्कर्षों को अन्तर्विष्ट करके निरीक्षण प्रतिवेदनो (नि प्र) को इकाई के प्रमुख को जारी किया जाता है। इकाईयों से निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति के एक माह के अन्दर लेखापरीक्षा निष्कर्षों का उत्तर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है। उत्तर प्राप्त होने पर उनका विश्लेषण करके लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निपटान किया जाता है या अनुपालन हेतु आगे की कार्रवाई को मॉनीटर किया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से उद्भूत प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अर्न्तगत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किये जाने वाले प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु तैयार किया जाता है।

1.4 लेखापरीक्षित इकाइयों का प्रोफाइल

1.4.1 दूरसंचार विभाग (दू वि)

दूरसंचार विभाग (दू वि) नीति निर्माण, लाईसेंसिंग, बेतार स्पैक्ट्रम प्रबन्धन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रशासनिक मानीटरिंग, उपस्करों के अनुसंधान व विकास तथा मानकीकरण/पुष्टिकरण के

¹ नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति व सेवा शर्त) अधिनियम, 1971

² (i) भारत की समेकित निधि से सभी खर्चे, (ii) आकस्मिकता निधि व लोक लेखा से संबंधित सभी लेन-देन एवं (iii) सभी व्यापार, निर्माण, लाभ व हानि खाते एवं दूसरे सहायक खातों की लेखापरीक्षा

लिए उत्तरदायी हैं। दूरसंचार विभाग विभिन्न दूरसंचार सेवाओं जैसे यूनीफाइड लाईसेंसिंग, यूनीफाइड एक्सेस सर्विस (यू ए एस), इंटरनेट और वी सैट सेवाओं व रेडियो कम्यूनिकेशन क्षेत्र में, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के समन्वय से स्पैक्ट्रम फ्रिक्वेंसी के प्रबन्धन के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए भी उत्तरदायी है। यह देश के सभी उपभोक्ताओं के बेतार प्रेषण की मानीटरिंग के जरिए बेतार विनियामक उपाय भी लागू करता है।

दूरसंचार विभाग का प्रमुख सचिव (दू वि) होता है जो दूरसंचार आयोग का चैयरमैन भी होता है। दूरसंचार आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1989 में की गई थी। इसकी स्थापना दूरसंचार क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं के निपटान हेतु भारत सरकार की प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों के तहत की गई थी। आयोग में एक अध्यक्ष, चार पूर्णकालिक सदस्य जो दूरसंचार विभाग में भारत सरकार के पदेन सचिव होते हैं और चार अंशकालिक सदस्य, जो कि भारत सरकार के इलैक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, औद्योगिक नीति और संवर्धन, आर्थिक मामलों व योजना आयोग के सचिव होते हैं।

➤ व्यय का विश्लेषण

वर्ष 2011-12 के दौरान तथा उससे पहले के चार वर्षों की दू वि के व्यय की तुलनात्मक स्थिति नीचे तालिका-1 में दी गई है:

तालिका - 1
दू वि का राजस्व तथा व्यय


(₹ करोड़ में)

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजस्व	26729.28	12997.80	15879.49	120547.63	17400.92
व्यय	5256.54	6186.17	11127.30	10370.26	8692.16

(स्रोत: दू वि के विनियोजन व वित्त लेखे)

दू वि का राजस्व तथा व्यय

(₹ करोड़ में)



उर्पयुक्त डेटा के विश्लेषण से पता चला कि 2010-11 में दू वि के राजस्व में वृहत वृद्धि थी जो कि अप्रैल से जून 2010 में 3जी व बी डब्ल्यू ए स्पैक्ट्रम की नीलामी (₹106264.73 करोड़) होने के कारण थी। इसके अतिरिक्त, 2009-10 व 2010-11 को छोड़कर, दू वि का व्यय भी इस अवधि में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के रिपोर्ट की सिफारिशों के क्रियान्वयन पर पेंशनरी लाभ के भुगतान तथा रक्षा सेवाओं के लिये ओ एफ सी आधारित नेटवर्क हेतु भा सं नि लि के दावों को निपटाने के कारण तेजी से बढ़ा था।

➤ संचार क्षेत्र की संक्षिप्त विवरणिका

दूरसंचार देश के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अपेक्षित आर्थिक वृद्धि के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभरा है। दूरसंचार क्षेत्र में पिछले दशक में असाधारण वृद्धि हुई है तथा 2011-12 के दौरान प्रभावकारी वृद्धि दर थी। भारतीय संचार बाजार विश्व में तीव्रतम बढ़ने वाले बाजारों में से एक है। मार्च 2012 के अंत तक कुल टेलीफोन में निजी क्षेत्र का अंश 86.31 प्रतिशत के लगभग था। कुल फोन में बेतार टेलीफोन का अंश 96.62 प्रतिशत के साथ वायरलाइन फोन की तुलना में बेतार फोन में भारी वृद्धि हुई।

2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान टेलिफोन उपभोक्ताओं की संख्या 300.48 मिलियन से बढ़कर 951.34 मिलियन हो गई, इसमें 216.61 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। जबकि बेतार अभिदाता बेस 658 मिलियन तक बढ़ गया था, तार बेस ने 7.24 मिलियन की गिरावट दर्ज की। बेतार खंड ने मार्च 2012 तक 919.17 मिलियन के कुल बेस के साथ बढ़त जारी रखी। देश में समग्र टेलीडेनसिटी ने मार्च 2008 की समाप्ति पर 25.64 प्रतिशत से मार्च 2012 के अंत तक 78.66 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी। 31 मार्च 2008 को ग्रामीण टेलीडेनसिटी 9.34 प्रतिशत थी जो मार्च 2012 में बढ़कर 39.22 प्रतिशत हो गई जबकि शहरी क्षेत्रों में यह क्रमशः 63.67 प्रतिशत और 169.55 प्रतिशत थी। तथापि पिछले पांच वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में अभिदाताओं की वृद्धि दर अधिक थी जो शहरी क्षेत्रों में 173.89 प्रतिशत की तुलना में 347.53 प्रतिशत थी। इंटरनेट व ब्रॉडबैंड अभिदाता 2007-08 में 11.09 मिलियन से बढ़कर 2011-12 में 22.86 मिलियन हो गए। वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान दूरसंचार क्षेत्र के समग्र विकास की स्थिति निम्न तालिका-2 में दी गई है।

तालिका - 2
दूरसंचार क्षेत्र में वृद्धि की स्थिति

वर्ष	अभिदाता (मिलियन में)					टेलीडेनसिटी (प्रतिशतों में)			इंटरनेट व ब्रॉडबैंड अभिदाता (मिलियन में)
	कुल	ग्रामीण	शहरी	वायरलाइन	वायरलैस	समग्र	ग्रामीण	शहरी	
2007-08	300.48	73.92	226.56	39.41	261.07	25.64	9.34	63.67	11.09
2008-09	429.72	120.29	309.43	37.96	391.76	36.98	15.02	88.11	13.54
2009-10	621.28	200.81	420.47	36.96	584.32	52.74	24.29	119.73	16.18
2010-11	846.32	282.24	564.08	34.73	811.59	70.89	33.79	157.32	19.67
2011-12	951.34	330.82	620.52	32.17	919.17	78.66	39.22	169.55	22.86

(स्रोत: ट्राई का वार्षिक प्रतिवेदन 2007-08 से 2011-12)

इस क्षेत्र में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा नियोजित राशि भी 2007-08 में ₹2,19,709 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹3,21,375 करोड़ हो गई। इसी प्रकार पूंजीगत निवेश भी 2007-08 में ₹2,78,599 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹5,17,818 करोड़ हो गया। दूरसंचार क्षेत्र में वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की वित्तीय रूपरेखा का विवरण निम्न तालिका-3 में दिया गया है:

तालिका - 3
दूरसंचार क्षेत्र में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की वित्तीय रूपरेखा


(₹ करोड़ में)

वर्ष	पूंजी नियोजित			निवेश			कुल राजस्व
	सार्वजनिक	निजी	कुल	सार्वजनिक	निजी	कुल	
2007-08	1,04,247	1,15,462	2,19,709	1,41,149	1,37,450	2,78,599	1,32,785
2008-09	1,03,856	1,70,651	2,74,507	1,49,201	1,88,587	3,37,788	1,51,693
2009-10	96,103	1,90,734	2,86,837	1,89,615	2,26,814	4,16,429	1,57,985
2010-11	89,040	2,48,643	3,37,683	1,97,332	2,81,946	4,79,278	1,71,719
2011-12	81,548	2,39,827	3,21,375	2,01,582	3,16,236	5,17,818	1,95,442

(स्रोत: ट्राई का वार्षिक प्रतिवेदन 2007-08 से 2011-12)

यह देखा जा सकता है कि निजी दूरसंचार कम्पनियों द्वारा नियोजित राशि व निवेश सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कम्पनियों से अधिक है। इसके अतिरिक्त, निजी दूरसंचार कम्पनियों का अभिदाता बेस सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कम्पनियों की तुलना में अभूतपूर्वक बढ़ गया है, जैसा कि नीचे ग्राफ में दिया गया है।

अभिदाता बेस में वृद्धि – निजी बनाम सा क्षेत्र



(स्रोत: ट्राई का वार्षिक प्रतिवेदन)

➤ क्षेत्र का विनियामक ढांचा

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भा दू वि प्रा)

संचार सेवाओं को नियमित करने, संचार सेवाओं हेतु प्रभारों के निर्धारण/पुनरीक्षण सहित संचार सेवाओं को विनियमित करने जो कि पूर्व में केन्द्र सरकार के पास निहित थे, हेतु संसद के अधिनियम द्वारा 20 फरवरी 1997 से प्रभावी भा दू वि प्रा की स्थापना हुई। भा दू वि प्रा का लक्ष्य देश में दूरसंचार सेवाओं की वृद्धि के लिए वातावरण का निर्माण इस तरीके और गति से करना है कि उभरते हुए विश्व सूचना समाज में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने में सक्षम हो सके। भा दू वि प्रा के मुख्य उद्देश्यों में एक है कि स्वच्छ और पारदर्शी कूटनीतिक वातावरण उपलब्ध कराना जिसमें कि स्तरीय कार्यक्षेत्र बनाया जा सके तथा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा में वृद्धि कराई जा सके। भा दू वि प्रा द्वारा जारी निर्देश, आदेश व विनियमन अनेक बड़े विषयों का समावेश करते हैं जिनमें टैरिफ, अन्तः संयोजन तथा सेवा की गुणता के साथ-साथ प्राधिकार के शासन सहित विभिन्न विषय शामिल हैं।

दूरसंचार विवाद निपटान व अपीलीय ट्रिब्यूनल (टी डी सैट)

भारतीय दूरसंचार विनियमन प्राधिकरण (भा दू वि प्रा) अधिनियम को 24 जनवरी 2000 से प्रभावी एक अध्यादेश द्वारा संशोधित किया गया था, जिसके तहत भा दू वि प्रा से न्यायिक व विवाद कार्यों का उत्तरदायित्व लेने के लिये दूरसंचार विवाद निपटान व अपीलीय ट्रिब्यूनल (टी डी सैट) की स्थापना की गई। टी डी सैट लाइसेंसप्रदाता व लाइसेंसधारक के मध्य, दो अथवा दो से अधिक सेवा प्रदाताओं के मध्य, सेवा प्रदाता व ग्राहक समूह के मध्य तथा भा दू वि प्रा के किसी भी निर्देश, निर्णय अथवा आदेश के विरुद्ध अपील सुनने व निपटाने के लिये स्थापित किया गया था।

➤ महत्वपूर्ण दू वि यूनिट

विविध दू वि यूनिट में दूरसंचार प्रवर्तन व संसाधन मॉनिटरिंग (टर्म) सैल, नियंत्रक, संचार लेखा (नि सं ले), बेतार आयोजना व समन्वय विंग (बे आ स), दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र (दू अ के), नीति अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय दूरसंचार संस्था (एन टी आई), संचार वित्त की राष्ट्रीय संस्था (निक्फ) तथा टेलीमेटिक-विकास केन्द्र (सी-डॉट) जो कि अनुसंधान व विकास (आर एवं डी) यूनिट है, शामिल हैं।

➤ वैश्विक सेवा दायित्व निधि (वै से दा नि)

ग्रामीण दूरभाष को प्रेरित करने के लिए, सरकार ने संसद के एक अधिनियम द्वारा 01 अप्रैल 2002 से वैश्विक सेवा दायित्व निधि (वै से दा नि) बनाया। वै से दा नि की अध्यक्षता, प्रशासक वै से दा निधि द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति निधि के प्रशासन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है। उसे वै से दा निधि योजनाओं के क्रियान्वयन व वै से दा नि से निधि के संवितरण के लिए कार्यविधि तैयार करने का अधिकार दिया गया है। प्रशासक का कार्यालय दूरसंचार विभाग के साथ संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य करता है। वै से दा नि द्वारा शुरू की गई विविध योजनाओं में एक परियोजना शामिल है जो कि नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एन ओ एफ एन) का निर्माण करने हेतु है तथा इस पर कार्य एक नई निगमित कंपनी जैसे भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है ताकि देश के ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के प्रवेश को सुधारा जा सके। वै से दा नि में कुल ₹43,947.49 करोड़ की राशि एकत्र की गई है जिसमें से ₹22,108.04 करोड़ 31 मार्च 2012³ तक उपयोग किये गये हैं।

➤ दू वि के प्रशासनिक नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा क्षे उ)

दू वि के प्रशासनिक नियंत्रण में चार निम्न महत्वपूर्ण सा क्षे उ है:

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (म टे नि लि)

1986 में स्थापित एम टी एन एल एक नवरत्न सा क्षे उ है तथा भारत के प्रमुख महानगरों दिल्ली व मुंबई में दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करता है। एम टी एन एल तार लाइन दूरसंचार सेवा तथा जी एस एम मोबाइल सेवायें दिल्ली व मुंबई दो महानगरों में प्रदान करने के लिये प्रधान सम्भरक है तथा तीन सक्रिय सेवायें अर्थात् वायस, हाई स्पीड इंटरनेट तथा आई पी टी वी ब्रॉडबैंड नेटवर्क में उपलब्ध कराता है। वर्तमान में, भारत सरकार के पास 56.25 प्रतिशत इक्विटी शेयर हैं तथा शेष 43.75 प्रतिशत शेयर विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ आई आई), वित्तीय संस्थायें, बैंक, म्यूचल फंड तथा अन्य जिसमें वैयक्तिक निवेशक शामिल हैं, के पास हैं। पिछले वर्ष के टर्न ओवर ₹3,674 करोड़ की तुलना में एम टी एन एल का वित्तीय वर्ष 2011-12 में टर्न ओवर ₹3,374 करोड़ था। एम टी एन एल ने 2011-12⁴ में ₹4,110 करोड़ की हानि दर्ज की।

³ स्रोत: दू वि द्वारा दी गई सूचना

⁴ स्रोत: एम टी एन एल के वार्षिक लेखे (2011-12)

भारत संचार निगम लिमिटेड (भा सं नि लि)

भा सं नि लि जिस पर भारत सरकार का पूरी तरह स्वामित्व है, का अक्टूबर 2000 में निर्माण हुआ था, दिल्ली व मुम्बई को छोड़कर सारे देश में दूरसंचार सेवायें प्रदान करता है। भा सं नि लि विविध प्रकार की दूरसंचार सेवायें जैसे लैंडलाइन पर दूरभाष सेवा, डब्ल्यू एल एल व जी एस एम मोबाइल, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट, पट्टे पर दिये गये परिपथ व लम्बी दूरी की दूरसंचार सेवा प्रदान करता है। ग्रामीण दूरभाष भा सं नि लि के मुख्य क्षेत्रों में से एक है तथा यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र व आदिवासी क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के विकास पर विशेष जोर देता है। भा सं नि लि का टर्न ओवर ₹27,933 करोड़⁵ था तथा 2011-12 में ₹8,851 करोड़ की हानि हुई।

भारतीय दूरभाष उद्योग लिमिटेड (आई टी आई लिमिटेड)

आई टी आई लिमिटेड की 1948 में स्थापना की गई थी ताकि उस समय के दूरसंचार सेवा सम्भरक, दूरसंचार विभाग को दूरसंचार उपस्कर की आपूर्ति कर सके। आई टी आई ने 1948 में बंगलुरु में अपना कार्य शुरू किया था, इसे अन्य क्षेत्रों तक जम्मू व कश्मीर में श्रीनगर, उत्तर प्रदेश में नेनी, रायबरेली तथा मनकापुर तथा केरल में पलक्कड में निर्माण संयंत्र स्थापित करके बढ़ा दिया गया था। विविध क्षेत्रों में संयंत्रों की स्थापना का उद्देश्य न केवल निर्माण क्षमता बढ़ाना अपितु सामाजिक अवसंरचना का विकास भी करना था। कम्पनी ने ₹922 करोड़⁶ का कुल टर्न ओवर प्राप्त किया था तथा वर्ष 2011-12 में ₹370 करोड़ की हानि उठाई।

टेलिकॉम्युनिकेशन कंसलटेन्ट इंडिया लिमिटेड (टी सी आई एल)

भारत सरकार द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली टी सी आई एल 1978 में स्थापित की गयी थी इसका मुख्य उद्देश्य दूरसंचार व सूचना प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी प्रदान करना था ताकि उचित विपणन रणनीति विकसित करके देशी व विदेशी बाजारों में इसके प्रचालन में श्रेष्ठता प्राप्त की जा सके तथा निरन्तरता के आधार पर आधुनिक प्रौद्योगिकी प्राप्त की जा सके। कम्पनी ने वर्ष 2011-12 में ₹680.79 करोड़ टर्न ओवर पर ₹8.03 करोड़⁷ का लाभ अर्जित किया था।

1.4.2 डाक विभाग (डा वि)

भारत में डाक तन्त्र, संचार अवसंरचना को लगभग 150 वर्षों से संभाल रहा है और वर्तमान में विश्व में इसका सबसे बड़ा नेटवर्क है। डाक विभाग (डा वि) द्वारा दी जाने वाली मुख्य सेवाएं नीचे दी गई हैं:

⁵ स्रोत: भा सं नि लि के वार्षिक लेखे (2011-12)

⁶ स्रोत: आई टी आई लिमिटेड के वार्षिक लेखे (2011-12)

⁷ स्रोत: टी सी आई एल के वार्षिक लेखे (2011-12)

संचार सेवाएं—	पत्र, पोस्टकार्ड आदि
परिवहन सेवाएं—	पार्सल, लोजिस्टिक्स
वित्तीय सेवाएं—	बचत बैंक, मनी आर्डर, बीमा
मूल्य वर्द्धित सेवाएं—	स्पीड डाक सेवा, व्यवसायिक डाक और सीधी डाक

वैश्विक सेवा बाध्यता के एक भाग के रूप में, डाकप्रणाली से समस्त देश में सभी उपभोक्ताओं को समर्थनीय मूल्य पर प्रभावी डाक सेवाओं के प्रावधानों को सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है। मेल का प्रेषण तथा सुपुर्दगी डाक विभाग का मुख्य परंपरागत कार्य है। पिछले वर्षों में डा वि द्वारा बल्कमेल, व्यवसायिक डाक तथा स्पीडपोट जैसी कई मूल्यवर्द्धित सेवाओं को आरम्भ किया गया है।

डाकघर बचत बैंक योजना डा वि द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से निष्पादित किया गया एक अभिकरण कार्य है जिसके लिए वित्त मंत्रालय समय-समय पर निर्धारित दरों पर डा वि को पारितोषिक की पूर्ति करता है। अपने अभिकरण कार्यकलापों को करने में डा वि देश में सबसे पुराने तथा मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से लघु बचतों के संचालन में मुख्य भूमिका निभाता है।

डाक विभाग जीवन बीमा भी प्रदान करता है। डाक जीवन बीमा (डा जी बी) सरकारी कर्मचारियों को 1884 से जीवन बीमा आवृत प्रदान कर रहा है। 1995 से डा जी बी का एक नई योजना ग्रामीण डाक जीवन बीमा के अंतर्गत देश की ग्रामीण जनता तक विस्तार किया जा चुका है।

डा वि सेना तथा रेलवे पेंशन धारियों को पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन, कोयला खान कर्मचारियों तथा कर्मचारी भविष्य निधि योजना द्वारा आवृत किए गए उद्योगों के कर्मचारियों के परिवारों को पारिवारिक पेंशन के संवितरण के काम में भी लगा हुआ है।

संगठनात्मक ढांचा

डाक विभाग (डा वि) संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार का एक भाग है। सचिव, डाक विभाग, विभाग का मुख्य कार्यकारी होता है। डाक सेवा बोर्ड विभाग का शीर्ष प्रबन्धन निकाय है जिसमें अध्यक्ष तथा छः सदस्य होते हैं, जो कार्मिक, प्रचालन, प्रौद्योगिकी, डाक जीवन बीमा, मानव संसाधन विकास व आयोजना का प्रभार संभालते हैं।

बोर्ड, 22 परिमंडलों में मुख्य पोस्टमास्टर जनरल डाक तथा डाक-महानिदेशालय में वरिष्ठ/उप महानिदेशकों की सहायता से देश भर में डाक सेवाओं के प्रबंधन को निर्देशित और पर्यवेक्षित करता है। डा वि में व्यवसाय विकास निदेशालय (व्य वि नि) की स्थापना 1996 में मूल्य वर्द्धित सेवाओं, जैसे: स्पीडपोस्ट, स्पीडपोस्ट पासपोर्ट सेवा, व्यवसायिक डाक, एक्सप्रेस पार्सल डाक, मीडिया डाक, मेघदूत डाक पत्र, बधाई डाक, डाटा पत्र, ई-बिल डाक एवं ई-डाक का प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए हुई थी। डाक जीवन बीमा (डा जी बी) तथा ग्रामीण डाक जीवन बीमा (ग्रा डा जी बी)

योजनाएँ मुख्य महाप्रबंधक, डा जी बी की अध्यक्षता में डा जी बी निदेशालय द्वारा मॉनीटर की जाती है।

वित्तीय निष्पादन

पिछले वर्ष की तुलना में 2011-12 के दौरान कुल राजस्व प्राप्ति में 13.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि उसी अवधि में राजस्व व्यय में 2.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई। डाक विभाग में वर्ष 2007-08 से 2011-12 में राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय को निम्न तालिका-4 और ग्राफ में दर्शाया गया है।


तालिका - 4
डाक विभाग की राजस्व प्राप्ति व राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व प्राप्ति	वसूली	राजस्व व्यय	घाटा (2)+(3)-(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2007-08	5494.90	266.32	7272.66	1511.44
2008-09	5862.33	300.82	9756.23	3593.08
2009-10	6266.70	438.94	13346.94	6641.30
2010-11	6962.33	485.72	13793.67	6345.62
2011-12	7899.35	458.64	14163.91	5805.92


(स्रोत: वर्ष 2007-08 से 2011-12 के लिये डा वि के विनियोजन एवं वित्तीय लेखे)

डाक विभाग के राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय



विभाग का अर्जन "वसूली" और "राजस्व प्राप्ति" के रूप में होता है। विभाग द्वारा घाटे के मुख्य कारण गैर पुंजीगत व्ययों की वृद्धि थी जो कि एल टी सी पर छुट्टी नगदीकरण, एम ए सी पी, वेतन की सामान्य बढ़ोत्तरी, मंहगाई भत्ता एवं पेंशनरी प्रभार आदि के कारण थी।

2011-12 में डाक सेवाओं⁸ पर ₹5,805.92 करोड़ का शुद्ध नुकसान हुआ। 2007-08 से 2011-12 की अवधि के लिये तुलनात्मक स्थिति इस प्रकार है:



1.4.3 इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी ई आई टी वाई)

संचार मंत्रालय व सूचना प्रौद्योगिकी के अर्न्तगत डी ई आई टी वाई एक विभाग है जो इलेक्ट्रॉनिक्स व सू प्रौ क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डी ई आई टी वाई का लक्ष्य भारत को विकसित देश व सशक्त समाज में रूपांतरित करने हेतु ई-विकास करना है। विभाग की अध्यक्षता सचिव द्वारा की जाती है तथा इसमें एक अध्यक्ष द्वारा साइबर अपीलीय ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता की जाती है।

डी ई आई टी वाई का मुख्य उद्देश्य ई-सेवायें प्रदान करने, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर विनिर्माण तथा आई टी-आई टी ई एस उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु ई उद्योग, ई-इनोवेशन/शोध एवं विकास, ई-लर्निंग, ई-सुरक्षा तथा ई-समावेशन के लिये आधारभूत संरचना प्रदान करने हेतु ई-सरकार की स्थापना करना है ताकि अधिक समावेशी वृद्धि हेतु सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा मिले।

डी ई आई टी वाई का प्रमुख कार्य सूचना व प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स व इंटरनेट, हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर उद्योग के विकास में पहल, सू प्रौ तथा सू प्रौ समर्थ सेवाओं व इंटरनेट को बढ़ावा देने तथा अन्य विभागों को ई-गवर्नेन्स, ई अवसंरचना, ई-औषधि, ई-वाणिज्य आदि, सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा व सूचना प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने, साइबर कानून से संबंधित

⁸ निवल हानि की गणना राजस्व प्राप्ति व वसूलियों एवं राजस्व व्यय के बीच अंतर के रूप में की गई थी अर्थात्, {(₹7899.35+ ₹458.64)- ₹14163.91}

मामले, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रशासन तथा अन्य सू प्रौ सम्बन्धित कानून, सू प्रौ में मानकीकरण, जांच व गुणता को बढ़ावा देने तथा सू प्रौ मांग व कार्यो के लिये कार्यविधि का मानकीकरण में सहायता प्रदान करने से संबंधित नीति निर्माण करना है।

➤ भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी का परिदृश्य


वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र ने विगत दशक में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसने अभिनव परिवर्तन को समर्थ किया तथा उत्पादकता में वृद्धि की है, लोगों व समुदायों को जोड़ा तथा पूरे विश्व में जीवन-स्तर व अवसरों में सुधार कर विश्व का स्वरूप बदल दिया है। वैयक्तिक जीवन के साथ-साथ पारस्परिक संबंध व कार्य में परिवर्तन करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी ने प्रतिस्पर्धा तथा आर्थिक व सामाजिक आधुनिकीकरण को भी बढ़ाया।

डी ई आई टी वाई का वार्षिक प्रतिवेदन यह बताता है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी का वर्तमान परिदृश्य सक्रिय है तथा देश ने इस क्षेत्र में वृहत वृद्धि हासिल की है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र सुदृढ़ व सम्मिलित वृद्धि के प्रमुख संचालकों में से एक रहा है। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में अत्यधिक योगदान दिया है। भारत सॉफ्टवेयर तथा सॉफ्टवेयर सेवा क्षेत्र में विश्वव्यापी पावर हाउस बन गया है।

2007-08 से 2011-12 तक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स व सू प्रौ-आई टी ई एस (सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ सेवा) उद्योग के उत्पादन तथा वृद्धि की रूपरेखा निम्न ग्राफ में दर्शायी गई है:

इलेक्ट्रॉनिक्स व सू प्रौ उत्पादन

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: डी ई आई टी वाई का वार्षिक प्रतिवेदन-2012-13)

चार्ट से यह देखा जा सकता है कि इस सेक्टर में 2007-2008 से 2011-12 के दौरान समग्र वृद्धि 91.95 प्रतिशत थी तथा 2011-12 के दौरान सू प्रौ उत्पादन इलेक्ट्रॉनिक और सू प्रौ के कुल उत्पादन का 74.75 प्रतिशत था।

भारतीय सू प्रौ उद्योग का भारत के जी डी पी, निर्यात व रोजगार में प्रमुख रूप से योगदान रहा है। विभाग को वर्ष 2012-13 में सू प्रौ आई टी ई एस उद्योग का कुल राजस्व ₹6,93,036 करोड़ तथा इंडियन सॉफ्टवेयर व सर्विसेज एक्सपोर्ट का राजस्व अनुमान ₹5,15,536 करोड़ रहने की उम्मीद है। सू प्रौ क्षेत्र सबसे बड़ा रोजगार उत्पादक बन गया है तथा इसने कई सहायक उद्योगों को सामूहिक रूप से शुरू किया हैं।

अपने कार्यों को करने के लिये डी ई आई टी वाई को भारत सरकार से अनुदान के रूप में बजटीय समर्थन उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान डी ई आई टी वाई द्वारा प्राप्त अनुदान तथा किया गया व्यय नीचे की तालिका-5 में दिया गया हैं।

तालिका - 5
डी ई आई टी वाई से संबंधित अनुदान के साथ-साथ व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान की राशि	कुल व्यय
2007-08	1536	1295
2008-09	1816	1558
2009-10	2582	1697
2010-11	3719	3129
2011-12	3048	2074
कुल	12701	9753

(स्रोत: वर्ष 2007-08 से 2011-12 के लिए डी ई आई टी वाई का विनियोजन लेखा)

1.5 बजट और व्यय नियंत्रण

दू वि, डा वि तथा डी ई आई टी वाई से संबंधित 2011-12 का विनियोजन लेखा का सारांश आगे की तालिका-6 में दिया गया है:

तालिका - 6

संचार मंत्रालय व सूचना प्रौद्योगिकी के आधीन तीन विभागों के लिये प्राप्त अनुदान व व्यय का विस्तृत विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	मंत्रालय/विभाग	अनुदान/विनियोजन (अनुपूरक सहित) अनुदान	कुल व्यय	(-) बचत/ (+) आधिक्य	व्यय नहीं किये गये प्रावधान की प्रतिशतता
1.	इलेक्ट्रानिक व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	3048.63	2074.58	(-)974.05	31.95
2.	डाक विभाग	14291.66	14374.14	(+) 82.48	-
3.	दूरसंचार विभाग	9773.79	8692.16	(-) 1081.63	11.07

(स्रोत: 2011-12 के लिए मंत्रालय/विभाग का विनियोजन लेखा)

➤ वर्ष 2011-12 के लिए डा वि, दू वि व डी ई आई टी वाई लेखों की विनियोजन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष

तीनों विभागों के विनियोजन लेखों की लेखापरीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिये गये हैं:

- वै से दा निधि का अंतशेष ₹23,752.48 करोड़ कम दर्शाया गया
- डा वि ने वित्त मंत्रालय द्वारा विभाग के पुनर्विनियोजन प्रस्ताव अस्वीकार किये जाने के बावजूद सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम योजना-ग्रामीण डाक सेवकों के लिए सर्विस डिस्चार्ज लाभ योजना के लिए ₹31.68 करोड़ पुनर्विनियोजित किया
- डा वि द्वारा बिना किसी बजट प्रावधान के ₹7.75 करोड़ व्यय किया गया
- पोस्टल सर्विसेज स्टाफ कल्याण बोर्ड में अनुदान ओबजेक्ट शीर्ष 31-सहायता अनुदान सामान्य (डा वि) के बजाय ओबजेक्ट शीर्ष 32 'योगदान' में बुक हुआ।
- अंतरराष्ट्रीय निकायों के लिए वार्षिक सदस्यता फीस पर व्यय 32-योगदान (डा वि) के बजाय ओबजेक्ट शीर्ष 50-अन्य प्रभार में बुक हुआ
- दू वि द्वारा संसद का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना ₹0.07 करोड़ बढ़ा दिये थे
- दू वि ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति से ठीक पहले उ पू क्षेत्र व सिक्किम के लिए अलग से रखे ₹51.58 करोड़ को पेंशन (गैर योजना) हेतु पुनर्विनियोजित किया
- ओबजेक्ट शीर्ष 51 व 52 का उपयोग पूंजीगत प्रकृति (डी ई आई टी वाई) के बजाय राजस्व प्रकृति के व्यय की बुकिंग के लिए किया गया
- डी ई आई टी वाई ने ओबजेक्ट शीर्ष 31 सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत समीर, सी-मैट, सी-डी ए सी, एम एल ए, निकलिट जैसे संगठनों को ₹1948.63 करोड़ की सहायता का अनुदान दिया। परिणामतः ओबजेक्ट शीर्ष 36-सहायता अनुदान वेतन के बजाय ओबजेक्ट शीर्ष 31 में ₹59.07 करोड़ का वेतन घटक गलत बुक किया गया।

अध्याय-II दूरसंचार विभाग

2.1 दूरसंचार सेवा सम्भरकों द्वारा अभिदाता सत्यापन

2.1.1 प्रस्तावना

टेलीकाम सैक्टर में विशेष रूप से मोबाइल सेगमेंट में विगत दो दशकों से एक असाधारण वृद्धि देखी गयी है। सैक्टर पिछले पांच वर्षों के दौरान अर्थात् 2007-08 से 2011-12 में सतत प्रभावशाली वृद्धि दर्शाता आ रहा है। इस अवधि के दौरान 216 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुये दूरभाष अभिदाताओं की संख्या 2007-08 में 30.05 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में 95.13 करोड़ हो गई। जबकि, इस अवधि के दौरान बेतार अभिदाता बेस में 65.80 करोड़ की वृद्धि व वायरलाईन बेस में 72 लाख की गिरावट दर्ज हुई थी। बेतार सैगमेंट ने मार्च 2012 तक 91.91 करोड़ संयोजनों के कुल बेस पर वर्चस्व बनाये रखा। वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान समग्र टेलीकॉम वृद्धि नीचे दी गई तालिका-1 में दर्शाई गई है:

तालिका - 1
वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान टेलीकॉम वृद्धि

(आंकड़े करोड़ में)

वर्ष	वायरलाईन अभिदाता	बेतार अभिदाता	कुल अभिदाता
2007-08	3.94	26.11	30.05
2008-09	3.80	39.17	42.97
2009-10	3.70	58.43	62.13
2010-11	3.47	81.16	84.63
2011-12	3.22	91.91	95.13

(स्रोत : ट्राय व दू वि की वार्षिक रिपोर्ट)

मार्च 2012 तक वायरलाईन सैगमेंट में, राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम भारत संचार निगम लिमिटेड (भा सं नि लि) का 2.25 करोड़ का अभिदाता बेस था जोकि बाजार शेयर का लगभग 70 प्रतिशत बनता था। बेतार सैगमेंट में 84.03 करोड़ के अभिदाता बेस के साथ मार्च 2012 तक सात¹ प्रमुख सेवा सम्भरक का बाजार शेयर के 91 प्रतिशत पर नियंत्रण था।

भारत में दूरसंचार सुविधाओं विशेष तौर पर मोबाइल सैगमेंट में आसानी से प्रवेश से राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में टैलीकॉम संयोजनों के सम्भावित दुरुपयोग की आशंका भी बढ़ गई थी। इन घटनाओं

¹ एयरसेल, भारती एयरटेल, भा सं नि लि, आईडिया सेलुलर, रिलाइंस कम्यूनिकेशन, टाटा टेलीसर्विसिज और वोडाफोन

के घटित होने पर, अभिदाताओं का पूर्ण सत्यापन तथा टेलीकॉम सेवा सम्भरकों पर सरकारी एजेन्सियों के पर्याप्त नियंत्रण में विशेष महत्व को अपनाया गया।

2.1.2 दू वि द्वारा आन्तरिक नियंत्रण

2.1.2.1 टेलीकॉम प्रवर्तन, संसाधन व मानीटरिंग (टर्म) सैलों का सृजन

देश में टेलीकॉम आपरेटरों की संख्या में वृद्धि के साथ, सरकार ने सभी लाइसेंस सेवा क्षेत्रों व देश में बड़े टेलीकॉम जिलों में एक सक्षम प्राधिकारी की स्थापना की आवश्यकता का अनुभव किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सेवा सम्भरक लाइसेंस शर्तों का पालन करें तथा टेलीकॉम नेटवर्क सुरक्षा मामलों के अनुपालन सुनिश्चित करें। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये दू वि ने अगस्त 2008 में 34 टेलीकॉम प्रवर्तन संसाधन व मानीटरिंग (टर्म) सैलों की स्थापना की थी (पूर्ववर्ती 2004 में स्थापित विजिलैन्स टेलीकॉम मानीटरिंग सैल को अगस्त 2008 में नया नाम टर्म सैल दिया गया)। दूसरी अन्य बातों के साथ-साथ, टर्म सैल दू वि द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेश व लाइसेंस करार के निबन्धनों व शर्तों के अनुसार सेवा सम्भरकों द्वारा अभिदाताओं के सत्यापन को मानीटर करने हेतु जरूरी था। यह कार्य टर्म सैल द्वारा ग्राहक अर्जन फार्म (कैफ्स) की लेखापरीक्षा सत्यापन के माध्यम से किया जाना था। गैर अनुपालन/दोषपूर्ण कैफ्स के प्रकरण में, टर्म सैल द्वारा चूककर्ता सेवा सम्भरकों पर शास्ति लगानी अपेक्षित थी।

2.1.2.2 समय-समय पर अभिदाता सत्यापन पर दू वि द्वारा जारी अनुदेश

जून 2003 में, दूरसंचार विभाग (दू वि), ने राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में दूरभाष संयोजन प्रदान करते समय टेलीकॉम आपरेटरों पर अत्यधिक सर्तकता हेतु दिशानिर्देश जारी किये थे। उसके बाद, दू वि ने 100 प्रतिशत अभिदाता सत्यापन के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर अनुदेश जारी किये थे। दू वि द्वारा नवम्बर 2004 से जारी आदेश निम्नलिखित हैं:

नवम्बर 2004 – दू वि ने सभी सेवा सम्भरकों को आदेश दिये थे कि दूरभाष संयोजन ग्राहक की वास्तविकता व पते के उचित सत्यापन के बिना नहीं दिया जाना चाहिये।

मई 2005 – इस बात पर भी बल दिया गया था कि सिम कार्ड/संयोजनो की बिक्री अभिदाता की प्रमाणिक सत्यापन व पते के बिना नहीं की जानी चाहिये।

नवम्बर 2006 – अभिदाता के सत्यापन के बिना प्री-एक्टिवेटेड सिम कार्ड की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया। यह भी अनुदेश दिया गया था कि बिक्री के स्थल पर प्राधिकृत व्यक्ति आवेदन पत्र में रिकॉर्ड करेगा कि उसने अभिदाता को देखा है तथा दस्तावेज का सत्यापन मूल दस्तावेजों से किया।

अप्रैल 2007 – दू वि ने टर्म सैल द्वारा जांच में पाये गये अभिदाता सत्यापन के प्रत्येक उल्लंघन पर 1000 रु. की शास्ति शुरू की थी।

जून 2007 – दू वि ने अभिदाता सत्यापन के संबंध में दिशानिर्देश जारी किये थे जिनका पालन टेलीकॉम प्रवर्तन संसाधन व मानीटरिंग (टर्म) सैल द्वारा किया जाना था। टर्म सैल द्वारा प्रतिमाह जो नमूना आकार जांचे जाने थे उन्हें प्रत्येक सेवा सम्भरक के कुल अभिदाता बेस का 0.02 प्रतिशत निर्धारित किया गया था।

अप्रैल 2008 – टर्म सैल द्वारा प्रतिशतता जांच 0.1 प्रतिशत तक बढ़ाई गई थी।

दिसम्बर 2008 – जब सेवा सम्भरक अभिदाता सत्यापन की आवश्यकता का अनुपालन नहीं कर रहे थे, शास्ति क्रमिक माप के आधार पर बढ़ा दी गई थी।

सितम्बर 2009 – दू वि ने सेवा सम्भरकों द्वारा एक वर्ष के भीतर 100 प्रतिशत मोबाइल अभिदाताओं के पुनः सत्यापन के अनुदेश दिये। इसके अतिरिक्त, सभी ग्राहक सत्यापन फार्म की स्केनिंग होनी थी तथा सेवा सम्भरक की वेबसाइट पर टर्म सैल द्वारा पासवर्ड नियंत्रित प्रवेश हेतु अपलोड किये जाने थे।

अक्टूबर 2009 – दू वि ने पहचान के प्रमाण व पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य दस्तावेजों की एक सूची दी।

फरवरी 2011 – दू वि ने अभिदाता सत्यापन विफलता के प्रकरणों में वित्तीय शास्ति योजना से संबंधित स्पष्टीकरण जारी किये थे।

2.1.2.3 दू वि द्वारा शास्ति लगाना

नवम्बर 2006 में, दू वि ने अभिदाता नम्बर सत्यापन के प्रत्येक उल्लंघन पर 1000 रु. की शास्ति मार्च 2007 के बाद से लगाई। शास्ति की मात्रा क्रमिक प्रणाली में संशोधित की गई (अप्रैल 2009) इसमें प्रत्येक असत्यापित अभिदाता की शास्ति की अधिकतम राशि 50,000 रु. तक बढ़ा दी गई थी।

इस प्रकार, इस विषय पर दू वि के अनुदेश व्यापक थे और पूर्णतः अभिदाता के सत्यापन को सुनिश्चित करने के लिये (i) कैफ की पूर्णता (ii) फोटो पहचान के साथ ग्राहकों की पहचान/पते का प्रमाण प्राप्त करना (iii) बिक्री के स्थल पर प्राधिकृत व्यक्ति से यह प्रमाणीकरण कि उसे निजी तौर पर देखा गया है (iv) मूल कैफ से अभिदाता डेटा का क्रॉस सत्यापन तथा (v) नियमित मानीटरिंग हेतु इलेक्ट्रॉनिक फार्म में कैफ्स का भंडारण द्वारा पूर्ण अभिदाता सत्यापन सुनिश्चित करने की मांग की थी। शास्ति लगाने व संग्रहण करने की प्रणाली सेवा सम्भरकों के लिये कारगर निवारक के रूप में मानी गयी थी ताकि सत्यापन कार्यविधि को उत्तरोत्तर मज़बूत किया जा सके और अनुपालन में वृद्धि हो सके।

2.1.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

हमने भारत में 2007-08 से 2011-12 की अवधि के लिये सात² प्रमुख सेवा सम्भरकों द्वारा मोबाइल अभिदाता सत्यापन के फरवरी 2011 तक जारी अनुदेशों के क्रियान्वयन में दू वि की भूमिका व प्रभावकारिता के मूल्यांकन के विचार से जुलाई-अगस्त 2012 में लेखापरीक्षा की थी। लेखापरीक्षा निष्कर्ष सितम्बर 2012 में मंत्रालय को जारी किये गये थे तथा मंत्रालय का उत्तर फरवरी 2013 को प्राप्त हुआ था।

2.1.4 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह मूल्यांकन करने के लिये की गई थी कि क्या:

- दू वि द्वारा समय-समय पर दिये गये अनुदेशों के अनुसार, सेवा सम्भरकों द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में चिन्ताओं को सम्बोधित करने के लिये 100 प्रतिशत सत्यापन किया गया था।
- टर्म सैल ने पर्याप्त लेखापरीक्षा जांच की थी।
- शास्ति लगाई गई थी तथा सेवा सम्भरकों से वसूल की गई थी।
- सेवा सम्भरकों द्वारा अभिदाता सत्यापन मानीटर करने हेतु उपयुक्त कुशल व कारगर प्रणाली दी गई थी।

2.1.5 लेखापरीक्षा मापदंड के स्रोत

मुख्य लेखापरीक्षा मापदंड के स्रोत थे:

- दू वि के अनुदेश/टर्म सैल की रिपोर्ट (टेलीकॉम प्रवर्तन, संसाधन व मानीटरिंग सैल)।
- दू वि द्वारा टर्म सैल के लिये जारी दिशानिर्देश।
- टेलीकॉम आपरेटरों के साथ हस्ताक्षरित लाइसेंस करार के सुसंगत/उपयुक्त निबन्धन एवं शर्तें।

2.1.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

टर्म सैल व उनके द्वारा दिखाये कार्य की लेखापरीक्षा से पता चला कि जैसाकि अपेक्षित था, प्रत्येक आपरेटर के कुल अभिदाता बेस का 0.1 प्रतिशत के न्यूनतम नमूना आकार की जांच टर्म सैल द्वारा नहीं की गई थी, टर्म सैल द्वारा उगाही गई शास्ति की वसूली कमजोर थी, टर्म सैल द्वारा की गई

² एयरसेल, भारती एयरटेल, भा सं नि लि, आईडिया सेलुलर, रिलाइंस कम्यूनिकेशन, टाटा टेलीसर्विसिज और वोडाफोन

अचानक जांच से खुलासा हुआ कि सेवासम्भरकों द्वारा टी डी सैट के निर्णय के क्रियान्वयन में विलम्ब के अतिरिक्त शास्ति लगाने में भी अनुवर्ती विलम्ब हुआ। इन सभी घटकों ने सेवा सम्भरकों द्वारा अभिदाताओं के 100 प्रतिशत सत्यापन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। इन लेखापरीक्षा निष्कर्षों को अनुवर्ती पैराग्राफों में दर्शाया गया है:

2.1.6.1 4.59 करोड़ अभिदाताओं का गैर सत्यापन

दू वि ने अपनी वार्षिक प्रतिवेदन 2011-12 में घोषणा की थी कि टर्म सैल द्वारा फील्ड में मोबाइल अभिदाता सत्यापन लेखापरीक्षा की गई थी, इसके कारण वर्ष 2011-12 में सेवा सम्भरकों द्वारा अभिदाता सत्यापन में अनुपालन 80 प्रतिशत से लगभग 95 प्रतिशत बढ़ गया था। मार्च 2012 में मोबाइल अभिदाता बेस 91.91 करोड़ था। बताया गया है कि मोबाइल अभिदाता बेस 91.91 करोड़ था और यदि सत्यापन के लिये अनुपालन की प्रतिशतता 95 प्रतिशत को पूरा-पूरा स्वीकार किया जाये, तो भी महत्वपूर्ण संख्या में 4.59 करोड़ अभिदाता असत्यापित रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा के सन्दर्भ से यह विशेष तौर पर महत्वपूर्ण बात है, जैसाकि दू वि ने जून 2003 में व्यक्त किया था। विशेष अभिदाता सत्यापन प्रणाली के क्रियान्वयन के सात वर्षों के बाद भी, सेवा सम्भरकों द्वारा 100 प्रतिशत अभिदाता सत्यापन का गैर अनुपालन गंभीर है, जिससे आवश्यक राष्ट्रीय सुरक्षा प्राप्त करने का प्रयोजन विफल हुआ जो सिद्ध करता है कि दू वि द्वारा बेहतर मानीटरिंग व नियंत्रण की आवश्यकता है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2013) कि जब अप्रैल 2007 में टर्म सैल ने लेखापरीक्षा शुरू किया था, सफलता दर केवल 74 प्रतिशत थी जोकि अब 95 प्रतिशत तक बढ़ गई है। इससे यह प्रतीत होता है कि टर्म सैल द्वारा लेखापरीक्षा ने सत्यापन में विचारणीय सुधार दर्शाया है इस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा में वृद्धि हुई। 100 प्रतिशत सत्यापन वांछनीय है लेकिन लेखापरीक्षा में 100 प्रतिशत सत्यापन सैद्धान्तिक है क्योंकि कुछ कैफ विभिन्न कारणों से लेखापरीक्षा में विफल होने निश्चित हैं।

तथापि, उत्तर धारणीय नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में कोई जाखिम स्वीकार्य नहीं है। इसलिये सेवा प्रदाताओं द्वारा 100 प्रतिशत अभिदाता सत्यापन न केवल वांछनीय था अपितु न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता भी थी। इसके आगे सत्यापन का गैर अनुपालन अप्रैल 2007 में 4.29 करोड़ अभिदाता से बढ़कर अप्रैल 2012 में 4.59 करोड़ अभिदाता भी हो गया था।

2.1.6.2 टर्म सैल द्वारा सत्यापन लेखापरीक्षा लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण गिरावट

मई 2007 में दू वि ने सेवा सम्भरकों के ग्राहक बेस का 0.02 प्रतिशत यूनीफार्म सैम्पलिंग के आधार पर कैफ का मासिक सत्यापन लेखापरीक्षा शुरू किया। अप्रैल 2008 में, यह समझा गया था (माना गया) कि सत्यापित अभिदाताओं की कुल जनसंख्या को दर्शाने हेतु 0.02 प्रतिशत का नमूना आकार पर्याप्त नहीं था और इसीलिये 1 मई 2008 से नमूना आकार 0.1 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय

लिया। इसका अर्थ था कि टर्म सैल द्वारा प्रतिमाह 1000 अभिदाताओं में से एक की जांच की जाये। टर्म सैल नमूना आकार के अतिरिक्त जांच प्रतिशतता को भी बढ़ा सकते थे।

वर्ष-वार मोबाइल संयोजन, प्रतिमाह कार्यरत मोबाइल संयोजनों जिन पर नमूना आकार 0.02 प्रतिशत (अप्रैल 2008 तक) तथा 0.1 प्रतिशत (मई 2008 से आगे) कैफ़्स के नमूना आकार के आधार पर जांच की जानी थी तथा टर्म सैल द्वारा की गई वास्तविक जांच नीचे तालिका-2 में दी गई है:

तालिका - 2

वर्ष-वार मोबाइल संयोजन, नमूना आकार देय, जांचित व कमियां/आधिक्य

(आंकड़े लाख में)

वर्ष	कार्यरत मोबाइल संयोजन मार्च* तक	जांच के लिये देय नमूना आकार	वास्तविक रूप में जांचित नमूना आकार	कमियां/आधिक्य
2008	2410	23.14	6.35	- 16.79
2009	3800	45.60	40.97	- 4.63
2010	5669	68.03	77.19	9.16
2011	7578	90.93	74.20	-16.73
2012	8403	100.84	88.17	-12.67
टर्म सैल द्वारा वास्तविक रूप से जांचित नमूना आकार में कमियां				-41.66

(स्रोत : दू वि द्वारा प्रेषित डेटा, * ट्राय की वार्षिक रिपोर्ट से लिये गये आंकड़े)

तालिका से यह देखा जा सकता है कि टर्म सैल ने 2010 को छोड़कर किसी भी वर्ष में नमूना आकार की लेखापरीक्षा जांच को भी पूरा नहीं किया था। 2008-2012 की अवधि में, सात सेवा सम्भरकों के संबंध में 41.66 लाख कैफ़्स की कमी रही जिससे यह निर्दिष्ट होता है कि टर्म सैल द्वारा न्यूनतम 0.1 प्रतिशत नमूना लेखापरीक्षा जांच नहीं की गई थी।

अभिलेखों की हमारी जांच से पता चला कि सात प्रमुख सेवा सम्भरक सिम कार्ड की बिक्री से पूर्व अभिदाताओं की पहचान का 100 प्रतिशत सत्यापन के संबंध में दू वि के अनुदेशों का पालन करने में विफल रहे। 2008-2012 की अवधि के लिये गैर अनुपालन कैफ़्स की टेलीकॉम सेवा सम्भरक अनुसार प्रतिशतता नीचे तालिका-3 में दी गयी है:

तालिका - 3

गैर अनुपालन कैफ़्स की टेलीकॉम सेवा सम्भरक अनुसार प्रतिशतता

टी एस पी	गैर अनुपालन कैफ़्स की प्रतिशतता				
	2008	2009	2010	2011	2012
एयरसेल	एन ए ³	4	4	5	5
बी ए एल ⁴	30	8	6	5	5
भा सं नि लि ⁵	54	13	6	4	5
आई सी एल ⁶	9	6	5	5	5
आर सी एल ⁷	40	15	9	9	6
टी टी एस एल ⁸	28	8	5	5	5
वोडाफोन	25	7	5	4	4

(अनुलग्नक-1 में विस्तृत विवरण दिये गये हैं) (स्रोत: दू वि द्वारा भेजा गया डेटा)

उपरोक्त तालिका से, यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि अनुपालन में वर्षों में महत्वपूर्ण सुधार दिख रहा था, 2008-2012 की अवधि के दौरान सात प्रमुख सेवा सम्भरकों द्वारा गैर अनुपालन की प्रतिशतता 4 से 54 प्रतिशत रही। आर सी एल का गैर अनुपालन कैफ़्स 2012 में, भी 6 प्रतिशत था। इससे यह निर्दिष्ट होता है कि सेवा सम्भरकों द्वारा अभिदाता के सत्यापन के लिए 100 प्रतिशत अनुपालन प्राप्त का उद्देश्य प्राप्त किया जाना बाकी था। 2012 में सेवा सम्भरकों द्वारा गैर अनुपालन की प्रतिशतता के आधार पर, प्रत्येक सेवा सम्भरक से संबंधित कुल अभिदाता बेस के संबंध में गैर अनुपालनकर्ता (दोषपूर्ण) कैफ़्स तथा वर्ष 2012 के लिये गणना की गई शास्ति का हिसाब लगाया गया है जैसाकि नीचे तालिका-4 में निर्दिष्ट है:

³ उपलब्ध नहीं (दू वि ने आकड़ें नहीं दिये)

⁴ भारती एरसेल लिमिटेड

⁵ भारत संचार निगम लिमिटेड,

⁶ आईडिया सेलुलर लिमिटेड,

⁷ रिलाइन्स कम्यूनिकेशन लिमिटेड,

⁸ टाटा टेलीसर्विस लिमिटेड

तालिका - 4
दोषपूर्ण कैफ़्स व गणना की गई शास्ति को दर्शाने वाला विवरण

टी एस पी	वर्ष 2012 के दौरान गैर अनुपालन कैफ़्स की प्रतिशतता	मार्च 2012 को कार्यरत संयोजन	दोषपूर्ण कैफ़्स	प्रत्येक दोषपूर्ण कैफ़्स में ₹1000 रु. की दर शास्ति (₹करोड़ में)
एयरसेल	5	62570000	3128500	312.85
बी ए एल	5	181280000	9064000	906.40
भा सं नि लि	5	98510000	4925500	492.55
आई सी एल	5	112720000	5636000	563.60
आर सी एल	6	153050000	9183000	918.30
टी टी एस एल	5	81750000	4087500	408.75
वोडाफोन	4	150470000	6018800	601.88
कुल			42043300	4204.33

(स्रोत: दू वि द्वारा दिये गये आंकड़े)

गणना किये गये आंकड़ों के आधार पर यह देखा जा सकता था कि वर्ष 2012 के लिये सात प्रमुख सेवा सम्भरकों के लिये कुल दोषपूर्ण कैफ़्स 4.20 करोड़ थे। यहां तक कि यदि प्रत्येक दोषपूर्ण कैफ़्स के लिये न्यूनतम शास्ति ₹1000 लगाई जाती है, तो केवल 2012 वर्ष के लिये कुल शास्ति ₹4204 करोड़ की बनती है।

वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 व 2011-12 में सेवा सम्भरकों का मोबाइल अभिदाता बेस क्रमशः 26.11 करोड़, 39.17 करोड़, 58.43 करोड़, 81.16 करोड़ व 91.91 करोड़ था तथा राजस्व क्रमशः ₹1,29,083 करोड़, ₹1,52,348 करोड़, ₹1,57,985 करोड़, ₹1,71,719 करोड़ तथा ₹1,95,442 करोड़ था। इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि यद्यपि सेवा सम्भरक अल्प समय में वृहत क्षमता की रचना को सम्भालने तथा राजस्व अर्जन में समर्थ थे वे अभिदाता सत्यापन के संबंध में दू वि के अनुदेशों का पालन करने में विफल रहें। यह टेलीकॉम सेवा सम्भरकों पर सात वर्षों के बाद भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये आवश्यक रूप से 100 प्रतिशत अभिदाता सत्यापन सुनिश्चित करने का दू वि का अप्रभावी व खराब नियंत्रण दिखाता है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2013) कि कैफ़्स लेखापरीक्षा के दौरान विफलताओं के पता चलने पर शास्ति लगाई गई थी तथा शास्ति का कोई भी बहिर्वेशन सही नहीं था। यह भी बताया गया था कि टी एस पी में अधिक गम्भीरता लाने के लिये, अप्रैल 2009 से शास्ति की क्रमिक प्रणाली शुरू की गई थी। अतः लेखापरीक्षा में दर्शाया गया निष्कर्ष न तो सही तस्वीर दर्शाता है और न ही यह कोई निर्णय लेने में सहायता करेगा।

उत्तर अस्वीकार्य था जैसा कि कैफ़ लेखापरीक्षा के लिए नमूना आकार 0.1 प्रतिशत चुना जाना संख्या का द्योतक था व इसकी विशिष्टता को दर्शाता था। वास्तव में टर्म सेल द्वारा की गई कैफ़

की लेखापरीक्षा कैफ्स की नमूनाओं पर आधारित थी एवं यहां पर परिणाम ग्राहक सत्यापन के संबंध में उपयोग होना था।

2.1.6.3 टर्म सैल द्वारा नियमित मासिक लेखापरीक्षा के अतिरिक्त

दू वि के अनुदेशों (नवम्बर 2010) में व्यवस्था थी कि टर्म सैल भी कैफ्स की मासिक नमूना लेखापरीक्षा के अतिरिक्त अभिदाता सत्यापन के संबंध में लेखापरीक्षा जांच भी करेंगे जैसाकि कानून प्रवर्तन एजेन्सियों (एल ई ए) से भेजे गये प्रकरण, शिकायतों के प्रकरण, वल्क प्रकरणों की जांच में पता लगाये प्रकरण, अचानक जांच आदि।

दू वि मुख्यालय में अभिलेखों की हमारी जांच (अगस्त 2012/ जून 2013) से उजागर हुआ कि प्राप्त शिकायतों व अचानक जांच के आधार पर, टर्म सैल ने पाया कि सात प्रमुख सेवा सम्भरक दू वि के अनुदेशों जिसमें कैफ्स के माध्यम से मोबाइल अभिदाताओं का 100 प्रतिशत पुनःसत्यापन किया जाना था, का अनुपालन करने में विफल रहे। हमने सेवा सम्भरकों द्वारा दू वि के अनुदेशों के गैर अनुपालन की उच्चतर प्रतिशतता देखी थी। टर्म सैल द्वारा जांचित शिकायतें, कैफ्स के गैर अनुपालनकर्ता तथा वर्ष 2009 से 2012 के दौरान कैफ्स की गैर अनुपालन प्रतिशतता के विवरण नीचे तालिका-5 में दिये गये हैं:

तालिका - 5

जांचित शिकायतें, गैर शिकायत कैफ्स, उन पर लगायी व वसूली गयी शास्ति की प्रतिशतता

सेवा सम्भरक	टर्म सैल द्वारा जांचित शिकायतें	गैर शिकायत कैफ्स	गैर शिकायत कैफ्स की प्रतिशतता	लगाई गई शास्ति (₹करोड़ रू. में)	शास्ति वसूली गई (₹करोड़ में)
एयरसेल	4606	1476	32	23.29	1.83
बी ए एल	12697	6984	55	35.32	18.43
भा सं नि लि	3058	449	15	17.48	0.28
आई सी एल	3643	1415	39	7.25	2.90
आर सी एल	7610	475	6	8.12	0.75
टी टी एस एल	6917	5780	84	37.34	2.91
वोडाफोन	7439	745	10	6.18	0.18
कुल	45970	17324		134.98	27.28

(स्रोत: दू वि द्वारा भेजा गया डेटा)

उपरोक्त तालिका से, यह स्पष्ट होता है कि अधिकतर सेवा सम्भरकों का अनुपालन स्तर टर्म सैल द्वारा शिकायत/आकस्मिक जांच प्रकरण में बहुत खराब पाया गया था। कुछ सेवा सम्भरकों के प्रकरण में जैसे टाटा टेलीसर्विसेज़ तथा भारती एयरटेल, नॉन कम्प्लायन्ट कैफ्स की उच्चतर प्रतिशतता क्रमशः 84 व 55 तक थी।

टर्म सैल द्वारा नियमित मासिक लेखापरीक्षा प्रकरण में नॉन कम्प्लायन्ट कैफ्स की प्रतिशतता 2009 से 2012 में 4 व 15 प्रतिशत (संदर्भ तालिका 3) रही जबकि इसी अवधि में टर्म सैल द्वारा की गई अचानक जांच प्रकरण में यह 6 से 84 प्रतिशत के बीच रही है। इससे निर्दिष्ट होता है कि नियमित मासिक लेखापरीक्षा के दौरान गैर अनुपालन के संबंध में टर्म सैल के निष्कर्ष पर भरोसा नहीं किया जा सका था क्योंकि अचानक जांच से बड़ी मात्रा में गैर अनुपालन का पता चला। इसलिये, दू वि द्वारा गैर अनुपालन का पता लगाने की प्रणाली पर पूरी तरह भरोसा भी नहीं किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त, लगाई गई शास्ति की वसूली खराब थी क्योंकि दू वि सेवा सम्भरकों पर लगाई गई ₹134.98 करोड़ की कुल शास्ति में से केवल ₹27.28 करोड़ (20 प्रतिशत) ही वसूल सका था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2013) कि मासिक कैफ लेखापरीक्षा के अतिरिक्त सत्यापन को अधिकतर विधि प्रवर्तन एजेन्सियों (एल ई ए) द्वारा प्राप्त प्रकरणों और सामान्यतः ऐसे प्रकरण जो गैर-अनुपालनकर्ता पाये गये या उनके द्वारा सन्देहात्मक थे तक सीमित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त इन प्रकरणों में उनके द्वारा प्राप्त फीडबैक के आधार पर टर्म सैल द्वारा निरीक्षित प्रकरणों को भी शामिल किया गया और इस प्रकार मासिक कैफ लेखापरीक्षा जोकि मात्र रैंडम चयन पर आधारित था, के साथ अन्य मासिक कैफ लेखापरीक्षा तुलनात्मक रूप से गलत निष्कर्षों की तरफ गया।

मंत्रालय का उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि संबंधित आदेश में बताया गया है कि मासिक कैफ लेखापरीक्षा के अलावा एल ई ए से भेजे गये प्रकरणों, शिकायत प्रकरणों, बल्क प्रकरणों की जांच के दौरान पता लगाये गये प्रकरण, अचानक जांच आदि के प्रकरणों की लेखापरीक्षा एल ई ए से भेजे गये प्रकरणों तक सीमित नहीं है। इसके अतिरिक्त, मासिक कैफ लेखापरीक्षा के अतिरिक्त किसी अन्य में जांचित कैफ्स उसी अभिदाता बेस से थे जिससे नमूना कैफ्स मासिक कैफ लेखापरीक्षा के लिए निकाले गये थे और इसलिये परिणाम भी तुलनीय होने चाहिये। फिर भी, कैफ लेखापरीक्षा का प्रयोजन सेवा सम्भरकों द्वारा केवल 100 प्रतिशत अभिदाता सत्यापन प्राप्त करना था, जैसाकि तालिका-5 में दर्शाया गया है एवं विशेष रूप से जो एल ई ए द्वारा भेजे गये प्रकरणों में 84 प्रतिशत तक उच्च गैर अनुपालन राष्ट्रीय सुरक्षा की गम्भीर चिन्ता को व्यक्त करता है।

2.1.6.4 टर्म सैल द्वारा वसूल नहीं की गई शास्ति

अन्य बातों के साथ-साथ सैल्यूलर मोबाइल टेलीकॉम सेवा/यूनीफाइड एसेस सेवा (सी एम टी एस/यू ए एस) की लाइसेंस शर्तों में व्यवस्था है कि 'लाइसेंसधारक प्रत्येक ग्राहक को अभिदाता के रूप में नामांकन करने से पहले उसका पर्याप्त सत्यापन सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में, समय-समय पर लाइसेंसदाता द्वारा जारी अनुदशों का सावधानीपूर्वक पालन किया जायेगा' तथा 'लाइसेंसदाता लाइसेंस करार के निबन्धन एवं शर्तों के उल्लंघन में अप्रैल 2007 से वित्तीय शास्ति, जो ₹50 करोड़ से अधिक न हो, लगायेगा'। दू वि ने अभिदाता नम्बर सत्यापन के प्रत्येक उल्लंघन पर ₹1000 की शास्ति शुरू की थी। दिसम्बर 2008 में दू वि ने स्थिति की समीक्षा की तथा पाया कि सेवा सम्भरक अभिदाता सत्यापन की आवश्यकता का पूरी तरह पालन नहीं कर रहे थे। इसलिये

दू वि ने अभिदाता सत्यापन विफलता प्रकरणों के लिये शास्ति की क्रमिक पैमाना योजना शुरू की ताकि वे निवारक रूप में कार्य कर सकें। योजना के अनुसार, सही अभिदाता सत्यापन प्रतिशतता तथा प्रत्येक असत्यापित अभिदाता के लिये वित्तीय शास्ति नीचे की तालिका-6 में दिया गया है:

तालिका - 6
वित्तीय शास्ति का क्रमिक पैमाना दर्शाने का विवरण

(₹राशि में)

सेवा क्षेत्र में सही अभिदाता सत्यापन प्रतिशतता	प्रत्येक असत्यापित अभिदाता के लिये वित्तीय शास्ति की राशि
95 से अधिक	1000
90- 95	5000
85- 90	10000
80- 85	20000
80 से कम	50000

- (i) हमने देखा कि यद्यपि दू वि को मालूम था कि सेवा सम्भरकों ने अभिदाता सत्यापन का पालन पूरी तरह नहीं किया था, इसने एक प्रकरण में भी लाइसेंस करार के निबन्धों व शर्तों के उल्लंघन में ₹50 करोड़ तक वित्तीय शास्ति नहीं लगाई थी ताकि निर्देशों के गैर अनुपालन से सेवा सम्भरकों को रोका जा सके।
- (ii) हमने यह भी देखा कि दू वि और टर्म सैल द्वारा 2009 से 2012 के दौरान दोषपूर्ण कैफ के लिए लगाई गई ₹2506.80 करोड़ की शास्ति में से सेवा सम्भरकों ने केवल ₹389.85 करोड़ का भुगतान किया था, जैसाकि नीचे की तालिका-7 में दिया गया है:

तालिका - 7
वर्ष 2009-12 के दौरान लगाई गई, भुगतान की गई एवं बकाया शास्ति

(₹करोड़ में)

क्रम सं.	सेवा सम्भरक	2009 से 2012 के दौरान दू वि द्वारा लगाई गई शास्ति	सेवा सम्भरकों द्वारा भुगतान की गई शास्ति	अन्तर (बकाया शास्ति)	वसूली की प्रतिशतता
1	एयरसेल	474.06	71.75	402.31	15
2	बी ए एल	616.61	113.81	502.80	18
3	भा सं नि लि	328.45	59.03	269.42	18
4	आई सी एल	100.83	26.68	74.15	26
5	आर सी एल	628.70	33.94	594.76	5
6	टी टी एस एल	88.37	17.90	70.47	20
7	वोडाफोन	269.78	66.74	203.04	25
	कुल	2506.80	389.85	2116.95	

(स्रोत: दू वि द्वारा भेजा गया डेटा)

कुछ प्रमुख सेवा सम्भरक जैसे आर सी एल, बी ए एल, एयरसैल व भा सं नि लि में क्रमशः ₹595 करोड़, ₹503 करोड़, ₹402 करोड़ तथा ₹269 करोड़ की वृहत शास्ति बकाया थी। इसके अतिरिक्त, वसूली की प्रतिशतता 5 प्रतिशत से 26 प्रतिशत के बीच रही है जोकि दू वि द्वारा शास्ति की खराब वसूली को निर्दिष्ट करती है।

- (iii) हमने देखा कि दू वि ने 100 प्रतिशत अभिदाता सत्यापन प्राप्त करने के लिये सेवा सम्भरकों पर शास्ति लगाये जाने मात्र पर विश्वास किया था। सेवा सम्भरकों के लिये शास्ति लगाना एक प्रभावी निवारक सिद्ध नहीं हो सका जिससे 100 प्रतिशत अभिदाता सत्यापन का अनुपालन हो सके। सेवा सम्भरकों से उसकी वसूली किये बिना दू वि द्वारा मात्र शास्ति लगाने से वह प्रयोजन जिसके लिये शास्ति लगाई गई थी विफल रहा।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2013) कि टी एस पी ने शास्ति-गणना के तरीके पर विवाद किया था तथा वे टेलीकॉम विवाद निपटान व मध्यस्थता ट्रायब्यूनल (टी डी सैट) के अंतरिम आदेश दिनांक 18 मई 2011 के अनुसार, वे शास्ति जमा कर रहे थे। टी डी सैट ने टी एस पी के पक्ष में अंतिम निर्णय दिया था (अप्रैल 2012) जोकि शास्ति राशि को महत्वपूर्ण तरीके से कम करता है। दू वि ने टी डी सैट निर्णय के अनुसार मई 2012 से आयकर स्लैब के तदनुरूप शास्ति की राशि की पुनः गणना करने हेतु अनुदेश जारी किये गये थे। तथापि, पूर्ववर्ती महीनों के संबंध में निर्णय अभी लिया जाना था और लगाई गई एकत्र की गई शास्ति में भिन्नता तब तक असुलझी रहेगी जब तक कि विगत तीन वर्षों से संबंधित प्रकरणों पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है।

टी डी सैट की निम्नलिखित उद्घोषणा के कारण उत्तर स्वीकार्य नहीं है।

1. जहां तक टेलीग्राफ-संचालन का संबंध है, यह राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित मामला है इसे लाइसेंस की शर्तों द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है।
2. दू वि द्वारा शास्ति से संबंधित जारी परिपत्रों पर आपत्ति करने के लिए सेवा सम्भरकों को अनुमति नहीं दी जा सकती है।
3. दू वि के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि इसने निरीक्षण करने व शास्ति लगाने के संबंध में गैर कानूनी व बिना किसी क्षेत्राधिकार के कार्य किया है।

मई 2012 में टी डी सैट से विभाग के पक्ष में निर्णय मिलने के बावजूद भी दू वि आठ माह बीत जाने के बाद भी, अप्रैल 2012 तक पूर्ववर्ती अवधि के लिये सेवा सम्भरकों से शास्ति वसूलने के लिये अनुदेश जारी करने में विफल रहा। परिणामतः तालिका-7 में दर्शाई गई शास्ति की वृहत राशि सेवा सम्भरकों से बिना वसूली के रही।

मंत्रालय ने फिर से यह भी बताया (फरवरी 2013) कि दू वि मुख्यालय में शास्ति लाइसेंस फीस सैल द्वारा शुरू से ही संग्रहीत की जा रही थी तथा जुलाई 2010 से वेतन एवं लेखा कार्यालय, दू

वि को हस्तांतरित कर दी गई। बाद में, इसे संबंधित लाइसेंसी सेवा क्षेत्रों के नियंत्रक, संचार लेखाकार्यालय में विकेंद्रित कर दिया गया था। इसलिए पांच वर्षों की समेकित एवं समाधानपूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं थी तथा टर्म सैल में विशेष तौर पर स्टाफ को अधिक कमी के कारण पूर्ण परिष्कृत डेटा में लम्बा समय लगने की सम्भावना थी।

मंत्रालय का उत्तर स्वयं यह निर्दिष्ट करता था कि दू वि में सेवा सम्भरकों पर उगाही गई शास्ति से संबंधित उचित डेटा नहीं था तथा लगाई गई शास्ति के विवरण उपलब्ध न होने से इसकी वसूली संदिग्ध थी।

निष्कर्ष

मोबाइल दूरभाष बड़ी संख्या में अचानक आने से, डिजिटल दुनिया के सीमलेस इंटीग्रेशन की योग्यता के अतिरिक्त, राष्ट्रीय सुरक्षा में मोबाइल दूरभाष का खतरा कई गुणा बढ़ गया था। यद्यपि दू वि द्वारा कई निर्देश व अनुपालन आदेश जारी किये गये थे। हमने देखा कि प्रक्रिया शुरू करने के सात वर्ष के बावजूद भी, राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया गया। दू वि तथा टर्म सैल के अप्रभावी मानीटरिंग व खराब नियंत्रण के कारण सेवा सम्भरकों से 100 प्रतिशत अभिदाता सत्यापन नहीं प्राप्त करा सके थे। इसके अतिरिक्त दू वि ने प्रत्येक सेवा सम्भरक के कुल अभिदाताओं का अपनी लेखापरीक्षा जांच 0.1 प्रतिशत सीमित कर दी थी, बड़ी संख्या में नॉन कम्प्लायन्ट कैफ्स का पता नहीं लग पाया तथा सात दूरसंचार सेवा सम्भरकों ने ₹2116.95 करोड़ की शास्ति का भुगतान नहीं किया।

सिफारिशें

- *वि को चाहिये कि वह अभिदाता सत्यापन की व्यापक नीति बनाये व क्रियान्वित करे और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करने के उद्देश्य से 100 प्रतिशत अभिदाता सत्यापन प्राप्त करने के लिये समय पर आदेश जारी करना सुनिश्चित करे।*
- *दू वि छःमाही आधार पर सेवा सम्भरकों द्वारा अभिदाता सत्यापन के क्रियान्वयन को प्रभावपूर्ण तरीके से सेवा क्षेत्र वार/सेवा सम्भरक वार मानीटर करे तथा विशेष शोधक उपाय करे।*
- *दू वि टर्म सैल द्वारा शास्ति लगाने को मानीटर करे तथा सेवा सम्भरकों से इसकी वसूली प्रभावी तरीके से लागू करे।*

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2013) कि समय-समय पर कार्रवाई की गई थी। इसके अतिरिक्त, दू वि ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाई गई संयुक्त कुशल समिति की सिफारिशों के आधार पर अगस्त 2012 में व्यापक व पहले से अधिक कड़े मानक जारी किये थे। मंत्रालय ने यह भी बताया कि दू वि नमूना कैफ सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से मासिक आधार पर अनुपालन की मानीटरिंग कर रहा था तथा अनुपालन प्रतिशतता में समय के साथ वृद्धि हो रही थी। सी सी ए को

अनुदेश भी जारी किये गये थे ताकि वे यदि इस प्रभाव में शास्ति किसी अदालती निर्देश के बिना भुगतान रहित रहती है तो एफ बी जी भुनाये।

मंत्रालय का उत्तर आंशिक रूप से स्वीकार्य था। तथापि, मंत्रालय, समय-समय पर जारी विभिन्न अनुदेशों के जारी होने के बावजूद भी, प्रक्रिया शुरू किये जाने के सात वर्ष बीतने के बाद भी सेवा सम्भरकों द्वारा चलाई गई 100 प्रतिशत अभिदाता सत्यापन प्राप्त करके राष्ट्रीय सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने में समर्थ नहीं था। मंत्रालय को जरूरी आवश्यकता है कि वह प्रभावपूर्ण तरीके से अपने अनुदेश क्रियान्वित करे तथा सूक्ष्मता से उनका मानीटर करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभिदाता सत्यापन के गैर अनुपालन से राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई समझौता न हो।

2.2 सांझी मोबाइल अवसंरचना योजना

2.2.1 प्रस्तावना

संचार की महत्ता को समझते हुये देश की सामाजिक व आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये भारत सरकार ने 1999 की नई दूरसंचार नीति पर सभी अनाच्छादित क्षेत्रों, जिसमें ग्रामीण, दूरदराज, पहाड़ी व आदिवासी क्षेत्र शामिल हैं, को वहन करने योग्य कीमत पर दूरसंचार सुविधाओं की वैश्विक सेवा को प्रदान करने का प्रावधान किया।

तदनुसार, दूरसंचार विभाग (दू वि) ने वैश्विक सेवा दायित्व निधि (वै से दा नि) के अन्तर्गत 2007 में “साझा मोबाइल अवसंरचना योजना” शुरू की। योजना में 27 राज्यों के 500 जिलों में जोकि बेतार या मोबाइल सेवाओं के माध्यम से कवर नहीं किये गये थे, में मोबाइल सेवाओं के प्रावधान हेतु पहचान किये गये 7353 अवसंरचना स्थलों को स्थापित करने तथा प्रबन्धन करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना था। ग्रामों या ग्राम समूह जिनकी आबादी 2000 या उससे अधिक है को योजना के अन्तर्गत विचार में लिया गया था। प्रत्येक अवसंरचना स्थल इस तरह बनाया गया था कि मोबाइल सेवाओं को प्रदान करने के लिये तीन सेवा सम्भरक को सांझा करना था।

योजना में दो घटक थे:-

भाग 'क': अवसंरचना की स्थापना के लिये पूंजीगत वसूली की प्रतिशतता के रूप में आर्थिक सहायता से अवसंरचना सम्भरकों (अ सं) द्वारा (भूमि, टावर, ऊर्जा, सिक्योरिटी, सिविल व बिजली कार्य) को स्थापित करना व प्रबन्धन करना।

भाग 'ख': अवसंरचना स्थलों पर उपस्कर उपलब्ध कराने हेतु पूंजीगत वसूली की प्रतिशतता के रूप में आर्थिक सहायता से टावरों/अवसंरचनाओं पर बेस ट्रान्स रिसेवर स्टेशन (बी टी एस) का प्रतिष्ठापन करके वैश्विक सेवा सम्भरकों (वै से सं) द्वारा मोबाइल सेवाओं को प्रदान करना था।

मोबाइल सेवाओं को प्रदान करने हेतु स्थलों का उपयोग करते हुये वैश्विक सेवा सम्भरकों (वै से सं) द्वारा अवसंरचना स्थल का प्रचालन व अनुरक्षण व्यय को सांझा बनाया गया था।

जनवरी 2007 में 81 समूहों के लिये दू वि द्वारा अवसंरचना स्थलों को स्थापित करना, प्रबंधन करना मोबाइल सर्विसेज को विशेष ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्रों में प्रदान करने के लिये बेसिक सेवा सम्भरको, सैल्यूलर मोबाइल दूरभाष सेवा सम्भरको, युनिफाइड एसेस सेवा लाइसेंस धारको से निविदायें आमंत्रित की गईं। अवसंरचना स्थल प्रदान करने के लिये सात⁹ सफल बोलीदाताओं जिन्होंने एक समूह के लिये न्यूनतम आर्थिक सहायता (सब्सिडी) उद्धृत की थी, के साथ करार पर हस्ताक्षर हुए (जून 2007)। करार के अनुसार अवसंरचना स्थल जून 2008 तक तैयार कर दिये जाने थे लेकिन दूरदराज क्षेत्रों अधिकतर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मुश्किलों को समझते हुये दो बार विस्तार करते हुए समाप्ति की दिनांक आगे बढ़ा कर अगस्त 2011 की गईं। 7353 टावर/अवसंरचना स्थलो को चालू किये जाने की आवश्यकता के लक्ष्य के विरुद्ध वास्तव में 7307 चालू किये गये थे। कार्य 31 अगस्त 2012 तक लगभग पूरा हो गया था (99.37 प्रतिशत) योजना के अनुसार अवसंरचना सम्भरकों को ₹234.30 करोड़ की सहायता (सब्सिडी) का भी भुगतान (मार्च 2012 तक) किया गया था।

योजना के दूसरे भाग के क्रियान्वयन के लिये, विभाग ने पहचान किये गये क्षेत्रों में मोबाइल सेवा प्रदान करने के लिये 14 वै से सं का चयन किया। वै से सं के साथ करार प्रभावी तारीख 1 जून 2007 से साढ़े छः वर्षों के लिये वैद्य था (प्रदान किये जाने के लिये एक वर्ष, आर्थिक सहायता अवधि के लिये पाँच वर्ष और विलंबित अवधि के लिये छः माह) इसके अतिरिक्त, करार के भाग 'ख' की प्रचालन शर्तों के अनुसार, अ सं द्वारा अवसंरचना स्थल चालू किये जाने के दो माह के भीतर वै से सं ने प्रत्येक स्थल से मोबाइल सेवायें प्रदान करनी थीं।

22059 बेस ट्रान्स रिसीवर स्टेशन (बी टी एस), के लक्ष्य के विरुद्ध अ सं ने 21921 स्थल तैयार किये थे जिसमें से 31 अगस्त 2012 तक केवल 15767 बी टी एस (71.93 प्रतिशत) प्रतिष्ठापित किये गये थे, जैसा कि नीचे तालिका-1 में वर्णित है:

तालिका - 1
बी टी एस की प्रतिष्ठापन स्थिति

वै से सं का नाम (कम्पनी समूह)	वै से सं द्वारा जिन स्थलों से सेवायें प्रदान की जानी थीं उनकी संख्या	अ सं द्वारा तैयार किये गये टावर स्थलों के विरुद्ध चालू किये जाने वाले बी टी एस की संख्या	जिन स्थलों से सेवायें प्रदान की गयी थीं उन स्थलों की संख्या	ऐसे स्थल जो सेवायें प्रदान नहीं कर रहे थे।	प्रतिशतता में गिरावट
भारती*	1174	1173	1126	47	4.00
भा सं नि लि	5311	5268	5109	159	3.02
ऐयरसेल* (डिसनेट)	1586	1544	914	630	40.80
आईडिया*	2630	2627	2540	87	3.31
आर सी एल	4774	4771	1633	3138	65.77
आर टी एल	3641	3599	1886	1713	47.60
वोडाफोन* (हच)	2943	2939	2559	380	12.93
कुल	22059	21921	15767	6154	28.07

(स्रोत: प्रशासक, वै से दा नि द्वारा भेजी गई सूचना)

* कम्पनियों का समूह

⁹ भारती, भा सं नि लि, ऐयरसेल (डिसनेट), आईडिया, आर सी एल, आर टी एल एवं वोडाफोन (हच)

2.2.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

सांझा मोबाइल अवसंरचना योजना से संबंधित प्रशासक (वै से दा निधि), दू वि मुख्यालय तथा नियंत्रक संचार लेखा कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई 2011 से अगस्त 2012) में बहुत सी त्रुटियों जैसे वै से सं के साथ दोषपूर्ण आर्थिक सहायता (सब्सिडी) समर्थन करार, अनाच्छादित क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं को प्रदान नहीं करना, सर्विस लेवल करार में अप्रभावी दण्ड खण्ड और दण्ड की वसूली न करना जैसा कि नीचे वर्णित है:

2.2.2.1 दोषपूर्ण करार –मैसर्स आर सी एल, मैसर्स आर टी एल, मैसर्स एयरसेल तथा मैसर्स वोडाफोन द्वारा वै से सं के रूप में सेवायें प्रदान नहीं की गईं:

करार के अनुसार (भाग VI का खण्ड 6) जो कि बोली (बिड दस्तावेज) का भाग है, मोबाइल सेवाओं के प्रावधान में विलम्ब के लिये प्रभार्य परिनिर्धारित नुकसान (प नु) की राशि, वार्षिक आर्थिक सहायता का 5 से 10 प्रतिशत के बीच थी। बोलीदाता के लिये निष्पादन बैंक गारंटी (नि बै गा) (भाग VII का खंड 3) भुगतान योग्य आर्थिक सहायता (सब्सिडी) का 5 प्रतिशत थी जो कि वै से सं द्वारा निबन्धन एवं शर्तों के निष्पादन की विफलता की स्थिति में प्रशासक द्वारा जब्त किया जा सकता है। इस प्रकार, दोनों रक्षा कवच अपनी बोली में सफल बोलीदाता द्वारा दावित आर्थिक सहायता (सब्सिडी) की राशि से सम्बद्ध थे। यद्यपि एक बोलीदाता को सफलता प्राप्त करने के लिये निम्नतम आर्थिक सहायता (सब्सिडी) उद्धृत करनी चाहिये, एक ऐसी सफल बोली जिसमें ऋणात्मक/नकारात्मक आर्थिक सहायता (सब्सिडी) प नु या निष्पादन बैंक गारंटी (नि बै गा) नहीं लग सकती है भी एक सफल बोलीदाता बन सकता है। इस तथ्य में बोलीवाले जिन्होंने ऋणात्मक/नकारात्मक आर्थिक सहायता (सब्सिडी) उद्धृत की हो वहाँ प नु या निष्पादन बैंक गारंटी (नि बै ग) की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये न तो योजना को अंतिम रूप देने समय और न ही बोली मांगते समय कोई विचार किया गया था।

हमने देखा था कि योजना के भाग 'ख' के अन्तर्गत अंतिम बोली में, 81 समूह में से 74 में, सफल बोलीदाताओं ने नकारात्मक अथवा शून्य बोली उद्धृत की। इस प्रकार इन बोलीदाताओं के साथ हस्ताक्षरित करार में न तो कोई प नु था और न ही नि बै गा खण्ड था जिससे वै से स पर कोई शर्त पूरा न होने कि स्थिति में दूर संचार विभाग के हित की रक्षा की जा सके।

करार के अनुसार, अ सं द्वारा अवसंरचना चालू किये जाने के दो माह के भीतर मोबाइल सेवायें वै से सं द्वारा प्रदान की जानी थी। तथापि, हमने देखा कि मोबाइल सेवाओं को चालू किये जाने के संबंध में वै से सं मुख्य रूप से मैसर्स आर सी एल, आर टी एल, एयरसेल तथा वोडाफोन का निष्पादन बहुत खराब था। सेवाओं के प्रावधान के लिये अ सं द्वारा तैयार किये गये 12853 स्थलों के विरुद्ध, केवल 6992 स्थलों से वै से सं सेवायें दे सके थे (अगस्त 2012)। देय स्थलों के विवरण तथा इन चार वै से सं द्वारा ऐसे स्थलों से जिनसे सेवायें प्रदान नहीं की गई थी तथा गिरावट की प्रतिशतता नीचे की तालिका-2 में दी गई।

तालिका - 2

देय स्थलों का विवरण, चार वै से सं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं तथा प्रदान नहीं की गई सेवाओं के विवरण

वै से सं का नाम	ऐसे स्थलों की संख्या जिनसे सेवायें प्रदान की जानी है	ऐसे स्थलों जहां सेवायें शुरू की गई	ऐसे स्थलों जहां सेवायें शुरू नहीं की गई थी	गिरावट की प्रतिशतता
एयरसेल	1544	914	630	40.80
आर सी एल	4771	1633	3138	65.77
आर टी एल	3599	1886	1713	47.60
वोडाफोन	2939	2559	380	12.93
कुल	12853	6992	5861	45.60

(स्रोत: प्रशासन वै से दा नि द्वारा भेजी गई सूचना)

इसके अतिरिक्त, वै से सं के साथ करार में पर्याप्त सुरक्षा व शास्ति खंड शामिल न करने के कारण सेवाओं के न प्रदान किये जाने/विलम्ब से प्रदान किये जाने की स्थिति में चूककर्ता वै से सं के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी।

वै से सं द्वारा शून्य/नकारात्मक बोली को ध्यान में रखते हुये, विभाग को करार में उपयुक्त संशोधन/परिवर्तन करने चाहिये जोकि बोलीदाताओं से परामर्श करके विभाग द्वारा बोली का मूल्यांकन करने से पूर्व प्रदान न की गई सेवाओं के लिये शास्ति के संबंध में हो।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2012) कि 15895 बी टी एस अर्थात् बी टी एस का 72.48 प्रतिशत 31-10-2012 तक प्रतिष्ठापित कर दिया गया है ताकि 7310 टावर स्थलों से मोबाइल सेवाओं का प्रावधान किया जा सके। 7353 टावरों में से 7310 टावर में बी टी एस प्रतिष्ठापित है तथा विकिरण हो रहा है; इससे लगभग 99 प्रतिशत ग्रामों/स्थलों को लाभ पहुंच रहा है। इस परिस्थिति के अन्तर्गत योजना का उद्देश्य बहुत उच्च स्तर पर प्राप्त कर लिया गया है। अतः मोबाइल सेवाओं के प्रावधान के लिये ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्रों में अवसंरचना की स्थापना कर योजना के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य को प्राप्त कर लिया गया है।

प्रत्येक टावर से एक बी टी एस के विकिरण की उपस्थिति भी, इस ढंग से उद्देश्य की प्राप्ति करती है और इसलिये योजना का दूसरा उद्देश्य अर्थात् मोबाइल सेवाओं का प्रावधान भी प्राप्त कर लिया गया है।

मंत्रालय का उत्तर कि योजना के दोनों उद्देश्य प्राप्त कर लिये गये थे इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये स्वीकार्य नहीं था कि अनाच्छादित क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं के प्रावधान का दूसरा उद्देश्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया गया था। वै से सं द्वारा 31 अक्टूबर 2012 तक 6026 स्थलों¹⁰ से मोबाइल सेवायें प्रस्तावित क्षेत्रों को प्रदान नहीं की गई थी इससे अवसंरचना स्थलों,

¹⁰ कुल 21921 बी टी एस कमीशन किये जाने थे, जबकि 15895 बी टी एस कमीशन किये

जिसके लिये अवसंरचना सम्भरकों को आर्थिक सहायता दी गई थी, के निर्माण के बावजूद भी प्रतिस्पर्धात्मक सेवाओं का चयन करने से ग्राहक वंचित रह गये। इसके अतिरिक्त, दू वि, वै से सं द्वारा शून्य/नकारात्मक बोली लगाने की स्थिति में, करार में किसी प्रकार का प नु या नि बैं गा खंड शामिल न किये जाने के कारण वै से सं को विवश कर दायित्व प्रदान करने में असमर्थ था। वै से सं द्वारा सेवाओं के प्रदान न किये जाने के कारण, अन्य विद्यमान वै से सं द्वारा 6026 स्थलों का सांझा प्रचालन व अनुरक्षण प्रभार का भार भी बढ़ गया।

इस प्रकार करार में अपर्याप्त सुरक्षा के कारण, प्रशासक वै से दा नि/दू वि काम नहीं करने वाले वै से सं/चूककर्ता वै से स सं पर कोई कार्यवाही करने में असमर्थ था।

2.2.2.2 अवसंरचना स्थलों के निर्माण के लिये अ सं को दी गई आर्थिक सहायता के बावजूद भी, वै से सं द्वारा 290 स्थलों में मोबाइल सेवाओं का गैर प्रावधान

हमने देखा कि छः दूरसंचार परिमंडलों (महाराष्ट्र, ओडीशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्व II व बिहार) में अ सं द्वारा योजना के अन्तर्गत 3488 अवसंरचना स्थलों को चालू किया गया था। तथापि, मार्च 2012 तक, चालू किये जाने के 18 से 36 माह के बाद भी किसी वै से सं द्वारा 290 स्थलों में कोई मोबाइल सेवायें प्रदान नहीं की गई थीं। विभाग ने (मार्च 2012 तक) 290 स्थलों के संबंध में, अ सं को आर्थिक सहायता के रूप में ₹5.67 करोड़ का भुगतान किया था जैसा कि नीचे की तालिका-3 में वर्णित है:

तालिका - 3

ऐसे स्थल जिनसे मोबाइल सेवा नहीं दी गई थी, के लिये अवसंरचना सम्भरकों को दी गयी आर्थिक सहायता का विवरण

क्रम संख्या	दूरसंचार परिमंडल का नाम	मार्च 2012 तक चालू किये गये स्थलों की संख्या	ऐसे स्थलों की संख्या जहां से किसी भी वै से सं द्वारा मोबाइल सेवा नहीं दी गई थी (मार्च 2012)	इन स्थलों के लिये मार्च 2012 तक अ सं को भुगतान की गई आर्थिक सहायता की राशि (₹लाख में)
1	महाराष्ट्र	956	31	29.10
2	ओडीशा	429	142	243.02
3	म प्र	933	14	23.57
4	छत्तीसगढ़	552	11	57.68
5	उत्तर पूर्व II	165	61	168.64
6	बिहार	453	31	45.15
	कुल	3488	290	567.16

(स्रोत: दू वि के सी सी ए कार्यालय से डाटा संग्रहित किये गये)

इसके अतिरिक्त चार परिमंडलों (अर्थात् महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम) तथा उत्तराखंड) में वै से सं द्वारा 1582 चालू किये गये स्थलों में से 949 दिनों के विलम्ब से 474 स्थलों को विकिरित किया गया। 474 स्थलों का प्रबंधन करने के लिये अ सं को ₹4.09 करोड़ की

आर्थिक सहायता का भुगतान गैर विकिरण अवधि के लिये किया गया था इस प्रकार यह निष्फल रहा जैसा कि नीचे की तालिका-4 में वर्णित है:

तालिका - 4

वै से सं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं में विलम्ब तथा गैर विकिरण अवधि के दौरान अ सं को भुगतान की गई आर्थिक सहायता

(₹करोड़ में)

क्रम संख्या	परिमंडल का नाम	चालू किये गये स्थलों की संख्या	स्थलों की संख्या जिनमें सेवा विलम्ब से दी थी	विलम्ब की अवधि (दिनों की संख्या)	गैर विकिरण अवधि के दौरान अ सं को आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान की गई राशि
1	महाराष्ट्र	956	85	20 से 949	1.43
2	उ प्र (पूर्व)	369	234	06 से 624	1.60
3	उ प्र (पश्चिम)	73	23	04 से 60	0.03
4	उत्तराखंड	184	132	01 से 773	1.03
	कुल	1582	474		4.09

(स्रोत: सी सी ए कार्यालय द्वारा सूचना प्रदान की गई)

हमारे द्वारा यह इंगित किये जाने पर, मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2012) कि अ सं तथा वै से सं के साथ अलग-अलग करार किये गये थे और सम्बन्धित करार की निबन्धन एवं शर्तों के अनुसार आर्थिक सहायता (सबसिडी) संवितरित की जा रही थी। वास्तव में, अ सं को भुगतान की गई आर्थिक सहायता उनके द्वारा की गई अवसंरचना की लागत के बदले में थी न कि मोबाइल सेवाओं के विकिरण (प्रसार) के परिश्रामिक के लिये थी। अ सं को कोई अनुचित भुगतान नहीं किया गया था। इस प्रकार निर्मित अवसंरचना का उपयोग भविष्य में वै से दा नि करार की समाप्ति के बाद भी ग्रामीण व दूरदराज के क्षेत्रों में सेवाओं के लिये होगा तथा आर्थिक सहायता की अवधि की समाप्ति के बाद भी वै से सं सेवायें जारी रखेगा और इसलिये अ सं को भुगतान की गई आर्थिक सहायता निष्फल नहीं हो सकती हैं।

मंत्रालय का उत्तर अस्वीकार्य था क्योंकि लेखापरीक्षा आपत्ति कुल मिलाकर आर्थिक सहायता (सब्सिडी) का भुगतान अ सं को करने के औचित्य पर नहीं थी, बल्कि विशेष रूप से उन 290 स्थलों जहां सेवायें शुरू नहीं की गई थीं, के प्रबंधन के लिये अ सं को भुगतान की गई आर्थिक सहायता तथा 474 स्थल जहां असाधारण विलम्ब के साथ गैर विकिरण अवधि के दौरान, सेवायें दी गई थीं, पर थी। चूंकि इन स्थलों का विशेष समय अवधि में विकिरण नहीं किया गया था, उनको भुगतान की गई आर्थिक सहायता न्यायोचित नहीं थी। इसके अतिरिक्त, दू वि वै से सं पर कार्रवाई करने में असमर्थ था जिन्होंने अ सं द्वारा तैयार किये गये स्थलों को विकिरित/सेवायें विलंब से दी थी। परिणामस्वरूप, योजना के अन्तर्गत इन स्थलों से प्रस्तावित अनाच्छादित ग्राम मोबाइल सेवाओं से वंचित रह गये।

2.2.2.3 सेवाओं में व्यवधान/ डाउन टाइम के लिये शास्ति की गैर वसूली

भाग 'ख' करार की वित्तीय शर्तों के खंड 2.3 में अनुबद्ध है कि किसी भी कारणवश सेवा में लम्बे समय तक व्यवधान के कारण यथा अनुपात के आधार पर वै से सं द्वारा शास्ति भुगतान योग्य होगी। वै से सं निर्धारित प्रपत्र में भुगतान विवरण के साथ सेवा के व्यवधान डाउन टाइम का विवरण भेजेगा। इसके अतिरिक्त, खंड 2.4 अनुबद्ध करता है कि एक तिमाही में 7 दिनों की अवधि तक मोबाइल सेवाओं के व्यवधान की स्थिति में किसी शास्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा। यदि एक तिमाही में 7 दिनों से अधिक समय तक मोबाइल सेवाओं के व्यवधान की स्थिति होती है तो शास्ति ₹500/- प्रति दिन देय होगा। तथापि, यदि एक तिमाही में सेवा में व्यवधान 45 दिन या उससे अधिक रहता है तो शास्ति पूरे तिमाही के लिये देय होगा।

उड़ीसा व कर्नाटक दूरसंचार परिमंडलों में यह देखा गया था कि वै से सं ने सी सी ए कार्यालय को व्यवधान/डाउन टाइम के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना निर्धारित प्रपत्र में नियमित रूप से नहीं भेजी थी। हमारे द्वारा यह इंगित किये जाने पर उड़ीसा परिमंडल द्वारा वै से सं अर्थात् मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड (बाल) और मैसर्स डिशनेट वायरलैस लिमिटेड (डी डब्ल्यू एल) के विरुद्ध ₹12.02 लाख की मांग की थी। मैसर्स बाल एवं मैसर्स डी डब्ल्यू एल (एयरसेल) ने बताया कि सेवाओं में व्यवधान का कारण अवसंरचना सम्बंधी विफलता थी जिसको अवसंरचना सम्भरक द्वारा ध्यान दिया जाना था और शास्ति उनसे नहीं उगाही जा सकती थी। कर्नाटक परिमंडल ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद मैसर्स भारती एयरटेल से ₹53.84 लाख की मांग की थी तथा वसूली प्रतीक्षित थी। मध्य प्रदेश दूरसंचार परिमंडल में सी सी ए कार्यालय ने मैसर्स आइडिया की सेवाओं में व्यवधान/डाउन टाइम के लिये ₹2.48 करोड़ की शास्ति अप्रैल 2008 से मार्च 2011 की अवधि के लिये उगाही थी लेकिन अभी तक दू वि को कोई भुगतान नहीं किया गया था। सी सी ए कार्यालय भोपाल ने उत्तर दिया (जुलाई 2012) कि मामला दू वि को भेजा गया था।

सेवा में डाउन टाइम/व्यवधान के लिये चार वै से सं पर ₹3.14 करोड़ की शास्ति उगाही गई थी जैसा कि नीचे की तालिका-5 में दर्शाया गया है कि दू वि ने इसकी वसूली नहीं की है।

तालिका - 5

सेवा में डाउन टाइम/व्यवधान के लिये चार वै से सं पर 3.14 करोड़ रु. की शास्ति उगाही के विवरण जिसकी वसूली दू वि ने नहीं की थी

क्रम संख्या	दूरसंचार परिमंडल का नाम	वै से सं का नाम	शास्ति की वसूल की जाने वाली राशि (₹लाख में)	अवधि
1	मध्य प्रदेश	आइडिया	248.25	2008-09 से 2010-11
2	उड़ीसा	भारती एयरटेल	9.62	अप्रैल 2010 - मार्च 2011
		डी डब्ल्यू एल (एयरसेल)	2.40	अप्रैल 2010 - मार्च 2011
3	कर्नाटक	भारती एयरटेल	53.84	अक्टूबर 2008 - दिसम्बर 2011
		कुल	314.11	

(स्रोत: सी सी ए कार्यालयों से डेटा संग्रहित किये गये)

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि (दिसम्बर 2012) कि सम्बन्धित सी सी ए कार्यालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार कुछ परिमंडलों में सेवा में व्यवधान/डाउन टाइम के विवरण प्रस्तुत करने में वै से सं की तरफ से विलम्ब था इससे सी सी ए द्वारा शास्ति की गणना उगाही की प्रक्रिया में विलम्ब हुआ तथा उपरोक्त परिमंडल सम्बन्धित वै से सं के साथ मामले को आगे बढ़ाते हुये शास्ति को जमा करवायेँ जैसा कि लेखापरीक्षा ने इंगित किया है।

मंत्रालय का उत्तर स्वयं यह दर्शाता है कि डाउन टाइम व्यवधान के लिये शास्ति उगाहे जाने और वसूल किये जाने के लिये फील्ड कार्यालयों की आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली कमजोर थी और इसे मजबूत किये जाने की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित शास्ति वसूली विवरण प्रतीक्षित थे (दिसम्बर 2012)।

2.2.2.4 सर्विस लेवल करार में कमजोर व अप्रभावी शास्ति खंडों से वै से सं द्वारा प्रचालन व्यय का गैर भुगतान को बढ़ावा मिला तथा अवसंरचना सम्भरकों (अ सं) पर भार बढ़ा।

भा सं नि लि ने 81 समूहों में से 63 समूहों के लिये अवसंरचना स्थलों को स्थापित करने तथा प्रबन्धन करने के लिये अवसंरचना सम्भरक के रूप में सफलतापूर्वक बोली लगाते हुये दूरसंचार विभाग के साथ मई 2007 में साढ़े छः वर्षों के लिये करार किया था। योजना के भाग 'क' के अन्तर्गत करार की वाणिज्यिक शर्तों के खंड। के उप खंड (vii) व (viii) के अनुसार मोबाइल सेवा प्रदान करने के लिये यह अवसंरचना स्थल तीन वै से सं के बीच पांच वर्षों के लिये सांझे में रहना था। जिसके लिये वै स स को प्रचालनात्मक व्यय का भुगतान अ सं (भारत संचार निगम लिमिटेड) को देना था।

इस प्रयोजन के लिये, अ सं को वै से सं के साथ सर्विस लेवल करार (एस एल ए) करना पड़ा था। वै से सं शेयर के आधार पर अ सं को एस एल ए में निर्धारित अनुरक्षण प्रभार तथा आवृत्ति प्रचालन व्यय का भुगतान करना अपेक्षित था। एस एल ए में दी गई प्रक्रिया के अनुसार वै से सं को आवधिक आधार पर व्यय के समाधान के लिये रोलिंग अग्रिम का भुगतान अपेक्षित था। एस एल ए ने बीजक-प्राप्ति के 15 दिन के भीतर रोलिंग अग्रिम तथा निर्धारित अनुरक्षण प्रभारों का भुगतान अनुबद्ध किया। वै से सं को किसी फीस या अन्य भुगतान योग्य राशि पर चूक की अवधि के लिये प्रति माह 2 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान अ स को करने के लिये उत्तरदायी था।

प्रधान महाप्रबंधक (विद्युत) भा सं नि लि कारपोरेट कार्यालय से प्राप्त अभिलेखों की हमारी संवीक्षा (मई 2012) तथा उनके द्वारा अक्टूबर 2012 में भेजी गई सूचना से पता चला कि मार्च 2012 की समाप्ति तक पांच वै से सं से बकाया में वृद्धि ₹109.38 करोड़ से बढ़कर अगस्त 2012 में ₹123.00 करोड़ हो गई जैसा कि नीचे की तालिका-6 में दिया गया:

तालिका - 6

भा सं नि लि को बकाया देयों (वै से सं अवसंरचना स्थलों क लिये प्रचालन व अनुरक्षण प्रभार)
को दर्शाने वाला विवरण

(₹करोड़ में)

वैश्विक सेवा सम्भरक समूह	अगस्त 2012 को बकाया राशि
रिलायन्स	78.10
वोडाफोन	16.17
आइडिया	10.80
एयरटेल	2.24
एयरसेल	15.69
कुल	123.00

(स्रोत: भा सं नि लि कारपोरेट कार्यालय द्वारा भेजी गई सूचना)

वैश्विक सेवा सम्भरकों से ₹123 करोड़ की कुल बकाया राशि में से कुल देयों का 63.50 प्रतिशत (₹78.10 करोड़) मैसर्स रिलायन्स से बकाया बनता था जो कि भा सं नि लि को अ स के रूप में भुगतान किया जाना था। मैसर्स एयरटेल के सम्बन्ध में, बकाया देय ₹3.14 करोड़ (मार्च 2012) से कम होकर ₹2.24 करोड़ (अगस्त 2012 में) हो गया तथा मैसर्स एयरसेल के सम्बन्ध में, देय ₹10.01 करोड़ (मार्च 2012) से बढ़कर ₹15.69 करोड़ (अगस्त 2012) हो गया। मैसर्स आइडिया सैल्यूलर के सम्बन्ध में, अप्रैल से अगस्त 2012 के दौरान देय ₹9.79 करोड़ से बढ़कर ₹10.80 करोड़ हो गया।

हमने देखा कि एस एल ए में ऐसा कोई खंड नहीं था जिससे कि प्रचालन व्ययों के गैर भुगतान के लिये करार को निरस्त करने के लिये भा सं नि लि द्वारा या दू वि द्वारा कोई कार्रवाई की जा सके और इसलिये इसका परिणाम यह हुआ कि अ सं के रूप में भा सं नि लि पर यह अनुचित भार हो गया।

मंत्रालय ने दिसम्बर 2012 में उत्तर दिया कि अ सं तथा वै से सं द्वारा हस्ताक्षरित एस एल ए के अनुसार उन्हें अपने मामले आपस में सुलझा लेने चाहिये। वै से दा नि मुख्यालय ने अ सं/वै से सं से बार-बार अनुरोध किया था कि वे उनके द्वारा हस्ताक्षरित एस एल ए के अनुसार अपने मामले आपस में सुलझा लें ताकि वै से दा नि टावरों से सुगम व निर्बाध सेवायें सुनिश्चित की जा सकें और यह स्वयं दो पार्टी के बीच कानूनी संविदा के क्षेत्र से बाहर प्रशासनिक अनुनय के बीच का रास्ता है।

मंत्रालय का उत्तर लेखापरीक्षा कथन को मजबूती प्रदान करता है कि चूककर्ता वै से सं पर इसका कोई नियंत्रण नहीं था जिससे वै से सं से ₹123 करोड़ (अगस्त 2012) देयों का संग्रहण हुआ जिसका भुगतान भा सं नि लि को किया जाना था। इसके अतिरिक्त दोषपूर्ण आर्थिक सहायता समर्थन करार ने चूककर्ता वै से सं को अनुचित लाभ दिया जिन्होंने मोबाइल सेवायें समझौतानुसार नहीं दी थीं या सेवायें महत्वपूर्ण व्यवधान और डाउन टाइम के साथ उपलब्ध कराई गई थीं।

निष्कर्ष

वैश्विक सेवा दायित्व निधि के अन्तर्गत दू वि की सांझा मोबाइल अवसंरचना योजना अवसंरचना सम्भरकों (अ सं) द्वारा अवसंरचना स्थलों को स्थापित करने व प्रबन्धन करने में सफल रही है क्योंकि 99 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था। तथापि, अनाच्छादित क्षेत्रों जिनमें ग्रामीण, दूरदराज, पहाड़ी व आदिवासी क्षेत्र शामिल हैं, के लिये बेतार अथवा मोबाइल सेवायें उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य योजना के अन्तर्गत दोषपूर्ण था एवं 72 प्रतिशत तक प्राप्त किया जा सका क्योंकि अ सं द्वारा निर्मित 6026 स्थलों से सेवायें अक्टूबर 2012 तक वै से सं द्वारा प्रदान नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, दू वि द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में ₹9.76 करोड़ का भुगतान अ सं को गैर विकिरण अवधि के दौरान किया गया था। (290 प्रबन्धित स्थलों पर जहां किसी वै से सं द्वारा सेवायें शुरू नहीं की गई थीं, और 474 स्थल जहां असाधारण विलम्ब से सेवायें प्रदान की गई थी)।

इसके अतिरिक्त, करार में पर्याप्त सुरक्षा व शास्ति खंड न होने से, सेवायें प्रदान करने में विलम्ब होने/न होने पर गैर निष्पादन चूककर्ता वै से सं पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। प्रशासक वै से दा नि (दू वि मुख्यालय) ने दू वि द्वारा शास्ति कार्रवाई किये जाने हेतु एस एल ए में किसी प्रभावी खंड का समावेश भी सुनिश्चित नहीं किया था जो कि अ सं तथा वै से सं के मध्य किसी विवाद की स्थिति को ध्यान में रखकर अथवा अ सं को प्रचालन व्ययों के गैर भुगतान के लिये चूककर्ता वै से दा के विरुद्ध उत्पन्न होता है।

2.3 रिलायंस ग्रुप कम्पनियों द्वारा यू सौफ/यू ए एस लाइसेंस करार के निबंधन व शर्तों का उल्लंघन

यू सौफ/यूएसएल करार के निबंधनों व शर्तों के उल्लंघन में मैसर्स आर सी एल व मैसर्स आर टी एल द्वारा मोबाइल सेवाओं को एक तरफा बंद किये जाने के कारण विशेष रूप से देश के ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्र, वहन करने योग्य मोबाइल सेवाओं से वंचित रहे।

दूरसंचार विभाग (दू वि) द्वारा जनवरी 2007 में वैश्विक सेवा दायित्व निधि (यू सौफ) के तहत "सांझी मोबाइल अवसंरचना योजना" नाम से एक योजना शुरू की गई थी ताकि 27 राज्यों के 500 जिलों में स्थित 7353 पहचान किये गये अवसंरचना स्थलों की स्थापना व प्रबंधन के लिए वैश्विक सेवा सम्भरकों (यू एस पी) को वित्तीय समर्थन दिया जा सके। ग्राम या ग्राम-समूह, जिनकी आबादी 2000 अथवा उससे अधिक थी, ये स्थल बेतार या मोबाइल सेवाओं के द्वारा कवर नहीं किये गये थे, पर विचार किया गया था। अवसंरचना सम्भरकों (अ सं) द्वारा प्रत्येक अवसंरचना स्थल इस प्रकार निर्मित किया गया था जिससे कि मोबाइल सेवाओं के प्रावधान के लिए तीन वैश्विक सेवा सम्भरकों द्वारा इसको सांझा किया जा सके।

योजना दो सहवर्ती भागों में क्रियान्वित की जानी थी। भाग-क में मोबाइल सेवायें देने के लिए इस अवसंरचना को सांझी बनाकर यू एस पी की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से अवसंरचना स्थलों की स्थापना करना था तथा भाग-ख में सम्बद्ध एंटीना व बैकहॉल¹¹ के साथ बेस ट्रान्स रिसीवर स्टेशन (बी टी एस) का प्रतिष्ठापन कर यू एस पी (यू ए एस/सी एम टी एस लाइसेंसधारक) द्वारा मोबाइल सेवाओं का प्रबन्ध करना था।

जनवरी 2007 में, दू वि ने दोनों अवसंरचना स्थलों की स्थापना व प्रबंधन (भाग क के तहत) तथा बेसिक सेवा सम्भरकों, सी एम टी एस सम्भरकों, यू ए एस लाइसेंसधारक व अवसंरचना सम्भरकों (अ स) से विशिष्ट ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्रों (भाग ख के तहत) में मोबाइल सेवाओं के प्रावधान के लिए 81 पहचान किये गये कलस्टर¹² हेतु निविदाएँ आमंत्रित की थी।

योजना के भाग-ख के क्रियान्वयन हेतु, विभाग ने बोली प्रक्रिया के द्वारा 14 यू एस पी का चयन किया था इसमें सम्बंधित सेवा क्षेत्रों में यू ए एस/सी एम टी एस लाइसेंसी थे ताकि पहचान किये गये ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं की व्यवस्था हो सके तथा बाद में, यू सौफ के तहत 14 यू एस पी के साथ करार किया था। यू एस पी के साथ करार 01 जून 2007 से साढ़े छः वर्षों के लिए वैध था। करार की अवधि पूरी होने पर यू एस पी से यू ए एस एल करार के प्रावधान के अनुसार मोबाइल सेवायें प्रदान करना अपेक्षित थी।

मैसर्स रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड (मैसर्स आर सी एल) व मैसर्स रिलायन्स टेलीकॉम लिमिटेड (मैसर्स आर टी एल) उन चयनित 14 यू एस पी में थे जिनके पास ऐसे सेवा क्षेत्रों में यू ए एस लाइसेंस थे जहां विशिष्ट दूरदराज व ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं की व्यवस्था की जानी थी। मई 2007 में मैसर्स आर सी एल व मैसर्स आर टी एल द्वारा प्रशासक, यू सौफ¹³ के साथ करार पर हस्ताक्षर किये गये थे ताकि योजना के भाग-ख के तहत पहचाने गये 81 कलस्टरों में से क्रमशः 53 कलस्टर¹⁴ (5118 स्थल) तथा 40 कलस्टर¹⁵ (3864 स्थल) में मोबाइल सेवायें दी जा सकें।

अभिलेखों की संवीक्षा (जून-जुलाई 2012) से पता चला कि मैसर्स आर सी एल व मैसर्स आर टी एल ने क्रमशः 1607 में से 1191 व 1598 में से 228 चालू बी टी एस 22 नवम्बर 2010 से एक तरफा बंद कर दिये थे। दोनों कंपनियों द्वारा बंद करने के बताये गये जो कारण थे वे आई पी की तरफ से समय पर रोल आउट प्रतिबद्धता पूरी नहीं करना तथा आई पी की ओर से वृहत विलम्ब था जिससे सक्रिय परियोजना में रूकावट हुई व वृहत पूंजी का अवरोधन हुआ। इस संबंध में यह भी बताया गया था कि निम्न अपेक्षा वाले कलस्टरों में मोबाइल सेवायें प्रदान करना एकदम

¹¹ बैकहॉल कोर नेटवर्क से बेस स्टेशन तक का संयोजन है जिसके द्वारा बेस स्टेशन से यातायात लेकर उसे नेटवर्क पर बैकहॉलिंग किया जाता है।

¹² विभिन्न सेवा क्षेत्रों (से क्षेत्र) में ये कलस्टर स्थित थे जिसके लिए दू वि ने प्रत्येक से क्षेत्र में कई लाइसेंसधारकों को यू ए एस लाइसेंस दिये थे।

¹³ सरकार ने संसद अधिनियम के द्वारा यू सौफ की स्थापना की थी और इसकी अध्यक्षता केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा की जाती है। उसे यू सौफ निधि योजनाओं के क्रियान्वयन व यू सौफ से निधि संवितरण के लिए कार्यविधि का निर्माण करने का अधिकार दिया गया है।

¹⁴ ये कलस्टर 17 राज्यों में स्थित हैं।

¹⁵ ये कलस्टर 10 राज्य में स्थित हैं।

अव्यवहारिक था जहां पर पहले से अन्य ऑपरेटरों की सशक्त उपस्थिति थी। अधिकतर स्थलों में राज्य बिजली बोर्ड (एस ई वी) विद्युत संयोजन भी नहीं थे, इस कारण उच्च प्रचालन लागत आ रही थी।

तथापि, बी टी एस बंद करने के लिए मैसर्स आर सी एल व मैसर्स आर टी एल द्वारा जो कारण उद्धृत किये गये थे, मंत्रालय उनसे सहमत नहीं था। तदनुसार, प्रशासक यू सौफ द्वारा क्रमशः 21 दिसम्बर 2010 तथा 06 जनवरी 2011 को मैसर्स आर सी एल व मैसर्स आर टी एल को कारण बताओ नोटिस (एस सी एन) दिया गया था, जिसमें 15 कार्यदिवस के भीतर उन्हें यह स्पष्ट करने को कहा गया की समझौते व लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन के लिये क्यों न उनके खिलाफ यू ए एस एल समझौते के अनुबंध 10.2 (ii) के अन्तर्गत ₹50 करोड़ तक का वित्तीय दण्ड लगाया जाये तथा यू सौफ द्वारा भविष्य की सभी समर्थित योजनाओं में भागीदारी से उन्हें ब्लैक लिस्ट करने के लिए भी कार्रवाई क्यों नहीं की जाये।

चूँकि मैसर्स आर सी एल व मैसर्स आर टी एल से निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ, अतः यू ए एस एल करार के खंड 10.2 (ii) के तहत शास्ति की उगाही के प्रस्ताव पर मंत्रालय द्वारा विचार किया गया था (31 जनवरी 2011)। जब प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा था, एस सी एन को दिया गया उत्तर (16 फरवरी 2011) मंत्रालय द्वारा प्राप्त किया गया था। इससे पहले कि इस पर जांच की जाये, मंत्रालय ने यू सौफ करार (भाग ख-II) के सेक्शन VII 'वित्तीय शर्तों' के खंड 2.3 व 2.4 के तहत 18 फरवरी 2011 को मैसर्स आर सी एल व मैसर्स आर टी एल पर शास्ति लगा दी थी। उपरोक्त खंड में मंत्रालय ने शास्ति लगाने का कारण आर सी एल-यू सौफ करार में विद्यमान स्पष्ट तौर पर अन्तर्निहित शास्ति प्रावधान बताया जो कि लम्बे समय के व्यवधान के प्रकरण में यथानुपात तथा ₹500 प्रतिदिन शास्ति के आधार पर आर्थिक सहायता में कटौती देता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि चालू/विकरित बी टी एस को एकतरफा बंद करने के लिए मैसर्स आर सी एल व मैसर्स आर टी एल की कार्रवाई अनियमित थी तथा इससे न केवल यू सौफ करार के निबंधन व शर्तों का अपितु निम्नलिखित कारणों से यू ए एस एल करार का भी उल्लंघन हुआ था:

- I. यद्यपि यू सौफ करार की 'सामान्य शर्तों' सेक्शन III, खंड I बताता है कि यह बी एस ओ/सी एम टी एस/यू ए एस एल लाइसेंस के निबंधन व शर्तों के अधीन है, यू सौफ करार (भाग ख-II) के प्रचालन शर्तों सेक्शन VI खंड 1.1 बताता है कि बी एस ओ/सी एम टी एस/यू ए एस एल लाइसेंस करार की जो प्रचलित निबंधन एवं शर्त लागू हैं, यथोचित परिवर्तन के साथ बाध्य होंगी। इस प्रकार बी एस ओ/सी एम टी एस/यू ए एस एल लाइसेंस की निबंधनों व शर्तों जो लागू हैं, के यू एस पी को पालन करना होगा।
- II. यू ए एस एल लाइसेंस करार के 'प्रचालन शर्तों' भाग V के खंड 30.3 के अनुसार, लाइसेंसधारक को ग्राहकों को सेवाओं की निरंतरता तब तक सुनिश्चित करनी होगी जब तक लाइसेंस प्रदाता द्वारा किसी भी कारण से लाइसेंस समाप्त या निलम्बित नहीं कर दिया जाता

है। यू ए एस एल करार की सामान्य शर्तें भाग-I, खण्ड 10.3 में यह भी व्यवस्था है कि यदि लाइसेंसधारक अपने लाइसेंस अभ्यर्पित करने की इच्छा रखते हैं तो उन्हें लाइसेंस प्रदाता को 60 दिनों का नोटिस देना पड़ेगा तथा इसे प्रत्येक ग्राहक को 30 कलैण्डर दिवसों का नोटिस भेजकर अधिसूचित करना पड़ेगा।

- III. यू सौफ करार की 'सामान्य शर्तों' सेक्शन III के खंड 6.1 बताता है कि यू सौफ करार की अवधि की समाप्ति पर, प्रतिष्ठित उपस्कर के प्रचालन व अनुरक्षण तथा मोबाइल सेवाओं के प्रावधान का उत्तरदायित्व मालिक ऑपरेटर अर्थात् यू एस पी का रहेगा।

इस प्रकार टेलीकॉम सेवा सम्भरकों द्वारा कोई दी गई सेवा चाहे वह दी गई सेवा यू सौफ द्वारा वित्तीय रूप से समर्थित हो अथवा नहीं बी एस ओ/सी एम टी एस/यू ए एस एल से प्रदान की गई सेवा का आवश्यक रूप से एक भाग था और सेवा सम्भरक द्वारा इसका अनुपालन किया जाना था।

लेखापरीक्षा टिप्पणियों के प्रत्युत्तर (अगस्त 2012) में, मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2012) कि:

- I. 21 दिसम्बर 2010 को यू सौफ (लाइसेंस प्रदाता-दूरसंचार विभाग नहीं) द्वारा जारी एस सी एन पर निर्णय लेने के समय शास्ति लगाये जाने का निर्णय यू सौफ करार तक सीमित था, लाइसेंस प्रदाता द्वारा यू ए एस/सी एम टी एस लाइसेंस के शास्ति प्रावधान को लागू करने के लिये पृथक एस सी एन (यदि आवश्यक हो) जारी किया जा सकता था।
- II. यू सौफ व मैसर्स आर सी एल तथा मैसर्स आर टी एल के मध्य करार संविदात्मक करार था जोकि यू सौफ मोबाइल टावरों के सीमित प्रयोजन हेतु था।
- III. दिनांक 18 फरवरी 2011 को आदेश पारित करते समय, सक्षम प्राधिकारी ने सभी सम्बद्ध घटकों को ध्यान में रखते हुए न्यायिक रूप से स्पष्ट विवेक को इस्तेमाल किया है।

निम्नलिखित कारणों के कारण मंत्रालय द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार्य नहीं है:

- यू सौफ करार (भाग ख II) के खंड 1.1 के सेक्शन VI "प्रचालन शर्तों" के अनुसार, बी एस ओ/सी एम टी एस/यू ए एस एल करार के निबंधन एवं शर्तें जो लागू हैं, प्रचलित रहेंगी तथा आवश्यक परिवर्तन सहित बाध्य होंगी।
- यू सौफ करार में मोबाइल सेवायें बंद करने का कोई प्रावधान नहीं है। यू सौफ करार किसी भी कारण (बिजली की अनुपलब्धता, बैंकहॉल आदि) से लम्बे समय के व्यवधान के कारण कार्रवाई किये जाने की केवल व्यवस्था करता है जैसा कि यू सौफ करार (भाग ख-II) 'वित्तीय शर्तें' सेक्शन VII के पैराग्राफ 2.3 के परिशिष्ट 10 में दिया गया है। यद्यपि यूएसपी करार की सम्पूर्ण अवधि के लिए यू सौफ करार की 'सामान्य शर्तें सेक्शन III खंड 12.3 के तहत सेवायें प्रदान करना जारी रखेंगे, मैसर्स आर सी एल व मैसर्स आर टी एल ने ग्राहकों को सेवायें जारी

रखना सुनिश्चित किये बिना तथा लाइसेंस प्रदाता/अभिदाताओं को कोई सूचना दिये बिना स्वेच्छा से, जानबूझकर व एक तरफा तरीके से अधिकृत बी टी एस बंद कर दिये थे, यह यू सौफ करार व यू ए एस एल करार के निबंधन व शर्तों के विरुद्ध व उल्लंघन था।

- लाइसेंसप्रदाता द्वारा एक पृथक एस सी एन जारी करने के सम्बंध में, लेखापरीक्षा ने देखा कि अर्टोनी जनरल महोदय ने राय दी (20 मई 2012) कि यद्यपि नये एस सी एन जारी करना कानूनी तौर पर अनुज्ञेय होगा, परन्तु इस पर गम्भीर प्रश्न उठ सकते हैं कि क्या इस स्थिति में नये एस सी एन जारी करने की कार्रवाई कानूनी रूप से कायम होगी। इस प्रकार, अर्टोनी जनरल की राय स्पष्ट तौर पर नये एस सी एन को अवहनीय दर्शाती थी। उनके विचार से यह भी आशय निकलता है कि यू सौफ करार में शास्ति की उगाही ने यू एस एल करार के अन्तर्गत नये एस सी एन जारी करने के सम्बंध में विभाग की स्थिति कमजोर कर दी थी।
- यू सौफ करार के अन्तर्गत शास्ति लगाने पर मंत्रालय से उत्पन्न तर्क इस आधार पर था कि यू सौफ तथा मैसर्स आर सी एल व मैसर्स आर टी एल के मध्य करार यू सौफ मोबाइल टावर के सीमित प्रयोजन के लिए संविदात्मक करार था, जो कि गलत है। मोबाइल टावर के प्रावधान के प्रयोजन के लिए, अन्य करार विभिन्न अवसंरचना सम्भरकों के साथ प्रशासक, यू सौफ द्वारा किये गये थे, जो कि अवसंरचना स्थलों की स्थापना से संबंधित है ताकि यू एस पी व आ.स. के मध्य किये गये करार के लिए मोबाइल सेवायें उपलब्ध कराने हेतु इस अवसंरचना को सांझी बनाकर सेवा सम्भरकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मुहैया कराई जा सके। वर्तमान प्रकरण यू सौफ व यू ए एस एल करार के निबंधनों व शर्तों के प्रचालन के उल्लंघन के सम्बंध में है जोकि मैसर्स आर सी एल व मैसर्स आर टी एल द्वारा बी टी एस के विकीरण को जानबूझकर तथा एकतरफा बंद करने हेतु है, इसके कारण सांझी मोबाइल अवसंरचना योजना के तहत उनको आबंटित मोबाइल सेवायें जो कि उनकी निविदा के अनुसार थी, देश के विशिष्ट ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्रों में थी, बंद हो गई।
- यू सौफ की सांझी मोबाइल अवसंरचना योजना के तहत आगे मंत्रालय ने सूचित किया कि, सचिव (टी) की अध्यक्षता में एक समिति 15 जुलाई 2011 में गठित की गई थी, ताकि यू सौफ की सांझी मोबाइल अवसंरचना योजना में मोबाइल सेवायें प्रदान करने में विलम्ब के सभी पहलुओं पर विचार किया जा सके। लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया था कि यद्यपि यू सौफ करार के सैक्शन VII में पैराग्राफ 2.3 व 2.4 में शास्ति की उगाही व 15 जुलाई 2011 में समिति के गठन के सम्बंध में जिस तारीख (फरवरी 2011) से आदेश जारी किये गये थे, प्रकरण की स्थिति में कोई ठोस परिवर्तन नहीं था, माननीय संचार व सू प्रौ मंत्री ने 16 जुलाई 2011 को निम्न निर्देश दिये थे:

“यू सौफ व मैसर्स आर सी एल के मध्य करार के सैक्शन VII के खंड 2.3/2.4 के तहत शास्ति सेवाओं में व्यावधान के कारण पहले ही लगाई जा चुकी है, हमें उन कारणों का जांच कर पता करने की आवश्यकता है, जब लाइसेंसधारक ने नवम्बर 2010 में कुछ सेवायें रोकने में एक तरफा निर्णय लिया था। लाइसेंसधारक से कारणों व परिस्थितियों का पता लगाने के लिए

उचित कदम उठाये जाने चाहिये जिनके अंतर्गत उनके द्वारा एक तरफा निर्णय लिया गया था, इससे अभिदाताओं को परिहार्य असुविधा हुई। लाइसेंसधारक की प्रतिक्रिया अन्य आवश्यक डेटा सहित प्राप्त होने पर, सूचना के आधार पर निर्णय लेने के लिए, कार्रवाई, यदि आवश्यक हो, दूरसंचार विभाग (अर्थात्, लाइसेंस प्रदाता) में उचित प्राधिकारी द्वारा यू ए एस एल के अंतर्गत की जानी चाहिए।" उसके बाद मंत्रालय ने मामला उपरोक्त समिति को भेज दिया था।

जैसा कि मंत्रालय ने अपने उत्तर में सूचित किया था कि समिति ने अपनी रिपोर्ट में मैसर्स आर सी एल व मैसर्स आर टी एल ने बंद मोबाइल सेवाओं को जारी करने पर भी विचार किया था तथा अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि "यू सौफ करार की वाणिज्यिक शर्तों के अनुसार आर्थिक सहायता की अवधि समाप्त होने के बाद भी यू सौफ योजना के अंतर्गत यू एस पी द्वारा दी गई मोबाइल सेवायें जारी रखनी है।" समिति ने यह भी बताया था कि यू सौफ करार के निबंधनों से यह स्पष्ट है कि यू एस पी द्वारा सम्बद्ध टेलीकॉम सर्विस लाइसेंस (यू ए एस/सी एम टी एस लाइसेंस) के तहत मोबाइल सेवाओं का रखरखाव किया जाना है।"

इसीलिए यह स्पष्ट है कि मैसर्स आरसीएल व मैसर्स आरटीएल द्वारा मोबाइल सेवायें बंद मान लेने का निर्णय सभी सम्बद्ध घटकों पर विचार करने के बाद मात्र सेवाओं में व्यवधान प्रतीत नहीं होता है।

इसके अतिरिक्त यू सौफ करार (भाग ख-II) की "प्रचालन शर्तों" खण्ड 1.1 सैक्शन VI में व्यवस्था है कि यू ए एस एल करार के निबंधनों एवं शर्तों का प्रावधान लागू रहेगा व मैसर्स आर सी एल व मैसर्स आर टी एल के साथ यू सौफ के तहत करार पर यथोचित परिवर्तन के साथ बाध्य होगा। अतः मैसर्स आर सी एल व मैसर्स आर टी एल द्वारा मनमाने¹⁶ तरीके से विकीरित बी टी एस को बंद किये जाने का कृत्य खण्ड 10.2 (II)¹⁷ में यू ए एस एल करार के निबंधन एवं शर्तों के उल्लंघन के बजाय मंत्रालय द्वारा यू सौफ करार¹⁸ के खंड 2.3 व 2.4 में सेवाओं में मात्र व्यवधान मानना अनुचित था।

¹⁶ सेवाओं की निरन्तरता सुनिश्चित नहीं की व लाइसेंस प्रदाता/अभिदाताओं को कोई सूचना नहीं दी गई जैसाकि यू ए एस एल करार में निर्धारित है।

¹⁷ यू ए एस एल करार के खंड 10.2 (II) बताता है कि लाइसेंस प्रदाता लाइसेंस करार के निबंधनों व शर्तों के उल्लंघन में वित्तीय शास्ति भी लगा सकता है जो कि ₹50 करोड़ से अधिक नहीं होगी। यह शास्ति लाइसेंस करार में बनायी गई परिनिर्धारित नुकसान के अलावा है।

¹⁸ यू सौफ करार का खंड 2.3 बताता है कि किसी भी कारण से सेवाओं में लम्बे समय तक व्यवधान रहने के कारण यथानुपात आधार पर यू एस पी द्वारा शास्ति का भुगतान किया जायेगा, इसका उल्लेख खंड 2.3 के परिशिष्ट 10 में किया गया है। यू सौफ करार का खंड 2.4 बताता है कि यदि एक तिमाही में 7 दिनों से अधिक सेवाओं में व्यवधान रहता है तो ₹500 प्रतिदिन शास्ति का भुगतान किया जाएगा।

अध्याय-III डाक विभाग

3.1 डाक विभाग (डा वि) के डाक लेखा कार्यालयों में आन्तरिक नियंत्रण

3.1.1 प्रस्तावना

डाक विभाग (डा वि) का सारे देश में 1.54 लाख से अधिक डाकघरों का नेटवर्क है। यह डाक सेवाओं के साथ-साथ परिवहन (पार्सल व लोजिस्टिक) सेवायें उपलब्ध कराने का मुख्य कार्य करता है। डा वि वित्तीय सेवायें उदाहरणार्थ बचत बैंक योजना, नकद प्रमाणपत्रों को जारी करना, धन-आदेश तथा बीमा व कई मूल्य वर्धित सेवायें जैसे त्वरित डाक, व्यावसायिक डाक, एक्सप्रेस पार्सल डाक, बिल डाक आदि भी प्रदान करता है। सार्वजनिक भविष्यनिधि प्रबंधन के अतिरिक्त, डा वि वित्त मंत्रालय की ओर से सेना, रेलवे, कोल माइन पेंशन भोगी आदि को पेंशन संवितरण का भी कार्य करता है। डा वि वर्ष 2008 से डाक घरों द्वारा मनरेगा (एम जी एन आर ई जी ए) मजदूरी भी संवितरण कर रहा है।

सचिव, डाक विभाग का मुख्य लेखांकन प्राधिकारी तथा डाक सेवा बोर्ड (डा से बो) का अध्यक्ष भी होता है। विभाग के लिये संयुक्त सचिव व वित्तीय सलाहकार डा से बो को वित्तीय सलाह देते हैं।

सारे देश में 22 डाक परिमंडल हैं, प्रत्येक की अध्यक्षता मुख्य महाअध्यक्ष डाक (मु म अ डा) करता है। एक अथवा अधिक डाक परिमंडलों के लिये, एक डाक लेखा कार्यालय (डा ले का) होता है, इसकी अध्यक्षता लेखा के महाप्रबंधक/निदेशक/उपनिदेशक, रैंक के अधिकारी द्वारा की जाती है। मु म अ डा के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन तथा उप महानिदेशक, डाक लेखा व वित्त (उ म नि (डा ले वि) के कार्यात्मक नियंत्रण जो डाक निदेशालय में स्थित है के अधीन डा ले का होता है।

3.1.2 डा ले का का कार्य व नियंत्रण

डाक लेखा नियमपुस्तिका खण्ड-I के पैराग्राफ 1.08 के अनुसार परिमंडल स्तर पर, डाक ले का प्रतिमाह प्रथम दिवस को पूर्वमाह की रोकड़ शेष रिपोर्ट के साथ नकद लेखा¹ तथा वाउचर व अनुसूचि मुख्य डाकघर (मु डा घ) से प्राप्त करता है। नकद लेखा के आधार पर एक वर्गीकृत सार² तैयार किया जाता है जिसमें प्रत्येक लेखा शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्ति व भुगतान दर्शाया जाता है। उसके बाद सभी मु डा घ के सार डा ले का में संकलित किये जाते हैं, तथा एक परिमंडल सार तैयार किया जाता है, जिसे डाक निदेशालय को प्रधान सार बनाने हेतु प्रस्तुत किया जाता है। डा

¹ नकद लेखा प्र डा घ व अधीनस्थ कार्यालयों की प्राप्ति व संवितरण है।

² वर्गीकृत सांराश में विनियोजन के प्रयोजन हेतु निर्धारित विविध लेखा शीर्ष में मासिक प्राप्ति व भुगतान का वर्णन होता है।

वि के लेखे प्रधान सार के आधार पर तैयार किये जाते है। डा ले का भी डाक इकाइयों की आंतरिक जांच व निरीक्षण करता है ताकि हानि, दुर्विनियोजन, गबन आदि जैसी अनियमितताओं को रोका जा सके।

3.1.3 डा ले का द्वारा आन्तरिक नियंत्रण किया जाना

विविध डाक इकाइयों के कार्यचालन का प्रभावपूर्ण आन्तरिक नियंत्रण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डा ले का निम्नलिखित जांच करता है:

- व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित व संस्वीकृत है।
- प्राप्ति व व्यय की प्रत्येक मद सुवर्गीकृत की गई है ताकि उचंत शीर्ष के अन्तर्गत राशि न्यूनतम मात्र रहे।
- नकद प्रमाणपत्र (न प्र) व धन-आदेश (ध आ) का सामयिक समाधान।
- अन्य विभाग की तरफ से दी गई सेवाओं के लिये सामयिक देयो का दावा व सामयिक वसूली करना।

3.1.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

हमने डा ले का में आन्तरिक नियंत्रण की दक्षता व प्रभावोत्पादकता की जांच करने के उद्देश्य से यादृच्छिक चयनित 22 डाक परिमंडलों में से 15 में लेखापरीक्षा की थी (जून 2012 से अगस्त 2012) 2009-10 से 2011-12 की अवधि के लिये आकस्मिक व्यय, बैंक स्क्रोल से डाकघर अनुसूचियों के समाधान, नकद प्रमाणपत्रों, धन-आदेश व डा ले का में रखी गई अन्य विभागों से प्राप्त वसूलियों से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच की थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों को नवम्बर 2012 में मंत्रालय को जारी किया गया था तथा मंत्रालय का उत्तर अप्रैल 2013 में प्राप्त हुआ था।

3.1.5 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

यह जांचने हेतु लेखापरीक्षा की गई थी कि क्या;

- विद्यमान आन्तरिक नियंत्रण तंत्र डाक लेखा नियमपुस्तिका के प्रावधानों के अनुसार लेखों की उचित जांच व संकलन सुनिश्चित करता है,
- आन्तरिक जांच के लिये उत्तरदायी संगठन प्रभावपूर्ण व दक्षता से कार्य कर रहा था,
- विद्यमान आन्तरिक नियंत्रण तंत्र कपट, दुर्विनियोजन आदि प्रकरणों का पता लगाने के लिये पर्याप्त है,
- अन्य विभागों से देय सामयिक वसूले जा रहे थे।

3.1.6 लेखापरीक्षा मापदंड में स्रोत

लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिये प्रयुक्त मापदंड के स्रोत डाक लेखा नियमपुस्तिका के अनुदेश, आदेश व परिपत्र आदि थे जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-2 पर जारी किया गया था।

3.1.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

डा ले का में आन्तरिक नियंत्रण से सम्बन्धित लेखापरीक्षा निष्कर्षों ने डा ले का के कार्यचालन में महत्वपूर्ण कमियों व कमजोर तथा अप्रभावी आन्तरिक नियंत्रण पर बल दिया जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

3.1.7.1 विद्यमान संहिता प्रावधानों के सम्बंध में लेखों का संकलन

डा व दू वित्तीय हस्त पुस्तिका (वि ह पु) खण्ड-I, 2006 व 2007 की डाक लेखा नियमपुस्तिका खण्ड-I में लेखों के संकलन से सम्बन्धित निर्धारित किये गये नियम तथा डा वि द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेश हैं। लेखों के संकलन से सम्बन्धित सुसंगत नियमों एवं उनमें हुई भिन्नता की चर्चा अनुवर्ती पैराग्राफों में की गई है।

(i) आकस्मिक व्यय का गैर समायोजन

डा व दू वि ह पु खंड-I के नियम 364 से 367 अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करते हैं कि डाकघरों से अपेक्षा की जाती है कि वे 10 तारीख को तथा माह के अंतिम कार्य दिवस में आकस्मिक सार (आ सा)³ बिल तैयार करें तथा इसे मासिक रोकड़ लेखा के साथ डा ले का को प्रेषित करें। मासिक विस्तृत आकस्मिक (बि आ)⁴ बिल डाकघरों द्वारा तैयार किये जाते हैं तथा जिस माह से प्रभार सम्बन्धित होते हैं उसके अगले माह की 10 तारीख तक सभी सब-बाउचर के साथ प्रति हस्ताक्षर के लिये नियंत्रण अधिकारी को भेजे जाते हैं। प्रतिहस्ताक्षर के बाद यह डा ले का को दूसरे माह जिससे प्रभार संबंधित है कि 5 तारीख तक भेजे जाते हैं। उसके बाद, डा ले का से अपेक्षा की जाती है कि वे आ सा बिलों का अनियमित उपयोग यदि कोई है तो ध्यान में लाये और वि आ बिलों के शीघ्र प्रस्तुतीकरण के लिये परिमंडलाध्यक्षों को स्मरण पत्र जारी करें।

2009-10 से 2011-12 में 15 डा ले का के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ₹367.40 करोड़ के वि आ बिल असमायोजित रहे जैसाकि **अनुलग्नक-II** में दर्शाया गया है। अनुलग्नक-II में निर्दिष्ट डेटा के विश्लेषण ने गैर समायोजित आ सा बिलों में 2009-10 में ₹84.57

³ आकस्मिक सार प्रभारों में कार्यालय के प्रबंधन के लिये सभी आनुषंगिक एवं अन्य आकस्मिक प्राकृति के व्यय सम्मिलित होते हैं इसे वैध खर्चा मानने के पहले सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित है।

⁴ विस्तृत आकस्मिक बिल व बिल हैं जो आ सा बिलों के आहरण के विरुद्ध किये गये खर्च के बाद सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रस्तुत किये जाते हैं।

करोड़ से 2011-12 में ₹182.93 करोड़ की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाया था। बकाया आकस्मिक बिलों के गैर समायोजन में सरकारी धन के दुर्विनियोजन के खतरे की सम्भावना थी। लेखापरीक्षा ने एक ऐसा प्रकरण पाया जिसमें बिहार परिमंडल के विभागीय प्राधिकारियों ने सितम्बर 2010 में पाया कि फरवरी 2010 से सितम्बर 2010 की अवधि के 3534 वाउचर जोकि वि आ बिलों के गैर प्रस्तुतीकरण से सम्बन्धित थे, नकली थे। इसमें प्रतिहस्ताक्षर प्राधिकारियों के झूठे हस्ताक्षर लक्षित हुये और इससे ₹3.60 लाख का कपटपूर्ण भुगतान सुगम हुआ, इसके लिये विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि ₹367.40 करोड़ में से ₹70.57 करोड़ परिमंडलों द्वारा समायोजित किये गये है। यह भी बताया गया था कि शेष राशि समायोजित करने हेतु मामले को मजबूती से आगे बढ़ाया जा रहा था। तथापि, तथ्य है कि विभाग द्वारा कि आ सा/वि आ बिल बिना किसी विलम्ब के समायोजित किया जाना सुनिश्चित करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया था।


(ii) बैंक स्क्रोल के साथ डाकघर अनुसूचियों का गैर समाधान

डाक लेखा नियमपुस्तिका खंड-I का नियम 5.27 निर्धारित करता है कि डाक अनुसूचि में दर्शाई गई मदों का बैंक स्क्रोल की मदों के साथ मद-वार मिलान होना चाहिये। बैंक स्क्रोल अथवा डाक अनुसूचियों में असम्बद्ध मदें दो अलग रजिस्ट्रों में पूर्ण विवरण के साथ प्रतिलिपिबद्ध होनी चाहिये।

अक्टूबर 1993 से डा वि के लेन-देन की रिपोर्टिंग तथा लेखांकन की प्रारम्भ की गई कार्यविधि में बैंक से बैंक को आहरण/प्रेषण की दैनिक स्क्रोल सम्मिलित की जाती है, इसे सम्बन्धित बैंक द्वारा चार प्रतियों में अलग से तैयार किया जाता है तथा एक प्रति डा ले का को भेजी जाती है जबकि अन्य कार्यालय प्रति के रूप में रखी जाती है। दो प्रतियां चालान/चैक सहित फोकल पोइंट बैंक⁵ को भेजी जाती है। इसके बाद फोकल पोइंट बैंक विभिन्न शाखाओं से प्राप्त स्क्रोल समेकित करता है तथा मुख्य स्क्रोल तैयार करता है और इसे डाक लेखा कार्यालय को भेजता है। डाक लेखा कार्यालय से अपेक्षा की गई है कि वे सम्बन्धित बैंक द्वारा भेजी गई दैनिक स्क्रोल के साथ मुख्य स्क्रोल की दूसरी प्रति को सत्यापित करें और प्रतिदिन विसंगतियों के बारे में बैंक को इंगित करें। एक प्रति मु डा घ को भेजी जाती है। उपर्युक्त कार्यविधि के बहाव को दर्शाने वाला एक चार्ट नीचे दिया गया है:

⁵ फोकल पोइंट बैंक वह बैंक है जो कड़ी में जुड़ी हुई सभी शाखाओं द्वारा इसको प्रतिवेदित लेन-देन की लेखांकन करने के लिये जिम्मेदार है।

लेन-देन की रिपोर्ट व लेखांकन की कार्यविधि के बहाव को दर्शाने वाला चार्ट



लेखापरीक्षा ने देखा कि 15 डा ले का में से आठ⁶ डा ले का द्वारा सम्बन्धित मु डा घ से मासिक अनुसूचि की गैर-प्राप्ति के कारण समय पर समाधान पूरा नहीं किया गया था। इनमें से कुछ अनुसूचि 2004 से लम्बित पाई गई थी। बैंक स्करोल व डाकघर अनुसूचि में बैंक से आहरित ₹5136.17 करोड़ तथा ₹14218.72 करोड़ तथा बैंक में प्रेषित ₹8071.69 करोड़ तथा ₹18566.14 करोड़ क्रमशः असम्बद्ध थे। 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2012 तक राशि व प्रेषण असम्बद्ध रहे जिसे **अनुलग्नक-III** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, मंत्रालय ने बताया (मई 2013) कि सभी वांछित अनुसूचियों को प्राप्त करने का मामला संबंधित डा ले का के साथ आगे बढ़ाने के लिये उठाया गया है जिससे युग्मन/समाधान का कार्य को अद्यतन करने के लिये पूरा किया जा सके।

मंत्रालय का उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि कपट से सम्बन्धित खतरे के विचार की दृष्टि से समाधान के बकाया कार्य को पूर्ण करने हेतु न तो कोई समय सीमा तय की गई थी और न ही सामयिक समाधान प्रणाली स्थापित करने के लिये कोई आश्वासन दिया गया था। इस प्रकार का एक प्रकरण कोलकाता बैंक प्राधिकारियों द्वारा निकाला गया था जहाँ मार्च 2011 में ₹86 लाख कपटपूर्ण भुनाये गये थे। इस प्रकरण में, मुजरिम के निजी खाते में जाली चैक जमा किया गया था इसमें रद्द चैक की चैक संख्या का इस्तेमाल किया गया था। इस प्रकार के कपट केवल तभी रोके जा सकते थे जब मु डा घ डा ले का को तथा बैंक को सभी रद्द चैक के बारे में समय पर सूचित करता और यदि समाधान कार्य समय पर किया गया होता तो चैक भुनाने के कपटपूर्ण तरीके को रोका जा सकता था।

उपर्युक्त उदाहरण इस बात का द्योतक है कि बैंक स्करोल के साथ डाक घर अनुसूचियों के समाधान की जाँच करने के लिये डा ले का में व्याप्त तंत्र अपर्याप्त व अप्रभावी है।

⁶ डा.ले.का. अहमदाबाद बंगलौर, कटक, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर एवं कपूरथला

(iii) लम्बित उचंत शेष

उचंत शीर्ष पर महानियंत्रक, लेखा नियमपुस्तिका का पैराग्राफ 1.1 निर्धारित करता है कि प्राप्ति व भुगतान की मदें जिनको तुरन्त प्राप्ति अथवा व्यय के अंतिम शीर्ष में सूचना की कमी के कारण स्वाभाविक अथवा किसी अन्य कारण से नहीं लिया जा सकता है, उन्हें मुख्य शीर्ष 8658-उचंत लेखों में अस्थायी रूप से दर्ज किया जाता है। सम्बन्धित विवरण/सूचना की प्राप्ति पर उचंत शीघ्र का निपटान शीघ्र किया जाना चाहिये क्योंकि उचंत शीर्ष में यदि राशि बिना निपटान के रहती है तो प्राप्ति व व्यय को सही तरीके से नहीं दर्शाया जा सकता है।

14 डा ले का के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 2009-10 से 2011-12 के दौरान क्रेडिट व डेबिट उचंत में वृहत राशि थी जैसाकि नीचे तालिका-1 में दर्शाया गया है:

तालिका - 1**2009-10 से 2011-12 के दौरान उचंत शीर्ष के अर्न्तगत रखी राशि की दर्शाने वाला विवरण**

(₹करोड़ में)

क्रम सं.	डा ले का का नाम	क्रेडिट उचंत			डेबिट उचंत		
		2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12
1	अहमदाबाद	9.69	3.58	18.24	59.53	-15.71	-727.67
2	बंगलौर	9.13	10.08	3.7	49.35	46.51	42.94
3	भोपाल	0.72	9.77	10.52	1.99	3.81	12.58
4	कटक	6.94	15.54	17.49	6.25	5.26	5.75
5	चैन्नई	44.73	17.08	35.29	40.23	8.73	21.14
6	रायपुर	36.21	19.75	25.09	43.71	5.60	7.62
7	हैदराबाद	24.88	32.49	86.12	0.07	0.03	0.02
8	जयपुर	0.24	2.94	4.34	2.85	2.74	3.59
9	कपूरथला	2.17	1.5	1.16	0.09	0.02	0.02
10	कोलकाता	174.68	170.95	202.72	285.83	282.21	194.98
11	लखनऊ	93.14	25.94	94.96	40.92	21.22	49.09
12	नागपुर	621.90	15.43	-7.53	249.16	162.14	186.91
13	पटना	65.3	61.22	36.22	213.86	131.02	88.42
14	त्रिवेन्द्रम	-1.3	0.53	13.42	-2.91	-0.23	0.16

(स्रोत: उचंत ब्रॉडशीट व समाधान रजिस्टर)

बकाया उचंत शेषों के विश्लेषण से पता चला कि डा ले का कोलकाता, नागपुर, पटना, अहमदाबाद व लखनऊ में क्रेडिट व डेबिट उचंत दोनों में सारपूर्ण उचंत बकाया थे। विश्लेषण से आगे यह भी पता चला कि अहमदाबाद डा ले का में, वर्ष 2011-12 के दौरान ₹727.67 करोड़ का वृहत

ऋणात्मक उचंत शेष था। उचंत शीर्ष में उपरोक्त शेष लेन-देन की प्रकृति नहीं दर्शा रहा है तथा इस प्रकार प्राप्ति तथा व्यय ठीक तरीके से नहीं दर्शाया जा सकता है।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (अप्रैल 2013) कि क्रेडिट उचंत में ₹162.47 करोड़ में से ₹4.46 करोड़ तथा डेबिट उचंत ₹433.30 करोड़ में से ₹9.84 करोड़ की राशि परिमंडलों द्वारा समायोजित की गई है। यह भी बताया गया था कि बाकी उचंत शेषों को समायोजित करने हेतु प्रबल तरीके से मामले को आगे बढ़ाया जा रहा था।

डाक विभाग को आवश्यकता है कि वह वृहत उचंत शेष कम करने हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करें क्योंकि उचंत (डेबिट) शेष में लम्बे समय तक बकाया राशि में सरकारी धन के गवन के खतरे की पूर्ण आशा रहती है जिस पर ध्यान नहीं जाता है या जो अचानक हो सकती है। इसके अतिरिक्त उचंत शीर्ष में शेष हर वर्ष संचित होते रहेंगे यदि ये राशियां बिना निपटान के रहती हैं, जो सरकारी प्राप्ति व व्यय को ठीक तरीके से नहीं दर्शायेंगे।

3.1.7.2 डाकघर नकद प्रमाणपत्रों (न प्र प) से संबंधित मामले

बचत को प्रोत्साहित करने हेतु, भारत सरकार ने प्रमाणपत्रों की श्रृंखला शुरू की है जिसे बचत बैंक व्यवसाय करने वाले डाकघरों से क्रय किया जा सकता है। डाकघर नकद प्रमाणपत्रों से सम्बन्धित नियम डाक लेखा नियम पुस्तिका खंड-II में निर्धारित किये गये हैं। नकद प्रमाणपत्रों के सम्बन्ध में डा ले का में मुख्य जांच स्टॉक व निर्गम रजिस्टर (स्टा व नि) के माध्यम से की जाती है। डाक घर नगद प्रमाणपत्र की संख्या, प्रत्येक प्रमाणपत्र के निर्गम का माह व वर्ष का विवरण आदि स्टॉ व नि रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाता है। उसी प्रकार, जब नकद प्रमाणपत्र का निर्गम किया जाता है और वह डा ले का में प्राप्त किया जाता है, प्रमाणपत्र की परिपक्वता पर प्रदत्त ब्याज की जाँच निर्गम व भुगतान की तारीख के सन्दर्भ में की जाती है जैसाकि प्रमाणपत्र में उल्लेख किया गया है और सम्बन्धित नगद प्रमाणपत्र की संख्या के विरुद्ध स्टा व नि रजिस्टर में लिखा जाता है। प्रति माह निर्गम व भुगतान की कुल राशि विस्तृत पुस्तिका⁷ में आंकड़ों से सत्यापित की जाती है।

नगद प्रमाणपत्रों व उनमें भिन्नता के सम्बन्ध में सुसंगत नियमों की चर्चा अनुवर्ती पैराग्राफों में की गई है।

(i) डाकघर प्रमाणपत्र कार्य में बकाया

डाक लेखा नियमपुस्तिका खंड-II का पैराग्राफ 2.4 निर्धारित करता है कि डा ले का द्वारा नकद प्रमाणपत्रों के स्टॉक व निर्गम के विवरण एक रजिस्टर में मु डा घर वार रखे जाने है तथा इसे प्रति माह विवरण पुस्तिका में आंकड़ों के साथ सत्यापित किये जाने चाहिये। सचिव, डा वि ने अप्रैल

⁷ विस्तृत बुक में प्रत्येक परिमंडल के लिये समेकित लेखा होता है जिसमें प्रत्येक लेखाशीर्ष में प्राप्ति व व्यय दर्शाया जाता है।

2007 में पश्चिम बंगाल परिमंडल में ₹104 करोड़ के वृहत कपट को ध्यान में रखते हुये, परिमंडलाध्यक्ष को निजी तौर पर यह सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी बनाया कि नकद प्रमाणपत्र कार्य किसी भी परिस्थिति में लम्बित नहीं रहना चाहिये।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 31 मार्च 2012 को ₹1420.92 करोड़ मूल्य के 2790228 नकद प्रमाणपत्र 15 डा ले का में से 13 में स्टॉक व निर्गम रजिस्टर में बिना दर्ज किये हुये थे जैसाकि **अनुलग्नक-IV** में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, 13 डा ले का⁸ में से आठ में, नकद प्रमाणपत्र 10 वर्षों से अधिक समय से दर्ज नहीं किये गये थे तथा चार डा ले का अर्थात् हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ व भोपाल में, प्रत्येक डा ले का में एक लाख से अधिक मर्दे दर्ज नहीं की पाई गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, मंत्रालय ने बताया कि सम्बन्धित परिमंडलाध्यक्षों को नियमित अन्तराल पर स्मरण कराया गया था ताकि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों में लम्बे समय से लम्बित व बांछित नकद प्रमाणपत्र विवरणी भेजने हेतु आवश्यक अनुदेश जारी करें। यह भी बताया गया कि फरवरी 2013 में नवीनतम स्मरण पत्र जारी किया गया था।

उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि अनुदेश व स्मरण पत्र मात्र जारी करना प्रभावपूर्ण नहीं होगा। मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि नकद प्रमाणपत्र नियमित रूप से दर्ज तथा सत्यापित किये गये हैं तथा साथ ही इन्हे मानीटर भी किया जाना है।

(ii) न बेचे गये डाकघर नकद प्रमाणपत्रों की सूची की गैर प्राप्ति

डाक लेखा नियमपुस्तिका खण्ड-II के पैराग्राफ 2.47 के अनुसार, प्रतिवर्ष 31 मार्च को मुख्य डाकघरों में बिना बेचे रहे प्रमाणपत्रों की सूची डाक लेखा कार्यालय में वार्षिक रूप से प्राप्त होगी। सूची में प्रविष्टियां का मिलान स्टॉक व निर्गम रजिस्टर में प्रविष्टियों के साथ किया जाना चाहिये तथा कोई विसंगति ध्यान में आने पर सम्बन्धित डाकपाल के साथ निपटान किया जाना चाहिये। डाक लेखा कार्यालयों में एक रजिस्टर रखा जाता है जिसके द्वारा बगैर बेचे गये नकद प्रमाण पत्रों की प्राप्ति की सूची पर निगरानी रखी जाती है। यह जांच एक वर्ष के भीतर निर्गम हुये कपटपूर्ण लेन-देन का पता लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ग्यारह डा ले का में मु डा घ द्वारा बिना बेचे प्रमाणपत्रों की सूची लेन-देन होने के एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत नहीं की गई थी। जैसाकि नीचे तालिका-2 में वर्णित है:

⁸ डा ले का अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद, कपूरथला, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली एवं लखनऊ

तालिका - 2

मु डा घ द्वारा बिना बेचे नकद प्रमाणपत्रों की सूची की गैर प्रस्तुतीकरण को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	डा ले का का नाम	अवधि जब से बकाया
1	अहमदाबाद	1998-99
2	बंगलौर	2009-10
3	भोपाल	2009-10
4	कटक	2003-04
5	दिल्ली	2010-11
6	जयपुर	2009-10
7	कपूरथला	2009-10
8	कोलकाता	2009-10
9	लखनऊ	2009-10
10	नागपुर	2007-08
11	त्रिवेन्द्रम	2009-10

(स्रोत: स्टॉक व निर्गम रजिस्टर)

उपरोक्त तालिका इस तथ्य की द्योतक है कि डा ले का में बिना बेचे प्रमाणपत्रों की प्रस्तुतीकरण सूची के मानीटर पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण नहीं है जोकि लेन-देन के एकवर्ष के भीतर कपटपूर्ण निर्गम का पता लगाने हेतु महत्वपूर्ण औजार है। अहमदाबाद डा ले का में, 1998-99 से सूची लम्बित थी।

तथ्य को स्वीकारते हुये, डा ले का ने यह भी बताया कि डाक घर के वरिष्ठ अधीक्षक/डाकघर के अधीक्षक तथा डाकपालों के साथ मामला उठाया गया था ताकि लम्बित विवरणी प्रस्तुत की जा सके।

तथापि, डा ले का का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि कपटपूर्ण निर्गमों का पता लगाने में यह सूची एक महत्वपूर्ण साधन है तथा इस सूची को प्राप्त करने में विफलता के कारण नकद प्रमाणपत्रों के कपटपूर्ण निकासी का काफी समय तक पता नहीं लग पायेगा।

(iii) नकद प्रमाणपत्र की आपत्ति पुस्तिका में बकाया राशि

डाक लेखा नियम पुस्तिका का खंड-II का पैराग्राफ 2.58 से 2.61 निर्धारित करता है कि परिमंडल आपत्ति पुस्तिका में आपत्ति विवरण⁹ भरे जाने तथा नकल की जानी चाहिये। नकद लेखों से वापसी एवं वसूलियों के रजिस्टर में निगरानी हेतु एक संदर्भ दिया जाना चाहिये कि क्या डा घ प्रमाणपत्र के आपत्ति विवरण में दर्शाई गई किसी मद की वसूली अथवा वापसी हो गई। यदि कोई

⁹ आपत्ति पुस्तिका में वाउचरों की अपूर्णता, ज्यादा भुगतान या कम जमा, निवेशको से ज्यादा वसूली या कम भुगतान जैसे अनियमितताये सन्निहित होती है।

वसूली अथवा वापसी पता लगाई जा सकती है, तो आपत्ति विवरण में तदनुरूप प्रविष्टी रद्द की जानी चाहिये। इसके बाद आपत्ति विवरण सम्बन्धित डाकपाल को भेजा जाना चाहिये ताकि वह आपत्ति विवरण अपने स्पष्टीकरण के साथ इसे प्राप्ति-तारीख से पन्द्रह दिन के अंदर लोटा सके। आपत्ति-पुस्तिका के माध्यम से लम्बित आपत्तियों पर नजर रखनी चाहिये तथा आपत्ति विवरण की वापसी में जब कभी अनुसूचित समय के बाद 4 दिनों से ज्यादा का विलम्ब हो जाता है तो अनुस्मारक जारी किये जाने चाहिये।

15 डा ले का में से 7 की आपत्ति पुस्तिका में यह देखा गया था कि 31 मार्च 2012 तक निर्गम व भुगतान हुये प्रमाणपत्रों के सम्बन्ध में ₹19433.97 करोड़ निपटान हेतु लम्बित थे जिसका विस्तृत विवरण नीचे की तालिका-3 में वर्णित है। इसके अतिरिक्त, कुल ₹19433.97 करोड़ में से ₹18996 करोड़ जोकि 98 प्रतिशत बनता है, कोलकाता डा ले का के विरुद्ध बकाया था।

तालिका - 3
न प्र प की आपत्ति पुस्तिका में बकाया राशि को दर्शाने वाला विवरण

(₹करोड़ में)

क्रम सं.	डा ले का का नाम	बकाया राशि
1	कटक	2.17
2	हैदराबाद	335.72
3	कोलकाता	18996.00
4	नागपुर	6.87
5	त्रिवेन्द्रम	1.59
6	कपूरथला	91.45
7	चेन्नई	0.17
कुल		19433.97

(स्रोत: नकद प्रमाणपत्रों के लिये आपत्ति पुस्तिका)

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, डा ले का कोलकाता जिसके विरुद्ध कुल राशि का 98 प्रतिशत बकाया था, ने बताया कि स्टाफ की अत्यधिक कमी के कारण पोस्टिंग कार्य रूका हुआ था। डा ले का ने यह भी बताया था कि आपत्ति पुस्तिका में बकाया मदों के निपटान हेतु सम्बन्धित डाकपालों तथा व अ डा घ के साथ नियमित रूप से पत्राचार किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, डा ले का अहमदाबाद, दिल्ली व बंगलोर ने बताया कि आपत्ति पुस्तिका विल्कुल भी नहीं रखी जा रही थी।

उत्तर स्वयं निर्दिष्ट करता है कि डाक लेखा कार्यालयों की आपत्ति पुस्तिका में बकाया राशियों को निपटान के लिए तथा आपत्ति पुस्तिका के गैर अनुरक्षण करने की अप्रभावी मॉनीटरिंग रही।

3.1.7.3 धन आदेश (ध आ) से सम्बन्धित मामले

डाक लेखा नियम पुस्तिका खंड-II में अनुबद्ध धन-आदेश (ध आ) के सम्बन्ध में नियम निर्धारित करते हैं कि धन आदेश की जांच यह देखने के लिये की जानी चाहिये कि प्रत्येक भुगतान किये गये धन आदेश के लिये डाक घर में समान राशि क्रेडिट है तथा कमीशन सही ढंग से वसूल किया गया है। धन आदेश व उससे व्यतिक्रमों के संबंध में सम्बन्धित नियमों की चर्चा अनुवर्ती पैराग्राफों में की गई है।

(i) युग्मन में बैकलोग

डाक लेखा नियमपुस्तिका खंड-II का पैराग्राफ 3.5 अनुबद्ध करता है कि प्रत्येक डा ले का अपने अधिकार-क्षेत्र में स्थित मु डा घ से जारी ध आ की सूची प्राप्त करता है। डा ले का भी सभी मु डा घ से भुगतान किये गये ध आ के साथ भुगतान किये गये ध आ की सूची प्राप्त करते हैं चाहे वह उनके क्षेत्राधिकार में हो अथवा उससे बाहर हो।

वर्ष 2009-10 से 2011-12 के लिये 15 डा ले का में से दस¹⁰ में अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मु डा घ से भुगतान व जारी ध आ की सूची की गैर प्राप्ति के कारण, युग्मन कार्य पिछले 3 से 4 वर्षों तक बकाया था और हैदराबाद डा ले का के प्रकरण में, युग्मन कार्य वर्ष 2005 से लम्बित था जैसाकि **अनुलग्नक-V** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर मंत्रालय ने तथ्यों से सहमत होते हुये, यह बताया कि लम्बित बकाया/युग्मन कार्य को निपटाने/कम करने तथा समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए विविध सन्दर्भ सम्बन्धित डा ले का को जारी किये गये है। यह भी बताया गया था कि इस सम्बन्ध में नवीनतम सन्दर्भ सम्बन्धित डा ले का को मार्च 2013 में जारी किये गये थे।

(ii) ध आ के लिये रखी गयी आपत्ति पुस्तिका में बकाया

डाक लेखा नियम पुस्तिका खंड-II के पैराग्राफ 3.22 के अनुसार, जारी की गई ध आ की सूचियों के योग में तथा सारांश में दर्शाई गई अथवा कुल सारांश एवं नकद लेखा में क्रेडिट के मध्य यदि कोई विसंगति डा ले का द्वारा पाई जाती है तो इसे समायोजन हेतु आपत्ति विवरण के रूप में डाकपाल के ध्यान में लाया जाना चाहिये।

छ: डा ले का की आपत्ति पुस्तिका सत्यापित करते समय, लेखापरीक्षा ने देखा कि गत सात से 12 वर्षों तक के 19.34 करोड़ रु. बकाया थे और लखनऊ डा ले का प्रकरण में 1972-73 से बकाया थे, जैसाकि नीचे तालिका-4 में वर्णित है:

¹⁰ गुजरात, महाराष्ट्र, त्रिवेन्द्रम, भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद, कटक, रायपुर, लखनऊ और कोलकाता

तालिका-4
ध आ की आपत्ति पुस्तिका में बकाया राशि दर्शाने वाला विवरण

(₹करोड़ में)

डा ले का नाम	अवधि से बकाया	राशि
कपूरथला	2001-02	0.02
नागपुर	2003-04	14.48
हैदराबाद	2005-06	2.68
लखनऊ	1972-73	0.66
जयपुर	1999-2000	0.01
त्रिवेन्द्रम	1991-1992	1.49
कुल		19.34

(स्रोत: ध आ के लिए आपत्ति पुस्तिका)

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, डा ले का ने बताया कि बकाया राशि के निपटान हेतु उच्चतर प्राधिकारियों के साथ मामला उठाया जा रहा है।

यद्यपि तथ्य यह है कि आपत्ति पुस्तिका में बकाया राशि का निराकरण सुनिश्चित करने बाबत डाक विभाग ने कोई ठोस प्रयास नहीं किये हैं।

3.1.7.4 अन्य विभागों से देयों की वसूली

(i) विलम्बित प्रेषण हेतु सार्वजनिक क्षेत्र बैंक से शास्ति ब्याज की वसूली में विलम्ब

अप्रैल 2005 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी अनुदेशों में सार्वजनिक क्षेत्र बैंक द्वारा विलम्बित प्रेषणों पर ब्याज की वसूली की व्यवस्था है। अनुदेशों में यह भी अनुबद्ध किया गया है कि कुल राशि जो समय पर प्रेषित नहीं की गई थी, सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग द्वारा सम्बन्धित बैंक के मुख्य कार्यालय को निजी प्रकरणों के विवरण के साथ देय शास्ति के बारे में सूचित किया जाना चाहिये। यह अगले माह की 15 तारीख तक तिमाही के आधार पर किया जाना चाहिये। डा वि के प्रकरण में, परिमंडल डाक लेखा कार्यालय को सम्बन्धित परिमंडल में डाकघरों की ओर से शास्ति ब्याज-दावा की मांग करने का कार्य सौंपा गया है।

15 डा ले का में से 13 के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि डा ले का ने अलग-अलग सार्वजनिक क्षेत्र बैंक से (31 मार्च 2012 तक) 8.86 करोड़ रु. के शास्ति ब्याज की वसूली हेतु दावों की मांग करने में कोई कार्रवाई नहीं की जैसाकि **अनुलग्नक-VI** में दर्शाया गया है। यह भी देखा गया था कि डा ले का, बंगलोर में, ₹2.74 करोड़ की राशि 2003-04 से बकाया थी।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि ₹8.86 करोड़ में से ₹0.36 करोड़ डाकघरों द्वारा समायोजित किये गये हैं। यह भी बताया गया था कि शेष राशि को वसूलने हेतु मामले को प्रभावपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा था।

(ii) अन्य संगठनों के पेंशन भोगियों को भुगतान की गई पेंशन की राशि की गैर वसूली

डा वि अन्य विभागों की ओर से पेंशन/पारिवारिक पेंशन के संवितरण हेतु एजेन्सी का कार्य करता है तथा बदले में, कमीशन प्राप्त करता है जिसकी दरे डाक विभाग द्वारा समय-समय पर नियत की जाती है। पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान मु डा घ द्वारा किया जाता है। मु डा घ सम्बन्धित विभागों/उपक्रम से वसूली को प्रभावी बनाने के लिये डा ले का को मासिक नकद लेखे के साथ संबंधित भुगतान वाउचर/अनुसूची भेजनी अपेक्षित है।

13 डा ले का के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि रेलवे, ई पी एफ ओ, सी एम पी एफ तथा दू वि/भा सं नि लि के विरुद्ध ₹38.04 करोड़ बकाया थे जोकि डाकघरों द्वारा भुगतान की गई पेंशन व देय कमीशन के लिये थे जैसाकि **अनुलग्नक-VII** में दर्शाया गया है। यह भी देखा गया था कि ₹15.61 करोड़ की राशि जोकि कुल बकाया राशि का 41 प्रतिशत बनता था, की वसूली केवल डा ले का पटना द्वारा 2002-03 से की जानी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि ₹6.41 करोड़ वसूल किये जा चुके हैं। यह भी बताया गया था कि डा ले का को शेष राशि वसूलने के लिये कहा गया है।

(iii) भा सं नि लि/दू वि से देयों की गैर/कम बसूली

अन्य विभागों से देयों की वसूली के सम्बंध में अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ₹15.50 करोड़ के देय जोकि अन्य विभागों से वसूल किये जाने थे, 31-03-2012 तक बकाया थे, जैसाकि नीचे तालिका-5 में दर्शाया गया है। यह भी देखा गया था कि कुल बकाया में से ₹7.33 करोड़ चैन्ई डा ले का द्वारा किराया, बिजली व जल प्रभारों में वसूल किये जाने थे।

तालिका-5
भा सं नि लि/दू वि के विरुद्ध बकाया राशि दर्शाने का विवरण

(₹करोड़ में)

क्रम संख्या	डा ले का का नाम	बकाया राशि	अभ्युक्तियां
1.	चैन्ई	5.67	तार प्रभारों की संभाल पर कमीशन
2.	त्रिवेन्द्रम	1.34	
3.	चैन्ई	0.71	2000-01 से 2011-12 तक डा व दू औषधालय का शेयर
4.	नागपुर	0.45	
5.	चैन्ई	7.33	01.01.1974 से किराया, बिजली प्रभार व जल प्रभार
कुल		15.50	

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि राशि वसूलने के लिये परिमंडलों के साथ मामले को आगे बढ़ाया जा रहा था।

3.1.7.5 आन्तरिक नियंत्रण तंत्र

आन्तरिक जांच निरीक्षण के सम्बन्ध में नियम डाक लेखा नियमपुस्तिका खंड-I में निर्धारित किये गये हैं। आन्तरिक जांच व विचलन के सम्बन्ध में सम्बन्धित नियमों पर चर्चा अनुवर्ती पैराग्राफों में की गई है।

(i) बकाया आन्तरिक जांच कार्य

डाक लेखा नियमपुस्तिका खंड-I के पैराग्राफ 15.01 में व्यवस्था है कि निदेशक डा लेखा कार्यालय को अपने लेखांकन अधिकार क्षेत्रों की सभी डाक यूनिटों के लेखाओं की आंतरिक जांच हेतु प्रबंध करना चाहिये। आन्तरिक जांच अनुभाग को देखना चाहिये कि डा ले का के विभिन्न अनुभागों द्वारा लेखांकन जांच की विभिन्न प्रक्रिया का पालन सही तरीके से किया जा रहा है। कार्यविधि व वित्तीय अनियमितताओं में दोष से कपट अथवा दुर्विनियोजन अथवा गबन को बढ़ावा मिल सकता है, इसे पूरे तथ्यों के साथ निरीक्षण रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिये। निरीक्षण रिपोर्ट निरीक्षण पूर्ण होने की तारीख से एक माह के भीतर जारी की जानी चाहिये।

15 डा ले का में से चार के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 170 इकाइयों की आन्तरिक जांच का कार्य 31 मार्च 2012 तक बकाया था जैसाकि नीचे की तालिका-6 में दर्शाया गया है:

तालिका-6
निरीक्षण के लिये लम्बित इकाइयों की संख्या दर्शाने का विवरण

क्रम संख्या	डा ले का का नाम	आन्तरिक जांच के लिये लम्बित इकाइयों की संख्या
1.	कटक	45
2.	कोलकाता	80
3.	जयपुर	15
4.	त्रिवेन्द्रम	30
	कुल	170

(स्रोत: आन्तरिक जांच रजिस्टर)

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि स्टाफ की अत्यधिक कमी के कारण डाक इकाइयों की आन्तरिक जांच तय समय सीमा के भीतर पूरी नहीं की जा सकती थी और यह भी बताया गया था कि जयपुर व तिरुवनन्तपुरम डा ले का द्वारा सभी लम्बित इकाइयों का निरीक्षण पूरा किया गया है।

चूंकि आन्तरिक जांच एक महत्वपूर्ण औजार है जिसके द्वारा यह देखा जाता है कि क्या लेखांकन जांच की विभिन्न प्रक्रिया का पालन सही तरीके से किया जा रहा है, बकाया आन्तरिक जांच कार्य कार्यविधि में कमी का पता लगाये जाने में विलम्ब कर सकता है जिससे वित्तीय अनियमितताओं को बढ़ावा मिल सकता है।

(ii) निरीक्षण रिपोर्ट जारी करने में विलम्ब

डाक लेखा नियम पुस्तिका खंड-I के पैराग्राफ 15.01 व 15.16 में व्यवस्था है कि निरीक्षण रिपोर्ट निरीक्षण पूरा होने की तारीख से एक माह के भीतर जारी होनी है। इसके अतिरिक्त निरीक्षण की गई इकाइयों से अपेक्षा की गई है कि टिप्पणी के निपटान हेतु एक माह के भीतर शीघ्र उत्तर दें ताकि प्रणाली में यदि कोई कमी हो तो उसे ठीक किया जा सके।

12 डा ले का की अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि निरीक्षण रिपोर्ट 1 से 365 दिनों के विलम्ब से जारी की गई थी, जैसाकि **अनुलग्नक-VIII** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि निरीक्षण रिपोर्ट स्टाफ की कमी, **VI**वीं सी पी सी, विशेष आन्तरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और ग्रामीण डाक सेवकों के लिये समय सम्बन्धित निरन्तरता भत्ता के 100 प्रतिशत सत्यापन के कारण निर्धारित समय में जारी नहीं की जा सकी थी।

यह भी देखा गया था कि छः डा ले का में इकाइयों ने या तो कोई उत्तर नहीं दिया या देर से दिया जैसा कि नीचे दी गई तालिका-7 में वर्णित है।

तालिका-7

नि रि के लिए उत्तर की प्राप्ति न होने/देर से प्राप्त होने का विवरण

क्रम सं.	डा ले का का नाम	कुल नि प्र जारी किये गये	नि प्र की संख्या	
			जिसमें उत्तर देर से प्राप्त हुआ	जिसमें उत्तर बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हुआ
1.	अहमदाबाद	101	76	7
2.	कटक	उ न	40	8
3.	कोलकाता	111	शून्य	75
4.	दिल्ली	97	51	34
5.	जयपुर	156	138	शून्य
6	नागपुर	185	132	35

(स्रोत: आंतरिक जांच रजिस्टर)

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2013) कि लम्बित पैरागाफों के उत्तर शीघ्र प्रस्तुत करने हेतु चूककर्ता क्षेत्रीय इकाइयों को स्मरण पत्र जारी किये गये हैं। यह भी बताया गया था कि कटक डा ले का के सम्बन्ध में सभी क्षेत्रीय इकाइयों से उत्तर प्राप्त हो गये हैं। उपरोक्त चूक डा ले का के आन्तरिक जांच संगठन की अप्रभावी व अकुशल कार्यचालन की ओर संकेत करता है।

निष्कर्ष

डाक विभाग के पास लेखों की तैयारी व अनुरक्षण हेतु एक व्यापक, सम्पूर्ण व विस्तृत तन्त्र है। वहां निर्धारित पर्याप्त जांच व संतुलन भी यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि नियंत्रण प्रभावपूर्ण है और लेखा उचित रीति से तैयार किये गये हैं तथा विभिन्न प्राधिकृत माध्यमों का समय पर प्रस्तुत किये गये हैं। तथापि, आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा से पता चला कि विद्यमान नियंत्रण तंत्र को उचित महत्व नहीं दिया गया था। आन्तरिक नियंत्रण में कमजोरी व अभाव के बारे में विभाग ने स्टाफ की कमी को मुख्य कारण बताया जिसके परिणामस्वरूप पोस्टिंग में विलम्ब, लेखों का गैर समाधान व अभिलेखों/लेखों का गैर अनुरक्षण हुआ। प्रस्तुत तर्क स्वीकार्य नहीं है, चूंकि विलम्ब की समस्याओं को दूर करने के लिये कम्प्यूटरीकरण प्रणाली भी उपलब्ध थी, परन्तु यह अप्रभावी व गैर प्रचालनात्मक सिद्ध हुई। परिमंडल अथवा निदेशालय स्तर पर इन मामलों को जानकारी में लाने के लिये कोई कार्रवाई नहीं की गई है। डा वि को इन मामलों को शीघ्रता से तथा प्रभावकारी तरीके से देखने की आवश्यकता है ताकि आन्तरिक नियंत्रण की प्रणाली को मजबूत बनाया जा सके जिसने विभाग के प्रभावकारी कार्य करने की दक्षता को संघात किया है।

सिफारिशें

- बैंक समाधान कार्य में असम्बद्ध मदों के निपटान हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम विकसित व क्रियान्वित किया जाये।
- डा वि उच्चतम शेषों के निपटान हेतु वार्षिक अभियान चला सकता है।
- डा वि यह सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी कदम उठाये कि डा ले का में बकाया नकद प्रमाणपत्रों के कार्यों का निपटान शीघ्रता से समय बद्ध तरीके से किया जाये ताकि कपट/हानि/दुर्विनियोजन के प्रकरण का पता लगाना शेष नहीं रह जाये।
- डा वि यह सुनिश्चित करे कि आन्तरिक जांच निरीक्षण निर्धारित समयावधि में हो तथा प्रभावपूर्ण तरीके से रिपोर्ट पर कार्यवाही का संचालन किया जाए।

3.2 वित्त मंत्रालय से पारिश्रमिक का अनियमित दावा

डाक विभाग द्वारा 2009-10 से 2012-13 की समयावधि में गुजरात, तमिलनाडु तथा राजस्थान डाक परिमण्डल द्वारा बिना अनुकूल प्रयासों के मूक खातों को तकनीकी रूप से पुनर्जीवित करके वित्त मंत्रालय से ₹18.60 करोड़ का अनियमित दावा

डाकघर बचत बैंक (पी ओ एस वी) देश की प्राचीनतम तथा विशालतम बैंकिंग संस्था है। बचत को प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार ने डाकघरों में बचत बैंक योजना लागू की। लघुबचत योजना जैसे बचत बैंक (एस बी) खाते, आवर्ती जमा (आर डी), समयावधि जमा (टी डी), नकद प्रमाणपत्र (सी सी) इत्यादि डाक विभाग (डा वि) द्वारा संचालित किए जाते हैं जिसके लिये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (वि म) द्वारा विभाग को प्रति खाते/प्रति प्रमाणपत्र के आधार पर पारिश्रमिक दिया जाता है।

डाक घर बचत बैंक सामान्य नियम 1981 के नियम 2 (ए) के अनुसार, 'खाते' का तात्पर्य है एक बचत खाता, एक सावधिक समय खाता, एक आवर्ती जमा खाता, एक समयावधि जमा खाता, एन एस एस 1987 खाता, एम आई एस खाता। डाक घर बचत खाता नियम 1981 का नियम 8 दर्शाता है कि एक खाता जिसमें जमा अथवा आहरण पूरे तीन वर्ष तक नहीं हुआ है उसको मूक खाता माना जायेगा।

वित्त मंत्रालय द्वारा जीवन्त बचत खातों तथा मूक खातों पर 2009-13 की समयावधि में निम्न पारिश्रमिक दरें निर्धारित की गई थी जैसाकि तालिका-1 में दिया गया है। मूक खातों पर पारिश्रमिक वित्त मंत्रालय द्वारा 2011-12 में पहली बार शुरू किया गया।

तालिका-1
पारिश्रमिक दरें

(राशि ₹ में)

वर्ष	प्रति जीवन्त एस बी खाते पर प्रतिवर्ष की दर	प्रति मूक खाते पर प्रतिवर्ष की दर
2009-10	129.49	-
2010-11	135.96	-
2011-12	151.76	20.93
2012-13	163.22	24.75

डाक विभाग द्वारा जनवरी 2010 में मूक खातों को पुनर्जीवित करने हेतु निम्न निर्देश जारी किये गये।

- 31 मार्च 2002 तक सभी मूक खातों (उनके सहित जिन्हें 2001-02 में ब्याज गणना के समय मूक माना गया) का बचत बैंक नियंत्रण संस्था (एस बी सी ओ)¹¹ द्वारा तकनीकी रूप में पुनर्जीवित किया जाना था (जमा कर्ता से आवेदन प्राप्त किये बिना)। खातों जिन का शेष ₹50/- के कम है, से ₹20/- प्रति खाता सेवा शुल्क, उनके मूक खाता माने जाने के समय के शेष के आधार पर काटा जाना था वे खाते जिनका शेष ₹20/- अथवा उससे कम है, को बन्द किया जाना था।
- 31 मार्च 2010 को सभी तकनीकी रूप से पुनर्जीवित खातों पर ब्याज की गणना की जानी थी तथा सामान्य ब्याज विवरण के साथ ब्याज आरोपित किया जाना था।
- 01 अप्रैल 2010 से यह सभी खाते, 31 मार्च 2002 को मूक खातों, जोकि पहले ही कार्यालय शेष का भाग बन चुके हैं, के समान्तर होंगे। यह सभी खाते, सम्बन्धित कार्यालय में डाटा एंट्री माड्युल द्वारा संचय पोस्ट में डालने होंगे
- मूक खातों को पुनर्जीवित किसी भी विभागीय डाक घर में किया जा सकेगा जहां जमा अथवा आहरण द्वारा खाते पर कार्यवाही की गई है। परन्तु जमा कर्ता द्वारा पुनर्जीवित हेतु स्वयं डाक घर में उपस्थित होना पड़ेगा।
- डाकपाल द्वारा जमा कर्ता से खाते को पुनर्जीवित करने हेतु आवेदन पत्र लेना था तथा जमा कर्ता ने स्वयं को उसी प्रक्रिया के अनुसार पुनः परिचय देना था जैसा कि नवीन खाता आरंभ करने हेतु निर्धारित था।

गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान डाक परिमण्डलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (नवम्बर 2012 से जुलाई 2013) से मूक खातों के पुनर्जीवित करने पर वित्त मंत्रालय से पारिश्रमिक के अनियमित दावों का पता चला जैसा कि अनुवर्ती पैराग्राफ में दर्शाया गया है।

13 डाकघर गुजरात परिमण्डल के अन्तर्गत 8 डाकघर तमिलनाडु परिमण्डल के अन्तर्गत और राजस्थान परिमण्डल के 4 डाकघरों के रिकार्डों की जांच से ज्ञात हुआ है कि 554740 मूक खाते 2009-10 से 2012-13 के दौरान तकनीकी रूप से पुनर्जीवित किये गये और फिर संचय पोस्ट सॉफ्टवेयर में दर्ज किये गये। तथापि इन डाकघरों द्वारा डाक विभाग द्वारा जारी जनवरी 2010 के अनुदेशों की अवहेलना करते हुए इन खातों से किसी जमा या आहरण के हुए बिना और जमा कर्ता के स्वयं की उपस्थिति के बिना भी इन्हें जीवन्त खातों माना गया। इसके पश्चात इन तकनीकी रूप से पुनर्जीवित मूक खातों को वित्त मंत्रालय से उच्चतर दरों अर्थात् जीवन्त खातों पर तय दरों पर पारिश्रमिक दावों हेतु सम्मिलित किया गया। इसके परिणाम स्वरूप इन तकनीकी रूप से पुनर्जीवित मूक खातों पर ₹18.60 करोड़ (अनुलग्नक-IX) के अनियमित पारिश्रमिक दावे प्रस्तुत किये गये।

¹¹ बचत बैंक नियंत्रण संस्था (एस बी सी ओ) बचत बैंक के नियंत्रण खातों को जारी रखने तथा बचत बैंक शाखा द्वारा किये गये कार्य के दिन प्रति दिन जांच हेतु मुख्य डाक घर में स्थापित की गयी है।

डाक निदेशालय में रिकार्डों की नमूना जांच से ज्ञात हुआ है कि गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान डाक परिमण्डलों द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी बचत बैंक जीवन्त खातों पर वित्त मंत्रालय से पारिश्रमिक का दावा किया गया और इसे प्राप्त किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा (जून 2013) इंगित किये जाने पर, डाक विभाग ने लेखापरीक्षा तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (जुलाई 2013) कि डाक विभाग का तकनीकी रूप से पुनर्जीवित खातों को जीवन्त खाते प्रतिपादित करने का आशय कदापि नहीं था। उन्होंने सभी परिमण्डलों के मु महा अ डा को इन सभी मूक खातों को संचय पोस्ट में चिन्हित करने तथा 2013-14 के जीवन्त खातों से घटाने हेतु तुरन्त कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये। डाक विभाग ने परिमण्डलों को यह भी निदेशित किया कि इन मूक खातों को जीवन्त खातों में सम्मिलित किये जाने के प्रभाव को सूचित किया जाए जिससे 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान इन मूक खातों पर अधिक पारिश्रमिक दावों की राशि, 2013-14 के वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले दावों से समायोजित की जा सके।

इस प्रकार विभाग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान डाक परिमण्डलों द्वारा प्रस्तुत जीवन्त खातों के अनियमित दावों का पता लगाने की विफलता के फलस्वरूप डाक विभाग द्वारा वित्तीय मंत्रालय से ₹18.60 करोड़ के अनियमित पारिश्रमिक दावों, निरंतर चार वर्षों तक किये गये। विभाग द्वारा अभी तक कोई जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की गई है।

3.3 राजस्व की हानि

विभागीय निर्देशों के उल्लंघन करते हुए, आर एन आई से बिना रजिस्टर्ड समाचार पत्रों को रियायती शुल्क में छूट की अनुमति देने पर तमिलनाडु पोस्टल सर्कल को ₹8.91 करोड़ के राजस्व की हानि

पोस्ट आफिस गाइड, भाग-I का नियम 129 जिसमें पत्रिकाओं के बुक पैकेट के संबंध में विशेष दरें लेने के लिये शर्त तय की गई हैं, निर्धारित करता है कि पत्रिकाओं के बुकपैकेट के संबंध में डाक की विशेष दरें केवल तब लागू होंगी यदि वह प्रेस और पुस्तकों के रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) एक्ट 1867 (1867 के 25) के तहत भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार (आर एन आई), के साथ पंजीकृत है और, उस पत्रिका के किसी भी सुविधाजनक जगह पर या प्रथम अथवा अंतिम पृष्ठ पर यह इंगित रहे, कि अंशदान “भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत है (आर एन आई)” जिसमें वह संख्या दर्शायी गई हो। आर एन आई से पंजीकरण के पश्चात् समाचार पत्र को संबंधित सक्षम डाक प्राधिकारी¹² के साथ अलग से पंजीकृत करना होगा। तदनुसार संबंधित डाक प्राधिकारी द्वारा संबंधित प्रकाशक को एक लाइसेंस जारी किया जाएगा जो कि तीन वर्षों की अवधि हेतु वैध होगा जिसका समय-समय पर नवीनीकरण आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त जो समाचार

¹² मंडलीय सुपरिटेण्डेंट कार्यालय तथा स्वतंत्र राजपत्रित पोस्टमास्टर।

पत्र रियायती दरें प्राप्ति हेतु उपरोक्त शर्तों को पूर्ण करने में विफल रहते हैं, उन्हें बुक पैकेट माना जायेगा तथा तदनुसार शुल्क¹³ वसूला जाएगा।

अपात्र प्रकाशनों को रियायती शुल्क की अनुमति के कारण डाक शुल्क की कम वसूली से संबंधित टिप्पणी भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2008 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की सीए-1 के पैराग्राफ 3.2 तथा 2008-09 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या-14 के पैराग्राफ 2.8 में की गई थी। मंत्रालय द्वारा अपने कार्यवाही नोट (ए टी एन) में, लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए, अप्रैल 2013 में कहा कि सभी परिमण्डलों को मई 2008 में पंजीकृत समाचार पत्रों पर समेकित निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह भी कहा गया (अप्रैल 2013) कि इन निर्देशों को जारी करने के पश्चात्, अपात्र प्रकाशनों को पंजीकृत समाचारपत्रों के वर्ग के अन्तर्गत पंजीकरण प्रदान करने में कमी आई है। तथापि लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि मई 2008 में जारी निर्देशों का सर्किलों द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा था तथा कमियाँ जारी रहीं जो नीचे वर्णित हैं:

लेखापरीक्षा (जुलाई 2012 से मार्च 2013) में तमिलनाडु डाक सर्किल के 14 मंडलों¹⁴ के अधीन 28 मुख्य डाकघरों के रिकार्डों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि उपरोक्त नियमों की अवहेलना करते हुए आर एन आई से बिना पंजीकृत हुए समाचार पत्रों को, रियायती शुल्क प्रदान करने के उद्देश्य से, शीर्षक सत्यापन प्रमाणपत्र के आधार पर, अनियमितापूर्ण पोस्टल पंजीकरण प्रदान किया गया। विद्यमान प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए, बिना जाँचें कि वह समाचार पत्र आर एन आई से पंजीकृत हैं या नहीं, समय-समय पर उनका डाक पंजीकरण का नवीनीकरण किया गया था। कुछ मामलों में यह भी पाया गया कि डाक पंजीकरण के आवेदन के समय जो रजिस्ट्रेशन संख्या, समाचार पत्र के प्रथम पृष्ठ पर अथवा प्रकाशकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में दर्शायी गई थी, आर एन आई द्वारा किन्हीं अन्य समाचार पत्रों को जारी कर दी गई। चूंकि इन समाचार पत्रों के पास आर एन आई द्वारा रजिस्ट्रेशन का प्रमाणपत्र नहीं था, उनसे रियायती शुल्क प्रदान करने की बजाय बुक पैकेट दर से वसूल किया जाना चाहिए था। तमिलनामडु सर्किल में डाक प्राधिकारियों की इस चूक के फलस्वरूप राजस्व में ₹8.91 करोड़ (अनुलग्नक-X) की कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर चेन्नई के सी पी एम जी, तमिलनाडु सर्किल कार्यालय के निदेशक, डाक सेवायें (मुख्यालय) ने (सितंबर 2013) में कहा कि लेखापरीक्षा निष्कर्ष सही थे तथा मंडलों ने अब अनियमित लाइसेंस रद्द कर दिए हैं तथा लेखापरीक्षा द्वारा इंगित राशि की वसूली हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

¹³ 31.05.2001 तक बुक पैकेट पर ₹2/- तथा 1.6.2001 के पश्चात् ₹4/- की दर लागू है।

¹⁴ तमिलनाडु पोस्टल सर्किल में 43 मंडलों के अंतर्गत 93 मुख्य डाकघर हैं। लेखापरीक्षा 14 मंडलों के 28 मुख्य डाकघरों में संचालित की गई जैसे धामपुर, डिंडुगुल, इरोड, कॉचीपुरम, कन्याकुमारी, कराईकुडी, नागापट्टनम्, रामांथापुरम, सलेम (पूर्व), थेनी, तिरुवेनमलाई, मदुरै, थंजौर तथा त्रिची।

इस प्रकार तमिलनाडु पोस्टल सर्किल के मंडलों और मुख्य डाकघरों द्वारा विभागीय निर्देशों के अनुपालन की चूक के कारण ₹8.91 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई।

यह मामला जुलाई 2013 में मंत्रालय को सौंपा गया था, उनका उत्तर सितंबर 2013 तक प्रतीक्षित था।

3.4 व्यर्थ व्यय

डा वि ने 2004 में क्रय की गई बोगियों के उपयोग के लिये प्रभावपूर्ण कार्रवाई करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹5.46 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ।

डाक विभाग (डा वि) 2002 में रेल डाक सेवा (आर एम एस) वैन के पूरे 97 बोगी का उपयोग कर रहा था। इन 97 बोगियों में से 50 में वैक्यूम ब्रेक प्रणाली (वी बी एस) थी और 40 में एयर ब्रेक प्रणाली (ए बी एस) थी। 1978-79 में (वी बी एस) विनिर्मित 50 आर एम एस बोगियों ने लगभग अपना जीवन के 25 वर्ष पूरे कर लिये थे। रेल मंत्रालय ने बताया था कि केवल वे कोच जिनका जीवन पांच वर्ष से अधिक था, ए बी एस प्रणाली में फिट किये जा सकते थे। इसलिये ये कोच ए बी एस प्रणाली में फिट नहीं हो सकते थे। 2002 में, विभाग को 60 पूर्ण बोगी ए बी एस प्रणाली युक्त तथा 12 स्टैंड बाइ कोच की आवश्यकता थी ताकि विभिन्न गाड़ियों में डाक-वहन किया जा सके। डा वि का विचार था कि यदि इसने नये कोच की मांग नहीं की तो रेलवे विभिन्न डाक-वाहन गाड़ियों में दूसरे दर्जे के कोच देगा एवं उपयोग का प्रभावी क्षेत्र उसी प्रकार के पूर्ण डाक बोगियों की तुलना में काफी कम होगा। तदनुसार, डा वि ने जुलाई 2003 में रेल कोच फैक्टरी, कपूरथला को क्रय आदेश दिये थे जोकि ₹49.63 लाख प्रति प्राक्कलित यूनिट लागत पर ₹12.41 करोड़ के ए बी एस के साथ 25 ब्राड गेज पूर्ण आर एम एस बोगी की आपूर्ति के लिये थे। इन बोगियों का उपयोग डाक वहन के लिये दक्षिणी (13) दक्षिण पूर्वी (4), पूर्वी (5) तथा पश्चिमी (3) रेलवे में किया जाना था। रेलवे को इसी कार्य के लिये अग्रिम भुगतान किया गया था।

मुख्य महाअध्यक्ष डाक कार्यालय (मु म अ डा) चेन्नई के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला (मार्च 2012 तथा मई 2012) कि दक्षिण रेलवे के लिये-13 बोगी जुलाई 2004 में प्राप्त की गई थी। इन 13 बोगियों में से 11 बोगी जिनका मूल्य ₹5.46 करोड़ था टोन्डियारपेट मारशालिंग यार्ड चेन्नई में निष्क्रिय पड़ी थीं। यह भी देखा गया कि मु म अ डा चेन्नई ने मार्च 2012 में डा वि मुख्यालय के साथ यह मामला उठाया था ताकि ये 11 बोगियां, जो निष्क्रिय पड़ी थीं, का निपटान किया जा सके। प्रत्युत्तर में, डा वि मुख्यालय ने सम्बन्धित डाक परिमंडल से गैर उपयोग की रिपोर्ट मांगी थी (मई 2012)।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, निदेशक (डाक प्रबन्धन), डा वि ने बताया (जनवरी 2013) कि रेलवे द्वारा इन 11 कोच को उपयोग में नहीं लिया गया था। यह भी बताया गया था कि रेल मंत्रालय से अनुरोध किया गया था कि वे कोच के उपयोग की संभावना को निर्दिष्ट करें।

डा वि ने आगे उत्तर में बताया कि शेष 12 कोच के उपयोग की जो वर्तमान स्थिति पश्चिमी, पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी में रखी गयी हैं उसे संबंधित परिमण्डल से प्राप्त की जा रही थी।

डा वि ने उत्तर में स्पष्ट करते हुए कारण नहीं बताया है कि रेलवे ने इन 11 कोचों का उपयोग क्यों नहीं किया। आगे उत्तर में भी विरोधाभास है क्योंकि दक्षिण रेलवे चेन्नई ने विशेष रूप से बताया था (जून 2012) कि इनमें कोई भी कोच उपयोग के लिये उपयुक्त नहीं था। इसके अतिरिक्त, डा वि का उत्तरदायित्व था कि वह इन कोच का उपयोग सुनिश्चित करे जिस पर वृहत राशि निवेश की गई थी तथा अपनी सम्पत्ति पर भी कड़ाई से चौकसी रखे। डा वि का उत्तर कि शेष 12 कोच के उपयोग की वर्तमान स्थिति जोकि पश्चिमी, पूर्वी व दक्षिण पूर्वी निपटान में रखी गई थी, परिमंडलों से प्राप्त की जा रही थी, इससे पता चलता है कि रेल डाक सेवाओं के निर्बाध कार्य के लिये अधिप्राप्त मूल्यवान सम्पत्तियों का उपयोग सुनिश्चित करने में डा वि द्वारा साधारण दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है।

इस प्रकार डा वि का अपनी ओर से 2004 में क्रय की गई रेल बोगी के उपयोग हेतु प्रभावपूर्ण कदम उठाने की कार्यवाही न करने के परिणामस्वरूप ₹5.46 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ।

3.5 झारखंड डाक सर्किल में वृद्धावस्था पेंशन के वितरण के लिये सेवा शुल्क लागू करने में विफलता

दिसम्बर-2005 के डाक निदेशालय के निर्देशों की अवज्ञा के फलस्वरूप मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, झारखंड डाक सर्किल द्वारा इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन के वितरण के लिये 2008-2013 के दौरान ₹1.52 करोड़ की सेवा शुल्क वसूली में विफलता।

भारत सरकार द्वारा प्रायोजित, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना जिसको नये नाम इंदिरा गांधी पेंशन योजना¹⁵ (आई जी एन पी एस) से नामित किया गया, के अंतर्गत, डाक विभाग द्वारा (दिसंबर 2005) यह तय किया गया कि डाक विभाग तथा संबंधित राज्य के सक्षम प्राधिकारी के मध्य परस्पर सहमत सेवा शुल्कों के भुगतान पर डाकघरों के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन के वितरण की सेवायें देगा। तदनुसार, दिसंबर 2005 में सचिव (डा वि) द्वारा सभी मुख्य पोस्ट मास्टर जनरलों (सी पी एम जी) को पेंशन वितरण की लागत आंकलन के पश्चात् सेवा शुल्क तय करने हेतु मामले पर संबंधित राज्य श्रम सचिवों से अनुवर्ती कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए। डाक विभाग के निर्देशानुसार, बिहार सर्किल के सी पी एम जी द्वारा दिसंबर 2005 और अप्रैल 2006 में इस पर कार्यवाही शुरू की व वृद्धावस्था पेंशन भुगतान हेतु राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। उनके द्वारा इसके लिए प्रति पेंशन प्रति वर्ष का ₹18 का सेवा शुल्क भी इस हेतु तय किया गया। बिहार सर्किल ने वर्ष 2008-2013 (फरवरी 2013 तक) बिहार सरकार से ₹25.79

¹⁵ भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मापदंडों के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले सभी 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र (वर्ष 2011 में 65 वर्ष से कम कर) इस योजना की लाभ के लिये योग्य होंगे।

करोड़¹⁶ के सेवा शुल्क की वसूली की। झारखंड डाक सर्किल जो कि भारत सरकार द्वारा 2000 में तीन नये राज्यों के निर्माण के फलस्वरूप 2001 में अस्तित्व में आया, 2001 से पहले बिहार पोस्टल सर्किल के अंतर्गत था।

सी पी एम जी, झारखंड पोस्टल सर्किल के मार्च 2013 के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि सी पी एम जी झारखंड परिमंडल ने इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय पेंशन योजना के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान राज्य सरकार से कोई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये बिना कर किया गया। समझौता ज्ञापन की अनुपस्थिति में, झारखंड पोस्टल सर्किल, आई जी एन पी एस के अंतर्गत 2008-09 से 2012-13 (फरवरी 2013 तक) के दौरान 842701 खातों पर ₹269.04 करोड़ तक के मूल्य की वृद्धावस्था पेंशन भुगतान के पश्चात् भी ₹1.52 करोड़¹⁷ की सेवा शुल्क वसूल करने में असफल रहा। डाक निदेशालय अनेक राज्यों द्वारा सेवा शुल्कों की प्राप्ति की मानीटरिंग करने में विफल रहा और झारखंड सरकार द्वारा सेवा शुल्कों की अप्राप्ति का पता नहीं लगा पाया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर, सी पी एम जी झारखंड सर्किल ने (मई 2013) बताया कि आईजीएनपी एस के अंतर्गत, पेंशन के लागू तथा भुगतान हेतु सर्किल द्वारा, राज्य सरकार को कोई विशेष सेवा प्रदान नहीं की गई। यह भी कहा गया कि डाक निदेशालय द्वारा किसी विशिष्ट आदेश के अभाव में, वृद्धावस्था पेंशन भुगतान में राज्य सरकार से किसी सेवा शुल्क का दावा नहीं किया गया।

झारखंड सर्किल के सी पी एम जी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिसम्बर 2005 में डाक विभाग के सचिव ने सभी सर्किल अध्यक्षों को संबन्धित राज्य सरकारों से संपर्क स्थापित करने हेतु निर्देश दिया ताकि डाक विभाग राष्ट्रीय गतिविधि का एक भाग हो और आगे राजस्व प्राप्त कर सकें। यह भी दृष्टिगोचर हुआ कि अन्य पोस्टल सर्किल भी वृद्धावस्था पेंशन भुगतान के विरुद्ध सेवाशुल्क की वसूली कर रहे हैं। डाक विभाग को भी ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे सभी पोस्टल सर्किल, राज्य सरकारों के परामर्श से परस्पर/सहमत दरों पर सेवा शुल्क उगाहें।

इस प्रकार, डाक निदेशालय की अप्रभावी निगरानी तथा सी पी एम जी, झारखंड सर्किल द्वारा डाक निदेशालय के निर्देशों की अवज्ञा के कारण वर्ष 2008-2013 (फरवरी 2013 तक) झारखंड पोस्टल सर्किल को, आई जी एन पी एस के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन भुगतान पर सर्विस चार्ज के रूप में ₹1.52 करोड़ के मूल्य के राजस्व की हानि हुई।

जून 2013 में मामला डाक विभाग को भेजा गया था, अगस्त 2013 तक उनका उत्तर प्रतिक्षित था।

¹⁶ डाक लेखा कार्यालय पटना द्वारा लेखा शीर्ष 1201008004000 के अन्तर्गत डाक प्राप्ति में बुक किया गया

¹⁷ सेवा शुल्क बिहार परिमण्डल के अनुसार ₹18 प्रति खाता/प्रतिवर्ष अनुमानित गणना के आधार पर

अध्याय-IV इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

4.1 दोषपूर्ण उपस्कर की अधिप्राप्ति पर ₹2.43 करोड़ का निष्क्रिय निवेश

मानकीकरण, परीक्षण व गुणता प्रमाणपत्र (एस टी क्यू सी) निदेशालय द्वारा दोषपूर्ण उपस्कर बदलने हेतु पूर्तिकार पर संविदात्मक दायित्व लागू न कर पाने की विफलता से उपस्कर चालू नहीं हो पाये व ₹2.43 करोड़ का निष्क्रिय निवेश हुआ। इसके अतिरिक्त तीन इलेक्ट्रॉनिक्स परीक्षण प्रयोगशालायें, जिनके लिये उपस्कर की अधिप्राप्ति की गई थी उद्योगो को विशेष परीक्षण सेवार्थें नहीं दे सके।

मानकीकरण, परीक्षण व गुणता प्रमाणपत्र (एस टी क्यू सी) निदेशालय,¹ इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रीय जांच प्रयोगशाला (ई आर टी एल) तथा इलेक्ट्रानिक जांच व विकास केन्द्र (ई टी डी सी) के देशव्यापी नेटवर्क द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में गुणता आश्वासन सेवार्थें प्रदान करता है। जांच, योग्यता प्रशिक्षण व प्रमाणन सहित सेवार्थें सार्वजनिक व निजी संगठनों के लिये दी जाती है।

प्रयोगशालाओं के संवर्धन के लिये, एस टी क्यू सी प्रत्येक प्रयोगशाला से विभिन्न उपस्करों के लिये आवश्यकताओं का पता लगाती है तथा एस टी क्यू सी खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से ₹50 लाख से अधिक लागत वाले मुख्य उपस्कर क्रय करती है। संवर्धन की इस प्रकार की एक प्रक्रिया में, एस टी क्यू सी ने ई आर टी एल मुम्बई, ई टी डी सी बंगलोर व हैदराबाद से “तीन फेस शक्ति/ऊर्जा व्यासमापन प्रणाली” के लिये प्राप्त आवश्यकता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुये मैसर्स रोटेक इन्सट्रूमेंट्स कोरपोरेशन, यू एस ए को क्रय आदेश दिये।

क्रय प्रस्ताव

ई टी आर एल मुम्बई ने 2005-06 में एक नई शक्ति/ऊर्जा व्यासमापन प्रणाली क्रय करने का प्रस्ताव किया था तथा एस टी क्यू सी निदेशालय को मांग प्रस्तुत की थी। प्रयोगशाला द्वारा उपस्कर का विनिर्देशन में अन्य चीजों के साथ यह दर्शाया था कि प्रत्येक संदर्भ मीटर, वाट मीटर, फेज एंगल मीटर आदि की हस्तचालित व स्वचालित प्रचालन क्षमता जो व्यासमापन के लिये सक्षम हो। उसी प्रकार, ई टी डी सी बंगलोर व हैदराबाद ने 2005-06 में एक नयी तीन फेस ऊर्जा व्यासमापित प्रणाली के क्रय करने हेतु मांग दी थी।

¹ यह एक भारत सरकार के सूचना तथा प्रौद्योगिकी विभाग से जुड़ा हुआ एक कार्यालय है।

निविदा प्रक्रिया अपनाने में खामियाँ

ई आर टी एल मुम्बई के लिये उपस्कर अधिप्राप्त करने के उद्देश्य से, मुम्बई एस टी क्यू सी ने दिसम्बर 2005 में खुली निविदा आमंत्रित की, जिसके प्रत्युत्तर में मैसर्स माइक्रोटेक इन्स्ट्रूमेंट्स, चेन्नई से केवल एक निविदा प्राप्त हुई थी जोकि मैसर्स रोटेक इन्स्ट्रूमेंट्स कारपोरेशन, यू एस ए के लिये प्रधान भारतीय एजेन्ट था। तकनीकी समिति ने प्राप्त की गई एकल निविदा का मूल्यांकन तथा निपटान किया था। उसी प्रकार, एस टी क्यू सी ने जून 2006 में ई टी डी सी बंगलोर व हैदराबाद में प्रत्येक के लिये वैसा ही उपस्कर अधिप्राप्त करने के लिये खुली निविदा आमंत्रित की थी, जिसके प्रत्युत्तर में क्रमशः केवल दो/तीन बोली प्राप्त की गई थी। बोली का मूल्यांकन करने पर, तकनीकी समिति ने तकनीकी रूप से उपयुक्त मैसर्स रोटेक इन्स्ट्रूमेंट्स कारपोरेशन के प्रधान की ओर से मैसर्स माइक्रोटेक इन्स्ट्रूमेंट्स से प्राप्त केवल एक बोली का चयन किया था। यह तथ्य यह दर्शाता है कि सभी तीन प्रकरणों में उसी या एक ही विक्रेता अर्थात् मैसर्स रोटेक इन्स्ट्रूमेंट्स कारपोरेशन यू एस ए से उपस्कर अधिप्राप्त किया गया था, इससे प्रतिस्पर्धा समाप्त हुई तथा उपस्कर के चुनाव में रूचि या पसंद पर रोक लगी।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, मंत्रालय ने उत्तर दिया (फरवरी 2013) कि ई टी डी सी गुवाहटी के लिये उसी प्रकार के उपस्कर की अधिप्राप्ति हेतु एक पूर्ववर्ती निविदा में, मैसर्स रोटेक व मैसर्स जेरा ने भाग लिया था तथा जेरा के उपस्कर ने तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया था। इसलिये, पूर्ववर्ती अनुभव के आधार पर यह मान लिया गया था कि अन्य पूर्तिकार निविदा में भाग नहीं ले सकते थे क्योंकि मुम्बई के लिये वही उपस्कर था। आगे तत्कालिक प्रकरण में निविदा में भागीदारी विश्व निविदा के माध्यम से की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एस टी क्यू सी ने पुनः निविदा देने के विकल्प की जांच किये बिना मैसर्स रोटेक से एक बोली को अंतिम रूप दे दिया था। इसके अतिरिक्त, मैसर्स रोटेक से अधिप्राप्त उपस्कर को प्रतिष्ठापित करने व चालू करने के उद्देश्य से, ई आर टी एल (डब्ल्यू) द्वारा समर्पित पावर पैनल व रैक एनक्लोजर सीधे क्रय किये गये थे जोकि विश्व निविदा की परिधि से बाहर था। अतः सारे क्रय को विश्व निविदा की अधिप्राप्ति के रूप में परिभाषित भी नहीं किया जा सकता है।

क्रय आदेशों के निबन्धनों व शर्तों का गैर क्रियान्वयन

मैसर्स रोटेक इन्स्ट्रूमेंट्स कारपोरेशन को मार्च 2006 व सितम्बर 2006 के मध्य तीन क्रय आदेश ₹2.43 करोड़² की कुल लागत पर दिये गये थे।

क्रय आदेशों के निबन्धन व शर्तें निम्नलिखित थी:

- समान का निरीक्षण किया जायेगा तथा इसकी अस्वीकृति पर, पूर्तिकार बिना किसी लागत के उपस्कर बदल देगा।

² मूल्य का ब्यौरा: ई आर टी एल मुम्बई ₹86.68 लाख, ई टी डी सी बंगलोर ₹94.94 लाख तथा ई टी डी सी हैदराबाद ₹61.70 लाख

- आपूर्त उपस्कर प्रयोगशाला परिसरों में प्राप्त होने की तारीख से एक माह के भीतर प्रतिष्ठापित किया जाना व चालू किया जाना चाहिये।
- शिपमेंट/संतोषजनक प्रतिष्ठापन की तारीख से दो वर्षों की वारंटी अवधि के दौरान पूर्तिकार से अपेक्षा की गई थी कि वह सुधार या प्रतिस्थापन द्वारा विलम्ब किये बिना किसी भी दोष को दूर कर देगा।
- बिक्री सेवा के बाद संतोषजनक व्यवस्था करने में विफलता से निष्पादन बैंक गारंटी (नि बैं गा)(उपस्कर की लागत का 10 प्रतिशत) जब्त की जायेगी।

ई आर टी एल, मुम्बई प्रकरण में, क्रय आदेश 90 प्रतिशत भुगतान के लिये दिया तथा अन्य दो प्रकरणों में, शिपमेंट व शिपिंग दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर अपरिवर्तनीय साख-पत्र द्वारा 100 प्रतिशत भुगतान की व्यवस्था की थी।

हमने देखा कि संविदा ने क्रेता के हितों की रक्षा नहीं की थी क्योंकि केवल 10 प्रतिशत नि बैं गा को छोड़कर उपस्कर के संतोषजनक प्रतिष्ठापन और चालू करने तक लागत के कुछ भाग को रोके रखने के लिये कोई व्यवस्था नहीं थी। ई आर टी एल, मुम्बई के सम्बन्ध में सफलतापूर्वक प्रतिष्ठापन व चालू किये जाने का प्रमाणपत्र जारी करने के कारण 10 प्रतिशत नि बैं गा का भुगतान किया गया यद्यपि उपस्कर चालू नहीं किया गया था।

प्रणालियों का गैर प्रतिष्ठापन व चालू न किया जाना

प्रयोगशालाओं में उपस्कर नवम्बर 2006 से जून 2007 के बीच प्राप्त हुये थे और मैसर्स रोटेक के इंजीनियरों ने शुरू में तीन प्रयोगशालाओं में प्रतिष्ठापन का कार्य मार्च 2007 से जून 2007 की अवधि में किया था। उपस्कर प्रतिष्ठापित किया गया था लेकिन विभिन्न समस्याओ जैसे गायब केबिल, सॉफ्टवेयर में स्वाभाविक समस्यायें, सॉफ्टवेयर संचालित इंटरफेस व हार्डवेयर इत्यादि के कारण चालू नहीं किया जा सका था। यद्यपि केन्द्र उपस्कर का उपयोग नहीं कर पाये, फिर भी उनको रद्द नहीं किया। ई टी डी सी बंगलोर व हैदराबाद दोनों ने केवल अगस्त 2009 में अर्थात् दोषपूर्ण उपस्कर की प्राप्ति के दो वर्ष बीतने के बाद दोषपूर्ण प्रणाली के प्रतिस्थापन की मांग की थी। ई आर टी एल मुम्बई ने प्रतिस्थापन की मांग नहीं की थी। पूर्तिकार बंगलोर प्रकरण में आंशिक प्रतिस्थापन³ और हैदराबाद प्रकरण में उपस्कर की मरम्मत के लिये सहमत हो गया था।

जुलाई 2010 में, एस टी क्यू सी ने अंतिम नोटिस जारी किया था और पूर्तिकार को अंतिम अवसर प्रदान किया था कि वह अगस्त 2010 तक नवीनतम प्रणाली प्रतिष्ठापित करे अन्यथा सारी लागत व नुकसान की वसूली के लिये कार्यवाही शुरू की जाएगी। तथापि, हमने देखा कि एस टी क्यू सी द्वारा पूर्तिकार के विरुद्ध इस प्रकार की कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी यद्यपि पूर्तिकार ने

³ सक्रिय घटकों का प्रतिस्थापन

बैठक में अगस्त 2010 की समय-सीमा में चूक की थी। इसके अतिरिक्त, जवाबदेही के कारण नि बँ गा जिसे जब्त किया जाना था, इसे दिसम्बर 2011 तक विस्तार दे दिया था। आज तक उपस्कर न तो बदला गया था और न ही मरम्मत की गई थी।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (फरवरी 2013) कि मुम्बई में उपस्कर के प्रतिस्थापन की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उपस्कर प्रचालन में थे। ई टी डी सी बंगलोर व हैदराबाद प्रकरण में, यह कहा गया था कि इस प्रकार के उच्च सूक्ष्मता व जटिलता वाले उपस्कर सामान्यतः स्थल पर अच्छे तालमेल की शर्त पर प्रतिष्ठापित होते हैं। ये अत्याधुनिक उपस्कर भी लगाओ और चालू हो गये (प्लग एण्ड प्ले) टाइप के नहीं थे और इसीलिये पूर्णरूप से अस्वीकृति सम्भव नहीं थी।

उत्तर ठीक नहीं है क्योंकि मुम्बई में उपस्कर ने ठीक ढंग से कार्य नहीं किया था। इसके अतिरिक्त ई टी डी सी बंगलोर व हैदराबाद आपूर्ति आदेशों के निबन्धन व शर्तों के अनुसार दोषपूर्ण उपस्कर को अस्वीकृत करने में विफल रहे। एस टी क्यू सी ने भी प्रभावपूर्ण तरीके से मामले का अनुसरण नहीं किया तथा पूर्तिकार पर संविदात्मक दायित्वों के लिये दबाव नहीं डाला। यद्यपि नि बँ गा जिसको जब्त किया जाना था, जब्त भी नहीं की गई थी। पांच वर्ष से अधिक समय के लिये उपस्कर प्रतिष्ठापित करने व चालू करने में पूर्तिकार की विफलता के बावजूद भी लागत व नुकसान की वसूली के लिये पूर्तिकार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

हमने देखा कि पांच वर्षों के विलम्ब के बाद ही एस टी क्यू सी ने ₹15 लाख के नि बँ गा भुनाने के बाद ई टी डी सी बंगलोर व हैदराबाद के लिये दो उपस्करों के लिये संविदा रद्द की और ₹2.72⁴ करोड़ (उपस्कर की लागत व उस पर ब्याज) तथा ₹1.73 करोड़ (दण्डस्वरूप व्यावसायिक व साख की हानि, भुगतान किये गये भाड़े व बीमा) की वसूली के लिये दावा किया था।

मंत्रालय ने भी उत्तर दिया (फरवरी 2013) कि संविदा के भाग के रूप में 100 प्रतिशत भुगतान के सम्बन्ध में निबन्धन व शर्तों में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन था। यह भी कहा गया था कि वरिष्ठ निदेशक, ई आर टी एल (डब्ल्यू) द्वारा सफल प्रतिष्ठापन प्रमाणपत्र जारी किया गया था यद्यपि कुछ विसंगतियां देखी गई थी, जिसने प्रणाली के प्रचालन/कार्यात्मकता में बाधा नहीं डाली होगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपस्कर के प्रेषण पर 100 प्रतिशत भुगतान से एस टी क्यू सी के हितों की रक्षा नहीं हुई थी। हमने यह भी देखा कि शिपमेन्ट में साखपत्र के माध्यम से 90 प्रतिशत व उपस्कर के प्रतिष्ठापन के बाद शेष 10 प्रतिशत के भुगतान की पूर्ववर्ती प्रथा को बैंक प्रभारों पर व्यय कम करने हेतु साख पत्र द्वारा 100 प्रतिशत भुगतान में परिवर्तित कर दिया गया था। प्रथा के इस परिवर्तन ने उपस्कर को सही तरीके से प्रतिष्ठापित करवाने में एस टी क्यू सी के हितों की रक्षा नहीं की है। इसके अतिरिक्त निदेशक, ई आर टी एल (डब्ल्यू) ने मार्च 2007 में प्रतिष्ठापन व चालू किये जाने का प्रमाणपत्र जारी किया था, जबकि अगस्त 2007 में संयुक्त निदेशक, (मानक व

⁴ \$ ₹5,44,302 50 (लगभग) ₹2.72 करोड़

व्यासमापन) ई आर टी एल (डब्ल्यू) ने उपस्कर के दोषपूर्ण वस्तुओं को बदलने के लिये मैसर्स रोटेक के एजेन्ट से कहा था। संयुक्त निदेशक ने यह भी बताया कि पूर्ण प्रणाली तब तक निष्क्रिय रहेगी जबतक कि दोषपूर्ण वस्तुएं बदली नहीं जाती है। यह दर्शाता है कि उपस्कर के लिये भुगतान उपस्कर के उचित तरीके से चालू किये जाने को सुनिश्चित किये बिना किया गया था। इसके अतिरिक्त दो वर्षों के बाद कलपुर्जे में सुधार किया गया था फिर भी उपस्कर गैर कार्यात्मक रहे, इससे मशीनों को क्रय किये जाने का उद्देश्य विफल रहा।

इस प्रकार एस टी क्यू सी दोषपूर्ण उपस्कर बदलने के लिये पूर्तिकार पर संविदात्मक दायित्वों का दबाव डालने में विफल रहा जिससे उपस्कर चालू नहीं हुये तथा ₹2.43 करोड़ का निष्क्रिय निवेश हुआ। इसके अतिरिक्त, दोषपूर्ण उपस्कर के कारण इन प्रयोगशालाओं/केन्द्रों द्वारा जहां व्यासमापन का कार्य हुआ था कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ।

4.2 व्यावहारिक माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिक अभियांत्रिकी एवं अनुसंधान के लिये सोसायटी (समीर) में परियोजना प्रबंधन

4.2.1 प्रस्तावना

व्यावहारिक सूक्ष्मतरंग इलेक्ट्रानिक अभियांत्रिकी एवं अनुसंधान सोसायटी “समीर” एक स्वायत्त संस्था है जिसे 1984 में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सूक्ष्मतरंग अभियांत्रिकी एवं विद्युत चुम्बकीय अभियांत्रिकी तकनीक के क्षेत्रों में विकास एवं अनुसंधान को बढ़ाने हेतु बनाया गया।

समीर का लक्ष्य सूक्ष्मतरंग/रेडियो आवृत्ति इलेक्ट्रानिक एवं विद्युत चुम्बकीय के क्षेत्रों में अनुप्रयोग अभिमुख अनुसंधान में उत्कृष्टता (श्रेष्ठता) हासिल करना है। इसका मुख्य उद्देश्य विकास एवं अनुसंधान गतिविधियों को करना एवं उत्पाद विकास में संलग्न रहना तथा परीक्षण एवं मापक सेवाओं को प्रदान करना है। ये विकास एवं अनुसंधान क्रियाएँ समीर द्वारा अपनी विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से की जाती है।

समीर प्रशासनिक मामलों में कार्यकारी समिति द्वारा समर्थित शासी परिषद द्वारा, तकनीकी मामलों में अनुसंधान सलाहकार समिति द्वारा तथा वित्तीय मामलों में वित्त एवं लेखा समिति द्वारा प्रबंधित किया जाता है। “निदेशक” समीर का मुख्य कार्यकारी है एवं सोसायटी को प्रबंधित करने हेतु सभी जिम्मेदारियाँ रखता है।

समीर का मुख्यालय मुम्बई में है एवं इसके दो केन्द्र, विद्युत चुम्बकीय केन्द्र एवं मिलीमीटर तरंग अनुसंधान केन्द्र क्रमशः चेन्नई एवं कोलकाता में स्थित है।

4.2.2 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा 2011-12 की समयावधि के दौरान संचालित की गई जिसमें 2007-08 से 2011-12 के दौरान प्रायोजित मुख्य अनुदान एवं मुख्य कार्यान्वित परियोजनाओं को लिया गया। चूंकि समीर के पास केन्द्रीय मानीटरिंग यंत्रावली/डाटा बेस सभी ली गई परियोजनाओं की प्रगति को मानीटर करने के लिये नहीं थी। हमने नमूना जांच करने के लिये समीर द्वारा दी गई परियोजनाओं की सूची पर विश्वास किया।

4.2.3 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा मापदण्ड के मुख्य स्रोत थे:

- समीर संघ का ज्ञापन पत्रक
- समीर के नियम एवं विनियम
- समीर के नियम
- शासी परिषद एवं कार्यकारी समिति की शाक्तियों को सौंपना
- परियोजना समीक्षा एवं संचालन समिति प्रतिवेदन
- समीर की 2011-12 वर्ष के लिये परियोजना अनुसूची।

4.2.4 लेखापरीक्षा क्रियाविधि

लेखापरीक्षा निष्कर्ष संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा, प्रबंधन के विभिन्न स्तरों पर चर्चा, समीर द्वारा परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रबंधन के संबंध में समीर मुम्बई के निरीक्षण पर आधारित थे। वृहत स्तरीय वित्तीय आकड़ें समीर के वित्तीय विवरणों से लेखापरीक्षा विश्लेषण के लिये प्राप्त किये गये थे। इसके अतिरिक्त 20 लाख एवं उससे अधिक लागत की 2007-08 से 2011-12 के बीच कार्यान्वित परियोजनाओं में से चुनी गई परियोजनाओं की विस्तृत लेखापरीक्षा की गई तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षों को रिपोर्ट किया गया।

4.2.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्ष वित्तीय प्रबंधन, परियोजना दिशा निर्देशों को न बनाना, परियोजना कार्यान्वयन एवं उसकी मानीटरिंग, सहायक अनुदान परियोजनाओं, प्रायोजित परियोजनाओं, मुख्य परियोजनाओं एवं बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के अंतर्गत लाये गये हैं।

4.2.5.1 वित्तीय प्रबंधन

समीर को वित्त के लिये इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी ई आई टी वाई) से अनुदान मिलता है तथा प्रायोजित एजेंसियों जैसे दूसरे मंत्रालयों/विभागों/भारत सरकार के स्वायत्तशासी संगठनों से पूंजी प्राप्त होती है। 2007-12 के दौरान “समीर” ने कुल ₹304 करोड़ विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किये (₹158 करोड़ डी ई आई टी वाई से सहायक अनुदान एवं ₹146 करोड़ प्रायोजित एजेंसियों से) उसमें से ₹246 करोड़ का खर्च उस समयावधि के दौरान हुआ था। इसके अतिरिक्त ₹77.64 करोड़ उसी अवधि के दौरान परीक्षण मापक, सलाहकारी सेवाओं एवं अन्य आय के रूप में प्राप्त किये गये।

(i) सहायक अनुदान

समीर के आय एवं खर्च के लेखे का सारांश जो 2007-08 से 2011-12 के दौरान प्राप्त अनुदान एवं अनुदान में से खर्चों को दर्शाता है, नीचे तालिका-1 में दिया हुआ है।

तालिका-1

(₹करोड़ में)

वर्ष	प्राप्तियां			व्यय	अनुपयोगी निधि	उपयोग नहीं की गई निधि की प्रतिशतता
	सं सू प्रौ म से प्राप्त अनुदान ⁵	अन्य प्राप्तियां ⁶	कुल प्राप्तियां			
2007-08	23.11	10.53	33.64	19.64	14.00	42
2008-09	25.34	19.46	44.80	24.95	19.85	44
2009-10	38.74	12.27	51.01	30.66	20.35	40
2010-11	35.78	18.49	54.27	28.69	25.58	47
2011-12	34.70	16.89	51.59	31.08	20.51	40
कुल	157.67	77.64	235.31	135.02	100.29	

(स्रोत— समीर का वार्षिक प्रतिवेदन (2007-12))

तालिका-1 से यह प्रमाणित है कि 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान यद्यपि खर्चों में निरन्तर वृद्धि रही है फिर भी उसी अवधि के दौरान वहां अनुदान का लगातार कम उपयोग हुआ जिसके परिणामस्वरूप 40 से 47 प्रतिशत वार्षिक बचत रही।

⁵ संचार मंत्रालय व सूचना प्रौद्योगिकी

⁶ परीक्षण मापक, सलाहकारी सेवाओं एवं अन्य आय

समीर ₹68.74 करोड़ के अनुदानों के विषय में उपयोगिता प्रमाणपत्र देने में भी असफल रहा, जैसा कि नीचे तालिका-2 में दर्शाया गया है।

तालिका-2

(₹करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की राशि	वर्ष में देय उ प्र	मार्च 2012 तक देय उ प्र की राशि	देय उ प्र की संख्या
1	0.92	2008-09	0.92	1
2	1.37	2009-10	1.37	2
3	13.35	2010-11	13.35	4
4	53.10	2011-12	53.10	10
	68.74		68.74	17

(स्रोत- डी ई आई टी वाई द्वारा प्राप्त विवरण)

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (नवम्बर 2012) यह कहा गया (फरवरी 2013) कि 17 उपयोगिता प्रमाणपत्रों की ₹68.74 करोड़ जैसाकि लेखापरीक्षा ने बताया के विरुद्ध केवल ₹13.72 करोड़ के 5 उपयोगिता प्रमाणपत्र दिसम्बर 2012 को लंबित थे।

दिया गया उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि समीर द्वारा जमा किये गये उपयोगिता प्रमाणपत्रों का विवरण 2010-11 तक की अवधि तक आवंटित अनुदान के संबंध में था जबकि लेखापरीक्षा 2011-12 की अवधि के लिये थी जिसमें ₹53.10 करोड़ की रकम के अतिरिक्त 10 उपयोगिता प्रमाण-पत्र समीर द्वारा 2011-12 वर्ष के दौरान जमा नहीं किये गये थे। यह दर्शाता था कि अनुदान का उपयोग उसी वर्ष जिसमें वह प्राप्त हुई थी नहीं किया जा रहा था और इसलिये मंत्रालय द्वारा प्रभावी वित्तीय नियंत्रण की शीघ्र आवश्यकता थी जिससे अनुदानों को देने से पहले उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करना सुनिश्चित हो सके।

(ii) प्रायोजित निधि

सरकारी विभागों/संगठनों के प्रायोजित परियोजनाओं के विरुद्ध प्राप्त “निधि” को अलग से निधि के अर्न्तगत रखा है जिसको “प्रायोजित परियोजना निधि” कहते हैं जहां प्रायोजित परियोजनाओं पर व्यय नहीं की गई शेष राशि रखी गई है। वर्षवार विवरण तालिका-3 में नीचे दिया गया है।

तालिका-3

(₹करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्रायोजक एजेंसी से प्राप्त फंड	कुल	व्यय	उपयोगिता का प्रतिशत	आगे बढ़ाई गई निधि
2007-08	39.09	46.46	85.55	17.88	20.90	67.67
2008-09	67.67	32.84	100.51	21.09	20.98	79.42
2009-10	79.42	18.01	97.43	19.56	20.07	77.87
2010-11	77.87	31.01	108.88	24.51	22.51	84.37
2011-12	84.37	18.10	102.47	28.44	27.75	74.03
कुल		146.42		111.48		

(स्रोत- समीर का वार्षिक प्रतिवेदन (2007-12))

उपरोक्त तालिका-3 से देखा जा सकता है कि प्रायोजित निधि का उपयोगिता प्रतिशत केवल 20 प्रतिशत से 28 प्रतिशत के बीच है। इसके परिणामस्वरूप प्रायोजक एजेंसियों से प्राप्त निधि संबंधित वर्षों में जिस काम के लिये दी गई थी उसके लाभपूर्ण उपयोग किये बगैर फिक्स जमाओं में पड़ी रही जोकि ₹86 करोड़ (2007-2008) से ₹140 करोड़ (2011-12) के बीच थी।

लेखापरीक्षा द्वारा (नवम्बर 2012) यह इंगित किये जाने पर मंत्रालय ने उत्तर दिया (फरवरी 2013) कि समीर द्वारा उत्पन्न किये गये उच्चतर आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन संगठन की अच्छी वित्तीय स्थिति दर्शाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ₹140 करोड़ का कैश एवं बैंक बैलेंस जिसमें पिछला प्रायोजित परियोजना फंड (₹74.03 करोड़) के एवं (₹77.64 करोड़) के आन्तरिक राजस्व समाहित है।

दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं है चूंकि ₹74.03 करोड़ के प्रायोजित परियोजना फंड सम्बन्धित प्रायोजित करने वाले विभागों के द्वारा अग्रिम दिया गया सरकारी फंड है और इस प्रकार इसे आई ई बी आर के रूप में नहीं समझा जा सकता। साथ ही आई ई बी आर आन्तरिक संसाधनों से पैदा किया जाना है एवं इसमें नये सौंपे कार्य को बिना किए हुए विशेष उद्देश्यों के लिए दिये गये प्रायोजित फंड से ब्याज शामिल नहीं होगा। बाद में आन्तरिक राजस्व के ₹77.64 करोड़ में से अधिकतम रकम ₹39.68 करोड़ बैंक जमाओं से प्राप्त ब्याज है जो बैंक में प्रायोजित परियोजना फंड के रखने के कारण बढ़ गया है। इस प्रकार नकद एवं बैंक बैलेंस का अधिकतम हिस्सा सरकारी पैसे एवं ब्याज का भाग है तथा यह “समीर” के आन्तरिक संसाधनों द्वारा अर्जित नहीं है।

4.2.5.2 परियोजना दिशानिर्देशों को न बनाना

शासी परिषद को सोसाइटी द्वारा सेवाओं का मूल्य निर्धारण करने हेतु जिसमें मानवशक्ति शुल्क सोसाइटी द्वारा निर्मित सुविधाओं का उपयोग शुल्क, परियोजना लागत तक पहुंचने की क्रियाविधि, तकनीक स्थानान्तरण की सेवा व शर्त, दरें जिस पर रायल्टी इकट्ठा की जानी है इत्यादि पर सामान्य दिशा निर्देश अनुमोदन करने की पूर्ण शक्ति प्रदान की गई है। हमने पाया कि (नवम्बर 2012) कोई भी दिशा-निर्देश उपरोक्त मुद्दों को समाहित करते हुए शासी परिषद के द्वारा नहीं बनाये एवं अनुमोदित किये गये। सामान्य दिशानिर्देशों की अनुपस्थिति में “समीर” परियोजना की गतिविधियां संचालित कर रहा था और तदर्थ रूप में बिना किसी निर्धारित नियम व विनियम के तकनीक स्थानान्तरण भी कर रहा था।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (फरवरी 2013) कि “समीर” लगभग सभी परियोजनायें केवल सरकारी विभागों/मंत्रालयों के लिये निष्पादित कर रहा था। बाद में परियोजना लागत के निर्धारण के उद्देश के लिये गठित आंतरिक समिति की अनुशंसा पर दिशा निर्देश निर्मित किये गये एवं इन्हीं का अनुपालन किया जा रहा है।

यह उत्तर कि चूंकि परियोजनाओं का कार्यान्वयन सरकारी विभागों/मंत्रालयों के लिये है “समीर” को बिना उचित नियमों, विनियमों के इन परियोजनाओं का संचालन करने की छूट नहीं दी जा सकती है। बाद में आन्तरिक समिति ने स्वयं कहा था कि परियोजना लागत से संबंधित दिशानिर्देश प्रारम्भिक अनुशंसायें थी एवं बाद में उन्हें अंतिम रूप से निर्धारित करने के लिये लेखाकारों/चार्टर्ड लेखाकारों के साथ परिचर्चायें की जानी थी।

4.2.5.3 परियोजना कार्यान्वयन एवं इसकी मानीटरिंग

“समीर” के निदेशक ने प्रत्येक मुख्य परियोजना की प्रगति मानीटर करने हेतु विशेषज्ञों की समितियाँ गठित की थी। प्रायोजित परियोजनाओं तथा सहायक अनुदान प्राप्त परियोजनाओं के संबंध में प्रायोजित करने वाले विभाग ने परियोजना के आवधिक पुनरीक्षण के लिये परियोजना समीक्षा एवं संचालन गुप (पी आर एस जी) नियुक्त की है। पी आर एस जी के सदस्य प्रायोजित करने वाले विभागों द्वारा नामित किये जाते हैं एवं आगन्तुक समीर की समिति के चेयरमैन जैसे मुख्य अन्वेषक एवं कार्यक्रम निदेशक के द्वारा निर्णीत किये जाते हैं।

हमने पाया (नवम्बर 2012) कि यद्यपि ये समितियां विशेष परियोजनाओं का पुनरीक्षण अलग-अलग मामले के आधार पर अवधिक रूप से कर रही थी लेकिन समीर द्वारा लिये गये सभी परियोजनाओं को मानीटर करने के लिये कोई केन्द्रीय मानीटरिंग यंत्रावली या परियोजना ट्रैकर तंत्र नहीं था। फलस्वरूप विभिन्न परियोजनाओं की सम्पूर्ण प्रगति ज्ञात नहीं की जा सकी। नवम्बर (2012) में हमारे द्वारा बताये जाने पर यह कहा गया था (फरवरी 2013) कि साफ्टवेयर खोजी कार्यान्वयन के

लिये विचार किया जायेगा। दिया गया उत्तर अंततः **समीर** में पूर्ण परियोजनाओं की मानीटरिंग तथा नियंत्रण यंत्रावली में कमी का सूचक है।

4.2.5.4 सहायक अनुदान प्राप्त परियोजनायें

ये परियोजनायें “**समीर**” द्वारा डी ई आई टी वाई से प्राप्त अनुदान के आधार पर ली गई है। “**समीर**” ने 2007-08 से 2011-12 के दौरान 23 इस प्रकार की सहायक अनुदान प्राप्त परियोजनायें ली थी, उनमें से 10 पूरी की गई थी जो नीचे तालिका-4 में बताई गई है:

तालिका-4

	सहायक अनुदान परियोजनाओं का अप्रैल 2007 का शुरुआती शेष	2007 – 2012 के दौरान जोड़ी गई परियोजनायें	2007 – 2012 के दौरान पूरी की गई परियोजनायें	परियोजनाओं का अंतिम शेष
मुम्बई	3	12	6	9
चैन्नई	1	3	2	2
कोलकाता	2	2	2	2
कुल	6	17	10	13

इन परियोजनाओं से सम्बन्धित हमारे परीक्षणों ने (जुलाई व नवम्बर 2012) 10 पूर्ण परियोजनाओं में से 7 परियोजनाओं में पूरे होने में 1 से 18 महीने के बीच तथा 13 चल रही परियोजनाओं में से 8 में 10 से 39 महीने के बीच का विलम्ब पाया।

हमने 2007-08 से 2011-12 तक अवधि के दौरान कार्यान्वित 23 में से चार⁷ सहायता अनुदान प्राप्त परियोजनाओं की विस्तृत जांच की थी तथा इसमें महत्वपूर्ण समय व लागत की वृद्धि पाई। इसे आगे आने वाले पैराग्राफ में दर्शाया गया है।

(i) एकीकृत चिकित्सा लीनेक तंत्र को लगाने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

(क) फेस I

मार्च 2001 में फरवरी 2003 तक दो वर्षों की परियोजना अवधि तथा ₹7.00 करोड़ की कुल लागत के साथ डी ई आई टी वाई ने “कैंसर थैरेपी के लिए 6 एम वी के दो देशी विकसित एकीकृत

⁷ (क) एकीकृत चिकित्सा लीनेक तंत्र को लगाने के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम
(ख) लीनेक ट्यूब तथा लाइनर एक्सीलेटर के फेब्रीकेशन के लिये परियोजना
(ग) हाइब्रीड डायर के विकास एवं विस्तार पर परियोजना
(घ) साफ्टवेयर डिफाइन रेडियो की रूपरेखा एवं विकास पर परियोजना

चिकित्सा लीनेक⁸ तंत्र लगाने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम” (फेस I) अनुमोदित किये। हमने पाया (नवम्बर 2012) कि ₹7.77 करोड़ की लागत वाली दोनों चिकित्सा लीनेक यूनिटें पांच वर्षों से अधिक की देरी से मई 2008 से आरम्भ की गई।

(ख) कार्यक्रम का फेस II

10.70 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर चार विभिन्न अस्पतालों में चार 6 एम वी एकीकृत चिकित्सा लीनेक मशीनों को लगाने के लिए फरवरी 2008 में डी ई आई टी वाई ने परियोजना के फेस-II को अनुमोदित किया। परियोजना की अवधि मार्च 2008 से अगस्त 2011 थी। फेस-II परियोजना में 31 मार्च 2011 तक ₹6.38 करोड़ व्यय करने के बाद भी **समीर** निश्चित समय में एक मशीन भी चालू नहीं कर सका।

प्रोजेक्ट रिव्यू एण्ड स्टीयरिंग ग्रुप (पी आर एस जी) ने सितम्बर 2011 में परियोजना की समीक्षा की तथा विलम्ब पर गंभीर चिंता व्यक्त की एवं सुझाव दिया कि **समीर** को समय प्रबंधन में और कार्यकुशल होना चाहिये।

मंत्रालय ने (फरवरी 2013) में बताया कि प्रथम यूनिट फरवरी 2013 में शुरू हो जायेगी तथा अगली तीन यूनिटों का 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है एवं अगले कुछ माह में शुरू हो जायेगी। **समीर** ने पुनः कहा (सितम्बर 2013) कि कार्य पूर्ण होने की संशोधित तिथि 31 दिसम्बर 2013 थी।

इस प्रकार, फेस-I के अधीन मई-2008 में दो 6 एम वी चिकित्सा लीनेक प्रणाली आरम्भ होने के बावजूद, फेस-II में सभी चार 6 एम वी चिकित्सा प्रणाली आरम्भ होने में काफी विलम्ब था।

(ग) चिकित्सा लीनेक मशीनों का वाणिज्यिक उत्पादन

समीर ने (मार्च 2011 में) पी आर एस जी को उचित लागत पर 6 एम वी संघटित चिकित्सा लीनेक को उद्योग के लिए वाणिज्यिक उत्पादन से संबंधित तकनीकी स्थानान्तरण (टी ओ टी) हेतु विचार करने को कहा था। तदनुसार पी आर एस जी ने टी ओ टी विषय पर (सितम्बर 2011 में) सिफारिश की कि प्रत्येक तकनीक प्राप्तकर्ता 1 करोड़ रु. टी ओ टी शुल्क का भुगतान करेगा। पी आर एस जी ने निदेशक **समीर** को निर्देश दिये (सितम्बर 2011) कि उद्योगों को अल्पावधि में अपनी वित्तीय बोली जमा करने के लिए लिखा जाये तथा डी ई आई टी वाई, नई दिल्ली पर पी आर एस जी के साथ अगली बैठक में सहयोग किया जाये। अगस्त 2012 तक इस दिशा में कोई अतिरिक्त प्रगति नहीं हुई थी।

⁸ लाइनर पार्टीकल एक्सीलेअरटर

फरवरी 2013 में मंत्रालय ने उत्तर दिया कि टी ओ टी के लिए मैसर्स पैनासिया मेडिकल टेकनोलोजी की पहचान की गई थी तथा प्रथम मसौदा करार कम्पनी को भेज दिया गया था।

हमने पाया (नवम्बर 2012) कि फेस-1 में 6 एम वी एकीकृत चिकित्सा लीनेक स्थापित होने के चार वर्षों से अधिक समय के पश्चात् भी तकनीक स्थानान्तरित नहीं की जा सकी थी तथा तथा **समीर** के समर्थ मूल्य पर देशी चिकित्सा लीनेक के वाणिज्यिक उत्पादन, के रूप में अनुसंधान व विकास का उद्देश्य अभी पूरा होना था।

(ii) लीनेक ट्यूब तथा लाइनियर एक्सेलेटर के फैब्रिकेशन बावत् परियोजना

समीर, नवी मुम्बई पर लीनेक ट्यूब एण्ड लीनियर एक्सेलेटर के बैच फैब्रिकेशन की सुविधा की स्थापना तीन वर्षों की अवधि में डी ई आई टी वाई ने ₹24.88 करोड़ की लागत पर अनुमोदित (नवम्बर 2005) की थी। दिसम्बर 2009 में, परियोजना की लागत ₹27.58 करोड़ संशोधित की गई जिसमें डी ई आई टी वाई का योगदान ₹25.38 करोड़ सहायता अनुदान के रूप में तथा **समीर** का योगदान ₹2.20 करोड़ है तथा परियोजना की अवधि को दिसम्बर 2010 तक बढ़ा दिया गया था।

हमने (नवम्बर 2012 में) पाया कि सभी गतिविधियों से संबंधित सिविल कार्य अगस्त 2010 में पूर्ण कर लिये थे। ₹59.73 लाख के खरीदे गये उपकरण चार वर्षों से अधिक अवधि से निष्क्रिय पड़े थे तथा परियोजना के लिए वांछित 6 उपस्करों को क्रय किया जाना शेष था (सितम्बर 2011)। हमने आगे यह भी पाया कि **समीर** ने ₹27.40 करोड़ व्यय कर दिये थे तथा परियोजना पूर्ण होना अभी शेष था (फरवरी 2013)।

मंत्रालय ने (फरवरी 2013) बताया कि **समीर** ने एक सिविल विशेषज्ञ सलाहकार तथा एक विद्युत अभियंता को ठेके के आधार पर नियुक्त किया था तथा लगभग सभी उपस्कर चालू किये जा चुके थे। पर यह तथ्य है कि **समीर** का परियोजना प्रबंधन अकुशल तथा धीमा था क्योंकि परियोजना 2008 में पूर्ण होनी थी परन्तु यह फरवरी 2013 तक अपूर्ण थी।

(iii) हाईब्रीड ड्रायर्स का विकास एवं तैनाती की परियोजना

डी ई आई टी वाई ने सिक्किम एवं त्रिपुरा में ऐसी दो मशीने स्थापित करने के लिये जुलाई 2007 में ₹98 लाख की कुल लागत पर 18 महीनों की अवधि के लिये हाईब्रीड ड्रायर्स के विकास के लिए एक परियोजना की संस्वीकृति दी। डी ई आई टी वाई ने अगस्त 2009 में परियोजना की कीमत ₹1.03 करोड़ बढ़ा दिया तथा कार्य पूर्ण होने की अवधि दिसम्बर 2009 तक बढ़ा दी। हाईब्रीड ड्रायर प्राकृतिक उत्पाद जैसे सब्जी, मसाले, चाय पत्ती आदि को सुखाने के लिए था।

समीर ने प्रयोगकर्ता राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान दिये बिना सिक्किम तथा त्रिपुरा में जगहों की पहचान कर ली। सिक्किम सरकार ने स्वीकृति के संकेत नहीं दिये तथा तत्पश्चात् **समीर** ने

हाईब्रीड ड्रायर को असम में चाय की पत्ती सुखाने के लिये स्थापित करने का निर्णय किया। तदनुसार ड्रायर को सिक्किम से बदल कर इसे जुलाई 2009 में चाय अनुसंधान संघ (टी आर ए) जोरहट में स्थापित कर दिया गया तथा जनवरी 2011 में कहा कि वे इसे विभिन्न प्रकार की चाय की पत्तियों को सुखाने का परीक्षण कर रहे हैं।

दूसरे ड्रायर के संबंध में, त्रिपुरा सरकार ने निर्णय लिया कि ग्रीन टी प्रक्रिया के लिए लुधुआ टी एस्टेट में ड्रायर स्थापित किया जाये। समीर ने (दिसम्बर 2011) बताया कि हाईब्रीड ड्रायर को लुधुआ टी एस्टेट द्वारा क्रय किये गये उपस्कर के साथ एकीकृत होना है तथा संकेत दिये कि जनवरी 2012 तक हाईब्रीड ड्रायर स्थापना कर सुखाने की सुविधा उपलब्ध होगी।

मंत्रालय ने (फरवरी 2013) कहा कि प्रयोगकर्ता विभागों के निर्णयों के कारण समस्त देरी हुई तथा 2012 तक ड्रायर्स स्थापित हो चुके थे।

उत्तर अस्वीकार्य है जैसा कि पूरी परियोजना साझेदारों की आवश्यकताओं तथा उनकी तैयारियों को पहचाने बिना नई तकनीक को ग्रहण करने के लिये अवसंरचना उपलब्ध कराई गई जिसके परिणामस्वरूप ड्रायर्स को स्थापित करने तथा उपयोग करने में तीन वर्षों से अधिक का विलम्ब हुआ।

(iv) सॉफ्टवेयर डिफाइन रेडियो की रूपरेखा एवं विकास पर परियोजना

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली ने सी-डेक के ₹3.48 करोड़ तथा समीर के ₹1.47 करोड़ के अंशदान के साथ अप्रैल 2007 में ₹4.95 करोड़ की लागत से सॉफ्टवेयर डिफाइन रेडियो (एस डी आर) की रूपरेखा एवं विकास की एक परियोजना की संस्वीकृति प्रदान की।

परियोजना अप्रैल 2007 में शुरू की गई तथा सितम्बर 2008 में अंशिक रूप से पूर्ण हुई। समापन प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि परियोजना का उद्देश्य उद्योगों के लिये एक प्रोटोटाइप का विकास एवं तकनीक हस्तांतरण था। इसलिये एस डी आर के वाणिज्यिक संस्करण के लिए एक मार्गदर्शिका तैयार किया गया तथा अनुकूल सुरक्षा उपयोगिता क्षेत्रों तथा वाणिज्यिक आवश्यकताओं हेतु आवेदनों के साथ समीर ने एस डी आर की विभिन्न प्रकार की दो अथवा तीन योजनाएँ बनाई। जनवरी 2012 में प्रबंधन ने कहा कि उसके वैज्ञानिक बहुत से प्रायोजित तथा मुख्य परियोजनाओं में व्यस्त थे तथा दूसरे फेस के लिये श्रमशक्ति उपलब्ध नहीं करायी जा सकती है जिस पर बाद में चालू परियोजनाओं के पूर्ण होने के उपरांत ही विचार किया जा सकेगा।

हमने (नवम्बर 2012 में) पाया कि 2008 में प्रोटोटाइप विकास का प्रथम चरण पूर्ण होने के चार वर्ष पश्चात् भी एस डी आर की उगाही का अगला चरण आरम्भ नहीं हुआ था।

मंत्रालय ने (फरवरी 2013 में) बताया कि **समीर** द्वारा प्रोटोटाइप की विस्तृत रूपरेखा एवं विकसित हार्डवेयर सी-डेक के पास था तथा उसका उपयोग उनके द्वारा होगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसा कि 2008 में प्रोटोटाइप विकास को चार वर्ष बीत जाने के बाद भी **समीर** द्वारा एक प्रोटोटाइप एस डी आर तंत्र के विकास पर व्यय की गई राशि तथा प्रयासों से उन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका जिनके लिए उनका विकास किया गया था।

4.2.5.5 प्रायोजित परियोजनाएं

सरकारी विभाग जैसे कि विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा प्रेषित प्रायोजित परियोजनाएं **समीर** ने ली तथा जिनमें निजी क्षेत्र/उद्योग की भागीदारी नहीं थी।

116 प्रायोजित परियोजनाओं में से समीर ने 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान 76 परियोजनाएँ पूर्ण की जिसका विवरण निम्नलिखित तालिका-5 में दिया गया है:

तालिका-5

समीर इकाई	अप्रैल 2007 में प्रायोजित परियोजनाओं का प्रारम्भिक शेष	2007 – 2012 के दौरान जोड़ी गई परियोजनायें	2007 – 2012 के दौरान पूरी की गई परियोजनायें	परियोजनाओं का अंतिम शेष
मुम्बई	40	41	50	31
कोलकाता	03	05	04	04
चैन्नई	09	18	22	05
कुल	52	64	76	40

इन परियोजनाओं की जांच (जुलाई तथा नवम्बर 2012) से पता लगा कि इनमें पर्याप्त समय एवं लागत वृद्धि हुई जिसे आगे आने वाले पैराग्राफो में बताया गया है।

(i) प्रायोजित परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब

116 प्रायोजित परियोजनाओं में से 76 परियोजनायें पूर्ण हो चुकी थी तथा 40 पर कार्य प्रगति पर था। इसके अतिरिक्त पूर्ण हुई 76 परियोजनाओं में से 47 तथा चल रही 40 परियोजनाओं में से 28 में विलम्ब था। इन परियोजनाओं में विलम्ब 4 से 136 माह के बीच था। इसके अतिरिक्त, परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की दशा में परियोजना में लागत वृद्धि का कोई प्रावधान नहीं था।

हमने विस्तृत परीक्षण हेतु प्रायोजित संगठनों में से पाँच मुख्य परियोजनाएँ⁹ जिनमें विलम्ब तथा लागत की वसूली नहीं हो सकी थी, का चयन किया तथा पाया कि (जुलाई तथा नवम्बर 2012) हमारे निष्कर्षों का विवरण निम्न प्रकार है:

(क) इलेक्ट्रॉन बीम केन्द्र की स्थापना तथा औद्योगिक एक्सीलेटर्स विकास पर परियोजना

समीर ने अक्टूबर 1999 में भाभा एटोमिक अनुसंधान केन्द्र (बी ए आर सी), मुम्बई के साथ “इलेक्ट्रॉन बीम केन्द्र तथा औद्योगिक एक्सीलेटर्स विकास की संयुक्त स्थापना हेतु वैज्ञानिक सहयोग” बेलापुर, नवी मुम्बई के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। दिसम्बर 1999 तक रूपरेखा तथा फ़ैब्रीकेशन एवं परीक्षण दिसम्बर 2000 तक पूर्ण करने की समयावधि तय की गई और परियोजना समन्वय की सिफारिश पर परियोजना संचालन समूह द्वारा समीर को चरणों में ₹80.00 लाख की निधि जारी करनी थी। समझौता ज्ञापन का समय-समय पर विस्तार किया गया था। अक्टूबर 2009 में पांच अतिरिक्त वर्षों के लिए अक्टूबर 2014 तक के लिए विस्तार किया गया। यह पाया गया (जुलाई 2012) की बी ए आर सी ने केवल ₹72.00 लाख जारी किये थे तथा बढ़ी हुई लागत के ₹52.30 लाख उनके द्वारा जारी नहीं किये थे।

लेखा परीक्षा द्वारा (नवम्बर 2012) यह इंगित किये जाने पर मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2013) की बी ए आर सी अब निधि जारी करने पर सहमत हो गयी थी।

(ख) 6 एम ई वी औद्योगिक लाईनियर एक्सलेटर की स्थापना की परियोजना

अक्टूबर 2007 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र (वी एस एस सी) ने समीर को ₹3.20 करोड़ की लागत पर एक 6 एम ई वी औद्योगिक लाईनियर एक्सलेटर की रूपरेखा, विकास, स्थापना एवं आरम्भ करने का आपूर्ति आदेश दिया, जिसे जून 2009 तक पूरा करने का समय दिया था। समीर निर्धारित समय सीमा में परियोजना पूरी करने में विफल रहा तथा उसने अब तक ₹2.60 करोड़ के व्यय कर दिये थे। इसके विरुद्ध समीर को वी एस एस सी से केवल ₹1.68 करोड़ ही प्राप्त हुए थे तथा ₹92 लाख की वी एस एस सी से वसूलने शेष थे (मार्च 2011)। वी एस एस सी ने (मई 2010) इंगित किया कि प्रणाली की स्थापना के दौरान कई समस्याएं थीं। प्रणाली को उखाड़ दिया गया तथा समीर को मरम्मत हेतु वापस कर दिया गया, जिसे मार्च 2012 में अंतिम रूप से चालू किया गया तथा उपयोगकर्ता अभिकरण को सौंपा गया।

⁹ (क) इलेक्ट्रॉन बीम केन्द्र की स्थापना व औद्योगिक एक्सीलेटर्स विकास पर परियोजना

(ख) 6 एम ई वी औद्योगिक लाईनियर एक्सलेटर चालू करने पर परियोजना

(ग) 6 एम ई वी लीनेक प्रणाली चालू करने पर परियोजना

(घ) एस बैंड ट्रान्सपॉन्डर के 12 सैट की सुपुर्दगी के लिये परियोजना

(ङ) सी डी एम ए आधारित दूरसंचार (टी सी) प्रणाली पर परियोजना

हमारे द्वारा (नवम्बर 2012) इंगित किये जाने पर, यह कहा गया (फरवरी 2013) कि संभाग द्वारा कुछ एक लीनेक परियोजनाएं साथ-साथ चलाई जा रही थी। सुविधाओं और मानवशक्ति पर दबाव के कारण परियोजनाओं में विलम्ब हुआ। इन परियोजनाओं पर कार्यरत संविदा कर्मचारियों को कुछ उप-प्रणालियों पर स्वतंत्र रूप से कार्य की अनुमति प्रदान करने से पूर्व उचित रूप से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। समीर ने पुनः उत्तर दिया (सितम्बर 2013) की वी एस एस सी से परियोजना की पूरी लागत प्राप्त कर ली गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि समीर द्वारा ली गई परियोजनाओं के परिचालन में विलम्ब को दूर करने के लिए सुविधाओं एवं श्रमशक्ति पर दबाव की समस्या को हल करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की थी।

(ग) 6 एम ई वी लीनेक प्रणाली की स्थापना की परियोजना

अक्टूबर 2004 में एडवांस सिस्टम्स लैबरेट्री (ए एस एल) ने समीर को ₹2.50 करोड़ की अनुमानित लागत पर 6 एम ई वी लीनेक प्रणाली की रूपरेखा, विकास, स्थापना एवं आरम्भ करने का आपूर्ति आदेश दिया, जिसे अक्टूबर 2006 तक पूर्ण करने का समय दिया गया था। समीर निर्धारित समय सीमा में प्रणाली को प्रदान करने में विफल रहा।

समीर ने (मार्च 2011) कहा कि प्रारंभिक फेस के विकास में विलम्ब था क्योंकि लीनेक टयूब वैक्यूम प्रक्रिया उपकरण में मरम्मत हो रही थी। उसने आगे कहा कि खारघर में अपनी नवीन विकसित सुविधा को पूर्वज्ञान में समिति ने बहुत सी लीनेक परियोजनाएं लेने के कारण लगभग दो वर्षों का विलम्ब हुआ। परिणामस्वरूप, समीर के पास उपलब्ध सीमित सुविधाओं में लीनेक परियोजनाएं की जानी थी। विलम्ब के मामलों में पवई सबसे आगे था। लीनेक प्रणाली अगस्त 2011 में अंतिम रूप से स्थापित एवं आरम्भ की गई तथा पूरा भुगतान प्राप्त कर लिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसा कि उचित समय सीमा में कार्य स्थल को तैयार करना परियोजना कार्यान्वयन का भाग है। पांच वर्षों तक का असामान्य विलम्ब अपर्याप्त सिन्क्रोनाइजेशन तथा संचालन यंत्र-रचना को दर्शाता है।

(घ) एस-बैंड ट्रांसपोंडर के 12 सैटों की आपूर्ति के लिए परियोजना

मार्च 2006 में इसरो सैटेलाइट केन्द्र (आई एस ए जी) ने समीर को ₹2.40 करोड़ की लागत पर एस-बैंड ट्रांसपोंडर के 12 सैट आपूर्ति का एक आदेश जारी किया था। पहला सैट 26 सप्ताह में, अगले दो सैट 56 सप्ताह के दौरान तथा उसके बाद आगामी प्रत्येक छह माह के दौरान दो सैट आपूर्ति योग्य थे। जुलाई 2011 तक चार सैटों की आपूर्ति की गई थी।

यह पाया गया (जुलाई 2012) कि समीर ने एस बैंड ट्रांसपोंड के 4 सैटों पर ₹2.44 करोड़ व्यय किये थे जबकि 12 सैटों की आपूर्ति के ठेके का कुल मूल्य ₹2.40 करोड़ था, जोकि लागत को बढ़ना दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, समीर को ₹2.44 करोड़ के व्यय के विरुद्ध आई एस ए सी से केवल ₹1.40 करोड़ प्राप्त हुए थे जिसके परिणामस्वरूप ₹1.04 करोड़ की कम वसूली हुई।

हमारे द्वारा यह इंगित किये जाने पर, यह उत्तर दिया गया (अगस्त 2012) कि स्पेस ग्रेड कम्पोनेंटस की आपूर्ति में अत्यंत विलम्ब के कारण श्रमशक्ति पर मुख्य व्यय किया गया। श्रमशक्ति का वास्तविक उपयोग साझा समय आधार पर दूसरी चालू अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर हुआ परंतु एस-बैंड परियोजना के विरुद्ध बुकिंग जारी थी, परिणामस्वरूप व्यय में अधिक बढ़ोत्तरी हुई। समीर ने पुनः कहा (सितम्बर 2013) कि मई 2013 में दो और सैटों की आपूर्ति की गई तथा दो सैट प्रगति पर थे। शेष चार सैटों के लिए स्पेस ग्रेड कम्पोनेंटस आई एस ए सी से प्रतिक्रित थे। यह भी बताया गया कि ₹2.94 करोड़ का कुल व्यय के विरुद्ध ₹1.56 करोड़ की राशि प्राप्त हुई तथा अधिक व्यय की पूर्ति समीर के आंतरिक संसाधनों से की थी।

समीर के उत्तर से यह स्पष्ट था कि वह प्रायोजित निधि समय पर प्राप्त नहीं कर सका था। जिसके कारण परियोजना पर स्वयं की निधि का व्यय हुआ।

(ड) कोड डिविजन मल्टीपल एसेस बेस्ड टेलीकम्यूनिकेशन (टी सी) सिस्टम पर परियोजना

इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (आई टी आर) चांदीपुर ने मार्च 2010 में ₹57.94 लाख की लागत पर कोड डिविजन मल्टीपल एसेस (सी डी एम ए) आधारित टी सी सिस्टम की आपूर्ति का आदेश दिया था। आई टी आर ने जून 2010 में ₹19.17 लाख के अग्रिम का भुगतान किया तथा जून 2011 तक सिस्टम प्रदान किया जाना था। कंपोनेंट व मोड्यूल के क्रय में विलम्ब के कारण सिस्टम विकसित नहीं किया जा सका था।

उत्तर में, यह कहा गया था कि (अगस्त 2012) विलम्ब का मुख्य कारण निधि प्रदान करना था तथा भविष्य में समीर को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रस्ताव में उचित समयावधि को दर्शाया गया है। तथापि, समीर ने अधिप्राप्ति में विलम्ब का मामला नहीं बताया था। इसके अतिरिक्त समीर ने बताया (सितम्बर 2013) कि परियोजना पूरी हो गई थी तथा जुलाई 2013 में सिस्टम प्रदान कर दिया गया था। ₹50.38 लाख की राशि के खर्च के विरुद्ध ₹19.17 लाख की प्राप्ति हुई थी तथा आंतरिक संसाधनों से निधि का आधिक्य व्यवस्थित किया गया था, यहां यह भी बताया कि शेष राशि की वसूली मूल्यांकन के समाप्त होने पर होगी।

समीर के उत्तर से पुनः यह स्पष्ट था कि वह प्रायोजित निधि समय पर प्राप्त नहीं कर सका था। जिसके कारण परियोजना पर स्वयं की निधि का व्यय हुआ।

(ii) प्रायोजित परियोजना अनुमोदन, लागत व कीमत निर्धारण में कमियां

एजेन्सियों से प्रायोजित परियोजनाओं को लेने के लिए अनुरोध प्राप्त किया गया है और अनुरोध पर समीर ने अपनी परियोजनायें कोटेशन के साथ प्रस्तुत की। हमने देखा (नवम्बर 2012) कि कोटेशन तैयार करने के लिए कोई मानक आधार ग्रहण नहीं किये गये थे तथा बैठक की बातचीत में कीमत में प्रस्तावित छूट तथा बैठक में कीमत की बातचीत का कार्यक्रम रिकॉर्ड में नहीं थे। हमने यह भी देखा कि नई परियोजनाओं लेते समय वित्त, जन शक्ति तथा अवसंरचना के अनुसार विद्यमान संसाधनों का मूल्यांकन करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन भी नहीं किया गया था। अधिकतर प्रकरणों में पूर्णरूप से परियोजना फाइल का प्रलेखन खराब था।

हमारे द्वारा यह इंगित किये जाने पर (नवम्बर 2012), यह उत्तर दिया गया था (फरवरी 2013) कि परियोजना प्रस्ताव सरकारी प्रायोजित एजेन्सियों द्वारा दिये गये फारमेट में प्रस्तुत किये गये थे। समय के दबाव में व डिजाइन की अनिश्चितता के कारण प्रत्येक प्रकरण में व्यवहार्यता परियोजना दस्तावेज तैयार नहीं किये गये थे। इसके अतिरिक्त, समीर द्वारा ली गई सभी परियोजनायें विभिन्न प्रकृति की थी, विभिन्न प्रकार के संसाधनों जैसे अवसंरचना, जनशक्ति आदि की आवश्यकता थी और कुछ परियोजनाओं में विशेष अवसंरचना अपेक्षित थी।

यह उत्तर ठीक नहीं है कि सभी परियोजनायें जो कि विविध प्रकृति की थीं तथा इसलिए आधारभूत एक समान नियम पर यह लागू नहीं थीं। समीर को पारदर्शिता व जिम्मेवरी के लिए परियोजना अनुमोदन, लागत व कीमत निर्धारण के सम्बंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने चाहिए थे।

(iii) प्रायोजित परियोजनाओं में अनियमित व्यय

2007-12 की अवधि में पूर्ण 54 प्रायोजित परियोजनाओं के सम्बंध में हमारी जांच से पता चला कि 10 प्रायोजित परियोजनाओं में, ₹87.15 लाख का अनियमित व्यय 2011-12 में बुक किया गया था जैसा कि नीचे तालिका-6 में दिया गया था।

तालिका-6

क्रम सं.	परियोजना का नाम	पूर्णता की तारीख	प्रयोजक से अग्रिम	कुल व्यय	31-03-2012 को शेष	2011-12 में अनियमित व्यय
					(₹ करोड़ में)	(₹ राशि में)
1	हार्डट सेंसिंग डिवाइस	13-01-2011	1.15	0.61	0.54	9957
2	9 एम वी लीनियर एक्सिलेटर	26-02-2010	4.82	4.70	0.12	1198336
3	के ए बैंड एक्टिव रजॉर सीकर	28-02-2009	1.74	1.76	-0.02	69077
4	वैरिएबल एलटीच्यूट स्विच	07-03-2007	0.85	0.66	0.19	2123227
5	एच पी आर एफ ट्रांसमीटर	04-12-2010	1.40	1.45	-0.05	902950

क्रम सं.	परियोजना का नाम	पूर्णता की तारीख	प्रयोजक से अग्रिम	कुल व्यय	31-03-2012 को शेष	2011-12 में अनियमित व्यय
					(₹ करोड़ में)	(₹ राशि में)
6	रेडियोथिओडोलाईट का विकास	16-03-2011	1.16	0.69	0.47	129408
7	अल्टीमीटर का विकास	22-04-2010	1.65	0.70	0.95	3449937
8	फेज्ड अरे सोडार –वी एस एस सी	31-03-2009	0.40	0.39	0.01	9078
9	फेज्ड अरे सोडार –डी ए ई	28-04-2010	0.25	0.18	0.07	290621
10	फेज्ड अरे सोडार –कलपक्कम	15-03-2011	0.25	0.20	0.05	531985
	कुल		13.67	11.34	2.33	8714576

उपरोक्त तालिक-6 से यह देखा जा सकता है कि प्रायोजित परियोजनाओं की पूर्णता के एक से 5 वर्षों के बाद भी (i) 2011-12 में व्यय अनियमित बुक किया जा रहा था। (ii) प्रायोजकों से ₹2.33 करोड़ शेष अग्रिम वापिस नहीं हुआ था। (iii) दो परियोजनाओं के ए बैंड एक्टिव रडार सीकर व एच पी आर एफ ट्रान्समीटर, में व्यय प्रायोजकों द्वारा भुगतान अग्रिम से अधिक था। यह अनियमितताएँ खराब लेखांकन को प्रदर्शित करती है जो कि परियोजना लागत पर नीति की कमी, व्यय बुकिंग, परियोजना बंद किये जाने तथा परियोजना को वित्तीय रूप से बंद किये जाने के कारण थी।

समीर ने बताया (दिसम्बर 2012) कि सिस्टम की प्रारम्भिक डिलीवरी के बाद परियोजनायें तकनीकी रूप से बंद कर दी गई थी। तथापि, संबंधित पूरे स्टॉफ को अभी भी रखा गया था, क्योंकि प्रयोक्ता एजेन्सियों को परियोजना बंद करने व अंतिम किश्त देने से पहले आवश्यक जांच करनी थी। स्टॉफ की भी आवश्यकता थी जो कि ब्रेकडाउन अनुरक्षण व अपग्रेडेशन आदि को देखें। यह भी कहा गया था कि आर एवं डी परियोजनाओं में परियोजना समाप्त होने के बाद अतिशीघ्र परियोजनाओं को सौंपने का ऐसा कोई बिन्दु नहीं हो सकता है। इसलिये यह समझा जाता है कि परियोजना तभी पूर्ण मानी जायेगी जब सभी तकनीकी वचनबद्धता पूरी हो गई हो एवं पूर्ण भुगतान प्राप्त हो गया हो।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसमें प्रोजेक्ट को तकनीकी और वित्तीय रूप से बन्द करने की स्पष्ट नीति होने की व्याख्या नहीं है जिससे पूरे हुए प्रोजेक्ट के तहत अनियमित व्यय की बुकिंग से बचा जाए।

नमूना जांच में परीक्षण किये गये कुछ प्रोजेक्ट्स में हमारी खोजों ने यह खुलासा किया कि प्रोजेक्ट की समाप्ति से सम्बन्धित नीति की कमी के कारण, प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद भी गलत बुकिंग और अतिरिक्त व्यय किया गया। यह अग्रलिखित पैराग्राफों में दर्शाया गया है।

(iv) स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट की समाप्ति के बाद अनियमित व्यय**(क) हैन्ड हैल्ड डाटा कम्प्यूटर पर प्रोजेक्ट**

समीर ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (भा मौ वि वि) के साथ ₹31.80 लाख मूल्य पर 60 हैन्ड हैल्ड डाटा कम्प्यूटर की आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन किया। मार्च 2008 तक भारतीय मौसम विज्ञान विभाग को उपकरण सौंपा गया और ₹31.80 लाख का सम्पूर्ण भुगतान भी मार्च 2008 तक प्राप्त किया गया। हमने पाया कि (नवम्बर 2012) इस प्रोजेक्ट पर मार्च 2008 में उपकरण की आपूर्ति के बाद भी ₹16.75 लाख का व्यय किया गया।

समीर ने (दिसम्बर 2012) कहा कि 2008-2011 के दौरान किये गये खर्चे वेतन व्यय व अतिरिक्त उपयोग में आने वाले सामान के लिए थे, जिन्हें समीर और मौसम विभाग के समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत प्रोजेक्ट के अनुसंधान व विकास कार्य के लिए उपयोग किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह प्रोजेक्ट अपने आप में एक स्वतंत्र प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट पर किये गये आय/व्यय का लेखांकन अलग से होना चाहिये। अतएव समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत प्रोजेक्ट की तकनीकी व वित्तीय समाप्ति अन्य प्रोजेक्ट्स से मुक्त होनी चाहिए।

(ख) अग्नि नियंत्रक यंत्र के एक सेट की रचना, विकास एवं आपूर्ति पर प्रोजेक्ट

मशीन टूल्स प्रोटोटाइप फैक्ट्री ने मार्च 2006 में एक सेट अग्नि नियंत्रक यंत्र से सम्बन्धित कवच एम ओ डी II के लिये उप-यंत्र की डिजाइन विकास व आपूर्ति के लिए ₹1.17 करोड़ के मूल्य का ऑर्डर दिया। समीर ने अप्रैल 2007 में निर्धारित तिथि में वस्तु की आपूर्ति की। हमने पाया कि (नवम्बर 2011) ₹1.17 करोड़ की प्राप्ति के विरुद्ध समीर ने ₹1.57 करोड़ व्यय किये परिणामस्वरूप ₹40 लाख का अधिक व्यय हुआ।

समीर ने कहा (जनवरी 2012) कि व्यय में अंतर अन्य प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों के वेतन के कारण था जो नवम्बर 2011 तक गलती से इस प्रोजेक्ट में दर्ज हो गया था। आगे यह बताया कि यह व्यय सम्बन्धित प्रोजेक्ट में दर्ज किया जायेगा।

प्रबंधन के उत्तर से प्रोजेक्ट की समाप्ति के बाद भी खराब लेखांकन व व्यय की गलत बुकिंग सुनिश्चित हुई।

(ग) 10 वेरिबल अल्टीट्यूड स्विच आपूर्ति के लिये प्रोजेक्ट

रिसर्च सेंटर इमारत (आर एम आई) हैदराबाद ने समीर को ₹85.00 लाख मूल्य का 10 वेरिबल अल्टीट्यूड स्विच आपूर्ति का आर्डर दिया (नवम्बर 2005)। आपूर्ति 30 अप्रैल 2006 तक पूरी की

जानी थी और समीर ने सभी 10 इकाईयां मार्च 2007 तक आर एम आई को पहुंचा दी। समीर ने आर एम आई से ₹85 लाख प्राप्त किये परन्तु ₹45 लाख का व्यय किया और शेष ₹40 लाख मार्च 2011 तक इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत पड़ा हुआ था। हमने आगे देखा कि (नवम्बर 2012) वर्ष 2011-12 के दौरान सविंदा कर्मियों के वेतनों, उपभोगी वस्तुओं, यात्रा व अन्य विविध खर्चों में ₹21.23 लाख व्यय हुए जबकि सभी 10 इकाईयों मार्च 2007 तक आर एम आई को पहुंचा दी गयी थीं। यह संकेत करता है कि प्रोजेक्ट को इसकी समाप्ति के बाद भी बन्द नहीं किया गया।

समीर ने कहा कि (जनवरी 2012) मिसाइल में वास्तविक उड़ान परीक्षण लम्बित था, यद्यपि समीर की प्रतिबद्धता पूर्ण थी। यहाँ पर पाया गया कि समीर ने अभी तक प्रोजेक्ट को बन्द नहीं किया था।

(घ) रडार अल्टीमीटर की डिजाइन व विकास के लिये प्रोजेक्ट

उड्डयन विकास संस्थापन (ए डी ई) ने (जून 2007) में रडार अल्टीमीटर के विकास के लिये ₹1.65 करोड़ लागत का प्रोजेक्ट अनुमोदित किया। उत्पाद अप्रैल 2010 में ए डी ई को प्रदान किया गया और समीर ने ₹35.25 लाख का व्यय किया। इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत ₹1.30 करोड़ की बचत हुई और प्रोजेक्ट बन्द नहीं किया गया (मार्च 2011)।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (फरवरी 2013) कि इस प्रोजेक्ट में, समीर की भागीदारी एक अनवरत प्रक्रिया है और सामान्य रूप से यह आपूर्ति पूरी होने के बाद और बढ़ जाती है। आगे, वास्तविक वायुयानों में पर्यावरण जांचें, ई एम सी परीक्षण, क्षेत्र मूल्यांकन, उपयोगकर्त्ता के आबाध अधिकार है। ये सभी जांचे प्रोजेक्ट लागत मूल्यांकन के समय पूर्ण रूप से समाहित की जाती हैं।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसमें पर्यावरण परीक्षण, ई एम सी परीक्षण, क्षेत्र मूल्यांकन आदि को पूरा करने के निर्धारित समय को करार में सम्मिलित न करने के कारण नहीं दिये गये।

(v) प्रायोजित करने वाली एजेन्सियों से देयको की वसूली न करना

समीर ने आठ प्रायोजित प्रोजेक्ट्स की ओर से ₹1.81 करोड़ वसूल नहीं किये। जैसा कि नीचे तालिका-7 में दिया गया है।

तालिका-7

क्रम सं.	प्रोजेक्ट का नाम	प्रायोजक का नाम	पूर्ण होने का माह/वर्ष	सितम्बर 2012 तक बकाया धन (₹करोड़ में)
1	15 मेव मेडिकल लीनेक	डी ओ ई	मार्च 2006	0.03
2	डिजाईन एंव डेक्लपमेन्ट ऑफ हाई पावर कम्पोनेंट्स फॉर आर एफ एक्सीलेरेटर	डी ए ई	मार्च 2007	0.14
3	के ए बैण्ड एक्टिव रडार सीकर	डी आर डी ओ	फरवरी 2009	0.73
4	पॉली ऑप्टिकल वेव गाइड	डी एस टी	सितम्बर 2010	0.06
5	हाईट सेंसिंग डिवाइस	डी आर डी एल	जनवरी 2011	0.07
6	डेवलपमेन्ट ऑफ रेडियोथियोडोलाइट	आई एम डी	मार्च 2011	0.38
7	लीनेक ट्यूब फॉर 4 मेव-ए एस एल	ए एस एल	मार्च 2011	0.12
8	6 मेव लीनियर एक्सीलेरेटर	एच ई एम आर एल	नवम्बर 2011	0.28
	कुल			1.81

यह प्रमाण था कि अधिकतम प्रोजेक्ट एक से छः साल पहले पूरे हो गये थे परन्तु प्रायोजित करने वाले संगठनों/विभागों से शेष धन वसूला जाना (सितम्बर 2012) बाकी था।

इसे बताने पर (नवम्बर 2012), यह कहा गया (फरवरी 2013) कि हाईट सेंसिंग डिवाइस से सम्बन्धित प्रोजेक्ट के बारे में, जनवरी 2012 में ₹7.00 लाख की राशि वसूल की गयी थी और इसी प्रकार डेवलपमेन्ट ऑफ रेडियोथियोडोलाइट से सम्बन्धित प्रोजेक्ट में ₹21.79 लाख की आंशिक राशि अप्रैल 2012 में प्राप्त की गयी। आगे यह कहा गया कि बकाया धन सरकारी विभागों से संबंधित था और वसूली प्रक्रिया जारी थी।

बकाया धन को समय पर संग्रहीत हो इसके लिये समीर को अपनी मॉनीटरिंग एवं राजस्व वसूली प्रक्रिया को मजबूत करने की जरूरत है।

4.2.5.6 कोर प्रोजेक्ट्स

कोर प्रोजेक्ट्स वे प्रोजेक्ट्स हैं जो समीर द्वारा डी ई आई टी वाई से प्राप्त कोष से क्रियान्वित किए जाते हैं। समीर द्वारा प्रारम्भ किए गए ये प्रोजेक्ट्स इसके क्षेत्रीय ज्ञान व कार्य कुशलता से सम्बन्धित नयी तकनीकों पर आधारित हैं। हमने देखा कि (नवम्बर 2012) समीर के पास पिछले

वर्षों के दौरान इसके द्वारा लिए गये सभी कोर प्रोजेक्ट्स के समग्र आंकड़े नहीं थे जैसा कि नीचे दिया गया है।

कोर प्रोजेक्ट्स के अपर्याप्त प्रलेखन

प्रोजेक्ट के कुशल प्रबंधन, देखरेख व पुनरीक्षण के लिए प्रोजेक्ट प्रस्ताव, प्रगति रिपोर्ट, पूर्णता रिपोर्ट व प्रोजेक्ट मूल्यांकन रिपोर्ट सहित संपूर्ण प्रोजेक्ट प्रलेखन का रखरखाव अति आवश्यक है। हमने देखा कि (नवम्बर 2012) समीर ने आंतरिक/कोर प्रोजेक्ट्स के संदर्भ में सही प्रलेखन नहीं रखा। इस प्रकार पूरी प्रक्रिया को बाद के पुनरीक्षणों के लिए बगैर जवाबदेही के छोड़ दिया गया। आगे यह देखा गया कि कोर प्रोजेक्ट्स से सम्बन्धित प्रस्ताव, अनुमोदन और फाइलें रिकॉर्ड में दर्ज नहीं थे। इसके अतिरिक्त, कोर प्रोजेक्ट्स पर स्वीकृत व किये गये खर्च की देखरेख नहीं हुई और प्रोजेक्ट के अनुसार बजट का रखरखाव नहीं हुआ।

यह बताये जाने पर (नवम्बर 2012), मंत्रालय ने कहा कि (फरवरी 2013) भविष्य में कोर प्रोजेक्ट्स की प्रोजेक्ट फाइलें, अनुसंधान सलाहकार कमेटी का अनुमोदन, उपलब्धियाँ और प्रोजेक्ट से सम्बन्धित अन्य प्रलेख उपलब्ध कराये जाएँगे। वर्ष 2012-13 से प्रारम्भ होने वाले नये कोर प्रोजेक्ट्स के कोर/आंतरिक प्रोजेक्ट्स के प्रलेखन को सुधारने के लिए भी कार्यवाही शुरू की जायेगी। यह भी कहा गया कि समीर को आर व डी प्रोजेक्ट्स के लिए स्टॉफ की कमी से जूझना पड़ा।

यद्यपि समीर ने कोर प्रोजेक्ट्स से सम्बन्धित रिकॉर्ड्स के रखरखाव को सुधारने के लिए आश्वासन दिया है, इसके क्रियान्वयन के लिए विशेष दिशानिर्देश प्रतीक्षित थे (फरवरी 2013)।

4.2.5.7 बौद्धिक सम्पदा अधिकार

विज्ञान व तकनीकी मंत्रालय ने अनुसंधान प्रोजेक्ट्स को क्रियान्वित करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये हैं जिसके अनुसार आर एंड डी उद्देश्य के लिए अनुदान चाहने वाले संस्थानों के लिए उनके विषयों पर अनुसंधान के परिणामों (पेटेंट, पंजीकृत डिजाइन, प्रतिलिप्याधिकार और एकीकृत परिपथ की रूपरेखा) के बौद्धिक सम्पदा अधिकार की सुरक्षा लेना आवश्यक है। इसे बढ़ाने के लिए, एक पृथक पेटेंट कोष चलाया जाता है जो बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्राप्त करने के लिए लागत उपलब्ध कराता है।

हमने देखा कि (नवम्बर 2012) समीर में, ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया और पिछले पाँच वर्षों के दौरान केवल तीन पेटेंट प्राप्त किये गये एवं तकनीकी के स्थानांतरण का केवल एक मामला था। यद्यपि इसमें कई वैज्ञानिक आर व डी क्रियाकलापों में संलग्न थे जिस पर पिछले पाँच वर्षों के दौरान ₹200 करोड़ से अधिक व्यय हुए। यह समीर द्वारा किये गये आर व डी परिणाम की खराब गुणवत्ता को दर्शाता है। अतः बौद्धिक सम्पदा पर समीर की एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए।

मंत्रालय ने बताया कि (फरवरी 2013) समीर सामरिक क्षेत्रों में काम कर रहा था और रक्षा, अंतरिक्ष और आणविक ऊर्जा प्रयोगशालाओं के प्रोजेक्ट्स को कार्यान्वित कर रहा था और इन प्रोजेक्ट में किया गया कार्य वृहद रूप से प्रचारित नहीं हो सका। इसको ध्यान में रखते हुए, संस्थान में किये गये सामरिक कार्य के लिए पेटेंट दर्ज नहीं किये गये। इसके अतिरिक्त, पेटेंट दर्ज करना बहुत विस्तृत व लम्बी प्रक्रिया है जिसमें अत्यधिक प्रलेखन की आवश्यकता है और बहुत अधिक तकनीकी कार्यभार और मानव शक्ति की कमी के कारण पेटेंट दर्ज कराने में विलम्ब होता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि समीर का विधान पत्र देश व विदेश में आवश्यकताओं को जानने के लिए किए गये अनुसंधान व विकास परिणामों का वाणिज्यीकरण व प्रसरण में प्रभावी मापदण्डों को अपनाने की सुविधा प्रदान करता है। अतएव समीर को बौद्धिक सम्पदा के सम्बन्ध में स्पष्ट नीति बनाने की आवश्यकता है। इसके अनुसंधान व विकास के प्रयास के परिणामस्वरूप पेटेंट प्राप्त करने, टी ओ टी और तकनीकी के वाणिज्यीकरण में भी अच्छे परिणाम दिखने चाहिए।

तकनीकी का स्थानान्तरण (टी ओ टी)

मार्च 2008 में अनुसंधान सलाहकार कमेटी ने दोहराया कि प्रोजेक्ट्स नवीनतम तकनीकों पर आधारित होनी चाहिए, जिससे इसे चाहने वाले आसानी से आगे आ सकें।

हमने देखा कि (नवम्बर 2012) तकनीकी स्थानान्तरण के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं बनाये गये और इस प्रकार समीर तकनीकी स्थानान्तरण के लिए कोई नीति तैयार नहीं कर सका। पिछले पांच वर्षों के दौरान समीर केवल एक मामले में तकनीक स्थानान्तरण में समर्थ हुआ। इस तरह, जिन कंपनियों ने तकनीक को खरीदा था उन्होंने भी इसे वाणिज्यिक रूप से प्रयोग नहीं किया।

मंत्रालय ने कहा है कि (फरवरी 2013) समीर द्वारा विकसित किया गया उत्पाद अथवा तकनीक में बहुअनुशासित मिश्रित तकनीकी समझ वाली मांग थी। साथ ही प्रत्येक बनाये गये उत्पाद का वाणिज्यिक प्रयोग भी नहीं किया जा सकता क्योंकि आवश्यक इकाईयों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं हो सकती। यद्यपि, टी ओ टी के मामले में अनुसरण किए जाने वाले दिशा निर्देश देने और उत्पादों की पहचान करने के लिए समीर ने कमेटी बनाने की पहल की है (फरवरी 2013)।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि समीर द्वारा विकसित तकनीकों के वाणिज्यिकरण की देखभाल के लिए कोई भी ठोस दीर्घ कालीन प्रस्ताव को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

निष्कर्ष

माइक्रोवेव अभियांत्रिकी और विद्युत चुम्बकीय अभियांत्रिकी तकनीकी के साथ इनके विशेषज्ञता के क्षेत्रों में आर व डी क्रियाकलापों को करने, तकनीक तथा उपयोग कर्त्ता की आवश्यकताओं से प्रेरित

उत्पाद के विकास में संलग्न होने, उद्योगों में परीक्षण व मापन सेवाएं और तकनीक स्थानान्तरण की प्रगति, खोज व विकास को प्रोत्साहित करने लिए समीर का गठन किया गया था।

समीर द्वारा लिए गये प्रोजेक्ट्स में हमारी जांच में पाया कि कमजोर वित्तीय प्रबंधन, प्रोजेक्ट दिशा निर्देशों के अनिरूपण, केन्द्रीयकृत प्रोजेक्ट क्रियान्वयन और देखरेख की कमी, लागत व मूल्यों की कमियों के अतिरिक्त बौद्धिक सम्पदा अधिकार पर सुपरिभाषित नीतियां की कमी, तकनीकी स्थानान्तरण और पेटेंट अधिकारों में कमी, का खुलासा किया। इसके अतिरिक्त पिछले पांच वर्षों में ₹200 करोड़ से अधिक व्यय करने के बाद भी समीर केवल तीन पेटेंट और एक तकनीक स्थानान्तरण मामला प्राप्त करने में समर्थ हुआ जो इसके आर व डी परिणामों की खराब गुणवत्ता को दर्शाता है।

अनुशंसाएं

- समीर को प्रोजेक्ट के क्रियाकलाप और तकनीक स्थानान्तरण निर्दिष्ट नियम-नियमावली के तहत हो यह सुनिश्चित करने के लिए समीर दिशानिर्देश बनाना चाहिये।
- समीर को अनुमोदित लागत के अन्दर प्रोजेक्टों के समय से समाप्ति के लिए अपने प्रोजेक्ट मूल्यांकन पद्धति को सशक्त करना चाहिये।
- समीर को अपने वित्तीय प्रबंधन पद्धति को सशक्त करना चाहिये जिससे पूंजी के वहाव और उसका सदुपयोग, क्रियान्वयन का मापन अनुपात में हो।
- समीर को अपने अधीन लिये विभिन्न प्रोजेक्टों के पूर्ण नियंत्रण के लिए एक केन्द्रीयकृत प्रोजेक्ट निरीक्षण पद्धति का क्रियान्वयन करना चाहिये।
- समीर यह सुनिश्चित करे कि एक ऐसी पद्धति हो जिससे प्रोजेक्ट की तकनीकी व वित्तीय समाप्ति के बाद उस प्रोजेक्ट के विरुद्ध कोई खर्च बुक नहीं किया जा सके।

अध्याय-V मंत्रालय के अन्तर्गत सा क्षेत्र

5.1 भारत संचार निगम लिमिटेड में भूमि प्रबंधन

5.1.1 परिचय

भारत संचार निगम लिमिटेड (भा सं नि ल) भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली एक कम्पनी है। इसे कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत दिनांक 15 सितंबर 2000 को निगमित किया गया तथा इसने दिनांक 1 अक्टूबर 2000 से अपनी व्यवसायिक गतिविधियों की शुरुआत की। दिल्ली और मुंबई के अलावा देश में दूरसंचार सेवाओं को प्रदान करने के व्यवसाय को किया जाता था (इस नई बनायी गयी कंपनी को हस्तांतरित किया गया) जो इस कंपनी के बनने तक संचार मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले दूरसंचार सेवा विभाग (दू से वि) तथा दूरसंचार प्रचालन विभाग (दू प्र वि) द्वारा संपन्न थे। दू से वि एवं दू प्र वि की परिसंपत्तियों व देयताओं, जिसकी अनन्तिम वर्तमान कीमत ₹63000/- करोड़ आंकी गयी थी को भा सं नि लि (कंपनी) को हस्तांतरित कर दिया गया। कम्पनी के पास उत्तराधिकार में प्राप्त एवं अर्जित दोनों प्रकार की अपार भूमि का इलाका है जो कि विभिन्न परिमंडलों के अन्तर्गत विभिन्न जगहों पर स्थित है।

5.1.2 संगठनात्मक ढांचा

भा सं नि लि के प्रशासनिक व प्रचालन संबंधी कार्यों को नियंत्रित करने की शक्ति निदेशक मंडल में निहित है जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अ प्र नि) द्वारा की जाती है तथा इनकी सहायता तकनीकी, वित्त एवं मानव संसाधन के कार्यमूलक प्रभारी द्वारा की जाती है।

कंपनी को उत्तराधिकार से प्राप्त/अर्जित की गई भूमि का प्रबंधन सिविल विंग द्वारा किया जाता है जिसकी अध्यक्षता निगम कार्यालय नई दिल्ली में स्थित प्रधान महाप्रबंधक/भवन कार्य (प्र म प्र/म का) द्वारा की जाती है निगम कार्यालय में प्रधान महाप्रबंधक (प्र म प्र) (नये व्यवसाय) निदेशक (कार्य) को रिपोर्ट करते हैं परिमंडल स्तर पर मुख्य महाप्रबंधक, जो सर्किल के प्रधान होते हैं, की यह जिम्मेदारी है कि वे संबंधित सर्किल के अधीनस्थ सारे भूखंडों की देखरेख करें। इस कार्य में विभिन्न सेकेण्ड्री स्वचिंग एरिया (एस एस ए) के प्रमुख उनकी सहायता करते हैं। विभिन्न सर्किल के प्रमुख उनके नियंत्रण वाले भूखंडों से संबंधित किसी समस्या के लिये प्रधान महाप्रबंधक (भवन कार्य) को रिपोर्ट करते हैं।

5.1.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं प्रणाली

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र कंपनी को दूरसंचार विभाग (दू वि) के बनते समय उत्तराधिकार से प्राप्त व अन्य प्रकार से अर्जित भूमि के भा सं नि लि प्रबन्धन की प्रभावकारिता की जांच करने तक सीमित थी। लेखापरीक्षित कार्यालयों के कार्यकारियों के साथ परिमंडल के अर्न्तगत विभिन्न एस एस ए में भूसम्पदा के सह-सत्यापन एवं एस एस ए/परिमंडल/निगम कार्यालय में भूमि प्रबंधन से संबंधित कंपनी के अभिलेखों, फाइलों प्रतिवेदनों की जांच की दृष्टि से मई से, सितम्बर 2012 तक लेखापरीक्षा की गई।

निगम कार्यालय स्तर पर निगम कार्यालय भा सं नि लि के सिविल विंग से भूमि से संबंधित डाटा की सॉफ्ट प्रति प्राप्त की गयी। कंपनी के 15 चयनित सर्किलों के कुल 265 सै स्वी क्षेत्र मे से 67 दूरसंचार जिलो में अतिक्रमण, खाली भूखंड, भूखंडो की नई खरीद, भूखंडो के आवंटन का रद्द होना, बिक्री व पट्टे से संबंधित आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा न करना और भूखंडो का व्यवसायिक दोहन जैसे खास मुद्दों की नमूना लेखापरीक्षा जांच की गई। जांच के उपरान्त अक्टूबर 2012 में लेखापरीक्षा निष्कर्षों को मंत्रालय एवं प्रबंधन को जारी किया गया। इस संबंध में इनके उत्तर भी फरवरी 2013 को प्राप्त हुए। मई 2013 में भूमि के मूल्यांकन पर पूर्व में दिए गए उत्तर पर एक स्पष्टीकरण भी दिया था।

राज्यों, सर्किलों एवं दूरसंचार जिलों के स्तर पर लेखापरीक्षा जांच में शामिल भूखण्डों की सूची **अनुलग्नक-XI** में दर्शायी गयी है।

5.1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

भा सं नि लि में भूमि प्रबन्धन की थीमैटिक लेखापरीक्षा यह देखने के लिये की गयी कि:-

- क्या कंपनी द्वारा प्रभावी रूप से भूमि प्रबंधन किया जा रहा है।
- क्या कंपनी द्वारा बताए जा रहे भूखंडो को कंपनी के नाम हस्तांतरित किया जा चुका है।
- क्या कंपनी ने भूमि अतिक्रमण रोकने हेतु समुचित उपाय एवं खाली भूखंडो के उपयोग हेतु विवेकपूर्ण एवं प्रभावी कदम उठाए है।
- क्या कंपनी ने नये भूखंडो की खरीद से संबंधित सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है तथा इन भूखंडो को जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु खरीदा गया था उन्हीं के लिए उपयोग में लिया गया था।

5.1.5 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा करने के मुख्य मापदण्ड थे:

- कंपनी निर्माण के समय दूरसंचार विभाग द्वारा परिसंपत्तियों व देयताओं खासकर भूमि के हस्तांतरण से संबंधित आदेश;
- कंपनी के नाम में उत्तराधिकार से प्राप्त भूसम्पत्ति की बिक्री/तबदील/स्थान्तरण के बारे में समय-समय पर कंपनी दूरसंचार विभाग द्वारा जारी आदेश;
- कंपनी के निर्माण के उपरांत नयी जमीन की खरीद करने का औचित्य, उत्तराधिकार में प्राप्त एवं अर्जित जमीन का उचित उपयोग, अतिक्रमण रोकने, चिन्हित करने तथा हटाने के लिए उठाए गए कदम, खाली भूखंडों का व्यवसायिक दोहन तथा समुचित भूमि प्रबंधन के दिशा में सामान्य रूप से अपेक्षित कदम।

5.1.6 लेखापरीक्षा जांच

लेखापरीक्षा जांच के दौरान पायी गयी खास कमियां निम्न प्रकार हैं:

5.1.6.1 भूमि का मूल्य निर्धारण

कंपनी बनने के बाद भा सं नि लि को वर्ष 2000 में उत्तराधिकार में अपार भूसंपदा की प्राप्ति हुई। परन्तु कंपनी के पास कोई भूमि प्रबंधन नीति नहीं है (मई 2013)। कंपनी के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा उनको दिये गये वित्तीय अधिकारों के तहत जमीन की खरीद की जाती है। निगम कार्यालय में स्थित सिविल खंड के प्रमुख प्रधान महाप्रबंधक (भवन कार्य) को कंपनी के भूमि संबंधी डाटाबेस बनाने तथा इनके रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गयी।

डाटा के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला है कि

- कंपनी के सिविल खंड के प्रबंधन सूचना प्रणाली (प्र सु प्र) के अनुसार 26 सितंबर 2012 को कंपनी के 45¹ में से 44 सर्किलों से संबंधित सै स्वी क्षे वार एवं परिमण्डल वार भूमि होल्डिंग संबंधी विवरण तथा भूखंडों की कुल संख्या, भूखंडों का क्षेत्रफल, पूर्ण स्वामित्व, अधिग्रहण की कीमत अर्थात् वास्तविक कीमत, वर्तमान कीमत पट्टा अवधि आदि की स्थिति उपलब्ध है। कंपनी को दूरसंचार विभाग से उत्तराधिकार² में 12194 भूखंड³ प्राप्त हुए। इनकी कुल कीमत

¹ कारपोरेट कार्यालय (सिविल विंग) में सू प्रौ पुणे सर्किल में सूचना उपलब्ध नहीं थी।

² उत्तराधिकार में प्राप्त भूखण्ड पर विचार करने हेतु 01.10.2000/2000 को आखरी तारीख माना जाये।

³ पूर्ण स्वामित्व:11446; लीज़होल्ड:748

₹3103.03 करोड़⁴ तथा क्षेत्रफल 406.31 लाख वर्गमीटर⁵ था जो विभिन्न जगहों पर स्थित है। भा सं नि लि के निर्माण के उपरांत कंपनी ने 34.5 लाख वर्गमीटर⁶ क्षेत्रफल के 2788 भूखंड पट्टे पर हासिल किया। पट्टे पर ली गई इन भूखंडों का कुल मूल्य ₹380.41 करोड़⁷ था (अनुलग्नक-XII)। इस प्रकार कंपनी के प्रबंधन सूचना प्रणाली में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इनकी भूसंपदाओं का कुल मूल्य ₹3483.44 करोड़⁸ था।

- ii. परंतु कंपनी के 31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाली अवधि के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा के अनुसार कंपनी के पास उपलब्ध कुल भूमि का अर्जन मूल्य ₹1130.81 करोड़⁹ दर्शाया गया है। इस प्रकार जब इसकी तुलना प्रबंधन सूचना प्रणाली में उपलब्ध आंकड़ों से करते हैं तो पाते हैं कि वार्षिक प्रतिवेदन (2011-12) में दर्शाये गये लेखा में भूमि का मूल्य ₹2352.63 करोड़ तक कम करके दर्शाया गया है।

इस लेखापरीक्षा टिप्पणी के जवाब में मंत्रालय ने (फरवरी 2013 में) बताया कि कंपनी के प्रबंधन सूचना प्रणाली में उपलब्ध आंकड़ों को अभी पूरी तरह से परिष्कृत व अंतिम नहीं माना जा सकता है क्योंकि इनमें सुधार का काम अभी जारी है तथा सारे भूखंडों का कंपनी के नाम तकनीकी रूप से दर्ज हो जाने के बाद इस आंकड़ों को अंतिम रूप दिया जा सकता है। उत्तर में आगे यह भी बताया गया था कि प्रबंधन सूचना प्रणाली से दिनांक 2 जनवरी 2013 को डाउनलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार कंपनी की कुल जमीन की कीमत ₹923 करोड़ लगभग है जो भा सं नि लि के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा में दर्शाए गए कुल भूमि के मूल्य से मिलता है। आगे सभी परिमण्डलों से पहले से ही निवेदन किया गया है कि वह अपने परिमण्डल में कुल कीमत के अन्तरों का मिलान करें।

इस संबंध में मंत्रालय द्वारा दिए गए उत्तर से इस बात की पुष्टि होती है कि कंपनी के 2000 में निर्माण के इतने समय बाद भी भूमि संबंधी आंकड़ों अद्यतन नहीं हैं तथा कुल कीमत का प्रबंधन सूचना प्रणाली तथा लेखापरीक्षित लेखों में मिलान अभी जारी है जिसने कंपनी के वार्षिक लेखा में भी भूमि संबंधी आंकड़ों की कीमत की सही प्रस्तुति को प्रभावित किया है। इस कंपनी की भूसंपदाओं की बुक मूल्य के बारे में तीन अलग-अलग आंकड़ों हैं। 31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाली लेखापरीक्षित लेखा के अनुसार कंपनी के कुल जमीन की कीमत ₹1130.81 करोड़ (ग्रास ब्लाक) थी जबकि प्रबंधन सूचना प्रणाली में 26 सितंबर 2012 तथा 2 जनवरी 2013 को उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इसकी कीमत क्रमशः ₹3483.44 करोड़ एवं ₹923 करोड़ बताए गए हैं। यह कंपनी के लिए एक गंभीर विषय है। कंपनी की भूसंपदा के सही मूल्यांकन हेतु त्वरित मिलान

⁴ पूर्ण स्वामित्व भूमि: ₹3039.32 करोड़; लीजहोल्ड भूमि : ₹63.71 करोड़

⁵ पूर्ण स्वामित्व भूमि: 371.76 लाख वर्ग मीटर; लीजहोल्ड भूमि: 34.55 लाख वर्ग मीटर

⁶ पूर्ण स्वामित्व: 31.23 लाख वर्ग मीटर; लीजहोल्ड: 3.27 लाख वर्ग मीटर

⁷ पूर्ण स्वामित्व: ₹363.72 करोड़; लीजहोल्ड: ₹16.69 करोड़

⁸ पूर्ण स्वामित्व: ₹3403.04 करोड़; लीजहोल्ड: ₹80.40 करोड़

⁹ पूर्ण स्वामित्व: ₹956.14 करोड़; लीजहोल्ड: ₹174.67 करोड़

अनिवार्य है ताकि बिक्री/विनिवेश या पूंजी पुनःनिर्माण की स्थिति में कंपनी के हितों की रक्षा की जा सके।

5.1.6.2 उत्तराधिकार में प्राप्त भूखंडों का अधिकार पत्र बी एस एन एल के नाम हस्तांतरित नहीं होना

भूसंपदा का बी एस एन एल को हस्तांतरण के उपरांत दूरसंचार विभाग ने 30 सितंबर 2000 को एक ज्ञापन पत्र जारी कर यह निर्देश दिया कि भूमि संबंधी सारी परिसंपत्तियों एवं देयताओं का हस्तांतरण/नाम परिवर्तन/बिक्री आदि आवश्यक औपचारिकताएं दिनांक 31 दिसंबर 2000 तक पूर्ण कर ली जाए; लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- i. उत्तराधिकार में प्राप्त 12194¹⁰ भूखंड, जिनका कुल क्षेत्रफल 406.31 लाख वर्गमीटर¹¹ है, 31 मार्च 2012 तक कंपनी के नाम हस्तांतरित/परिवर्तित नहीं हो पाए थे (संदर्भ अनुलग्नक—XII)।
- ii. भा सं नि लि के निगम कार्यालय द्वारा भूमि संबंधी आंकड़े की अभि-पुष्टिकरण का कार्य सितंबर 2011 में शुरू हुआ। इस दौरान सारे दूरसंचार इकाइयों के मुखियों को उनके कार्यक्षेत्र में स्थित उत्तराधिकार में प्राप्त भूमि तथा भवनों के सत्यापन का कार्य पूरा करने को कहा गया था। इस सत्यापन प्रक्रिया को संचार लेखा नियंत्रक (दूरसंचार विभाग के प्रतिनिधि के तौर पर) और भा सं नि लि के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया था। इस प्रक्रिया का उद्देश्य भूमि का दू वि से कंपनी के नाम शीघ्र हस्तांतरण सुनिश्चित करना था तथा इसे दिनांक 30 सितंबर 2011 तक पूरा किया जाना था।
- iii. कंपनी ने सारे सर्किलों को संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा तय समय सीमा 31 दिसंबर 2011 के अंदर भूमि को कंपनी के नाम हस्तांतरण संबंधी कार्य पूरा करने का निर्देश परिमण्डलों को (22 दिसम्बर 2011) जारी किया। परंतु लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि जनवरी 2012 तक 37 सर्किल तय समय सीमा तक भूमि के हस्तांतरण संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने में विफल रहे। सितंबर 2012 तक केवल 7 सर्किलों¹² में संचार लेखा नियंत्रक के साथ संयुक्त रूप से भूमि संबंधी सत्यापन कार्य पूरा किया जा सका। इस डाटा सत्यापन के आधार पर कंपनी द्वारा केवल इन्ही 7 सर्किलों में दूरसंचार विभाग के निर्देशों के अनुरूप भूमि हस्तांतरण/परिवर्तन संबंधी प्रक्रिया की शुरुआत की जा सकी है।

¹⁰ पूर्ण स्वामित्व: 11446; लीजहोल्ड: 748

¹¹ पूर्ण स्वामित्व: 371.76 लाख वर्ग मीटर; लीजहोल्ड: 34.55 लाख वर्ग मीटर

¹² हरियाणा उ पू I, उ पू II छतीसगढ़, चैन्नई दू जि, जे एण्ड के एवं पंजाब

मंत्रालय ने (फरवरी 2013 में) इस बात पुष्टि करते हुए बताया कि 31 मार्च 2012 तक सरकार से प्राप्त किसी भी भूखंड को कंपनी के नाम नहीं किया जा सका है। इस संबंध में यह भी बताया गया कि संचार लेखा नियंत्रक के साथ संयुक्त रूप से भूमि सत्यापन एक कठिन कार्य है क्योंकि इस कार्य में बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है तथा इसे विभिन्न व्यक्तियों द्वारा पूरी की जाती है। इस संबंध में यह भी बताया गया है कि सत्यापन कार्य सारे सर्किलों में एक साथ शुरू किया गया है और यह प्रक्रिया जारी है। आगे यह भी बताया गया है कि दूरसंचार विभाग ने मार्च 2012 तक हरियाणा सर्किल में स्थित भूसंपदाओं को कंपनी के नाम करने के आदेश दे दिये हैं। विभाग ने इसी आदेश को 41 सर्किलों में स्थित वैसे भूखंडों को लिए भी लागू करने का निर्देश दिया है जिसके स्पष्ट एवं उचित राजस्व अभिलेख उपलब्ध हैं। यह आदेश वैसे भूखंडों के लिए लागू नहीं बताया गया है जो खाली अथवा विवादित, संयुक्त स्वामित्व अथवा वैसे भूखंड जिसे दूरसंचार विभाग ने अपने पास रखने का फेसला लिया है, की श्रेणी में आते हैं।

उत्तर से यह स्पष्ट है कि समय सीमा तय करने के बावजूद भूमि सत्यापन का कार्य अपूर्ण है। इस देरी की वजह से ही भूमि के नाम परिवर्तन में विलम्ब हो रहा है।

5.1.6.3 खाली भूखंडों का व्यावसायिक दोहन न किया जाना

देशभर में कंपनी के 29 सर्किलों में 31 मार्च 2012 को 32.46 लाख वर्गमीटर क्षेत्रफल के पूर्ण स्वामित्व¹³ वाले 1953 भूखंड पूर्ण रूप से खाली पड़े थे।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि:

- i. अनुलग्नक—XIV में दर्शाए गए 307.82 लाख वर्गमीटर¹⁴ क्षेत्रफल के पूर्ण स्वामित्व वाले 11352¹⁵ भूखंडों में लेखापरीक्षा के लिए चयनित 15 सर्किलों में 27 लाख वर्गमीटर क्षेत्रफल के 1719 भूखंड¹⁶ (अनुलग्नक—XIII) पूर्णरूपेण खाली थे।
- ii. उक्त 15 सर्किलों के कुल 67 सै स्वी क्षेत्र में से 25 चयनित क्षेत्रों में 1.70 लाख वर्गमीटर क्षेत्रफल एवं ₹7.60 करोड़ कुल कीमत के 119 भूखंड पूर्ण रूप से खाली पड़े थे (मार्च 2012) (अनुलग्नक -XV)।
- iii. सरकारी भूखंडों के बढ़ते अतिक्रमण से सुरक्षा के मद्देनजर दूरसंचार विभाग ने इसे रोकने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किये गये थे। भा सं नि लि के सर्किल प्रबंधन ने भी सै स्वी क्षेत्रों को इसके अन्तर्गत आनेवाले खाली भूखंडों को अतिक्रमण से बचाने के लिए समुचित कदम

¹³ उत्तराधिकार: 1157; अधिग्रहित: 796

¹⁴ उत्तराधिकार में प्राप्त: 280.58 लाख वर्ग मीटर; अधिग्रहीत: 27.24 लाख वर्ग मीटर

¹⁵ उत्तराधिकार में प्राप्त: 9031; अधिग्रहित 2321

¹⁶ उत्तराधिकार में प्राप्त: 988; अधिग्रहित: 731

उठाने के निर्देश दिए। इस निर्देशों के बावजूद भूखंडों को बिना सुरक्षा इंतजाम किए लम्बे समय तक खाली रखा गया जिससे इनके अतिक्रमण का खतरा बरकरार है। जमीन के अतिक्रमण का विस्तृत विवरण आगे के पैरा में दिया गया है।

- iv. खाली भूखंडों के प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए जून 2008 में कंपनी ने अपने अधीन खाली भूखंडों के व्यावसायिक दोहन की संभावना खोजने का काम शुरू किया। तदनुसार इस दिशा में सारे सर्किलों को अपने कार्यक्षेत्र में खाली भूखंडों की पहचान करने के निर्देश जारी किए। 15 सर्किल के चयनित 67 सै स्वी क्षेत्र के अभिलेखों के नमूना जांच से पता चला कि केवल तीन सर्किलों से संबंधित मुख्य महाप्रबन्धक ने व्यावसायिक दोहन के लिए चिन्हित उपयुक्त भूखंडों का प्रस्ताव कंपनी को भेजा है। परंतु इस संबंध में निगम कार्यालय द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाना अभी शेष है। व्यावसायिक दोहन के लिए पहचानी गयी खाली भूखंड का विवरण नीचे की तालिका-1 में दर्शाया गया है।

तालिका-1
व्यावसायिक दोहन के लिये पहचाने गये खाली भूखण्ड

क्रम सं.	सर्किल	सै स्वी क्षेत्र का नाम	भूखंडों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)
1	आंध्रप्रदेश	हैदराबाद दूरभाष जिला	6	78384.00
2	केरल	तिरुअनंतपुरम दूरभाष जिला	12	40554.00
3	कोलकाता दूरसंचार जिला	कोलकाता मेट्रो जिला	2	4172.00
कुल			20	

इस प्रकार खाली भूखंडों का व्यावसायिक दोहन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने में सर्किल की लगातार निष्क्रियता तथा कंपनी के कारपोरेट कार्यालय सिविल खंड द्वारा मामलों में अनिर्णय की स्थिति से कंपनी खाली भूखंडों का व्यावसायिक दोहन कर अतिरिक्त राजस्व पैदा करने में तथा इस प्रकार अपनी क्रियाशील पूंजी बढ़ाने में विफल रही।

लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर मंत्रालय ने फरवरी 2013 में जवाब दिया कि कंपनी के अन्तर्नियमों (ए ओ ए) के अनुसार कंपनी जैसे किसी भूखंड या/और भवनों की बिक्री व पट्टे पर देने का कार्य बिना राष्ट्रपति के अनुमोदन के नहीं कर सकती है जिसका मूल्य ₹1 करोड़ या इससे अधिक हो। परंतु 11 जनवरी 2013 को इन अन्तर्नियमों में संशोधन कर कंपनी को इस बात की छूट दी गयी कि भवन में उपलब्ध अधिक क्षमता की स्थिति में राष्ट्रपति के अनुमोदन के बिना भी 10 वर्षों तक के लिए भवनों को पट्टा या किराए पर देने हेतु करार कर सकती है। फलस्वरूप कंपनी ने अपने भूसंपदाओं के उचित दोहन की दिशा में कदम उठाते हुए एक आरंभिक योजना की शुरुआत की जिसके अंतर्गत 10 खाली भूखंडों के व्यावसायिक उपयोग का निर्णय लिया गया। उत्तर में यह भी कहा गया कि इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन की स्थिति में भा स नि लि द्वारा अन्य खाली

भूखंडों के व्यावसायिक दोहन कर राजस्व पैदा करने की दिशा में भा स न लि द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

मंत्रालय का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अन्तर्नियमों में संशोधन हेतु प्रस्ताव भेजने का विचार मार्च 2012 में आया और प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा इसका अनुमोदन सितम्बर 2012 किया गया जिसके फलस्वरूप इनमें संशोधन हुआ। इस संशोधन के अनुसार कंपनी को भवन आदि में उपलब्ध अतिरिक्त जगह 10 वर्षों तक की अवधि के लिए अपने स्तर पर व्यावसायिक उपयोग संबंधी निर्णय लेने का अधिकार दिया गया था। इस प्रावधान के दायरे में अनुपयोगी और खाली जगह नहीं आती थी जिसके लिये राष्ट्रपति का अनुमोदन अपेक्षित था। इस क्रम में ₹1 करोड़ तथा उससे ज्यादा लागत वाले भवनों की बिक्री अथवा किराए या पट्टे पर देने वाले प्रावधानों को और ज्यादा कड़े बनाए गए जिसके अंतर्गत यह निश्चित किया गया कि किसी भी जमीन को बिना राष्ट्रपति के अनुमोदन के बेचा अथवा पट्टे या किराए पर नहीं दिया जा सकता है।

5.1.6.4 भूमि का अतिक्रमण

उत्तराधिकार से प्राप्त व नयी खरीदी गयी कुल 8.46 लाख वर्गमीटर भूमि का अतिक्रमण किया गया था।

इस संबंध में 15 सर्किलों में नमूना लेखापरीक्षा जांच की गई जिसमें पाया कि इन सर्किलों में 307.82 लाख वर्गमीटर क्षेत्रफल की पूर्ण स्वामित्व वाली 11352 भूखंडों में 9031 भूखंड कंपनी को निर्माण के समय उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी तथा बाकी 2321 भूखंड जनवरी 2001 से मार्च 2012 के बीच भा सं नि लि द्वारा खरीदी गयी थी (संदर्भ अनुलग्नक-XIV) कम्पनी के भूमि अभिलेखों के लेखापरीक्षा के दौरान यह पता चला कि

- i. चयनित सर्किलों में कुल 8.46 लाख वर्गमीटर भूमि¹⁷ के 101 भूखंडों¹⁸ का अतिक्रमण किया गया था जिसका विवरण नीचे तालिका-2 में दिया गया है:

¹⁷ उत्तराधिकार में प्राप्त: 8.5 लाख वर्ग मीटर; अधिग्रहित: 0.41 लाख वर्ग मीटर

¹⁸ उत्तराधिकार में प्राप्त: 79 प्लॉट; अधिग्रहित: 22 प्लॉट

तालिका- 2
जमीन पर अतिक्रमण का विवरण

(क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)

क्रम सं.	सर्किल	कुल भूखंड				अतिक्रमित भूखंड			
		उत्तराधिकार में प्राप्त		हासिल की गई		उत्तराधिकार में प्राप्त		हासिल की गई	
		भूखंडो की सं.	क्षेत्र	भूखंडो की सं.	क्षेत्र	भूखंडो की सं.	क्षेत्र	भूखंडो की सं.	क्षेत्र
1	गुजरात (अहमदाबाद दू जिला सहित)	1067	2429583.1	483	479412.7	3	17404	0	0
2	आन्ध्रप्रदेश	1086	2742275	314	217318.3	5	40537.3	0	0
3	कर्नाटका (बंगलूरू दू जि सहित)	1001	2391255.96	309	245715.62	1	809.6	1	278.7
4	बिहार	322	838351.1	24	41652.75	9	105278	1	263.13
5	चैन्नई दू जि	102	875730.3	4	3726	0	0	0	0
6	तमिलनाडु	764	2177557.98	110	137383.33	1	1249.82	2	2250
7	केरला	609	1603250	103	177395.4	3	4659	0	0
8	कोलकाता	66	641599	1	2833	2	8901	0	0
9	पश्चिम बंगाल	154	842929.9	7	14070.03	1	227275	0	0
10	मध्यप्रदेश	802	2578086.55	399	559589.04	27	92382.42	10	21897.48
11	महाराष्ट्रा	1155	4122724	376	474873.54	14	225388.9	6	12934
12	उड़ीसा	168	603867	21	74663	4	35946	2	3332
13	पंजाब	326	1186944.99	31	81542.24	1	4104	0	0
14	राजस्थान	696	2521931.5	123	147890.9	4	14985	0	0
15	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	713	2502113	16	65749.03	4	26551.16	0	0
	कुल	9031	28058199.38	2321	2723814.88	79	805471.17	22	40955.31

(टिप्पणी अंको का संकलन भा सं नि लि के सिविल पु सू प्र से डाउन लोडेड डाटा से किया गया है)

- ii. चयनित सैं स्वी क्षेत्र में लेखापरीक्षा एवं भा स नि लि के संयुक्त निरीक्षण दल (मई से सितम्बर 2012) द्वारा भूमि अभिलेखों की जांच के दौरान यह पता चला है कि 1.70 लाख वर्गमीटर¹⁹ क्षेत्रफल के 29 भूखंड²⁰ अतिक्रमण ग्रस्त पाए गए जिसका विवरण **अनुलग्नक-XVI** में दिया गया है। (इन भूखंडों में 8 भूखंड 1 अक्टूबर 2000 को कंपनी के निर्माण के बाद अतिक्रमण ग्रस्त हुए)। जांच के दौरान यह भी पता चला कि भूखंडो को अतिक्रमण से बचाने के लिए कंटीले तार, चारदीवारी या घेराबंदी आदि का कोई उपाय नहीं किया गया था तथा कुछ मामलों जैसे (मुरैना और इंदौर सैं स्वी क्षेत्र) में अतिक्रमण को खाली कराने हेतु कोई कानूनी कार्यवाही भी शुरू नहीं की गयी थी।

¹⁹ उत्तराधिकार में प्राप्त: 1.66 लाख वर्ग मीटर; अधिग्रहित: 0.4 लाख वर्ग मीटर²⁰ उत्तराधिकार में प्राप्त: 25; अधिग्रहित: 4

- iii. कतिपय सै स्वी क्षेत्रों के मामलों में संबंधित सर्किल अधिकारियों को भूमि अतिक्रमण की कोई जानकारी नहीं थी। इनकी जानकारी प्रदान किये गये डाटा के लेखापरीक्षा विश्लेषण व संयुक्त निरीक्षण दल के जांच निष्कर्षों के माध्यम से लेखापरीक्षा ने प्रदान की। इस तथ्य से अवगत कराए जाने के बाद कंपनी प्रबंधन ने उत्तर में कहा कि भूखंडों की घेराबंदी के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी एवं उन सै स्वी क्षेत्रों से रिपोर्ट मांगी जाएगी जहां से अतिक्रमण की जानकारी है। प्रबंधन ने उत्तर में यह भी बताया कि अन्य मामलों में भी जहां प्रबंधन को अतिक्रमण की जानकारी मिली है उन्हें हटाने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की गयी है।
- iv. भूसंपदा को कम्पनी के नाम करने में विलंब के कारण अतिक्रमण हटाने की दिशा में चल रही कानूनी प्रक्रिया में अड़चने आ रही है। यह भी देखा गया कि सर्किल अधिकारियों द्वारा सै स्वी क्षेत्रों को खाली भूखंडों को अतिक्रमण मुक्त रखने हेतु सख्त निगरानी के स्पष्ट निर्देश के बावजूद संबंधित सै स्वी क्षेत्र के स्तर पर खाली भूमि की नियमित मॉनीटरिंग यह सुनिश्चित करने के लिये कि जमीन घेराबंदी, साइनबोर्ड या अन्य तरीकों से उनके पास उपलब्ध खाली भूखंड बिलकुल सुरक्षित रहें नहीं की जा रही है।

इस तरह भा स नि लि अपनी भूसंपदा, चाहे वह उत्तराधिकार में प्राप्त हुई हो या हासिल की गई हो, को अतिक्रमण से बचाने में असमर्थ रहा है।

मंत्रालय ने (फरवरी 2013 में) यह बताया कि कंपनी के कुल भूमि के एक प्रतिशत से भी कम भूमि पर अतिक्रमण के रिपोर्ट है। अपितु मु म प्र को लेखापरीक्षा द्वारा दिए गए विवरण के मद्देनजर जांच करने तथा अतिक्रमण की स्थिति में कानूनी प्रक्रिया अपनाकर इसे हटाने की दिशा में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ खाली भूखंडों को अतिक्रमण से बचाने हेतु सतत सजग रहने के निर्देश भी दिए गए हैं।

5.1.6.5 भु-अर्जन

(i) ₹3.38 करोड़ के भुगतान के बावजूद 82 भूखंडों का बिक्री या पट्टा अधिकार पत्र न होना

सीधी खरीद या पट्टे पर हासिल जमीन पर खरीदार या पट्टेदार का पूर्ण अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में यह आवश्यक है कि भूमि सौदे को अंतिम रूप देने के बाद बिक्री या पट्टा अधिकार पत्र हासिल किए जाए। खरीद-बिक्री या पट्टे से संबंधित औपचारिकताएं अपूर्ण रहने की स्थिति में जमीन पर दावा खत्म हो सकता है या पट्टे का अधिकार रद्द हो सकता है जिससे किसी भी कंपनी का कार्य निष्पादन प्रभावित हो सकता है।

नमूना लेखापरीक्षा जांच के दौरान यह पाया गया कि कंपनी ने 4 सै स्वी क्षेत्रों²¹ में 0.12 लाख वर्गमीटर क्षेत्रफल के 17 भूखंडों को 30 से 99 वर्षों तक के पट्टे पर लिया है। एक्सचेंज व रिमोट लाइन यूनिट आदि स्थापित करने के उद्देश्य से लीज पर लिए गये इन भूखंडों के लिए कंपनी को ₹0.64 करोड़ प्रीमियम का भुगतान भी करना पड़ा। परंतु कंपनी ने इन भूखंडों के पट्टे के लिए कोई करार पत्र तैयार नहीं किया। फलस्वरूप कंपनी को ₹0.64 करोड़ की प्रीमियम का परिहार्य भुगतान तथा इस राशि पर ब्याज की हानि भी सहनी पड़ी। आगे यह भी देखा गया कि इसी क्रम में दो सर्किल के 5 सै स्वी क्षेत्रों²² में भी कंपनी ने 0.85 लाख वर्गमीटर क्षेत्रफल के 65 भूखंडों को ₹2.74 करोड़ की कुल लागत से खरीदा। परंतु इस खरीद के लिए भी कोई बिक्री पत्र नहीं तैयार किया गया (अनुलग्नक-XVII)।

मंत्रालय/प्रबंधन ने (फरवरी 2013 में) जवाब दिया कि सारे मु म प्र को कंपनी के हित में खरीद प्रक्रिया से संबंधित सारी औपचारिकताएं पूरी करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

(ii) ₹7.38 करोड़ कीमत की 0.32 लाख वर्गमीटर भूमि के हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रस्तुत न करना।

आंध्रप्रदेश सरकार ने 1981 से 2001 के बीच एक्सचेंज व अन्य संबंधित सेवाओं की निर्माण हेतु 32307.1 वर्गमीटर खाली जमीन ₹7.38 करोड़ के निमित्त पर दूरसंचार विभाग को आवंटित किया। हस्तांतरण प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु दूरसंचार विभाग/भा सं नि लि को आंध्रप्रदेश सरकार से हस्तांतरण प्रस्ताव प्रस्तुत करके इसे प्राप्त करना आवश्यक था। लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कंपनी के निर्माण के 11 वर्षों के बाद भी न तो दूरसंचार विभाग और न ही कंपनी के ओर से ऐसी कोई कार्रवाई शुरू की गयी।

इस दौरान यह भी पाया गया कि 2543 वर्गमीटर वाले एक भूखंड जिसके लिए राज्य सरकार को ₹1.58 करोड़ का भुगतान किया गया था को आंध्र प्रदेश सरकार ने 2005 में वापस ले लिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 1998 में आवंटित यह भूखंड अब तक बिना किसी उपयोग के खाली पड़ा था तथा इसे कानूनी तौर पर भी दूरसंचार विभाग या कंपनी द्वारा हस्तांतरित नहीं किया गया था।

इस संबंध में बताए जाने पर संबंधित सर्किल प्रबंधन ने फरवरी 2012 में बताया कि इस मामले में 21 दिसंबर 2006 को कानूनी नोटिस दिया गया था तथा संबंधित अधिकारियों के साथ जमीन वापस करने तथा अतिक्रमण हटाने हेतु शीघ्रता से कार्यवाही की जा रही थी। उन्होंने जवाब में यह भी बताया कि अन्य आवंटित भूखंडों के लिए संबंधित प्राधिकारियों यथा जिला कलेक्टर के साथ हस्तांतरण करण प्रस्ताव उठाया जा रहा था।

²¹ अहमदाबाद, सूरत, जयपुर एवं उदयपुर

²² सूरत, हिम्मतनगर, जुनागढ़, चंडीगढ़ एवं भरतपुर

सर्किल प्रबंधन का यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तथ्य यह बताते हैं कि राज्य सरकार के राजस्व अधिकारियों ने जमीन वापस ले ली तथा इसे सिख समुदाय कल्याण संघ को नवंबर 2005 में आवंटित कर दी। अतः आवंटित भूखंड के उपयोग न करने तथा इनके कंपनी के नाम हस्तांतरित न होने की वजह से कंपनी को न केवल 2543 वर्गमीटर जमीन से हाथ धोना पड़ा बल्कि ₹1.58 करोड़ की हानि भी झेलनी पड़ी। इस बात की प्रबल संभावना हो सकती है कि अन्य परिमण्डलों पर ऐसे और मामले हो सकते हैं क्योंकि उपरोक्त मामला आंध्र प्रदेश सर्किल में नमूना लेखापरीक्षा जांच के दौरान पता चला है।

मंत्रालय ने फरवरी 2013 में बताया कि सारे संबंधित इकाइयों को भूसंपदाओं की शीघ्र कंपनी के नाम करवाने की दिशा में अपेक्षित कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

(iii) बिना किसी मुआवजे या किसी वैकल्पिक आवंटन के कंपनी द्वारा 1690.40 वर्गमीटर जमीन सौंप दी गई।

चयनित सर्किलों (संदर्भ अनुलग्नक-XI) के लेखापरीक्षा जांच के दौरान यह पाया गया कि कर्नाटक और तमिलनाडु सर्किलों में भा सं नि लि को बिना किसी उचित मुआवजे या निमित्त के ₹0.79 करोड़ अंकित मूल्य की 1690.40 वर्गमीटर जमीन सौंप देना पड़ी जिसका विवरण आगे दिया गया है।

कर्नाटक सर्किल के बंगलुरु में बेंगलोर मास रैपिड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड (बी एम आर सी एल) ने अगस्त 2005 में 557.40 वर्गमीटर जमीन मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए हासिल की। जिसको भा सं नि लि ने जनवरी 2004 में 0.79 करोड़ रु. की लागत से प्राप्त की थी। बेंगलोर मास रैपिड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने इस भू-अर्जन की एवज में कंपनी को 525.20 वर्गमीटर जमीन देने का वादा किया था तथा प्रयोग में नहीं आनेवाली 32.21 वर्गमीटर जमीन के लिए ₹7.97 लाख मुआवजे के रूप में दिया था। परंतु सात वर्षों के बाद भी भा सं नि लि को वैकल्पिक भूखंड आवंटित नहीं किया गया था। भा सं नि लि के सर्किल प्रबंधन ने कहा कि बेंगलोर मास रैपिड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के अधिकारियों के साथ दी गई जमीन के बदले सममूल्य जमीन को आवंटित किए जाने के मामले को उठाया गया है।

तामिलनाडु सर्किल के त्रिची सै स्वी क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क चौड़ीकरण के उद्देश्य से वर्ष 2003 में ₹3.46 लाख बाजार मूल्य की 1133 वर्गमीटर जमीन अधिग्रहण किया गया था। परंतु अभी तक इस जमीन के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कोई मुआवजा नहीं दिया गया था। सर्किल प्रबंधन ने मई 2012 में बताया कि अभिलेखों के उपलब्ध न होने के कारण मुआवजे के मामले को आगे बढ़ाया नहीं जा सका।

मंत्रालय ने फरवरी 2013 में बताया कि सभी सम्बन्धित परिमण्डलों से रिपोर्ट मंगाई गई तथा सभी मुख्य महाप्रबंधकों को निर्देश जारी किये गये कि सुनिश्चित करें कि इस प्रकार का कोई मामला

यूनिट में नहीं है तथा लंबित मामलों को शीघ्रता से आगे बढ़ायें जिससे सही मुआवजा या वैकल्पिक जमीन जैसा भी मामला हो प्राप्त की जाये।

निष्कर्ष

यद्यपि कम्पनी एक दशक से भी ज्यादा समय से अस्तित्व में है फिर भी उसके पास कोई प्रभावी भूमि प्रबंधन नीति नहीं है। इसके न होने के कारण कम्पनी अपने पूर्ण स्वामित्व की बहुत बड़ी फैली हुई 402.99 लाख वर्गमीटर जमीन को अतिक्रमण/जमीन के निरस्तीकरण से बचाने के लिये असमर्थ रही क्योंकि कम्पनी को अपने नाम पर उत्तराधिकार में प्राप्त जमीन के नामांतरण/परिवर्तन/हस्तांतरित करने में असाधारण विलंब हुआ। इसके अलावा घाटे में रहने वाली कंपनी खाली भूखंडों के व्यावसायिक कार्य में लेते हुए अतिरिक्त राजस्व उगाहने की दिशा में भी असमर्थ रही है। जहां तक भूसंपदाओं की कीमत का सवाल है कंपनी के सिविल विंग द्वारा दी गयी जानकारी और इसके वार्षिक लेखाओं में दर्शाये गये आंकड़ों में कंपनी की कुल जमीन, जिसमें उत्तराधिकार में प्राप्त व पट्टे पर ली गयी दोनों तरह की जमीन शामिल है, की कीमतों में भारी अंतर पाया गया है। इस अंतर के कारण कंपनी की परिसम्पत्तियां वार्षिक लेखा में कम परिलक्षित हुई है। सर्किलों में उपयुक्त प्रावधानों के तहत भूखंडों के कंपनी के नाम करवाकर इन विशाल उच्च मूल्यवाली खाली भूसंपदाओं का लाभ उठाना चाहिए।

5.2 288 एफ²³ हाई काउन्ट ऑप्टिकल फाइबर केबिल की अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति

फील्ड इकाइयों से बिना किसी मांग के भा सं नि लि द्वारा 288 फा हाई काउन्ट ऑप्टिकल फाइबर केबिल की अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति की गई जिसके परिणामस्वरूप तीन वर्षों से अधिक समय तक प्राप्त हुई केबिलों के 50 प्रतिशत से अधिक का उपयोग नहीं हुआ तथा इससे ₹41.30 करोड़ की निधि का अवरोधन हुआ।

भारत संचार निगम लिमिटेड (भा सं नि लि) की अधिप्राप्ति नियम-पुस्तिका में यह व्यवस्था है कि किसी मद के लिये अधिप्राप्ति प्रक्रिया का प्रारम्भिक बिन्दु उसकी आवश्यकता का प्राक्कलन अथवा पूर्वानुमान होना चाहिये। इसमें यह भी व्यवस्था है कि सम्बन्धित प्रयोक्ता शाखायें जोकि उपस्कर के अधिष्ठापन के लिये योजना बनाती हैं, उनसे पूर्वानुमान प्राप्त किया जाता है और प्रत्येक परिमंडल द्वारा इस प्रकार के उपस्कर की आवश्यकता जो सम्बन्धित परिमंडलाध्यक्ष के साथ विचार-विमर्श के बाद बनती है तथा योजना शाखा द्वारा इसे अंतिम रूप प्रदान किया जाता है। भा सं नि लि में ऑप्टिकल फाइबर केबिल (आ फा के) नेटवर्क के कार्य दूरसंचार परियोजना परिमंडल द्वारा

²³ एफ फाइबर

निष्पादित किये जाते हैं तथा कार्य पूर्ण होने के बाद सम्पत्ति क्षेत्रीय परिमंडलों (जोकि सम्पूर्ण प्रयोक्ता हैं) को हस्तांतरित कर दी जाती है।

भा सं नि लि द्वारा अपने ओवरले एसेस नेटवर्क (ओ ए एन) में हाई काउन्ट फाइबर केबिल (48 एफ तथा 96 एफ) बिछाई जा रही हैं जिसका उद्देश्य घरों में सेवाओं को फाइबर (एफ टी टी एच) से प्रदान करने के लिये नेटवर्क तैयार करना है। ओ ए एन में बिछाई गई ये हाई काउन्ट फाइबर केबिल जी एस एम²⁴ ब्रॉडबैंड की आवश्यकताओं को पूरा करती है। तथा एन्टर प्राइज सेगमेंट को हाई स्पीड लीज्ड लाइन सेवायें शीघ्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था करती हैं।

स्टेट ऑफ द आर्ट फाइबर आधारित एक्सेस नेटवर्क के द्वारा एफ टी टी एच को लागू करने की योजना निश्चित करने के उद्देश्य से, भा सं नि लि कारपोरेट कार्यालय ने अगस्त व सितम्बर 2008 में पांच विक्रेताओं को 3000 कि मी 288 फा केबिल की अधिप्राप्ति के लिये आदेश दिये थे तथा केबिल पांच परियोजना परिमंडलों²⁵ को आबंटित कर दिया गया था। अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (2010-11 एवं 2011-12) से यह निर्दिष्ट हुआ कि 288 फा केबिल की बगैर उचित उद्यम तथा सम्बन्धित दूरसंचार परियोजना मंडलों से आवश्यकता का मूल्यांकन किये बिना की गई थी। इससे ₹41.30 करोड़ की लागत वाली 52.16 प्रतिशत केबिल भंडार में बेकार माल के रूप में बिना उपयोग के तथा निष्क्रिय पड़ी रहीं जैसाकि नीचे वार्णित है:

- अगस्त 2007 में, भा सं नि लि कारपोरेट कार्यालय ने वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के लिये ₹189.915 करोड़ की प्राक्कलित लागत पर 17265 कि मी की 96 फा आ फा केवल अधिप्राप्त करने का प्रस्ताव दिया था। तथापि, भा सं नि लि प्रबन्धन ने 17265 कि मी की 96 फा केबिल अधिप्राप्ति के लिये प्रस्ताव को तदर्थ आधार पर 12000 कि मी की 96 फा केबिल तथा 3000 कि मी की 288 एफ केबिल में बदल दिया था और ₹79 करोड़ मूल्य की 3150 कि मी की 288 फा केबिल की अधिप्राप्ति की इसमें न तो कोई लागत-लाभ विश्लेषण तथा/अथवा 288 फा केबिल के उपयोग के लिये कोई मानक तय किया गया था। यद्यपि भा सं नि लि पहली बार इन केबिलों की अधिप्राप्ति कर रहा था, अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह निर्दिष्ट हो कि 288 फा केबिल अधिप्राप्त करने के लिये प्रस्ताव पर चर्चा या तो प्रबन्धन समिति (प्र स) की या कम्पनी के बोर्ड निदेशक (बो नि) की बैठक में की गई थी। 288 एफ केबिल की आवश्यकता की मात्रा परिमंडल कार्यालयों की विशेष मांग के आधार पर निर्धारित भी नहीं की गई थी।
- पांच परियोजना परिमंडलों में से किसी ने भी 288 फा के लिये मांग-पत्र नहीं दिये थे। वास्तव में उत्तर दूरसंचार परिमण्डल ने आबंटन 500 कि मी से 250 कि मी करने की मांग की थी उ पू

²⁴ जी एस एम ग्लोबल सिस्टम फोर मोबाईल कम्यूनिकेशन

²⁵ उत्तर पूर्व कार्य बल-उ पू का ब, पूर्वी दूरसंचार परियोजना-पू दू प, दक्षिणी दूरसंचार परियोजना-द दू प, उत्तरी दूरसंचार परियोजनायें-उ दू प तथा पश्चिमी दूरसंचार परियोजना-प दू प

का ब परिमंडल ने भी किसी आवश्यकता को प्रदर्शित नहीं किया और विपथन की मांग की तथा द दू प परिमंडल ने भी 288 फा आ फा केबिल के लिये किसी आवश्यकता की परियोजना नहीं की। प दू प परिमंडल ने गैर आवश्यकता उद्धरण के साथ पहले फरवरी 2009 में और पुनः नवम्बर/दिसम्बर 2009 में आबंटन के विपथन के लिये भा सं नि लि मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा।

- अप्रैल 2010 में जब भा सं नि लि कारपोरेट कार्यालय ने देखा कि क्षेत्रीय परिमंडलों में से किसी ने भी 288 फा आ फा केबिल के लिये मार्गों की परियोजना नहीं बनायी थी, सभी मुख्य महा प्रबन्धक परियोजना परिमंडलों/क्षेत्रीय परिमंडलों को शीघ्र ही अनुदेश जारी किये गये थे (अप्रैल 2010 में) कि वे उच्च मांग वाले शहरों/खंडों में 288 फा आ फा केबिल विछायें।
- उपयुक्त अनुदेशों तथा इसकी प्राप्ति के तीन वर्षों से अधिक समय होने के बावजूद भी केवल 47.84 प्रतिशत 288 आ फा अधिप्राप्ता केबिल बिछाई गई थी तथा ₹41.30 करोड़ की लागत वाली 52.16 प्रतिशत केबिल परियोजना/उ पू का ब परिमंडलों में बिना उपयोग के पड़ी हुई थी, (अक्तुबर 2012 को) जैसाकि नीचे तालिका-1 में वर्णित है:

तालिका-1
आ फा के के अनुपयोग को दर्शाने वाला विवरण

परिमंडल का नाम	आ फा के की प्राप्ति (कि मी में)	आ फा के का उपयोग (कि मी में)	आ फा के का शेष स्टॉक (कि मी में)	शेष आ फा के का मूल्य (करोड़ में)	उपयोग (प्रतिशतता में)
पू दू प	525	177	348	8.53	33.71
उ पू का ब	63	27	36	0.87	42.86
द दू प	888	289	599	15.36	32.54
प दू प	783	508	275	6.67	64.88
उ दू प	891	506	385	9.87	56.79
कुल	3150	1507	1643	41.30	47.84

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर पू दू प तथा उ पू का ब परिमंडल ने उत्तर दिया (क्रमशः मार्च 2011 तथा जनवरी 2011) कि उन्होंने कारपोरेट कार्यालय को बताया था कि बिना उपयोग किये हुये स्टॉक का विपथन अन्य परिमंडलों को किया जाये। द दू प ने जून 2010 में बताया कि 288 फा आ फा के लिये पोलिथिलीन पाइप (जिसमें से आ फा केबिल बिछाई जायेंगी) की अधिप्राप्ति के लिये दो बार निविदा की विफलता के कारण केबिल का उपयोग नहीं किया जा सका था उन्होंने यह भी बताया कि मई 2010 में पाइप के लिये क्रय आदेश भी दिये गये थे और आपूर्ति के बाद केबिल शीघ्र बिछाई जायेंगी। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा संवीक्षा (जुलाई-2011) से यह भी पता चला कि जून/जुलाई-2010 में यद्यपि पी एल बी पाइप प्राप्त किये गये थे, उसके बाद 288 फा केबिल के 888 कि मी में से मात्र 95 कि मी का उपयोग किया जा सका था। प दू प, ने

सितम्बर 2010 में उत्तर दिया कि उपलब्ध 288 एफ केबिल के तत्कालीन स्टॉक का उपयोग ओ ए एन कार्यों में किया जायेगा। उत्तर असम्बद्ध था क्योंकि प दू प में 314 कि मी केबल विछाई गई थी जिसने केबिलों के उपयोग में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं दर्शाई थी सितम्बर 2008 में द दू प की मात्रा में 500 कि मी से 250 कि मी की कमी के अनुरोध पर कारपोरेट कार्यालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया था तथा इसके परिणामस्वरूप 348 कि मी केबिल अभी तक द दू प के पास बिना उपयोग के पड़ी हुई थी (अक्टूबर-2012)।

भा सं नि लि कारपोरेट कार्यालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर-2012) कि वर्ष 2006-09 के लिये विभिन्न फील्ड इकाइयों से 48 फा/96 फा/144 फा आ फा केबिल के लिये मांग आई थी। इन आवश्यकताओं के आधार पर, 17265 कि मी की 96 फा की अधिप्राप्ति प्रारम्भ की गई थी। आप्टीकल एसेस नेटवर्क में उपयोग की जाने वाली 96 फा केबिल की योजना बनाई गई थी जिससे सारे भा सं नि लि नेटवर्क में विस्तार किया जा रहा था। भा सं नि लि कारपोरेट कार्यालय ने निम्नलिखित के आधार पर 3000 कि मी की 288 फा आ फा केबिल अधिप्राप्ति का कूटनीतिक निर्णय लिया।

- क) 96 फा केबिल की प्रति फाइबर की तुलना में 288 फा आ फा केबिल की प्रति फाइबर कीमत बहुत कम है (288 फा के लिये ₹2536 और 96 फा के लिये ₹4620)।
- ख) खास तौर पर भारत के घनी आबादी वाले शहरों में केबिल बिछाना बहुत कठिन तथा महंगा है और 96 फा तथा 288 फा दोनों प्रकार की केबिल बिछाने के लिये एक ही प्रकार के प्रयास की आवश्यकता थी लेकिन लम्बी अवधि की रणनीति का लाभ तब होता है जब भविष्य में उपयोग के लिये फाइबर उपलब्ध हों।
- ग) भा सं नि लि अगली पीढ़ी बाबत नेटवर्क की योजना की प्रगति पर कार्य कर रहा था जिसमें सारे उपभोक्ता परिसरों में फाइबर की आवश्यकता थी और आ फा केबिल नेटवर्क मूल रूप से लम्बी अवधि का निवेश है और फाइबर का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है।

मंत्रालय ने वही उत्तर संदर्भित किया है जैसा भा सं नि लि प्रबन्धन द्वारा भेजा गया था (अक्टूबर-2012)।

मंत्रालय का प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 288 फा केबिल की अधिप्राप्ति के मामले पर न तो प्रबंधन समिति द्वारा और न ही भा सं नि लि के नियंत्रक बोर्ड द्वारा विचार किया गया था। 288 फा केबिल को अधिप्राप्त करने के लिये कम्पनी ने कोई निर्णय-नीति नहीं बनाई थी यद्यपि वे पहली बार अधिप्राप्त करने जा रहे थे तथा जिसके कोई मानक निर्धारित नहीं किये गये थे। रिकॉर्ड में दर्शाने योग्य ऐसा कुछ नहीं था कि आदेश देने से पूर्व कोई लागत लाभ विश्लेषण किया गया था। 288 फा केबिल अधिप्राप्त करने के लिये प्रस्ताव के विचार के समय यहां तक कि विद्यमान 96 एफ

फाइबर के उपयोग के लेवल का न तो विश्लेषण किया गया था और न ही विचार किया गया था। इसके अतिरिक्त, 2009-10 से कम्पनी को वृहत हानि²⁶ हो रही है तथा 2009-10 से पहले से ही इसका मुनाफा बहुत तेजी से कम हो रहा था। इसलिये कम्पनी प्रबन्धन से उम्मीद थी कि वह विवेकपूर्ण वित्तीय दूरदर्षिता का पालन करे। केबिलों की अधिप्राप्ति जिसकी तत्काल आवश्यकता नहीं थी और न ही अल्प-मध्यम अवधि के लिये आवश्यकता है पर वित्तीय संसाधनों का निवेश घाटे वाली कम्पनी के लिये विवेकपूर्ण वित्तीय निर्णय नहीं है।

इस प्रकार 288 फा हाई काउन्ट आ फा केबिल क्रय करने का तदर्थ निर्णय था तथा इसका परिणाम यह हुआ कि भंडार में 50 प्रतिशत से अधिक केबिल निष्क्रिय पड़ी हुई थीं। भा सं नि लि अधिप्राप्ति की तारीख के तीन वर्ष से अधिक होने के बाद भी केवल 47.84 प्रतिशत केबिल का उपयोग कर सका था, जिसके परिणामस्वरूप केबिल निष्क्रिय पड़ी थीं इसके अतिरिक्त ₹41.30 करोड़ की निधि का अवरोधन हुआ।

5.3 अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति पर ₹21.71 करोड़ की निधि का अवरोधन।

भा सं नि लि के परिमंडल/इलेक्ट्रिकल विंग द्वारा एस एम पी एस पावर प्लांट तथा वातानुकूलित इकाइयों की अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति के कारण एक वर्ष से चार वर्षों से अधिक समय तक उनका उपयोग नहीं हुआ। इससे 1,612 एस एम पी एस पावर प्लांट व 617 वातानुकूलित इकाइयां निष्क्रिय रही तथा परिणामतः ₹21.71 करोड़ की निधि का अवरोधन हुआ।

भा सं नि लि निगम कार्यालय (नि का) द्वारा उच्च मूल्य वाले महत्वपूर्ण उपस्कर की अधिप्राप्ति केन्द्रीय रूप से की जाती है जबकि मदें जो नि का द्वारा की जाने वाली अधिप्राप्ति की सामग्री में शामिल नहीं हैं, टेलीकॉम परिमंडलो द्वारा अधिप्राप्ति के लिये विकेन्द्रीकृत की गयी है। भा सं नि लि के निगम कार्यालय ने परिमंडलों द्वारा विकेन्द्रीयकृत मदों की अधिप्राप्ति के लिये दिशानिर्देश जारी किये थे (जून 2001) जोकि अनुबद्ध करते हैं कि:

- टेलीकॉम परिमंडलों को अपनी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करते समय अपने खपत नमूना (पैटर्न) का हिसाब रखना चाहिये। सबसे अधिक सावधानी यह सुनिश्चित करने के लिये होनी चाहिये कि भण्डार सूची में एकत्र होने से रोका जा सके।
- टेलीकॉम परिमंडल इन मदों को अधिप्राप्त करेगा ताकि उपलब्ध भण्डार सूची को ध्यान में रखकर उनकी वार्षिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
- टेलीफोन परिमंडलों में उनके द्वारा खरीदे गये माल का उचित और शीघ्र उपयोग सुनिश्चित करना।

²⁶ 2009-10—₹1,823 करोड़; 2010-11—₹6,384 करोड़; 2011-12 – ₹8,851 करोड़

भा स नि लि के परिमण्डलो/इलेक्ट्रिकल/विंग द्वारा स्विच मोड पावर सप्लाय (एस एम पी एस)²⁷ पावर प्लांट (पी पी) वातानुकूलित इकाईयों की अधिक प्राप्ति के विवरण को अनुपालन लेखापरीक्षण के दौरान देखा गया व जिसको विस्तृत रूप से आगे वाले पैरा में लाया गया है।

(i) एस एम पी एस पावर प्लांट की अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति

निगम कार्यालय द्वारा एस एम पी एस पावर प्लांट की अधिप्राप्ति को विकेन्द्रीयकरण कर दिया गया (मई 2013 में) तथा इसकी अधिप्राप्ति के लिये प्रादेशिक परिमण्डलों को प्राधिकृत किया गया। भा सं नि लि टेलीकॉम परिमण्डलो ने दोनों मोबाईल व फिक्स लाईन की इकाई के विकास व रख-रखाव की जरूरतों देख-रेख को ध्यान में रखते हुए एस एम पी एस व पी पी की विभिन्न श्रेणियों को अधिप्राप्ति की।

वर्ष 2008-09 से 2011-12 में एस एम पी एस पी पी की अधिप्राप्ति व उपयोगिता के लेखापरीक्षण विश्लेषण में भा सं नि लि के 22 टेलीकॉम परिमण्डलों²⁸ में से पांच में यह खुलासा हुआ कि पावर प्लांट की विभिन्न श्रेणियों (आकार) की खरीद आवश्यकता से अधिक थी। विभिन्न प्रकार के 4,879 एस एम पी एस पावर प्लांट जोकि जी एस एम पर आधारित मोबाईल परियोजना व उनके रखरखाव के लिये सै स्वी क्षेत्र स्तर पर खरीदे गये थे उनमें से 1612 एस एम पी एस पावर प्लांट मार्च 2012 तक निष्क्रिय पड़े रहे। निष्क्रियता का समय जो एक से चार वर्ष के बीच से भी अधिक था उसके कारण ₹20.17 करोड़ की निधि का अवरोधन हुआ जो विस्तारित रूप में **अनुलग्नक- XVIII** में प्रस्तुत किया गया है। आगे आपूर्तिकर्ताओं द्वारा इन पावर प्लांटों पर दी गई एक वर्ष की वारंटी अवधि (परेषिती को आपूर्ति की तिथि से) भी समाप्त हो गई।

लेखापरीक्षा द्वारा (सितंबर 2012) में इसे इंगित किये जाने पर मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2013 में) कि:

- उत्तर प्रदेश (पूर्व) परिमण्डल में बड़े पैमाने पर सी एम टी एस (सेल्यूलर टेलीफोन मोबाईल सेवा) की फेस V परियोजना हेतु पावर प्लांटों की खरीद की गयी थी। यद्यपि भा सं नि लि (कारपोरेट कार्यालय) के जी एस एम परियोजना को चालू करने में देरी के निर्देशों के कारण तथा उपकरणों के विपथन के कारण वास्तविक आवश्यकता बताई गई मांग से कम थी।
- आंध्रप्रदेश परिमण्डल में पावर प्लांट की आवश्यकता मुख्यता जी एस एम व वाईमैक्स परियोजना के लिए थी जहां केवल बी टी एस/टारवर के अधिग्रहण के बाद ही इनका प्रयोग होना था स्थलों को अधिग्रहण में देरी होने से उपयोगिता में विलंब हुआ।

²⁷ दूरभाष केन्द्र डायरेक्ट करन्ट (डी सी) पर कार्य करता है। इलेक्ट्रिसिटी कार्पोरेशन अल्टरनेट करंट (ए सी) पावर प्लांट द्वारा डी सी में बदला जायेगा जो दूरभाष उपकरणों को उर्जा प्रदान करती है।

²⁸ आन्ध्रप्रदेश, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश (पूर्व)

- गुजरात परिमंडल में पावर प्लांट को टर्नकी जी एस एम परियोजना के भाग के लिए खरीदा गया। अतः खपत ढांचे का अनुमान नहीं लगाया जा सका क्योंकि समस्त टर्नकी परियोजना के आधार पर विक्रेताओं को खरीद के लिये अग्रिम आदेश प्रदान किये गये थे। निर्धारित तिथि के बाद परियोजना क्रियान्वयन में निविदादाता की ओर से देरी के कारण पावर प्लांट का शेष भण्डार में था।
- जम्मू व कश्मीर परिमंडल में आरम्भ में पावर प्लांटों को मोबाईल परियोजना-V चालू करने के तहत अधिप्राप्ति की योजना बनाई गई परंतु परियोजना को लागू करते समय निहित स्थलों पर अवसंरचना पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पायी थी।
- महाराष्ट्र परिमंडल में पावर प्लांट का जरूरतमंद परिमंडलों को विपथन होना था और वर्ष 2012-13 के दौरान पावर प्लांट की खरीद का वहा कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया।

मंत्रालय द्वारा दिया गया उत्तर केवल लेखापरीक्षा के विचार को बल देना है जोकि यह दर्शाता है कि एस एस ए व सर्कल स्तर पर परियोजना योजना के क्रियान्वयन, अधिप्राप्ति और तुल्यकालन में प्रभावी कमी थी। आगे जैसे एस एम पी एस पावर प्लांट की अधिप्राप्ति का विकेन्द्रीयकरण हुआ था तो परिमंडलों को आवश्यकता और जरूरत के अनुसार उस समय उपलब्ध भण्डार व खपत की प्रवृत्ति के आधार पर खरीदी करनी थी। ऐसा होने की विफलता के परिणामस्वरूप 1612 पावर प्लांट एक से चार वर्षों तक के समय से अधिक समय तक (मार्च 2012) निष्क्रिय पड़े रहे जिससे ₹20.17 करोड़ की निधि का अवरोधन हुआ।

(ii) वातानुकूलित इकाइयों की अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति

प्रादेशिक परिमंडलों के समन्वयन से योजना, अधिप्राप्ति और संस्थापन के लिये विद्युत उपस्कर की आवश्यकता भा सं नि लि के विद्युत विंग द्वारा की जाती है।

मुख्य अभियंता, (विद्युत) भोपाल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तीन इलेक्ट्रीकल डिविजन के दस्तावेजों की जांच (दिसम्बर 2011) में यह खुलासा हुआ कि यूनिट ने डी जी एस एण्ड डी रेट कांट्रैक्ट के तहत 2008-09 से 2010-11 में 2,180 वातानुकूलित (ए सी) इकाइयों की आपूर्ति के लिए विभिन्न प्राईवेट फर्मों को क्रय आदेश दिये थे जिनका प्रयोग वैश्विक व्यवस्था के मोबाईल संचार के (जी एस एम) चरण-V.1 के लिये किया गया। इनमें से मार्च 2012 तक केवल 1,563 इकाइयों का प्रयोग किया गया व बची हुई 617 यूनिट जिनकी कीमत ₹1.54 करोड़ थी भण्डार में ही मार्च 2012 तक निष्क्रिय पड़ी रही। इनके निष्क्रिय पड़े रहने की अवधि एक से तीन वर्षों से भी अधिक थी जिस कारण इकाइयों की एक वर्ष की वारंटी अवधि भी समाप्त हो गई।

मंत्रालय द्वारा उत्तर दिया गया (फरवरी 2013) कि वातानुकूलित इकाइयों को जी एस एम परियोजना के चरण-V के तहत खरीदा गया था व स्थलों को तैयार न होने के कारण 617

इकाईयों का उपयोग नहीं किया जा सका। इसके आगे मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि 617 इकाईयों में से 93 इकाईयों का उपयोग किया गया था व बची हुई 524 इकाईयों का जी एस एम की परियोजना के चरण-V.1 में उपयोग होगा। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश परिमंडल में जीवन समाप्त वातानुकूलित इकाईयों को 31 मार्च 2013 तक बदला जाएगा। बाद में यह भी स्पष्ट किया गया कि जब तक कि उपलब्ध भण्डार समाप्त नहीं हो जाता कोई भी वातानुकूलित इकाई नहीं खरीदी जाएगी।

भा सं नि लि के कारपोरेट कार्यालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों की भा सं नि लि भोपाल जोन के इलेक्ट्रीकल संभाग ने वातानुकूलित इकाईयों की खरीद के समय पालन नहीं किया जिस कारण 617 वातानुकूलित इकाईयां एक से तीन वर्षों के लिये निष्क्रिय रही व ₹1.54 करोड़ की निधि का अवरोधन हुआ।

5.4 ₹2.09 करोड़ का अधिक भुगतान तथा ₹8.12 करोड़ के अधिक कार्य प्रदान किया जाना

भा सं नि लि के मिजोरम सै स्वी क्षे में आन्तरिक नियंत्रण की विफलता से ₹8.12 करोड़ के अधिक कार्य प्रदान किये गये तथा केबिल कार्यों के निष्पादन में निजी ठेकेदार को ₹2.09 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र (सै स्वी क्षे) द्वारा कार्यों के निष्पादन पर भारत संचार निगम लिमिटेड (भा सं नि लि) द्वारा जारी किये गये अनुदेशों में (जून 2002) अनुबद्ध है कि प्राक्कलनों की तैयारी तथा कार्यों के निष्पादन, दिखाई गई वास्तविक मात्रा के आधार पर होने चाहिये, तथा किसी भी परिस्थिति में प्रदान किये गये कार्य की मात्रा प्राक्कलित कार्यों जैसा कि निविदा आमंत्रण सूचना (निट)/बोली दस्तावेजों में निर्दिष्ट है के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इसके अतिरिक्त एक प्रणाली होनी चाहिये जो कार्य आदेशों को जारी करने के समय में ठेकेदार को पूर्व में दिये गये कार्य की मात्रा को मानीटर कर सकें। उसके बाद ठेकेदार के बिलों के अनुमोदन/भुगतान करने के समय पर, उसी निविदा के अनुसार ठेकेदार या ठेकेदारों को पूर्व में भुगतान राशि की सूक्ष्मता से मानीटरिंग करने की आवश्यकता होती है।

महाप्रबंधक (दूरसंचार) मिजोरम सै स्वी क्षे ने 1 नवम्बर 2006 को ₹60 लाख की प्राक्कलित लागत पर मिजोरम में आइजोल शहर सीमा बावत् तथा आइजोल शहरी क्षेत्र के अलावा विभिन्न प्रकार की भूमिगत केबिलों²⁹ के लिए खाई खोदने व केबिल बिछाने के लिये निविदा (सं. टी डी 41) आमंत्रित

²⁹ भूमिगत कॉपर केबिल एक्सचेंज प्रणाली के बाह्य नेटवर्क में व्यापक रूप से उपयोग में लाई जाती है। लचीलेपन के उद्देश्य से टेलीफोन एक्सचेंज से वितरण बिन्दु (डिस्ट्रीब्यूशन प्वाइंट) तक केबिलें बिछाई जाती है, नेटवर्क में पिलर लगाये जाते हैं। प्राथमिक केबिल बड़े/मोटे आकार की होती है और टेलीफोन एक्सचेंज से पिलर तक बिछायी जाती है।

की थी। प्रत्युत्तर में दो बोलियां लगाई गई थी और बातचीत के बाद मैसर्स पाठक प्राइवेट लिमिटेड को आइजोल शहर व आइजोल शहरी क्षेत्र के अलावा प्राक्कलित लागत से अधिक क्रमशः 176 प्रतिशत तथा 149 प्रतिशत पर कार्य निम्नतम निविदादाता को प्रदान किया गया था। उसी दिन स्थानीय समाचारपत्र में म प्र आइजोल द्वारा एक अन्य नि अ सू (सं टी डी 31) भी जारी किया गया था जोकि आइजोल शहर में पोल रहित³⁰ नेटवर्क के लिये 5/10 युग्म भूमिगत केबिलों को बिछाने तथा सह सम्बद्धित कार्यों के लिये थी जिसकी लागत ₹64.66 लाख की प्राक्कलित की थी इसमें पहली निविदा की भांति कार्य व दरों की अनुसूची थी। केवल एक निविदा उसी एजेन्सी से प्राप्त हुई थी और बातचीत के बाद उसे प्राक्कलित लागत से 59 प्रतिशत अधिक पर कार्य प्रदान किया गया था।

मार्च 2012 के दौरान अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से इन दो निविदाओं में निविदा देने कार्य प्रदान करने व निष्पादन करने में निम्नलिखित अनियमितताओं का पता चला:

- i. चूंकि टी डी 31 व टी डी 41 के तहत निष्पादित किये गये कार्यों को प्राक्कलित लागत ₹5 लाख से अधिक थी, सामान्य वित्तीय नियम (सा वि नि) के अनुसार एन आई टी को इंडियन ट्रेड जर्नल के अतिरिक्त नेशनल डेली में प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता थी यहां इन दोनों प्रकरणों में एन आई टी केवल स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किये गये थे, इससे प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करने के लिये प्रकाशन का प्रयोजन विफल हुआ।
- ii. कार्य आदेश (मार्च 2007 से अगस्त 2008 तक) जारी करने के बाद उसके अनुकूल बनाने हेतु दोनों प्रकार के कार्यों के विस्तृत प्राक्कलन अप्रैल 2007 से मई 2010 के बीच संस्वीकृत किये गये थे।
- iii. निविदा मूल्यांकन समिति ने यद्यपि उद्धृत दरों की स्वीकृति की सिफारिश करते समय किसी बाजार दर के औचित्य को तैयार नहीं किया था तथा दोनों निविदाओं की दरों की तर्कसंगता को भी उचित ठहराने में विफल रहा।
- iv. यद्यपि निविदा में मात्रा का विवरण होता है, दोनों करारों पर हस्ताक्षर एक ही प्राधिकारी उदाहरणार्थ मंडलीय अभियन्ता (योजना व प्रशासन) द्वारा तथा एक ही ठेकदार अर्थात् मैसर्स पाठक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया था तथा जिसमें निविदा का कुल मूल्य व अवधि की जानकारी नहीं थी।

संवितरण (डिस्ट्रीब्यूशन) केबिल पिलर से डी पी तक बिछाये जाती है। यू जी केबिल कार्यों में खोदना, तथा विभिन्न आकार की केबिल बिछाना एवं खींचना, जोइंटिंग, केबिनेट/पिलर आदि का निर्माण शामिल है।

³⁰ बाह्य संयंत्र नेटवर्क में भूमिगत केबिल, केबिनेट/पिलर, संवितरण बिन्दु, दुरभाष पोल पर डाली गई ड्रॉपवायर, लाइन जैक यूनिट, दूरभाष उपकरण आदि होते हैं। पोल रहित बाह्य संयंत्र से अभिप्राय है कि आउटडोर नेटवर्क जोकि पोल खड़े करना तथा इससे सम्बन्धित घटकों से रहित है। भा स नि लि ने सितम्बर 2002 में अनुदेश जारी किये थे कि जहां तक सम्भव हो सके बाह्य संयंत्र पोल रहित बनाये जाने चाहिये ताकि दोष-दर में कमी लाई जा सके।

- v. पहली संविदा के लिये मिजोरम सै स्वी क्षेत्र के मंडलीय अभियंता (बाह्य/प्रचालन-I व प्रचालन-II) अगस्त 2010 तक ठेकेदार को लगातार कार्य आदेश जारी करते रहे तथा कुल भुगतान ₹10.30 करोड़ में से संविदा मूल्य से अधिक ₹8.72 करोड़ का भुगतान किया गया था। टी डी-41 को अपेक्षा अन्य निविदा (टी डी-31) को काफी कम दर पर अंतिम रूप दिया गया था, संविदा मूल्य ₹102.81 लाख (₹64.66 लाख x 159 प्रतिशत) के विरुद्ध ₹42.75 लाख व्यय करने के बाद कोई अतिरिक्त कार्य आदेश जारी नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त, बिल पास करने वाले प्राधिकारी तथा आन्तरिक वित्तीय सलाहकार (आ वि स) भी निविदात्मक मूल्यों से अधिक व्यय पर नियंत्रण रखने की अपेक्षित जांच करने में विफल रहे।
- vi. लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर (मार्च 2012) सै स्वी क्षेत्र प्राधिकारी ने अनियमितताओं की जांच करने हेतु मार्च 2012 में एक समिति की स्थापना की। समिति की सिफारिशों के आधार पर, ₹2.09 करोड़ के अधिक भुगतान को वापिस करने हेतु ठेकेदार को जून 2012 में कारण बताओं नोटिस जारी किया। अभी तक इसकी वसूली प्रतीक्षित है (फरवरी 2013)। समिति ने सुझाव भी दिया कि फील्ड यूनिट को अनुदेश जारी किये जायें ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावर्ती को रोकने के लिये विभिन्न उपाय किये जा सकें। समिति ने यह भी नोट किया था कि संविदा मूल्य का पालन किये बिना फील्ड यूनिटों द्वारा कार्य आदेश जारी किये गये थे तथा यूनिट में मानीटर करने की केन्द्रीयकृत कार्य पद्धति नहीं थी।
- vii. इस प्रकार बनाये गये सभी दिशानिर्देश अथवा नियम (प्राक्कलनों तैयार करने के लिये, निविदा जारी करने, निविदा में अंतिम रूप प्रदान करना, किये गये दरों के औचित्य हेतु निष्पादित कार्य की मात्रा के विरुद्ध निविदित मात्राओं पर नजर रखना, भुगतान का मानीटर करना) निरर्थक हो गये थे तथा म प्र (जि) मिजोरम कम्पनी के हितों की सभी तरह से रक्षा करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप, दोनों निविदाओं के तहत निजी ठेकेदार को अधिक मात्रा में कार्य प्रदान करने से ₹8.12 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।
- viii. म प्र सै स्वी क्षेत्र के महाप्रबन्धक के द्वारा आन्तरिक नियंत्रण तथा मानीटर करने के तंत्र में कमी से गैर परियोजना कार्यों के लिये टी डी-41 के तहत ₹10.30 करोड़ की सीमा तक का भुगतान हुआ, यहां तक कि खर्चे परिमंडलाध्यक्ष की संस्वीकृत शक्तियों से अधिक थे।

मु म प्र दू भ सं नि लि, उत्तर-पूर्व-1 परिमंडल, मेघालय, शिलांग ने अपने उत्तर में निजी ठेकेदार को ₹2.09 करोड़ अधिक भुगतान को स्वीकार किया (अक्तुबर 2012) तथा बताया कि अधिक भुगतान राशि की वापसी के लिये एक सूचना जारी की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि ठेकेदार को देय सभी जमा व भुगतान को रोकने के अनुदेश भी जारी किये गये हैं। उन्होंने यह भी बताया कि:

- क) स्थानीय समाचारपत्रों में टी डी-31 व टी डी-41 के लिये एन आई टी प्रकाशित किया गया था तथा उत्तर पूर्व परिमंडल वेबसाईट में भी रखा गया था और इसीलिये कार्य हेतु प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करने हेतु प्रकाशन विफल नहीं हुआ था।
- ख) दोनों निविदाओं का प्रयोजन एक जैसा नहीं था क्योंकि पोल रहित नेटवर्क में वॉल डी पी के लिये विद्यमान डी पी के परिवर्तन से सम्बन्धित कार्य सम्मिलित है जबकि टी डी-41 के तहत भूमिगत (यू जी) केबिल निविदा नेटवर्क के विस्तार के लिये यू जी केबिल बिछाने हेतु थी। यद्यपि दोनों कार्यों के लिये प्रयुक्त अनुसूचित दरें प्रकृति में लगभग एक जैसी थी परन्तु समरूप नहीं थी।
- ग) टी डी-31 करार की वैधता मार्च 2008 तक थी और टी डी-41 की वैधता फरवरी 2008 तक थी तथा सभी कार्य आदेश करार की अवधि के दौरान जारी किये गये थे।
- घ) भौगोलिक स्थिति तथा खड़ी पहाड़ी भूमि के कारण दूरसंचार जैसी सेवाये देने में मिजोरम सै स्वी क्षेत्र सबसे कठिन क्षेत्रों में से एक है तथा सै स्वी क्षेत्र के जिस निविदा पर सवाल उठाये गये थे उस प्रकार कि निविदा पर कार्य निष्पादित करने का कोई पुराना अनुभव नहीं था।

निम्नलिखित आधार पर मु म प्र दू द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार्य नहीं है:

1. सामान्य वित्तीय नियम के अनुसार ₹5 लाख और इससे अधिक मूल्य के क्रय हेतु इंडियन ट्रेड जर्नल के अतिरिक्त राष्ट्रीय समाचारपत्रों में खुली निविदाओं का विज्ञापन देने की आवश्यकता है। अपर्याप्त पब्लिसिटी (प्रचार) के परिणामस्वरूप एन आई टी को अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिली।
2. टी डी-31 से टी डी-41 के लिये उच्चतर दरें अनुमोदित करना न्यायसंगत नहीं होने के कारण उचित नहीं था।
3. दोनों निविदाओं के साथ लगी दरों की अनुसूची एकसमान थी तथा भा सं नि लि निविदा के निबन्धन व शर्तों को मानने के लिये बाध्य हैं।
4. प्रबन्धन द्वारा दो निविदाओं के मध्य व्यय का द्विविभाजन करने के बाद भी, टी डी-31 के तहत निविदित मात्रा से व्यय का आधिक्य ₹4.31 करोड़ आता है तथा टी डी-41 के तहत ₹3.81 करोड़ आता है। दोनों निविदाओं पर व्यय का समग्र आधिक्य ₹8.12 करोड़ आता है जैसाकि नीचे तालिका-1 में दिया गया है।

तालिका-1
अधिक व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(रुलाख में)

क्रम सं.	विवरण	टी डी-41	टी डी-31	संयुक्त (टी डी-41 + टी डी-31)
1	प्राक्कलित लागत	60.00	64.66	124.66
2	स्वीकृत लागत	157.50	102.81	260.31
3	वास्तविक उपगत व्यय	1029.86	42.75	1072.61
4	स्वीकृत लागत से वास्तविक व्यय का आधिक्य	872.36	(-)60.06	812.30
5	स्वीकृत लागत से आधिक्य (प्रतिशत में)	553.88	-	312.05
6	द्विविभाजन के बाद व्यय	539.06	533.55	1072.61
7	द्विविभाजन के बाद स्वीकृत लागत से व्यय का आधिक्य	381.56	430.74	812.30
8	द्विविभाजन के बाद राशि की वसूल की जानी है	73.16	135.72	208.88

(स्रोत: फील्ड कार्यालय द्वारा संग्रहीत/प्रबन्धन द्वारा भेजी गई सूचना)

इसके अतिरिक्त मु म प्र दू इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी नियंत्रण/जांच शुरू करने में अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहा है तथा अभी तक किसी कर्मचारी पर उत्तरदायित्व तय करने हेतु भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

नवम्बर 2012 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था। मई 2013 में मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते समय पुष्टि की थी कि मिजोरम से स्वी क्षेत्र द्वारा ठेकेदार मैसर्स पाठक टेलीकॉम कम्पनी को अधिक भुगतान हुआ था। यह बताया गया था कि मु म प्र दू, एन ई-1 परिमंडल को कहा गया था कि वह ठेकेदार से अधिक भुगतान को वसूलने के लिये कार्रवाई शुरू करें तथा बिलों के अधिक भुगतान के लिये खामियों व अनियमितताओं में शामिल कर्मचारियों/अधिकारियों के प्रति कार्यवाही भी शुरू करें।

इस प्रकार भा सं नि लि के मिजोरम से स्वी क्षेत्र में आन्तरिक नियंत्रण की विफलता से ₹8.12 करोड़ मूल्य के अधिक कार्य प्रदान किये गये और निजी ठेकेदार को ₹2.09 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।


5.5 भा सं नि लि में अन्तर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा का संचालन

अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री केबल संघ में शामिल होने में विलम्ब और विफलता के कारण बी एस एन एल की अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी (आई एल डी) की सेवा के संचालन में कमियाँ पाई गईं। आगे चलकर इसी के परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा के संचालन में बैंडविथ की क्षमता के कम उपयोग और बैंडविथ को प्राप्त करने में परिहार्य व्यय हुआ।

5.5.1 प्रस्तावना

अन्तर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा मूल रूप से एक नेटवर्क वाहक सेवा है जो विदेशी वाहकों द्वारा स्थापित नेटवर्क को अन्तर्राष्ट्रीय संयोजकता प्रदान करती है। यह सेवा अन्तर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाती है ताकि विभिन्न देशों के ग्राहकों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक लंबी दूरी की दूरभाष सेवा प्रदान की जा सके। अन्तर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा के संचालन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार यातायात के प्रवाह को दिखाने वाला आरेख नीचे दर्शाया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार यातायात का प्रवाह आरेख



विदेश संचार निगम लिमिटेड (वि सं नि लि) के विनिवेश (फरवरी 2002) के पहले भारत संचार निगम लिमिटेड अपने गठन (अक्टूबर 2000) से वि सं नि लि की सहायता से अन्तर्राष्ट्रीय कॉलों का मार्गीकरण करता रहा है। भा सं नि लि ने जनवरी 2003 में अन्तर्राष्ट्रीय लंबी दूरी का लाइसेंस प्राप्त किया साथ ही दूरसंचार विभाग से निर्देश प्राप्त हुआ कि दो वर्षों की अवधि के लिये जो कि फरवरी 2004 तक थी पहले की तरह वि सं नि लि के द्वारा ही अन्तर्राष्ट्रीय कॉलों का मार्गीकरण जारी रखा जाएगा। वि सं नि लि में सरकारी हिस्सेदारी के विनिवेश के बाद भा सं नि लि ने वर्ष 2006 तक पहले की तरह वि सं नि लि (टाटा कम्यूनिकेशन लिमिटेड) से अन्तर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा प्राप्त करना जारी रखा।

5.5.2 अन्तर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाओं के संचालन के लिये आधारभूत संरचना को प्राप्त करना

भा सं नि लि अपने ग्राहकों को विभिन्न क्षेत्रों के छः³¹ गेटवे के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय संयोजकता प्रदान करता आ रहा है। अपनी अन्तर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के संचालन तथा विश्वव्यापी संयोजकता को बढ़ाने हेतु भा सं नि लि ने निम्नलिखित प्रेषण मीडिया³² को प्राप्त किया:

- i) **भारत-श्रीलंका अतः समुद्री केबल प्रणाली (बी एल सी एस)** – भा सं नि लि ने बी एल सी एस में पचास प्रतिशत हिस्सेदारी ले रखी है (अगस्त 2004) जिसमें पूंजी मूल्य ₹45 करोड़ की है जिसके अन्तर्गत जुलाई 2006 से भारत और श्रीलंका के बीच भा सं नि लि के केबल अवतरण केन्द्र³³ तूटीकोरिन तथा श्रीलंका टेलीकाम (एस एल टी) के केबल अवतरण केंद्र माउंट लाबिनिया के बीच संचार की संयोजकता थी।
- ii) **यूरोप इंडिया गेटवे (ई आई जी)³⁴** - भा सं नि लि ने वर्ष 2008 में ई आई जी केबल प्रणाली (मुंबई से लंदन) संघ साथी के तौर पर 7.0911 प्रतिशत साझेदारी की जिसके तहत उसने 27.34 लाख न्यूनतम निवेश इकाईयों³⁵ (एम आई यू) की बैंडविथ क्षमता जिसकी कुल पूंजी यू एस डालर 51.59 मिलियन थी, प्राप्त किया।
- iii) **फ्रांस टेलीकॉम से किराये पर प्राप्त मीडिया (एफ टी) - 1.50 लाख न्यूनतम निवेश इकाईयों** की बैंडविथ क्षमता को (मई 2009 में) 15 साल के लिए एक बार के मूल्य पर यू एस डालर 14,85,000 में पट्टे पर और यू एस डालर 44500 के वार्षिक अनुरक्षण व संचालन की कीमत पर फ्रांस टेलिकाम (फा टे) से लिया। साऊथ ईस्ट एशिया-मिडिल ईस्ट-वेस्टर्न यूरोप-4 (सी-मी-वी 4)³⁶ समुद्री केबिल टाटा कम्यूनिकेशन लिमिटेड (टी सी एल) सी एल एस मुम्बई पर अवतरित हुई।

31 जालन्धर, नई दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई, चैन्नई, व इरनाकुलम

32 ट्रान्समीशन मीडिया एक माध्यम है और वायस सम्प्रेषण व डेटा ट्रेफिक के लिये सम्बद्ध अवसंरचना है।

33 केबिल टर्मिनेशन/लैंडिंग स्टेशन एक ऐसा बिन्दू है जिसपर सबमैरिन केबिल भूमि आधारित अवसंरचना अथवा नेटवर्क से सम्बद्ध होती है, लैंडिंग पार्टी द्वारा इसका स्वामित्व होता है तथा जो अन्य दूरसंचार सेवा सम्भरणों के साथ दूरसंचार अवसंरचना का उपयोग व शेयर करने का अधिकार रखता है।

34 ई आई जी केबिल प्रणाली अन्तर्राष्ट्रीय आप्टिक फाइबर सबमैरिन केबिल प्रणाली है जो यूनाइटेड किंगडम, पुर्तगाल, गिब्राल्टर, मोनको, फ्रांस, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरब, डिजिबूटी, ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरात व इण्डिया को जोड़ता है।

35 न्यूनतम निवेश यूनिट (एम आई यू) सबमैरिन केबिल के साथ प्रयुक्त क्षमता की यूनिट है। यह एस टी एम- I लिंक (सिन्क्रोनस ट्रान्सपोर्ट मोड्यूल- I एक सम्प्रेषण मानक है) के संबंध में बैंडविथ का उत्पाद है तथा कि मी में दूरी, उदाहरणार्थ: 1 एस टी एम- I दो सी एल एस की एक कि मी कार्यचालन के बीच की दूरी को I-एम आई यू कि मी कहा गया है।

36 दक्षिण पूर्व एशिया-मध्यपूर्व-पश्चिमी यूरोप 4 (सी-मी-वी 4) सबमैरिन कम्यूनिकेशन केबिल प्रणाली है जो दक्षिण पूर्व एशिया व यूरोप के मध्य दूरसंचार भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य पूर्व के द्वारा करता है। भारत में केबिल लैंडिंग स्टेशन मुम्बई व चैन्नई में है और टाटा कम्यूनिकेशन लिमिटेड तथा भारती एयरटेल लिमिटेड का उस पर स्वामित्व है।

- iv) विभिन्न भारतीय व विदेशी अन्तर्राष्ट्रीय लंबी दूरी परिचालकों से प्राप्त मीडिया – उपरिलिखित ढाँचे के अतिरिक्त बी एस एन एल ने विश्व भर में कनेक्टिविटी हेतु विभिन्न भारतीय व विदेशी आई एल डी परिचालकों से भी आवश्यकता के अनुसार समय समय पर प्रेषण मीडिया भाड़े पर लिया।

5.5.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

जनवरी से मार्च 2012 तक बी एस एन एल कारपोरेट कार्यालय, परिमण्डल कार्यालयों³⁷ गेटवे सहित और अनुरक्षण क्षेत्रों में लेखापरीक्षा का संचालन वर्ष 2008-09 से 2011-12 की समय अवधि के लिये किया गया। लेखापरीक्षा के परिणामों को मंत्रालय व प्रबंधन को नवम्बर 2012 में जारी किया गया था एवं मंत्रालय का उत्तर अप्रैल 2013 में प्राप्त किया गया।

5.5.4 लेखापरीक्षा मापदंड के स्रोत

लेखापरीक्षा के स्रोत निदेशक मंडल की बैठकों के एजेंडा व कार्यवृत्त, मीडिया की प्राप्ति के क्रय आदेश, बी एस एन एल व अन्य आई एल डी परिचालक के मध्य करार और आई एल डी से संबंधित उपरोक्त अवधि के रिकार्ड थे।

5.5.5 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा इस जांच के उद्देश्य से की गयी कि क्या

- बी एस एन एल ने अपने व्यवसायिक हित को आई एल डी के कुशल संचालन के लिए पर्याप्त तरीके से सुरक्षित रखा था।
- आई एल डी सेवा के संचालन की आवश्यकता के लिये प्रेषण मीडिया की प्राप्ति व उपयोगिता का प्रभावी व कुशल तरीके से उपयोग किया।

5.5.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

बी एस एन एल द्वारा आई एल डी संचालन पर लेखापरीक्षा के परिणामों को आगे आने वाले पैराग्राफ में दिया गया है।

37 महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडू परिमण्डल, कोलकाता दूरसंचार जिला तथा सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना परिमण्डल (आई टी पी सी), पुणे, उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी व दक्षिणी दूरसंचार क्षेत्र।

5.5.6.1 अन्तर्राष्ट्रीय अतः समुद्री केबल प्रणाली संघ के साथ अवतरण अधिकार³⁸ में समय पर शामिल होने की विफलता के कारण दूसरे अल ल दूरी प्रचालको पर निर्भरता बढ़ी इसके अतिरिक्त कम उपयोग व बैंडविथ की हानि।

अन्तर्राष्ट्रीय अतः समुद्री केबल प्रणाली की उपलब्धता बनाने के लिए किसी भी अल ल दूरी के सेवा प्रदाता हेतु अवतरण अधिकार के साथ ही बैंडविथ का स्वामित्व होना एक महत्वपूर्ण आधारभूत आवश्यकता है। एक प्रचालक जिसके पास अवतरण का अधिकार है वह स्वयं उसका प्रबंधन व उसका उपयोग कर सकता है तथा दूसरे दूरभाष प्रचालकों के साथ इसको सांझा भी कर सकता है।

(i) अन्तर्राष्ट्रीय केबल संघ में केबल अवतरण स्टेशन के साथ शामिल होने में विफलता।

चूँकि बी एस एन एल के पास पान-इण्डिया उपस्थिति थी तथा वह एक अल ल दूरी का प्रचालक भी था इसलिए यह आवश्यक था कि बी एस एन एल अल ल दूरी की आधारभूत संरचना बनाए एवं उसका प्रबंधन करें ताकि अल ल दूरी का सरल एवं प्रभावी संचालन हो सके। जैसा कि पहले पैराग्राफ 5.5.1 में वर्णित है, बी एस एन एल 2006 तक अल ल दूरी तक के कॉलों को विदेश संचार निगम लिमिटेड तथा इसके उत्तराधिकारी (टी सी एल) द्वारा मार्गीकृत करता था।

हमने पाया कि (मार्च 2012) में अंतर्राष्ट्रीय संघ के 16 अन्तर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा प्रदाता कंपनियों जिसमें टी सी एल तथा भारतीय एयरटेल लिमिटेड भी शामिल थे, 27 मार्च 2004 को सी-मी-वी 4 केबल प्रणाली बनाने को सहमत हो गई व इस कार्य को दिसम्बर 2005 तक पूरा भी कर दिया गया। पुनः हमने पाया कि (मार्च 2012) कि भारतीय एयरटेल लिमिटेड, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड तथा रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा का अनुज्ञा पत्र 2002 में ही प्राप्त कर लिया था वो 2002 से महत्वपूर्ण अतः समुद्री केबल प्रणाली³⁹ के या तो सदस्य या स्वामी बन चुके थे। तथापि बी एस एन एल किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय अन्तः समुद्री केबल संघ का अवतरण अधिकारो के साथ हिस्सेदार नहीं बन पाया था।

38 लैंडिंग अधिकारों के साथ एक संकाय साथी जिसके पास सबमैरिन केबिल तक पहुंच के लिये अपने केबिल लैंडिंग स्टेशन पर अधिकार होता है तथा अन्य दूरसंचार सेवा सम्भरकों के साथ शेयर भी करता है।

39 दक्षिण पूर्व एशिया-मध्यपूर्व-पश्चिमी यूरोप 4 (सी-मी-वी 4) सबमैरिन कम्युनिकेशन केबिल प्रणाली है जो दक्षिण पूर्व एशिया व यूरोप के मध्य दूरसंचार भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य पूर्व में दूरसंचार को ले जानी है। भारत में केबिल लैंडिंग स्टेशन मुम्बई व चैन्नई में है और टी सी एल तथा भारतीय एयरटेल लिमिटेड का उस पर स्वामित्व होता है।

i2i केबिल प्रणाली, भारत को सिंगापुर से जोड़ती है तथा भारत बी ए एल तथा सिंगापुर के सिंगटेल के अधिकार में है। भारत में इसका लैंडिंग पॉइंट चैन्नई में है।

आई-म ई-डब्ल्यू ई (भारत-मध्य-पूर्व-पश्चिमी यूरोप) सबमैरिन कम्युनिकेशन केबिल प्रणाली है, भारत व यूरोप को मध्य पूर्व से जोड़ती है। भारत में केबिल प्रणाली मुम्बई में दो डबल लैंडिंग स्टेशनों पर लैंड करती है जिसका स्वामित्व टी सी एल व बी ए एल के पास है।

40 फ़्लैग एल्काटेल-लूसेंट आप्टिकल नेटवर्क (फाल्कन) यूरोप एशिया केबिल प्रणाली (फाइबर आप्टिक लिंक अराउन्ड द ग्लोब-फ्लैग) का एक खण्ड है जो यू के, मध्य पूर्व व मुम्बई को जोड़ता है। फाल्कन- I भारत को गल्फ तथा फाल्कन-पूर्वी भारत की ओर जोड़ता है। भारत में केबिल लैंडिंग स्टेशन मुम्बई तथा त्रिवेन्द्रम में है तथा रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड इसका स्वामित्व रखता है।

(ii) भारत लंका केबल प्रणाली की बैंडविथ क्षमता का कम उपयोग

जैसा कि पूर्व में पैरासंख्या 5.5.2 में वर्णित है बी एस एन एल ने 2004 में भारत-लंका केबल प्रणाली (बी एल सी एस) के नाम से भारत से श्रीलंका के बीच एक अन्तः समुद्री ऑप्टिकल फाइबर केबिल प्रणाली बिछाने हेतु श्रीलंका टेलिकाम (एस एल टी) से साझेदारी की। बी एस एन एल और श्रीलंका टेलिकाम अंतः समुद्री केबल प्रणाली में बराबरी के (50%) साझेदार बने इस योजना का उद्देश्य भारत एवं श्रीलंका तथा अन्य विदेशी स्थानों के बीच भी अन्तर्राष्ट्रीय दूरभाष सेवाएं प्रदान करना था। भारत श्रीलंका केबल प्रणाली बी एल सी एस योजना जुलाई 2006 में पूर्ण हुई तथा इसके पूरे होने के साथ ही बी एस एन एल श्रीलंका टेलिकाम के माऊंट लेवेनिया (सी एल एस) स्थित केबल अवतरण प्रणाली से विदेशी वाहको के अन्तर्राष्ट्रीय बैंडविथ तक पहुंच बनाने में सक्षम हो गया, ताकि अपने अन्तर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी का संचालन कर सके।

तथापि भारत श्रीलंका केबल प्रणाली बी एल सी एस ने बी एस एन एल को श्रीलंका तक ही सीमित बैंडविथ क्षमता प्रदान की। विश्व के दूसरे हिस्सों से संयोजकता स्थापित करने हेतु यह अब भी श्रीलंका टेलिकाम पर निर्भर था। बी एस एन एल ने 2006 से भारत श्रीलंका केबल प्रणाली द्वारा वैश्विक संयोजकता हेतु उपलब्ध किये गये आधारभूत सुविधाओं के सहारे अपनी अन्तर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाओं के संचालन को जारी रखा जब तक कि बी एस एन एल ने बी एल सी एस के उच्चतर संचालन लागत की वजह से सी मी वी-4 केवल बैंडविथ जो कि उसने फ्रांस टेलिकाम से मई 2009 में किराये पर ली थी, में अपनी सेवाएं स्थानान्तरित कर ली।

पुनः यह पाया गया कि (मार्च 2012 में) वी एल सी एस के चालू होने के बाद वर्ष 2006-2007 से 2011-12 के मध्य उसकी उपयोगिता मात्र 1.81 प्रतिशत (2006-2007) से 17.51 प्रतिशत (2010-11) थी। जो यह दर्शाता है कि बी एल सी एस का सर्वोकृष्ट से कम उपयोग हुआ। बी एल सी एस की कुल सुसज्जित क्षमता की तुलना में बी एस एन एल द्वारा उपयोग की गई क्षमता वर्ष 2006-2007 से 2011-12 का विवरण **अनुलग्नक-XIX** में दिया गया है।

बी एल सी एस निवेश के संबंध में अप्रैल 2013 में मंत्रालय ने उत्तर दिया कि वी एस एन एल आधारभूत ढांचे को प्रयोग करने के लिए बी एस एन एल को ₹0.90 प्रति मिनट अवसंरचना शुल्क वी एस एन एल को अदा करना था। बी एल सी एस के 2006 में चालू होने पर विदेशी वाहको की आवाज के अन्तःसंयोजन जो कि वी एस एन एल की आधारभूत संरचना के द्वारा संचालित थे, को बी एल सी एस को स्थानांतरित किया गया। वर्ष 2010 तक बी एल सी एस पर इस आवाज के अंतःसंयोजन द्वारा लगभग 1500 मिलियन बाहर जाने वाली मिनट निकली। इस प्रकार लगभग 1500 मिलियन जाने वाले मिनट से लगभग ₹0.90 प्रति मिनट की बचत थी (लगभग ₹130 करोड़)। मंत्रालय ने पुनः बताया (अप्रैल 2013) कि चूंकि अतः समुद्री केबल की जीवन संरचना 25 वर्षों की है इसलिए भारत लंका केबल प्रणाली को बाकि अवधि तक राजस्व प्राप्ति हेतु उपयोग में लाया जा सकता है।

मंत्रालय द्वारा दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं है चूंकि वी एस एन एल को (₹0.90 प्रति मिनट) दी गई शुल्क राशि भी बचाई जा सकती थी यदि बी एस एन एल ने सी-वी-मी 4 जैसे अंतरराष्ट्रीय केबल संघ में अवतरण अधिकारों के साथ साझेदारी की होती। पुनः हमने पाया (2012) कि 2009 में श्रीलंका टेलीकाम के अंतः संयोजन समाप्ति पर उच्च लागत प्रभारित करने के कारण बी एस एन एल ने ध्वनि अंतःसंयोजन को भारत के टाटा कम्यूनीकेशन लिमिटेड के केबल अवतरण केन्द्र में फ्रांस टेलीकाम द्वारा किराये पर लिये गये माध्यम में जो कि सी-मी-वी 4 केबल था, में स्थानांतरित कर दिया।

इस प्रकार केबल अवतरण अधिकारों के साथ अंतरराष्ट्रीय अंतः समुद्री केबल संघ से बैडविथ प्राप्त करने में असफल रहने के कारण बी एस एन एल को दूसरे भारतीय और विदेशी अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा प्रदान करने वाले कम्पनियों पर अपनी अन्तरराष्ट्रीय लंबी दूरी के संचालन के लिए निर्भर रहना पड़ा इसके अलावा वर्तमान आधारभूत संरचनाओं का भी कम उपयोग हो पाया।

(iii) यूरोप भारत गेटवे केबल प्रणाली में समुद्री अवतरण अधिकार एवं बैडविथ क्षमता की हानि।

अक्टूबर 2007 में भारत की भारतीय एयरटेल लिमिटेड सहित विश्व की 17 टेलीकाम कंपनियों के द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय संघ बनाया गया जिसका उद्देश्य यूनाइटेड किंगडम से भारत के बीच एक अंतः समुद्री उच्च बैडविथ ऑप्टिकल फाइबर समुद्री संचार प्रणाली स्थापित करना था तथा जिसका नाम यूरोप इंडिया गेटवे (यू इ गे) केबल प्रणाली था। बी एस एन एल इस 17 कंपनियों के संघ का सदस्य नहीं था। इस संबंध में संघ के सदस्यों द्वारा 6 मई 2008 को निर्माण व अनुरक्षण समझौते (नि व अ स) पर हस्ताक्षर किये गये।

बी एस एन एल की प्रबन्धक समिति ने (मार्च 2008) तय किया कि वह अंतरराष्ट्रीय अंतः समुद्री केबल कार्यप्रणाली में अपनी आई एल डी सेवाओं हेतु प्रवेश करने की संभावना की खोज करेगी। तत्पश्चात् बी एस एन एल की आई एल डी समिति ने (मई 2008) ई आई जी संघ में लैंडिंग साझेदार के रूप में प्रवेश करने का निर्णय लिया। जैसा कि हमने देखा मार्च 2012 में कि ई आई जी संघ ने (मई 2008) बी एस एन एल को यह सूचित किया कि वह एक अतिरिक्त पार्टी के रूप में लैंडिंग अधिकारों के विना संघ में प्रवेश करे, क्योंकि भा ए लि पहले से ही भारत में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एक लैंडिंग पार्टी के रूप में था।

हालाँकि बी एस एन एल के निदेशक मंडल ने जुलाई 2008 में यह भी अनुभव किया कि बी एस एन एल के स्वयं के सभी अधिकारों के साथ लैंडिंग साझेदारी के अधिकार को सम्मिलित करते हुए उसका स्वयं का अंतः समुद्री केबल अधिकार होना चाहिए ताकि वह आई एल डी के प्रचालकों के साथ बराबरी कर सके, निदेशक मंडल ने अन्तिमरूप से (जुलाई 2008) में ई आई जी नि व अ स संघ में एक बिना लैंडिंग साथी पार्टी के रूप में प्रवेश करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

ई आई जी नि व प्र स के अनुसार यू एस डालर के 15 से 50 मिलियन के निवेश के विभिन्न मूल्य अनुपात को ई आई जी केबल कार्यप्रणाली की सुसज्जित क्षमता को आबटन के लिए तय किया गया। फिर भी एक अतिरिक्त पार्टी को कीमत का अनुपात जैसा कि अपने निवेश प्लस 0.05 के उपयुक्त होना था। संघ सदस्यों द्वारा यू एस के 50 मिलियन डालर व उससे अधिक प्रारंभिक निवेश पर मूल्य अनुपात 1.0 थी। जैसा कि बी एस एन एल ने एक अतिरिक्त पार्टी के लिये (प्रारंभिक निवेश) यू एस डालर 50 मिलियन निवेश करने का निर्णय लिया, बी एस एन एल का मूल्य अनुपात 1.05 था।

बी एस एन एल ने अतिरिक्त पार्टी के रूप में 1.05 के मूल्य अनुपात के साथ ई आई जी संघ से एक अनुबन्ध किया (मार्च 2009 में) व 27.34 लाख की एम आई यू आवंटित क्षमता के लिए यू एस डालर 51.59 मिलियन⁴⁰ (7.0911 प्रतिशत हिस्सेदारी) का निवेश किया। मार्च 2012 में हमने महसूस किया कि मूल पार्टी के लिये 1.0 मूल्य अनुपात की तुलना में 1.05 मूल्य अनुपात के कारण बी एस एन एल को 1,36,710 एम आई यू कम मिले।

यदि बी एस एन एल एक मूल पार्टी के रूप में संघ का सदस्य होता तो यह कम से कम 1,36,710 एम आई यू बैडविथ क्षमता के साथ समुद्री लैंडिंग अधिकार के नुकसान से बच सकता था।

मंत्रालय ने उत्तर दिया कि (अप्रैल 2013 में) चूंकि बी एस एन एल ने भारत के बाहर अपनी उपस्थिति नहीं दर्शायी इसीलिए संघ केबल के बारे में विदेशी वाहक से विचार विमर्श करने पर पता चला उस समय केबल संघ सामान्यतः श्रेष्ठ विदेशी वाहकों द्वारा बनाये जाते थे। जब बी एस एन एल को तत्कालीन केबल संघ बारे में पता चला तो उसने अवसर का लाभ उठाया।

मंत्रालय का यह उत्तर कि अंतराष्ट्रीय स्तर पर संघ निर्माण के बारे में बी एस एन एल अनभिज्ञ था, स्वीकार्य नहीं है तथ्य यह है कि एक समुद्री लैंडिंग साझेदार की रूप में अंतराष्ट्रीय केबल संघ से जुड़ने से पहले बी एस एन एल को पर्याप्त जानकारी लेनी चाहिए थी।

इसलिए बी एस एन एल की ई आई जी संघ में समुद्री अवतरण अधिकारों के साथ समय पर प्रवेश करने की संभावना की विफलता के कारण ई आई जी बैडविथ केबल का नुकसान हुआ इसके अलावा बी एस एन एल ई आई जी केबल पर बैडविथ पहुँच के लिये भा ए लि पर निर्भर था। इसके अलावा बैडविथ किराये पर लेने से परिहार्य भुगतान भी हुआ जैसा कि नीचे अगले पैरा में दिया गया है।

40 ई आई जी परियोजना लागत में वृद्धि के कारण 50 मिलियन यू एस डालर का प्रारंभिक निवेश तथा 1.59 मिलियन यू एस डालर का अतिरिक्त निवेश।

5.5.6.2 ई आई जी केबल पर वगैर उपयोग किये अन्तर्राष्ट्रीय बैडविथ के संचालन तथा इसके रख-रखाव पर ₹14.49 करोड़ का भुगतान तथा अन्तर्राष्ट्रीय बैडविथ किराये पर लेने से ₹3.96 करोड़ का परिहार्य व्यय।

जैसा कि बी एस एन एल एक मूल पार्टी के रूप में ई आई जी संघ में प्रवेश नहीं कर सका था, यह विना लैंडिंग अधिकारों के ही संघ का एक अतिरिक्त सदस्य बन गया। भारती एयरटेल लिमिटेड मुंबई में ई आई जी केबल लैंडिंग में केबल लैंडिंग अधिकारों के साथ एक भारतीय आई एल डी प्रचालक थी। इसीलिए ई आई जी केबल में पहुँच के लिए बी एस एन एल को अपना नेटवर्क बी ए एल के सी एल एस के साथ जोड़ना था।

(i) ई आई जी बैडविथ क्षमता का उपयोग ना करना

भारत के दूरसंचार विनियमक प्राधिकरण (टी आर ए आई) के विनियम 2007 के अनुसार टी आर ए आई द्वारा भारत में सी एल एस के लिये करार प्रभार रिफरेन्स इन्टरकनेक्ट आफर⁴¹ करार प्रभार (आर आई ओ) अनुमोदित किया जाता है। लेखापरीक्षा में पाया गया (मार्च/सितंबर 2012 में) कि वी ए एल द्वारा बी एस एन एल की सी एल एस आर आई ओ प्रभारों का टी आर ए आई के वगैर अनुमोदन के विशेष मूल्य प्रदान किये जिन्हें बी एस एन एल द्वारा अधिक माना गया व बी एस एन एल द्वारा तय किया गया कि (सितंबर 2012) टी आर ए आई द्वारा सी एल एस आर आई ओ के प्रभारों को अनुमोदन के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए। तत्पश्चात् सी एल एस आर आई ओ के घटे हुए किराये को टी आर सी आई द्वारा (दिसंबर 2012 में) अनुमोदित किया गया था।

लेखापरीक्षण में (मार्च 2012 में) पाया गया कि आंशिक रूप से स्थापित बैडविथ क्षमता होने (फरवरी 2011) तथा लंदन से मुंबई तक ई आई जी केबल की दोनो छोरों पर संयोजन के बावजूद भी बी एस एन एल बी ए एल के सी एल एस के साथ नेटवर्क की संयोजकता न होने के कारण इनका उपयोग नहीं कर सका।

मंत्रालय ने (अप्रैल 2013 में) उत्तर दिया कि ई आई जी केबल प्रणाली को फरवरी 2011 में आंशिक रूप से स्थापित करने हेतु स्वीकार किया गया दोनो छोरों पर ई आई जी केबल प्रणाली के संयोजकता का उपयोग संभव नहीं था जैसा कि भा सं नि लि की मुख्य आवश्यकता यू एस ए तक संयोजक की थी जिसे दोनो छोरों पर संयोजकता के वगैर पूरा नहीं किया जा सकता था। भा सं नि लि ने बी ए एल से भी यह मामला उठाया था कि भा सं नि लि अपनी स्वयं की ई आई जी क्षमता का उपयोग वी ए एल द्वारा प्रस्तावित दरों पर करेगा। यदि टी आर ए आई कम सी एल एस आर आई ओ प्रभार अनुमोदित करता है तो सी एल एस आर आई ओ प्रभारों के अन्तर को भा सं नि लि को वी ए एल वापिस करेगा जिसके लिये बी ए एल तैयार नहीं हुआ। मंत्रालय ने यह भी बताया

⁴¹ केबिल लैंडिंग स्टेशन-रेफरेन्स अन्तःसंयोजन प्रस्ताव (सी एल एस आर आई ओ) एक ऐसा प्रस्ताव है जो केबिल लैंडिंग स्टेशन के मालिक द्वारा तैयार किया गया है, इसमें प्रवेश सुविधा के निबन्धन एवं शर्तें तथा ट्राय के अनुमोदन के बाद उपस्कर के पास स्थान निर्धारण प्रदर्शित हैं (अन्तर्राष्ट्रीय सबमैरिन केबिल की संयोजनीय प्रणाली हेतु केबिल लैंडिंग स्टेशन में सबमैरिन केबिल के लिये लैंडिंग सुविधायें शामिल हैं)।

(अप्रैल 2013 में) कि सी एल एस आर आई ओ प्रभारों के संबंध में टी आर आई द्वारा जारी 21 दिसम्बर 2012 की अधिसूचना जो 1 जनवरी 2013 से प्रभावी थी में सी एल एस आर आई ओ प्रभार बहुत कम कर दिये गये थे यह सिद्ध करता है कि बी ए एल द्वारा प्रस्तावित सी एल एस आर आई ओ प्रभार अत्याधिक थे।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जनवरी 2012 में केवल एक से दूसरे छोर की संयोजकता के बावजूद भी ई आई जी केबल बैडविथ का उपयोग नहीं किया जा सका जबकि यूनाईटेड किंगडम (यू के) के लिए भारतीय आई एल ओ प्रचालकों की तरफ से बी ए एल को सम्मिलित करते हुए बैडविथ क्षमता को किराये पर लेने के लिए खर्च किया गया था जिसका वर्णन आगे आने वाले पैरा में दिया गया है।

(ii) यूनाईटेड किंगडम (यू के) के लिए बैडविथ को किराये पर लेने के लिए किया गया खर्च व ई आई जी केबल प्रणाली के संचालन तथा अनुरक्षण की लागत का भुगतान

हलांकि ई आई जी केबल (लंदन से मुंबई) की एक छोर से दूसरे छोर तक की संयोजकता जनवरी 2012 में स्थापित हो गई थी। यू के के लिए भारतीय आई एल डी प्रचालकों की तरफ से बी ए एल को सम्मिलित करते हुए बैडविथ क्षमता को किराये पर लेने के लिए भा सं नि लि ने ₹3.96 करोड़ का परिहार्य व्यय किया था (जनवरी से सितंबर 2012) इसका विवरण **अनुलग्नक-XX** में है।

ई आई जी केबल प्रणाली के संचालन तथा अनुरक्षण की लागत का भुगतान

ई आई जी केबल प्रणाली के इस संघ के सदस्यों को ई आई जी केबल प्रणाली के संचालन तथा अनुरक्षण की लागत (सं व अ लागत) को बॉटना अपेक्षित था जैसा किसी और एम ए में दिया गया है। उन्हें संचालन तथा अनुरक्षण प्रभारों के अनुसार कीमत के अंश का बटवारा करना था हमने पाया (सितम्बर 2012 में) कि बी एस एन एल ने ई आई जी केन्द्रीय बिलिंग ब्यूरो⁴² को ई आई जी केबल प्रणाली संचालन तथा अनुरक्षण की कीमत 2.820 यू एस डालर अर्थात् ₹14.49 करोड़ (सितम्बर 2012 तक) भुगतान केबल प्रणाली के लिए बिना केबल के बैडविथ के प्रयोग के किया। इस प्रकार ₹14.49 करोड़ के प्रचलन तथा अनुरक्षण प्रभारों का भुगतान उसकी क्षमता के उपयोग के बगैर किया।

मंत्रालय ने (अप्रैल 2013 में) बैडविथ को किराये पर लेने के ऊपर हुए परिहार्य खर्च के संबंध में उत्तर दिया कि केवल लंदन तक ई आई जी की बैडविथ क्षमता को इंटरनेट के लिए प्राप्त करने से अन्तर्राष्ट्रीय बैडविथ की आवश्यकता पूर्ण नहीं हो सकती। क्योंकि इसके दूसरे छोर पर टियर-1 आई पी पोर्ट के साथ लॉफुल इंटरसेप्शन मानीटरिंग (एल आई एम) उपकरण की आवश्यकता थी। बैडविथ को बी ए एल से खुले टेंडर/ई ओ आई के माध्यम से खरीदा गया था जैसा कि दूसरे

⁴² ई आई जी सी व एम ए के अनुसार, यह निर्माण चरण व प्रचालन चरण के लिये केन्द्रीय बिलिंग पार्टी से संबंधित है।

इमपेनलड निविदा दाताओं के साथ किया गया था और ये बी ए एल के स्थान पर कीमतों के आधार पर और भी कोई इमपेनलड बोली लगाने वाले हो सकते थे। आगे (अप्रैल 2013) में मंत्रालय ने जोड़ा कि ई आई जी के सी और एम ए के अनुसार सभी पार्टी को संचालन व अनुरक्षण मूल्य अदा करना आवश्यक था। अगर पार्टी इस मूल्य को अदा नहीं कर पाती हैं तो संघ भुगतान में चूक के लिये क्षमता को डिएक्टीवेट कर सकता है जिसके लिये फिर दावा करना है।

मंत्रालय का उत्तर लेखापरीक्षा की आपत्ति से संबंधित नहीं था, कि यदि बी एस एन एल ने ई आई जी के संघ में बिना अवतरण अधिकारों के भाग लेना तय किया उसे बी ए एल से अन्तः संयोजन से जुड़े मुद्दों को सुलझा लेना चाहिये था व बैंडविथ क्षमता के उपयोग हेतु ई आई जी केबल की कमीशिनिंग के पहले सभी आवश्यक उपकरण लगाना चाहिये थे। इस प्रकार बैंडविथ को किराये पर लेने के खर्च को बी एस एन एल द्वारा बचाया जा सकता था।

इस प्रकार ई आई जी केबल की भारत और यूनाइटेड किंगडम (यू के) के बीच की कमिनिंग होने के बावजूद भी ई आई जी केबल चलाने के लिए बी एस एन एल अपना नेटवर्क बी ए एल के सी एल एस के साथ जोड़ने में असफल रहा जिससे ई आई जी केबल बैंडविथ का अनुपयोग हुआ व भारत के आई एल डी प्रचालकों से आई एल डी बैंडविथ को किराये पर लेने से ₹3.96 करोड़ का परिहार्य खर्च हुआ।

निष्कर्ष

इंटरनेट ग्राहकों के 55.32 प्रतिशत बाजार शेयर के साथ दूरसंचार ग्राहकों का बढ़ा बाजार होने के बावजूद, (मार्च 2012) बी एस एन एल भारत में एक्टीवेटेड अंतरराष्ट्रीय बैंडविथ क्षमता के केवल 0.9 प्रतिशत पर स्वामित्व कर पाई। बी एस एन एल समय पर अवतरण अधिकारों के सहित अतः समुद्री केबल संघ से जुड़ने का निर्णय समय पर लेने में विफल रहा व एल आई डी व्यवसाय के लिये आवश्यक मान्य उद्यम के प्रचालकों के देरी से हुए संचालन को भी लागू करने में असफल रहा। परिणामस्वरूप बी एस एन एल को संचारण मीडिया के लिए प्राइवेट भारतीय और विदेशी आई एल डी प्रचालकों पर निर्भर होना पड़ा।

5.6 महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड में वायरलाइन और बेतार सेवाओं के परिचालन का प्रदर्शन

5.6.1 परिचय

महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एम टी एन एल) राज्य के स्वामित्व वाला एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसे फरवरी 1986 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत गठित किया गया था। इसने दो मेट्रो परिमंडलों दिल्ली व मुंबई (मुंबई नगर निगम, नवी मुंबई नगर निगम व थाने नगर

निगम को सम्मिलित करते हुए) 28 फरवरी 1986 से टेलीकॉम सेवायें प्रदान करने के लिए अपना संचालन प्रारंभ किया। 31 मार्च 2012 में कंपनी के पास ₹630 करोड़ की शेयर पूंजी थी एवं उसका रिजर्व ₹1907 करोड़ था। कंपनी को नवम्बर 1997 में वित्तीय व परिचालन स्वायत्तता बढ़ने के कारण नवरतन का दर्जा दिया गया। वर्ष 2007-2008 के बाद से कंपनी का प्रदर्शन बिगड़ गया। इस प्रकार जबकि इकाई ने वर्ष 2007-08 में ₹587 करोड़ को लाभ अर्जित किया वहीं वर्ष 2011-12 में ₹4,110 करोड़ का घाटा झेलना पड़ा।

5.6.2 संगठनात्मक ढांचा

एम टी एन एल का प्रशासनिक व परिचालन नियंत्रण निदेशक मंडल में निहित है जिसकी अध्यक्षता चैयरमैन व प्रबंध निदेशक (सी एम डी) के नेतृत्व में की जाती है, जिसे तकनीकी, वित्त और मानव संसाधन के तीन प्रभारी कार्यकारी निदेशकों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। कम्पनी की दिल्ली और मुंबई की इकाइयों की अध्यक्षता कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है।

5.6.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

एम टी एन एल का एक मुख्य कार्य वायरलाइन व वायरलेस सेवाएँ प्रदान करना है। अप्रैल 2011 से जुलाई 2011 तक व अप्रैल 2012 से मई 2012 तक दिल्ली और मुंबई इकाइयों व नई दिल्ली में कंपनी के निगम कार्यालय में भी वर्ष 2007-2008 से वर्ष 2011-12 के दौरान वायरलाइन व वायरलेस सेवाओं के प्रदर्शन की जांच को ध्यान में रखते हुए एक विषयगत लेखापरीक्षा प्रारंभ की गई। वायरलेस सेवाओं के लिए प्रत्येक इकाई के तहत दोनों इकाइयों और चार उप लेखा इकाइयों में वायरलेस सेवाओं के लिए मोबाइल स्विचिंग सेंटर⁴³ (मो स्वि सें) को इन इकाइयों में एक्सचेंजों के उपयोग की प्रतिशतता के आधार पर अध्ययन करने के लिए चयनित किया गया। सितम्बर 2012 में मंत्रालय व प्रबन्धन को लेखापरीक्षा निष्कर्षों से अवगत कराया गया था उनका उत्तर जुलाई 2013 में प्राप्त हुआ था।

5.6.4 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

लेखापरीक्षा के आकलन व मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य थे

- (i) कम्पनी के गिरते राजस्व और अभिदाता बेस में खराब प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए वित्तीय व वास्तविक उपलब्धि;
- (ii) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भा दू वि प्रा) द्वारा तय किये गये मानकों के संदर्भ में कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता;

⁴³ मो स्वि सें प्राथमिक सेवा सुपुर्दगी नॉड है जो वायस काल व एस एम एस तथा अन्य सेवाओं का मार्गीकरण करने के लिये उत्तरदायी है। मो स्वि सें एक छोर से दूसरे छोर तक संयोजन स्थापित करता है, प्रदान करता है तथा लेता है, गतिशीलता को सम्भालता है तथा कॉल के समय आवश्यकता सौंपता है तथा प्रभार करने व पूर्व भुगतान लेखा के वास्तविक समय की मानीटरिंग का ध्यान रखता है।

- (iii) प्रशासनिक मंत्रालय के रूप में सहमति पत्र पर लक्ष्यों के संदर्भ में विभिन्न मानकों के तहत कंपनी के कार्यों का मूल्यांकन।
- (iv) कंपनी के प्रत्येक उपयोगकर्ता का औसत राजस्व (प्र उ औ रा)⁴⁴ व प्राइवेट प्रचालकों एवं समस्त भारत के ए आर पी यू के साथ इसकी तुलना;
- (v) दूरसंचार क्षेत्र में पाये गये विकास व अपनी अनुकूलन क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए कंपनी द्वारा प्रदान की गई वायरलाइन/वायरलैस सेवाओं की योजना और बुनियादी सुविधाओं के उपकरणों की खरीद।

5.6.5 लेखापरीक्षा पद्धति और लेखापरीक्षा मापदंड के क्षेत्र

जांच के लिए अपनाई गई लेखापरीक्षण कार्यप्रणाली में कंपनी के प्रदर्शन का मूल्यांकन निजी सेवा प्रदाताओं के साथ भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा तय किये गये विभिन्न मापदंडों के लिए सेवा की गुणवत्ता और समझौता पत्र के तहत दूरसंचार विभाग (दू वि) द्वारा निर्धारित उपलब्धि के कम्पनी की मूल्यांकन की शर्तें शामिल थीं। कंपनी के रिकार्डों, डाटा व ऐजेंडा की सिफारिशों और निदेशक मंडल की बैठक के कार्यवृत्त की जांच की गई। डाटा के स्रोत को जहाँ भी प्रयोग में लाया गया वहाँ संकेत दिया गया।

वित्तीय एवं भौतिक प्रदर्शन

वर्ष 2007-08 के पश्चात् कंपनी का प्रदर्शन खराब होने लगा जब सेवाओं से होने वाली आय ₹4,722 करोड़ (2007-08) से 29 प्रतिशत घटकर (2011-12) में ₹3,373 करोड़ ही रह गई जबकि अनुरूप समयावधि में खर्च बढ़ गया जोकि (2007-08) में ₹4,698 करोड़ था वह (2011-12) में ₹7,669 करोड़ हो गया जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2012 में ₹4,110 करोड़ का भारी नुकसान हुआ। इस अवधि के दौरान घाटे का मुख्य कारण क्षेत्र में कड़ी प्रतियोगिता, अधिक मानवशक्ति लागत जो उस समय 35 प्रतिशत से 58 प्रतिशत के बीच थी और 3जी व बी डब्ल्यू ए स्पैक्ट्रम⁴⁵ की ऊंची कीमतें थी जो कम्पनी द्वारा चुकाई गई थीं। नीचे दी गई तालिका-1 में 2007-08 से 2011-12 की समय अवधि में कम्पनी की आय व खर्च को दर्शाया गया है।

⁴⁴ प्र उ औ रा अपने प्रत्येक अभिदाता से सेवा सम्भारक द्वारा अर्जित राजस्व को बताता है। प्रत्येक खण्ड में अर्थात् सुसंगत अभिदाता बेस बेतार व वायरलाइन के द्वारा कुल अर्जित राजस्व की विभक्त करके परिकलित किया जाता है।

⁴⁵ 3 जी व बी डब्ल्यू ए स्पैक्ट्रम कम्पनी को आंबटित किया गया। एम टी एन एल में 3 जी व बी डब्ल्यू ए स्पैक्ट्रम प्राप्त करने के लिये ₹11097 करोड़ की राशि का भुगतान किया है। ₹7534 करोड़ के लोन जो कम अवधि के लिये थे, विभिन्न बैंकों से लिये गये जबकि एम टी एन एल ने शेष राशि का भुगतान अपने संसाधनों से किया था।

तालिका-1

(₹ करोड़ में)

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
सेवाओं से आय	4722	4456	3656	3674	3373
अन्य आय (ब्याज सहित)	607	794	1402	318	251
कुल आय	5329	5250	5058	3992	3624
कुल व्यय	4698	4986	8477	6767	7669
कर से पूर्व लाभ/(हानि)	631	264	(3419)	(2775)	(4045)
विनियोजन के लिये उपलब्ध लाभ/(हानि)	587	212	(2353)	(2563)	(4110)

(स्रोत: एम टी एन एल के लेखापरीक्षित लेखे)

आगे, कंपनी की सेवाओं से कुल आय में वायरलाइन व वायरलैस की सेवाओं की आय की रेंज दिल्ली इकाई में वर्ष (2007-08 में) 41 प्रतिशत, (2011-12 में) 49 प्रतिशत थी और मुंबई इकाई में (2007-08) में 53 प्रतिशत (2010-11) में 62 प्रतिशत थी। 2007-08 से 2011-12 की अवधि को (अनुलग्नक-XXI) में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा में कंपनी के भौतिक प्रदर्शन के विश्लेषण से पता चला कि आधारभूत सेवाओं (वायरलाइन) के उपयोग की क्षमता वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान (2008-09) में 63 प्रतिशत से (2011-12) में 64.70 प्रतिशत थी और मोबाइल (वायरलैस) सेवाओं में (2010-11) में 81.86 प्रतिशत से (2007-08) में 104.58 प्रतिशत थी। मुंबई में वायरलाइन क्षमता का पूर्ण उपयोग (2008-09) में 71.55 प्रतिशत से (2011-12) में 73.66 प्रतिशत के बीच था व दिल्ली में (2008-09) में 54.31 प्रतिशत से (2011-12) में 56.39 प्रतिशत के बीच था।

वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 के दौरान मुंबई में वायरलाइन क्षमता का प्रयोग (2010-11) में 81 प्रतिशत से (2007-08) में 133.06 प्रतिशत के बीच था जबकि दिल्ली में यह (2010-11) में 82.81 प्रतिशत से (2008-09) में 108.06 प्रतिशत था (अनुलग्नक-XXII)।

5.6.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के बीच वायरलाइन और वायरलैस सेवाओं के परिचालन प्रदर्शन पर महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को आगे के पैराग्राफों में दर्शाया गया है।

5.6.6.1 वायरलाइन अभिदाता बेस

दिल्ली व मुंबई दोनों परिमंडलों में सभी टेलीकाम आपरेटरों के वायरलाइन ग्राहकों की संख्या वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 में 19.89 प्रतिशत व 11.89 प्रतिशत बढ़ी। हालांकि यह महसूस किया

गया कि इसी अवधि के दौरान दिल्ली व मुंबई परिमंडलों में कंपनी का प्रतिकूल विकास क्रमशः 0.88 प्रतिशत व 9.84 प्रतिशत रहा जबकि इसी अवधि के दौरान निजी सेवा प्रदाताओं उदाहरणार्थ, भारती, टाटा व रिलायन्स ने दिल्ली में क्रमशः 50.55, 242.09 व 72.72 व मुंबई में 119.59, 77.31 और 86.28 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि दर्ज की जिसे तालिका-2 (क) व (ख) में दर्शाया गया है।

तालिका-2 (क)
वायरलाईन अभिदाता बेस -दिल्ली

सेवा सम्भरक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	5 वर्षों में प्रतिशतता वृद्धि
एम टी एन एल	1576918	1525981	1537460	1546432	1563034	-0.88
भारती	716755	821061	955591	1059694	1079056	50.55
टाटा	23313	27190	45324	56381	79752	242.09
रिलायन्स	106156	147077	172460	176311	183355	72.72
	2423142	2521309	2710835	2838818	2905197	19.89

(स्रोत: टेलीकाम रेगुलेटरी अथोरिटी ऑफ इंडिया)

तालिका-2(ख)
वायरलाईन अभिदाता बेस -मुंबई

सेवा सम्भरक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	5 वर्षों से अधिक प्रतिशतता वृद्धि
एम टी एन एल	2101452	2047225	1959294	1917537	1894695	-9.84
भारती	150692	264901	305901	330500	330903	119.59
टाटा	308870	407705	489963	523503	547664	77.31
रिलायन्स	124095	161570	190367	220316	231160	86.28
	2685109	2881401	2945525	2991856	3004422	11.89

(स्रोत: टेलीकाम रेगुलेटरी अथोरिटी ऑफ इंडिया)

मंत्रालय ने (जुलाई 2013) में कंपनी के खराब प्रदर्शन के अन्य कारणों के साथ आधारभूत सेवाओं की माँग में कमी, नए प्रचालकों का प्रवेश, अपने संचालन के सीमित क्षेत्र के कारण टैरिफ में गिरावट, वैल्यू ऐडेड सेवाओं का फिक्स लाइन नेटवर्क को गैर समर्थन, तीव्रता से बदलती तकनीक और नया विकास लाने में कंपनी की असमर्थता जैसे कारणों को भी प्रस्तुत किया।

मंत्रालय द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि मंत्रालय द्वारा बताये गये कंपनी के इस अवधि में दो परिमंडलों में खराब प्रदर्शन का कारण घातीय वृद्धि और प्राइवेट सेवा प्रदाताओं (प्र से प्र) का प्रदर्शन नहीं थे। नये विकास के प्रारम्भ से संबंधित प्रक्रिया के अनुकरण के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत अपने बाजार मूल्य को बनाए रखने हेतु अग्रिम कार्यवाही करनी चाहिए।

5.6.6.2 वायरलेस ग्राहक बेस

दिल्ली व मुंबई दोनों ही परिमंडलों में सभी टेलीकाम परिचालकों के वायरलेस ग्राहकों की संख्या 169 प्रतिशत व 152 प्रतिशत बढ़ी, (उदाहरणार्थ) दिल्ली में (2007-08 में) 1.05 करोड़ से (2011-12 में) 2.82 करोड़ व मुंबई में (2007-08 में) 89.37 करोड़ से (2011-12 में) 2.26 करोड़ हो गया। हांलांकि यह अनुभव किया गया कि दिल्ली परिमंडल में एम टी एन एल के ग्राहक आधार का विकास केवल 87 प्रतिशत था जबकि उनके मुख्य प्रतिस्पर्धियों⁴⁶ द्वारा 125-168 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। मुंबई में ग्राहक आधार में विकास दर 61 प्रतिशत थी जबकि उनके प्रतिस्पर्धियों⁴⁷ द्वारा 54 से 152 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त की जिसे (अनुलग्नक-XXIII) में दिया गया है। आगे, दिल्ली व मुंबई में कंपनी का बाजार मूल्य क्रमशः 4.31 प्रतिशत व 7.17 प्रतिशत कम हो गया।

मंत्रालय ने (जुलाई 2013) अपने संचालन के सीमित क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी टैरिफ की पेशकश में कठिनाई, नये/मौजूदा उपकरणों की खरीद/उन्नयन/विस्तार पर सरकार के दिशा निर्देशों के अनुपालन को प्राईवेट कंपनियों की वृद्धि से मुकाबला करने में असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संचालन के सीमित क्षेत्र में निजी स्पर्धियों द्वारा दोनों परिमंडलों में वृद्धि दर्ज कर ग्राहकों को जोड़े रखना/आकर्षित करने व बेहतर गुणवत्ता को बनाए रखने के मामले में अपनी सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया था। अधिग्रहण/विस्तार में रुकावट के लिये सरकार के दिशा निर्देशों के अनुकरण को कारण बताना उचित नहीं है।

(i) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी

भारत सरकार ने (नवम्बर 2007 में) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (मो न पो) को लागू करने का निर्णय लिया जिसके अंतर्गत चार मेट्रो शहरों में 2008 की चतुर्थ तिमाही से ग्राहक को सुविधा दी कि एक सेवा प्रदाता से दूसरे सेवा प्रदाता को बदलने पर भी अपना नंबर बनाए रख सकता है।

मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी का उद्देश्य था कि वह ग्राहकों को एक विकल्प प्रदान करें जिसके अनुसार अगर ग्राहक अपने मौजूदा सेवा प्रदाता से संतुष्ट नहीं है तो वह बिना अपना नंबर बदले अपना सेवा प्रदाता बदल सकता है।

लेखापरीक्षण ने पाया कि सरकार द्वारा (जनवरी 2011 में) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी को लागू करने के फलस्वरूप 31 मार्च 2012 के अन्त तक कुल 88648 ग्राहकों का नुकसान हुआ। आगे यह देखा गया कि एम एन पी के मुद्दों पर एम टी एन एल बोर्ड द्वारा सर्वप्रथम मई 2011 में

⁴⁶ भारती, वोडाफोन एवं आइडिया

⁴⁷ भारती, वोडाफोन एवं लूप

विचार किया गया अर्थात् सरकार के द्वारा लिये गये निर्णय के साढ़े तीन वर्ष बाद। कम्पनी को इस कदम को उठाने में देरी के फलस्वरूप एम एन पी के अंतर्गत ग्राहक आधार का उल्लेखनीय नुकसान हुआ जैसाकि तालिका-3 में दर्शाया गया है।

तालिका -3

यूनिट का नाम	पोर्ट इन		पोर्ट आउट		(+) निवल लाभ / (-) हानि	
	जनवरी से मार्च 11	2011-12	जनवरी से मार्च 11	2011-12	जनवरी से मार्च 11	2011-12
	1		2		3(1-2)	
दिल्ली	5593	14347	17022	41280	(-) 11429	(-)26933
मुम्बई	2125	5376	17676	40111	(-) 15551	(-)34735
कुल	7718	19723	34698	81391	(-) 26980	(-)61668

मंत्रालय ने ग्राहक द्वारा सेवा से असंतुष्टि को पोर्टिंग आउट के लिये एक कारण के तौर पर पुष्टि करते हुए दूसरा कारण यह भी बताया कि उपभोक्ता सत्यापन पर जोर तथा ग्राहकों को कम्पनी छोड़ने के लिए बिलों के गैर भुगतान भी जिम्मेदार है। मंत्रालय का यह उत्तर युक्ति संगत नहीं था क्योंकि मंत्रालय द्वारा बताये गये उक्त दोनों कारणों की स्थिति में ग्राहकों द्वारा दूरभाष संयोजन वापस या रद्द कर दिया जाता न कि वे अन्य सेवा प्रदाताओं के पास (पोर्टिंग आउट) के अंतर्गत जाते।

5.6.6.3 सेवा की गुणवत्ता

भारतीय दूरसंचार विनियमन प्राधिकार (ट्राई) ने बेसिक तथा सेल्यूलर टेलीफोन सेवाओं के लिए वर्ष 2000, 2005 तथा 2009 में विनियमन जारी किया जिसके अंतर्गत वायरलाईन सेवा के लिए सेवा की गुणवत्ता मानदंड 11 से 13 तथा बेतार सेवा के लिए सेवा की गुणवत्ता मानदंड 10 से 19 के बेंचमार्क निर्धारित किए गए।

ट्राई के तिमाही रिपोर्टों के विश्लेषण के आधार पर यह देखा गया कि वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 के दौरान कंपनी का वायरलाईन सेवा के लिए कुल नौ मानदंडों⁴⁸ में दिल्ली और मुम्बई में क्रमशः छः और पांच मानदंडों⁴⁹ के अंतर्गत प्रदर्शन निर्धारित बेंचमार्क से काफी कम था जिसका विवरण अनुलग्नक-XXIV में उपलब्ध है। यह भी देखा गया कि एम टी एन एल को वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान फाल्ट तीन दिनों से ज्यादा लंबित रहने के कारण किराए में छूट के तौर पर कुल ₹8.78 करोड़ (मुम्बई-₹3.66 करोड़, दिल्ली ₹5.12 करोड़) भी वापस करना पड़ा था।

⁴⁸ प्रतिमाह प्रति 100 उपभोक्ताओं पर दोषप्रभार, अगले कार्यदिवस पर दोष सुधार का प्रतिशत, 3 दिन के भीतर दोषसुधार का प्रतिशत, किराया छूट (कुल मामले), सुधार का मध्य समय (एम टी टी आर), काल पूर्णता दर, अभिग्रहण में उत्तर, मीटरिंग व बिलिंग विश्वसनीयता, बिलिंग/चार्जिंग/वैद्यता शिकायतों का प्रस्ताव।

⁴⁹ प्रतिमाह प्रति 100 उपभोक्ताओं पर दोषप्रभार, अगले कार्यदिवस पर दोष सुधार का प्रतिशत, 3 दिन के भीतर दोषसुधार का प्रतिशत, किराया छूट (कुल मामले), सुधार का मध्य समय (एम टी टी आर), काल पूर्णता दर।

कंपनी वायरलाइन सेवा के क्षेत्र में गत कई दशकों से सेवारत होने के बावजूद भी इस सेवा से संबंधित चार से छः मानदंडों⁵⁰ के परिपेक्ष्य में दिल्ली और मुंबई सर्किलों (अनुलग्नक-XXV एवं XXVI) में कंपनी अपने प्रतिभागी कंपनियों (निजी संचालकों) के प्रदर्शन से बराबरी करने में असफल रही।

बेतार सेवा के क्षेत्र में भी कंपनी दिल्ली तथा मुंबई में क्रमशः दो से छः मानदंड⁵¹ तथा दो से आठ मानदंडों⁵² के परिपेक्ष्य में प्रदर्शन में निजी संचालकों से बराबरी करने में असफल रही (अनुलग्नक-XXVII एवं XXVIII)।

मंत्रालय ने लक्ष्य प्राप्ति में कमी संबंधी उपरोक्त विवरण को स्वीकार करते हुए वायरलाइन सेवा में खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार विभिन्न कारणों में ड्राप वायर का लम्बा स्पन, एम सी डी, डी एम आर सी, दिल्ली जल बोर्ड तथा अन्य बाहरी एजेंसियों द्वारा बिना कंपनी के साथ तालमेल के बार-बार खुदाई कार्य, अन्य निजी संचालकों द्वारा हाल में बनाए गए नेटवर्क की तुलना में 20 वर्ष पुराना नेटवर्क, केबल चोरी, सरकारी दिशा निर्देश के अंतर्गत काम करने की बाध्यता आदि का उल्लेख (जुलाई 2013) किया। बेतार सेवा के क्षेत्र में मंत्रालय ने, यह उल्लेख करते हुए कि बेहतर सेवा की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, यह भी स्पष्ट किया कि एम टी एन एल के प्रदर्शन को अन्य निजी कंपनियों से तुलना करना उचित नहीं होगा क्योंकि एम टी एन एल को जहां अलग परिस्थितियों में कार्य करते हुए सरकारी दिशा निर्देश का पालन पड़ता है, वहीं निजी कंपनियाँ अपने पसंद के वेंडरों के साथ मोलभाव कर बिना समय गंवाए अपने नेटवर्क को अपग्रेड करने/फैलाने/सुधारने से संबंधी निर्णय ले सकते हैं।

मंत्रालय द्वारा खराब परिणाम के लिए बताए गए कारण समुचित नहीं हैं क्योंकि ये सारी स्थितियां नियंत्रण करने लायक है तथा इन्हें प्रभावी उपायों और समन्वित रखरखाव, सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार अग्रिम कार्रवाई, दूरभाष सघनता में बढ़ोतरी तथा निर्धारित सेवा की गुणवत्ता बनाये रखने को सुनिश्चित करने हेतु इसे पूर्वानुमानित विस्तार द्वारा दूर किया जा सकता है। एम टी एन एल के लिए आवश्यक है कि क्षमता विस्तार से संबंधित तथा वायरलाइन व बेतार सेवाओं को अपग्रेड करने वाली परियोजनाओं में तेजी लायें।

⁵⁰ प्रतिमाह प्रति 100 उपभोक्ताओं पर दोषप्रभार, अगले कार्यदिवस पर दोष सुधार का प्रतिशत, 3 दिन के भीतर दोषसुधार का प्रतिशत, किराया छूट (कुल मामले), सुधार का मध्य समय (एम टी टी आर), काल पूर्णता दर, अभिग्रहण में उत्तर, अतिरिक्त सुविधा (अनुरोध का 95%)।

⁵¹ बी टी एस संग्रहीत डाउन टाइम, बुरी तरह प्रभावित बी टी एस, कॉल स्थापित सफलता दर, कॉल ड्राप दर, बुरी तरह प्रभावित कॉल जिसमें 3% से अधिक टी सी एच ड्राप है, उत्तम ध्वनि गुणता के साथ संयोजन प्रतिशतता।

⁵² बी टी एस संग्रहीत डाउन टाइम, बुरी तरह प्रभावित बी टी एस, कॉल स्थापित सफलता दर, कॉल ड्राप दर, बुरी तरह प्रभावित कॉल जिसमें 3% से अधिक टी सी एच ड्राप है, उत्तम ध्वनि गुणता के साथ संयोजन प्रतिशतता, कॉल केन्द्र में प्रवेश, समाप्ति के बाद जमा-वापसी में लिया गया समय, मीटरिंग व बिलिंग विश्वसनीयता-पोस्ट पेड/प्री पेड।

5.6.6.4 दूरसंचार विभाग के मानदंडों के अनुसार कंपनी का प्रदर्शन

प्रशासनिक मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) प्रत्येक वर्ष छमाही आधार पर तीन विस्तृत मानदंडों वित्तीय, गतिशील व सामान्य/भौतिक के अंतर्गत क्रमशः सात, ग्यारह व नौ पर कंपनी की सेवा का मूल्यांकन करता है। इस मूल्यांकन के दौरान मंत्रालय का संबंधित कार्य बल कंपनी विपणन स्थिति के अलावा इसकी अन्य खास समस्याओं की समीक्षा करता है तथा उपभोक्ता संतुष्टि को बढ़ाने हेतु तकनीकी सम्मिश्रण व विनिर्दिष्ट स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए 3जी तथा बाईमैक्स सेवाओं की शीघ्र शुरुआत जैसे विभिन्न उपाय सुझाने का कार्य करता है।

- लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कंपनी दूरसंचार विभाग द्वारा वित्तीय मानदंडों के अंतर्गत 5 बिंदुओं जैसे सकल मार्जिन/सकल ब्लॉक; निवल लाभ/निवल मूल्य; सकल लाभ/पूंजी लगाना; सकल मार्जिन और सकल विक्रय के लिए निर्धारित लक्ष्य पाने में असफल रही तथा 2008-09 से इसे खराब रैंक में रखा गया जिसका विवरण **अनुलग्नक-XXIX** में उपलब्ध है।

कम्पनी का निवल मूल्य⁵³ 2007-08 के ₹11921 करोड़ से 2011-12 में ₹2536 करोड़ तक गिरा है जो यह इंगित करता है कि अगर कंपनी का यही प्रदर्शन जारी रहा तो इसका निवल मूल्य आगे और भी घट सकता है। कंपनी के खराब प्रदर्शन के बावजूद भी मंत्रालय द्वारा ऊंचे तथा अव्यवहारिक लक्ष्य निर्धारण जारी रहा जिसे कंपनी द्वारा कभी प्राप्त नहीं किया जा सका।

- सेवा की गुणवत्ता से संबंधित गतिशील मानदंडों के अंतर्गत पांच बिंदुओं जैसे खराबी दर, खराबी दूर करना, उपभोक्ता का बाजार अंश, प्रति इकाई औसत राजस्व के अंतर्गत कंपनी का प्रदर्शन ज्यादातर खराब और अच्छे के बीच रहा जिसका विवरण **अनुलग्नक-XXX** में उपलब्ध है।
- कंपनी मार्च 2012 को समाप्त होने वाली 5 वर्ष की अवधि के तीन वर्ष और चार वर्ष के दौरान क्रमशः सामान्य मानदंड के अंतर्गत क्षमता विस्तार तथा उपभोक्ता आधार में वृद्धि से संबंधित लक्ष्य को पूरा करने में असफल रही, जिसका विवरण **अनुलग्नक-XXXI** में उपलब्ध है। कंपनी के प्रबंधन/निदेशक मंडल ने भी दिल्ली और मुंबई इकाई के लिए वायरलाईन तथा बेतार सेवा के क्षेत्र में उपभोक्ता आधार बढ़ाने तथा क्षमता विस्तार हेतु समयबद्ध निगरानी तथा कंपनी के प्रदर्शन की समीक्षा से संबंधित कोई वार्षिक लक्ष्य तय नहीं किया।

⁵³ प्रदत्त पूंजी जिसमें रिजर्व व अधिशेष सहित जिसमें से संग्रहीत हानि को कम किया गया।

कंपनी के लगातार खराब प्रदर्शन को देखते हुए सर्वोच्च समिति⁵⁴ (जुलाई 2008) ने लोक उपक्रम विभाग के द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय से कंपनी को 2008-09 में अपने प्रदर्शन में सुधार नहीं करने की स्थिति में नवरत्न के दर्जे को वापस लेने हेतु अनुमोदन मांगा। लोक उपक्रम विभाग ने प्रशासनिक मंत्रालय को इस निर्णय से अवगत कराया (दिसम्बर 2011)। परंतु मंत्रालय ने विभिन्न कारणों का उल्लेख करते हुए लोक उपक्रम विभाग को अपने उक्त निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया (फरवरी-2012) जिसका जबाव लोक उपक्रम विभाग से प्रतीक्षित था (जुलाई 2013)। कंपनी के 2008-09 से लगातार गिरते प्रदर्शन के बावजूद भी इसके नवरत्न का दर्जा कायम है।

तथ्यों की पुष्टि करते समय मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2013) कि मुख्य कारणों जिनसे वित्तीय पैरामीटर बुरी तरह प्रभावित हुआ है, वे थीं वेतन संशोधन/बकाया, पेंशन भुगतान, स्टाफ अधिक होना, टैरिफ में कमी, प्रचालन का सीमित क्षेत्र, कम्पनी की प्रचालन स्थिति, बहुत पुराना नेटवर्क, नीलामी कीमतों आदि पर आधारित 3जी व बी डब्ल्यू ए स्पेक्ट्रम के लिए एक मुश्त उच्च स्पेक्ट्रम फीस आदि। अन्य पैरामीटर के संबंध में, मंत्रालय ने बताया कि दिल्ली व मुंबई सबसे अधिक प्रतिस्पर्धात्मक व संतृप्त बाजार हैं और म टे नि लि तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करता है इससे टैरिफ व ग्राहक अवरोधन तथा अधिग्रहण पर दबाव पड़ा। मंत्रालय ने यह भी बताया कि कम्पनी की वार्षिक योजना में अभिदाता बेस व क्षमता विस्तार के लिए वार्षिक लक्ष्यों में, अर्द्धवार्षिक उपलब्धियों के आधार पर संशोधन किया गया था, परन्तु समझौता ज्ञापन में संशोधित लक्ष्य स्वीकार नहीं किये जा सकते थे क्योंकि समझौता ज्ञापन लक्ष्यों में मध्य अवधि संशोधन के लिए कोई प्रावधान नहीं था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। यद्यपि वेतन संशोधन, बकाया भुगतान व पेंशन भुगतान के कारण नकद बहाव से 3जी व बी डब्ल्यू ए स्पेक्ट्रम के लिए एक मुश्त स्पेक्ट्रम फीस ने वित्तीय पैरामीटर को प्रभावित किया, सेवा की गुणता से संबंधित सक्रिय पैरामीटर पर खराब प्रदर्शन ने कम्पनी के राजस्व बेस को और भी नष्ट कर दिया। सक्रिय पैरामीटर व भौतिक पैरामीटर में खराब प्रदर्शन के लिए उद्घृत कारण अवसंचरचना के खराब रख-रखाव व खराब मानीटरिंग व अनुवर्ती कार्रवाई की पुष्टि करते हैं।

5.6.6.5 औसत राजस्व प्रति उपभोक्ता

औसत राजस्व प्रति उपभोक्ता (ए आर पी यू) एक ऐसा माप है जिसका उपयोग सेवा सम्भरक द्वारा अपने प्रत्येक अभिदाता से अर्जित औसत राजस्व दर्शाने के लिए किया जाता है। यह कम्पनी को प्रति उपभोक्ता अथवा यूनिट आधार पर एक दृष्टिकोण देता है तथा राजस्व स्रोत को मार्ग पर लाने और वृद्धि के लिए इसे स्वीकार करता है।

यह देखा गया था कि वायर लाइन सेवाओं में दिल्ली परिमंडल में कम्पनी का औसत राजस्व प्रति उपभोक्ता (ए आर पी यू) में 31.37 प्रतिशत की कमी आई। यह ₹816 प्रति माह (2007-08) से

⁵⁴ सर्वोच्च समिति जिसकी अध्यक्षता केबिनेट सचिव द्वारा की जाती है व इसमें वित्त सचिव/व्यय सचिव, सचिव आयोजना आयोग, सचिव डी पी ई व सदस्यों के रूप में सचिव, प्रशासनिक मंत्रालय।

गिरकर ₹560 प्रति माह (2011-12) में हो गया था। मुम्बई परिमंडल के लिए सुसंगत आंकड़े ₹1060 प्रतिमाह व ₹840 प्रतिमाह थे अर्थात् ए आर पी यू में 21 प्रतिशत गिरावट थी। लेखापरीक्षा में देखा कि दिल्ली व मुम्बई यूनिट में राजस्व में गिरावट क्रमशः 32 प्रतिशत व 34 प्रतिशत थी तथा दिल्ली व मुम्बई परिमंडलों के अभिदाता बेस में गिरावट क्रमशः 1 प्रतिशत व 17 प्रतिशत थी (अनुलग्नक-XXXII)।

बेतार सेवाओं में कम्पनी की ए आर पी यू में दिल्ली यूनिट में 39 प्रतिशत की कमी आई, जो कि 2007-08 से 2011-12 में ₹222 प्रति माह से गिरकर ₹135 प्रति माह हो गया था। जबकि मुम्बई परिमंडल के लिए संबंधित आंकड़े ₹231 प्रति माह व ₹75 प्रति माह अर्थात् ए आर पी यू में 67 प्रतिशत गिरावट थी। लेखा परीक्षा ने देखा कि दिल्ली यूनिट में राजस्व में 19 प्रतिशत वृद्धि देखी गई तथा मुम्बई यूनिट में राजस्व में 46 प्रतिशत कमी देखी गई थी। तथापि, यह संबंधित अवधि में दिल्ली यूनिट में 95 प्रतिशत व मुम्बई यूनिट में 67 प्रतिशत के अभिदाता बेस में वृद्धि के बावजूद था (अनुलग्नक-XXXII)। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया था कि बेतार सेवा में कम्पनी का ए आर पी यू सभी वर्षों में संबंधित परिमंडलों में निजी ऑपरेटरों के औसत ए आर पी यू से कम था जैसा कि नीचे की तालिका-4 में वर्णित है:

तालिका-4

(आंकड़े ₹ में)

वर्ष	औसत राजस्व प्रति प्रयोक्ता/माह (बेतार सेवा)				
	एम टी एन एल - दिल्ली	निजी आपरेटर - दिल्ली	एम टी एन एल- मुम्बई	निजी आपरेटर - मुम्बई	निजी आपरेटर - अखिल भारत
2007-08	221.52	393.35	231.18	432.46	277.49
2008-09	185.63	323.29	154.90	335.93	225.78
2009-10	147.53	252.73	104.19	240.29	167.69
2010-11	130.08	181.80	78.59	192.81	129.30
2011-12	134.94	लागू नहीं	74.59	लागू नहीं	लागू नहीं

(स्रोत: निजी ऑपरेटरों के प्रकरण में भारत के सेल्यूलर आपरेटर एसोसिएशन की वेबसाइट)

मंत्रालय ने बताया कि ए आर पी यू में कमी अन्य ऑपरेटरों की उपस्थिति के कारण थी तथा मोबाईल सेवा में एम टी एन एल का प्रवेश निजी ऑपरेटरों की तुलना में विलम्ब से हुआ था इसके कारण मुख्य ग्राहकों को निजी प्रयोक्ताओं ने अंशदाता बनाया। इसके अतिरिक्त, प्रचालन क्षेत्र के सीमितीकरण ने भी राजस्व शेयर को प्रभावित किया था। मंत्रालय का तर्क ठीक नहीं है क्योंकि निजी ऑपरेटरों जिनमें मोबाईल सेवाओं में प्रवेश एम टी एन एल की अपेक्षा काफी देर से किया था, अभिदाता बेस व राजस्व के निबंधनों में एमटीएनएल से बेहतर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, यद्यपि निजी प्रयोक्ताओं द्वारा मुख्य उपभोक्ताओं को अंशदाता बनाया गया है, यदि गुणता-सेवा निजी

प्रयोक्ताओं से बेहतर हो तो एम एन पी के द्वारा उन्हें भी एमटीएनएल दायरे में लाया जा सकता है।

5.6.6.6 अधिप्राप्ति

(i) आगामी जेनरेशन नेटवर्क (एन जी एन) उपस्कर की अधिप्राप्ति में निवेश का अवरोधन।

आगामी जेनरेशन नेटवर्क (एन जी एन) उपस्कर उन्नत किस्म का स्विच है जो कि सार्वजनिक स्विच दूरभाष नेटवर्क में लम्बी दूरी के संचार के लिए एक मार्ग से दूसरे मार्ग के प्रेषण यातायात हेतु एक्सचेंज के बीच अन्तः सम्बद्धता प्रदान करता है। एन जी एन उपस्कर का उपयोग एक्सचेंज (ई लिंक) के माध्यम से अन्तःसम्बद्धता प्रदान करने तथा परम्परागत एक्सचेंज को बदलने के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग अन्य ऑपरेटरों को अन्तः संयोजन बिन्दु (पी ओ आई) देने के लिए भी किया जाता है। चूंकि अधिकतर विद्यमान एक्सचेंज, जो कि कम्पनी द्वारा प्रचालन में थे, 10 वर्ष से अधिक पुराने थे और कम्पनी ने बेहतर सेवा देने के लिए परिष्कृत प्रौद्योगिकी के साथ इसे बदलने तथा बाजार शेयर बढ़ाने के लिए अन्य ऑपरेटरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए भी कोई कार्रवाई शुरू नहीं की थी, एम टी एन एल ने एन जी एन नेटवर्क जैसे स्विचिंग उपस्करों के लिए विकल्प लेने का निर्णय किया ताकि काफी पुराने उपस्करों पर भार कम किया जा सके और इससे उनकी कुशलता बढ़ सके।

तदनुसार, कम्पनी ने मैसर्स जेड टी ई टेलीकॉम को ₹6.02 करोड़ की लागत (दिल्ली ₹3.01 करोड़ मुम्बई ₹3.01 करोड़) पर 64,000 एन जी एन उपस्कर (दिल्ली परिमंडल में चार स्थलों के लिए 32,000 तथा मुम्बई परिमंडल में चार स्थलों के लिए 32,000) की अधिप्राप्ति के लिए आदेश दिये थे (दिसम्बर 2007)। यह भी देखा गया था कि सभी आठ स्थानों पर हार्डवेयर की आपूर्ति की गई थी। (जून/अगस्त 2008) तथा दिल्ली परिमंडल में मार्च 2009 में उपस्कार चालू किये गये थे तथा मुम्बई परिमंडल में अगस्त 2009 से नवम्बर 2009 तक अस्थिर तरीके से चालू किये गये थे। इस प्रकार, आदेश के निष्पादन में दिल्ली में आठ माह से अधिक व मुम्बई में एक वर्ष से अधिक विलम्ब था। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने 17 मार्च 2009 को विक्रेता के लिए पी ए सी (परियोजना स्वीकृति प्रमाणपत्र) जारी किया था। तथापि, जब सेवा असंतोषजनक थी, कम्पनी ने ₹0.37 करोड़ (दिल्ली ₹0.27 करोड़, मुम्बई ₹0.10 करोड़) के परिनिर्धारित नुकसान की कटौती करने के बाद ₹1.36 करोड़ की राशि (दिल्ली ₹0.62 करोड़, मुम्बई ₹0.74 करोड़) पहली किश्त में दे दी थी जो कि विक्रेता द्वारा उपस्कर सौंपने में विलम्ब के कारण थी। शेष राशि का भुगतान आपूर्ति किये गये उपस्कर के पुष्टीकरण न होने के कारण नहीं किया गया। अप्रैल 2011 में, मुम्बई यूनिट ने बताया कि मुम्बई परिमंडल में 25 प्रतिशत लैंड लाईन यातायात के लिए पारगमन एक्सचेंज के रूप में उपस्कर का उपयोग किया गया था जबकि दिल्ली परिमंडल में, उपस्कर का उपयोग 31 मार्च 2012 को मात्र 52 प्रतिशत था।

इस प्रकार, एन जी एन जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रारम्भ होने के बावजूद भी जिसको पूंजीकरण और बाजार शेयर/अभिदाता बेस को बढ़ाने के लिये खरीदा गया था, कम्पनी अपनी सेवाओं में कोई वास्तविक सुधार करने में असमर्थ थी। विद्यमान समस्यायें जो पुराने एक्सचेंजो से संबंधित थी जैसे यातायात की भीड़भाड़ तथा खराब सम्बद्धता से सम्बद्ध थीं जो कि अभी भी है इसके कारण एमटीएनएल के अभिदाता बेस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तथा वायरलाइन सेवाओं से आय में कमी हुई जो कि परियोजना के अपूर्ण निष्पादन के कारण ₹1.36 करोड़ की राशि के निवेश के अवरोधन के अतिरिक्त था।

मंत्रालय ने अपरीक्षित प्रौद्योगिकी लगने की पुष्टि करते हुए बताया कि (जुलाई 2013) प्राप्त अनुभव से कम्पनी एन जी एन प्लेटफार्म पर आधारित सी डॉट विकसित आई एम एस के माध्यम से अपने पारस्परिक स्थिर लाइन स्विच बदलने की सम्भावना तलाश कर रही है। उत्तर पुष्टि करता है कि कम्पनी अभी भी प्रौद्योगिकी को सृदृढ़ बनाने की प्रक्रिया में है ताकि इसकी वायरलाइन सेवाओं परिष्कृत करने के लिए इसका उपयोग किया जा सके।

(ii) बेतार सेवायें

(क) बेतार क्षमता के विस्तार में विलम्ब

ग्लोबल सिस्टम मोबाईल संचार की बढ़ती मांग पर विचार करते हुए कम्पनी के निदेशक बोर्ड ने 2 मिलियन लाईन (2000 के) आदेश देने हेतु अनुमोदन दिया (16 सितम्बर 2005) जो कि अधिप्राप्ति की कुल निविदित मात्रा 4 मिलियन (4000 के लाइन) का 50 प्रतिशत था ताकि दिल्ली परिमंडल की आवश्यकता को पूरा किया जा सके जबकि मुम्बई परिमंडल के लिये मैसर्स आई टी आई को आरक्षण कोटा⁵⁵ के द्वारा शेष 50 प्रतिशत अधिप्राप्त किया जाना था। विस्तार आवश्यक हो गया था क्योंकि विद्यमान क्षमता पर भार अधिक⁵⁶ हो गया था अर्थात् 30 सितम्बर 2006 को दोनों यूनिट में 100 प्रतिशत से अधिक भार था।

ग्लोबल निविदा 2 मिलियन लाइन की अधिप्राप्ति के लिये जारी की गई थी (03 फरवरी 2006) तथा विस्तार के लिये आदेश टर्न की आधार पर दो चरणों में दिये गये थे जैसाकि नीचे तालिका-5 में वर्णित है:

⁵⁵ प्रशासनिक मंत्रालय के निर्देशानुसार, एम टी एन एल मैसर्स आई टी आई में अधिप्राप्ति के लिये 30 प्रतिशत आदेश देने हेतु अपेक्षित है। त्वरित प्रकरण में, दिल्ली व मुम्बई के लिये अलग-अलग आदेश दिये गये थे।

⁵⁶ जी एस एम नेटवर्क क्षमता का विस्तार दिल्ली यूनिट में 1.091 मिलियन अभिदाता बेस के साथ 1.025 मिलियन था। (30 सितम्बर 2006)।

तालिका-5

1	2	3	4	5	6	7	8
फेज संख्या	क्रय आदेश दिनांक	पूर्तिकार का नाम	क्षमता (के लाइन में)	मूल्य (₹करोड़ में)	स्थापन की तिथि		
					मूल	पुनः निर्धारित	वास्तविक
I	20.10.2006	मोटरोला	750के - 2जी	217.69	19.10.07	i)10.01.2008 ii)31.12.2008	31.12.2008
II	02.12.2008	मोटरोला	250के - 3जी (फेस I के विरुद्ध) 1000के - (2जी:500के; 3जी:500के फेस II के विरुद्ध)	250.42	01.12.09	02.09.2010	250के (फेस-I):02.08.09 फेस-II 500के: 02.02.10 500के: अक्टूबर 2010

(स्रोत: क्रय आदेश दिनांक 20.10.2006 तथा 2.12.2008)

कम्पनी ने 20 अक्टूबर 2007 से 10 जनवरी 2008 को फेज-1 की सुपुर्दगी इस तर्क पर पुनः निर्धारित (अक्टूबर 2007) की कि आदेशित उपस्कर के प्रतिष्ठापन के लिये अवसंरचना प्रदान करने में विलम्ब इनकी तरफ से ही था। इसके अतिरिक्त परिनिर्धारित नुकसान के साथ सुपुर्दगी अवधि 31 दिसम्बर 2008 पुनः निर्धारित की गई थी।

फेज-2 आदेश के सम्बंध में कम्पनी ने निर्णय किया (जनवरी 2010) कि अन्य आपरेटरों व आई पी सम्भरक स्थलों के साथ बी टी एस शेयरिंग के कारण, अवसंरचना सामग्री (ऊर्जा सयंत्र व बी टी एस मर्दे) जो फेज-1 के लिये आदेशित थी अतिरिक्त हो गई और सूची स्टाक को बनने से बचने के उद्देश्य से फेज-2 के लिये आदेशित सामग्री में सुधार किये जाने की आवश्यकता थी। इस प्रकार सुपुर्दगी तारीख परिनिर्धारित नुकसान के बिना 02 दिसम्बर 2009 से 02 सितम्बर 2010 पुनः निर्धारित की गई थी।

तथापि, हमने देखा (अप्रैल से जुलाई 2011) कि कम्पनी द्वारा सुपुर्दगी अवधि के विस्तार की प्रक्रिया केवल जनवरी 2010 में अर्थात् मूल सुपुर्दगी अवधि की समाप्ति के बाद शुरू की गई थी इसके अतिरिक्त, फेज-I आदेश के विरुद्ध प्राप्त अधिशेष सामग्री का स्टांक समय पर लेने में कम्पनी की विफलता से इस तथ्य पर विचार हुआ कि फेज-II आदेश देने से पहले (02 दिसम्बर 2008) फेज-I आदेश निष्पादित किया गया था (10 जनवरी 2008) इसके कारण आदेश के निष्पादन के लिये विक्रेता को अनावश्यक विस्तार दिया गया था।

हमने देखा (अप्रैल से जुलाई 2011) कि उपस्कर का विस्तार चालू करने में विलम्ब के कारण अन्य सेवा सम्भरकों की तुलना में सम्भाव्य अभिदाताओं की हानि हुई। 2007-08 से 2011-12 में निजी आपरेटरों के अभिदाता बेस में तीव्र वृद्धि से यह स्पष्ट है (अनुलग्नक-XXIII के संदर्भ में)। दिल्ली

परिमंडल में अभिदाता बेस 2007-08 से 2009-10 की अवधि में लगभग 53 प्रतिशत बढ़ गया था। जबकि एम टी एन एल 2006 में 100 प्रतिशत क्षमता (लाइन) से अधिक प्रचालन पहले से ही कर रहा था, नये उपस्कर को चालू किये जाने में विलम्ब से एम टी एन एल अपने ग्राहक बेस में वृद्धि करने में असमर्थ रहा यद्यपि दिल्ली में अभिदाता बेस निजी क्षेत्र के सेवा सम्भरकों से घातांकी वृद्धि का साक्षी है।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जुलाई 2013) कि नेटवर्क की यातायात की सम्भाल क्षमता वास्तविक अभिदाता यातायात से अधिक है और इस प्रकार क्षमता क्षीणता के कारण कम्पनी को हानि नहीं हुई है।

तथापि, उत्तर ठीक नहीं है, यद्यपि यातायात सम्भाल क्षमता पहले से अधिक थी, सेवा की गुणवत्ता के संबंध में कम्पनी का निष्पादन क्षमता के अधिक भार के कारण प्रभावित होगी।

(ख) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (आई टी आई लिमिटेड) से क्रय में बेतार क्षमता के विस्तार में विलम्ब—मुम्बई परिमंडल की विस्तार योजना

कम्पनी ने मुम्बई परिमंडल के लिये दो फेज में रिजर्वेशन कोटा के अन्तर्गत टर्न-की आधार पर मैसर्स आई टी आई लिमिटेड को 2 मिलियन (2000 के) लाइनों के लिये शेष आदेश ₹348 करोड़ की कुल लागत पर दिये जैसाकि नीचे वर्णित है:

- (1) कुल मूल्य ₹231.37 करोड़ पर दिनांक 07 अक्टूबर 2006 (फेज I) को (दिनांक 15 अक्टूबर 2009 के ज्ञापन द्वारा क्रय आदेश मूल्य में संशोधन कर ₹167.46 करोड़ किया गया) तथा
- (2) कुल मूल्य ₹180.54 करोड़ पर क्रय आदेश दिनांक 29 अक्टूबर 2008 (फेज II)।

मार्च 2007 को कम्पनी के मुम्बई परिमण्डल में 1.325 मिलियन लाइन की विद्यमान क्षमता का विस्तार 2 मिलियन लाइन से करने के लिये आदेश थे।

आदेशानुसार, फेज I (0.750 मिलियन लाइनों के लिये) 12 महीनों में अर्थात् 06 अक्टूबर 2007 तक पूरा किया जाना था और फेज II (1.250 मिलियन लाइनों के लिये) 8 माह के भीतर अर्थात् 28 जून 2009 के बाद तक पूरा किया जाना था। उसी के लिये 1 मिलियन लाइन (फेज I) 2008-09 में चालू की गई थी (मार्च 2009) और 0.5 मिलियन लाइन (फेज II) 2010-11 में चालू की गई थी। इस प्रकार, फेज I में 16 माह व फेज II में 20 माह का विलम्ब था। जब फर्म समय पर परियोजना पूर्ण करने में विफल रही, एम टी एन एल ने परिनिर्धारित नुकसान (प नु) के रूप में ₹14.54 करोड़ तथा अग्रिम पर ब्याज क्रय आदेश के निबन्धनों के अनुसार वसूल किये थे।

फर्म ने प नु को छोड़ने व अग्रिम पर ब्याज के लिये कम्पनी व दू वि को अभिवेदन किया। बोर्ड ने फेज I व फेज II परियोजना के विरुद्ध प नु व अग्रिम पर ब्याज को छोड़ने के लिये अनुमोदन देते

समय निर्देश दिये कि आई टी आई को समय पर लम्बित परियोजना (बी टी एस की तरह बाह्य कार्या के संबंध में) पूर्ण करना चाहिये इसके अतिरिक्त, दिनांक 29 अक्टूबर 2008 के आदेश के संबंध में सुपुर्दगी अवधि परिनिर्धारित नुकसान के बिना 31 मार्च 2011 तक बढ़ा दी गई थी। फर्म ने बताया (सितम्बर 2010) वह फेज I व फेज II क्रमशः मार्च 2011 तथा जून 2011 तक पूर्ण करेगी कि उस आधार पर एम टी एन एल ने ₹14.54 करोड़ की प नु राशि वापिस/समायोजित कर दी थी (नवम्बर 2010)।

तथापि, वचनबद्धता व आदेश के अनुसार दोनों फेज (बी टी एस की तरह बाह्य कार्या के संबंध में) पूर्ण करने में फर्म विफल रही जो मार्च 2012 तक पूर्ण किये जाने थे। वचनबद्धता अवधि की समाप्ति के बाद भी परियोजनाओं की पूर्णता में 36 सप्ताह (जून 2011 से मार्च 2012) से अधिक विलम्ब पहले ही हो चुका था, एम टी एन एल को चाहिये कि वह प नु, जोकि ₹8.71 करोड़ था, के रूप में परियोजना की अनिष्पादित लागत का अधिकतम 12 प्रतिशत वसूल करे। मंत्रालय ने उत्तर दिया (मई 2012) कि जैसे ही मैसर्स आई टी लिमिटेड द्वारा बिल प्रस्तुत किये जायेंगे प नु की कटौती की जायेगी।

यह बात स्वीकार करते हुये (जुलाई 2013) कि मुम्बई में सैल्यूलर सेवाओं का निष्पादन मैसर्स आई टी आई के गैर निष्पादन के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ था, मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2013) कि नीति के अनुसार तथा विगत अनुभव पर विचार करते हुये आदेश दिये गये थे। कम्पनी रिज़र्वेशन कोटा के अन्तर्गत किसी भाग को मैसर्स आई टी आई को चिन्हित किये बगैर निविदा प्रक्रिया द्वारा विस्तार के लिये जा रही है।

5.6.6.7 संपत्ति को बनाया गया परन्तु प्रयोग में नहीं लाया गया: अभिसरण बिलिंग और ग्राहक सम्बन्धी प्रबन्धन (सी बी एवं सी आर एम)

अभिसरण बिलिंग (सी बी) और ग्राहक संबंधी प्रबन्धन (सी आर एम) परियोजना को एम टी एन एल के ग्राहक संबंधी प्रबन्धन व इसकी सभी व्यावसायिक लाइनों (एल ओ बी) उदाहरणार्थ जी एस एम, सी डी एम ए, लैंडलाइन, ब्राडबैंड, लीज़ सर्किट व आगामी सेवाओं के लिए एक मंच के रूप में काम करने के लिये बनाया गया। सिस्टम बिलिंग डाटा को राजस्व लेखांकन प्रणाली द्वारा मिलान कर राजस्व हानि को कम करते हुये मुनाफे में वृद्धि की जा सकती थी। अभिसरण बिलिंग और ग्राहक संबंधी प्रबन्धन विभिन्न सेवाओं की बिलिंग के लिये प्रयोग में लाया जाता है जोकि ऑनलाइन प्रणाली का उपयोग करते हुए विभिन्न एक्सचेंजों से प्राप्त काल डाटा रिकार्ड पर आधारित होती है।

पूर्ति, इंजीनियरिंग, संस्थापना, अनुकूलन, प्रशिक्षण, पूरे अभिसरण बिलिंग (सी बी) को चालू करना और रखरखाव व ग्राहक संबंधी प्रबन्धन प्रणाली (सी आर एम) के लिए (14 फरवरी 2006) में भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बी इ एल) को कुल ₹503.51 करोड़⁵⁷ की लागत पर आदेश दिया गया व

⁵⁷ दिल्ली ₹250.62; मुम्बई: ₹252.89

13 फरवरी 2007 में इसे चालू करने लिए निर्धारित किया गया। व्यावसायिक लाइन में मई 2011 में दिल्ली परिमण्डल में केवल दो व्यावसायिक लाइन (एल ओ बी) व 27 सितम्बर 2010 में मुम्बई में केवल एक एल ओ बी की शुरुआत की गई, आदेश की शर्तों के अनुसार (दिल्ली: ₹67.19 करोड़; मुम्बई: ₹71.51 करोड़) अर्थात् कुल ₹138 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया। जुलाई 2013 तक भी प्रणाली पूर्ण रूप से क्रियाशील नहीं थी। इसलिए, परियोजना के निष्पादन में देरी के फलस्वरूप ₹138 करोड़ की राशि के अवरोधन के साथ ही प्रणाली की अधिप्राप्ति का उद्देश्य भी समाप्त हो गया।

मंत्रालय ने (जुलाई 2013) में बताया कि ₹282 करोड़ के उपस्कर इसके कब्जे में थे जिसके लिए ₹138 करोड़ अदा किये गये व इस तरह पिछले तीन वर्षों से हार्डवेयर/साफ्टवेयर की आपूर्ति का इस्तेमाल व्यवसायिक तौर पर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि कम्पनी ने परियोजना को लागू करने हेतु व सक्रिय प्रणालियों का समर्थन करने के लिए उच्च स्तर पर विक्रेता के साथ मामला उठाया है।

दिये गये उत्तर ने लेखापरीक्षा बिन्दु की पुष्टि करते हुए कहा कि परियोजना को कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण नहीं किया गया तथा इसे रोक दिया गया। 27 सितम्बर 2010 में मुम्बई में जिस जी एस एम व्यावसायिक लाइन को चालू किया गया था वह नवम्बर 2010 से संतोषप्रद रूप से कार्य नहीं कर रही थी जिसने कम्पनी के परिचालन कार्य को प्रभावित किया। इसलिए परियोजना के निष्पादन में देरी और आंशिक क्रियान्वयन ने उस उद्देश्य को समाप्त कर दिया जिसके लिए प्रणाली को अधिप्राप्त किया गया था।

निष्कर्ष

एम टी एन एल की वायरलाइन व बेतार सेवाओं के परिचालन कार्य ने सेवा की खराब गुणवत्ता, संचालन की बढ़ी हुई कीमत, मौजूदा उपस्करों के रखरखाव में कमी, अप्रभावी योजना और निगरानी प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा दर्शाया जिसके फलस्वरूप वायरलाइन ग्राहक आधार में भारी गिरावट आई। अप्रभावी योजना, बेतार ढांचे के उपस्करों का देरी से हुआ विस्तारण व सेवा की खराब गुणवत्ता बेतार ग्राहकों के कम विकास के लिये जिम्मेदार कारण हैं। इसने बाजार मूल्य व तदानुसार सेवाओं से होने वाली आय में कमी को भी प्रभावित किया। इसके अतिरिक्त कम्पनी के नवरत्न दर्जे पर पुनः समीक्षा करने की आवश्यकता पड़ी। कम्पनी के प्रशासनिक मंत्रालय व निदेशक मण्डल को तत्काल कम्पनी के कार्य को सुधारने के लिए कदम उठाना है ताकि यह प्राइवेट सेवा संचालकों द्वारा बढ़ती हुई स्पर्धा का मुकाबला कर सके। एम टी एन एल को मंत्रालय द्वारा दिये गये लगातार समर्थन और दिल्ली व मुम्बई जैसे केवल दो मेट्रोपोलिसिस शहरों में संचालन के अन्तर्निहित सुविधा को देखते हुए कंपनी को अपनी सतही योग्यता व संचालन कार्य सुधारने की आवश्यकता है।

5.7 लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर अनुवर्ती कार्रवाई

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सी ए जी) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सा क्षेत्र के विभिन्न कार्यालयों एवं विभागों में रखे गये लेखाओं और अभिलेखों की संवीक्षा की प्रक्रिया के समापन को प्रदर्शित करते हैं। अतः यह आवश्यक है कि लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल लेखा परीक्षा निष्कर्षों पर कार्यपालकों से समुचित और समय से उत्तर प्राप्त हों।

लोकसभा सचिवालय ने संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में समावेशित विभिन्न पैराग्राफों/मूल्यांकनों पर उनके द्वारा की गयी उपचारी/सुधारक कार्यवाही को दर्शाते हुए समस्त मंत्रालयों से (लेखापरीक्षा द्वारा उचित रूप से पुनरीक्षित) टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया (जुलाई 1985)। ये टिप्पणियां विस्तृत जांच हेतु सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम समिति (सी ओ पी यू) द्वारा नहीं चुने गये पैराग्राफों/मूल्यांकनों के संबंध में भी प्रस्तुत की जानी अपेक्षित थी। सी ओ पी यू ने अपने द्वितीय प्रतिवेदन (1998-99 बाहरवीं लोकसभा) में उपर्युक्त अनुदेशों को दोहराते समय सिफारिश की:

- व्यक्तिगत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) के संबंध में की गई कार्रवाई टिप्पणियों (ए टी एन) के प्रस्तुतीकरण का मानीटर करने हेतु प्रत्येक मंत्रालय में एक मानीटरिंग सेल की स्थापना करना;
- विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत विभिन्न पी एस यू से संबंधित पैराग्राफों को समावेशित करने वाले प्रतिवेदनों के संबंध में एटीएन के प्रस्तुतीकरण को मानीटर करने के लिए लोक उद्यम विभाग (डीपीआई) में एक मानीटरिंग सेल की स्थापना करना; और
- संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की तिथि से छः माह के अंदर समिति को संसद में प्रस्तुत किए गए सी ए जी के समस्त प्रतिवेदनों के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षित अनुवर्ती ए टी एन का प्रस्तुतीकरण।

उपर्युक्त सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करते समय सीओपीयू ने अपने प्रथम प्रतिवेदन (1999-2000-तेरहवीं लोकसभा) में अपनी प्रारम्भिक सिफारिशों को दोहराया कि डीपीई को अलग-अलग उपक्रमों पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में समावेशित अभ्युक्तियों पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई उपचारी कार्रवाई का मानीटर करने के लिए डीपीई में ही एक पृथक मानीटरिंग सेल की स्थापना करनी चाहिए। तदनुसार, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा ए टी एन के प्रस्तुतीकरण पर आगे की कार्रवाई मानीटर करने के लिए अगस्त 2000 से डी पी ई में एक मानीटरिंग सेल कार्य कर रहा है। सी ए जी के विभिन्न प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर ए टी एन के प्रस्तुतीकरण के लिए संबंधित मंत्रालयों के अंदर मानीटरिंग सेलों की भी स्थापना की गई है।

इसके अतिरिक्त सचिवों की समिति बैठक में यह निर्णय लिया गया था (जून 2010) कि अगले तीन माह में सी ए जी ऑडिट पैराग्राफ व पी ए सी सिफारिशों पर लम्बित ए टी एन/ए टी आर का निपटान करने हेतु विशेष प्रयास किया जायेगा। इस निर्णय को बताते समय (जुलाई 2010) वित्त मंत्रालय ने भविष्य में द्रुत कार्रवाई हेतु संस्थात्मक तंत्र की सिफारिश की।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (सं मं व सू प्रौ) दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन भारत संचार निगम लिमिटेड व महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड से संबंधित ए टी एन की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा, जिसमें वर्ष 2011-12 तक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) सम्मिलित थी, से ज्ञात हुआ कि सितंबर 2013 तक 92 पैराग्राफों पर की गई कार्यवाही टिप्पणियां वांछित थी जिसमें से 11 पैराग्राफों पर की गई कार्यवाही टिप्पणियां अभी तक बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हुई, जैसा कि **परिशिष्ट-1** में वर्णित है।

अध्याय-VI सामान्य

6.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोकसभा सचिवालय ने अप्रैल 1982 में सभी मंत्रालयों को यह अनुदेश जारी किया कि वे वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सदन के पटल पर प्रस्तुत किये जाते ही उसमें समाविष्ट विविध अनुच्छेदों पर की गई उपचारी/संशोधक कार्रवाई दर्शानेवाली टिप्पणी प्रस्तुत करें।

22 अप्रैल 1997 को संसद में प्रस्तुत अपने नौवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में लोक लेखा समिति (लो ले स) ने इच्छा व्यक्त की थी कि मार्च 1994 तथा 1995 की वर्ष-समाप्ति की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित लम्बित की गई कार्रवाई की टिप्पणियों (की का टि) के प्रस्तुतीकरण को तीन माह की अवधि के भीतर पूर्ण किया जाना चाहिए तथा मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से संबंधित सभी अनुच्छेदों पर की का टि का लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत पुनरीक्षण कराकर संसद में प्रतिवेदनों के पेश होने के चार माह के अन्दर प्रस्तुतीकरण की अनुशंसा की थी।

इसके अतिरिक्त समिति ने 29 अप्रैल 2010 को संसद को प्रस्तुत अपनी ग्यारहवीं रिपोर्ट (पंद्रहवीं लोकसभा) में अनुशंसा की है कि उपचारी कार्रवाई करने तथा लो ले स को की का टि प्रस्तुत करने में असामान्य विलम्ब के सभी मामलों में मुख्य लेखांकन प्राधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।


वर्ष 2011-12 तक की अवधि तक संघ सरकार (सिविल) की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल अनुच्छेदों पर की का टि की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा में यह प्रकट हुआ कि सितम्बर 2013 तक संचार मंत्रालय व सूचना प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत तीन विभाग अर्थात् डा वि, दू वि तथा डी ई आई टी वाई से संबंधित 13 अनुच्छेदों में की का टि पत्राचाराधीन थी जैसा कि **परिशिष्ट-II** में वर्णित है।

नई दिल्ली
दिनांक : 30 जून 2014



(आर बी सिन्हा)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(डाक व दूरसंचार)

प्रतिहस्ताक्षरित



नई दिल्ली
दिनांक : 2 जुलाई 2014

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

अनुलग्नक
एवं
परिशिष्ट

अनुलग्नक-I
(पैराग्राफ 2.1.6.2 में संदर्भित)

टर्म सैल द्वारा नमूना आकार जांचित तथा पता लगाये गैर अनुपालन की प्रतिशतता को दर्शाने वाला विवरण

	2008			2009			2010			2011			2012		
	नमूना आकार	गैर अनुपालनकर्ता कैफ़्स	गैर अनुपालनकर्ता कैफ़्स की प्रतिशतता	नमूना आकार	गैर अनुपालनकर्ता कैफ़्स	गैर अनुपालनकर्ता कैफ़्स की प्रतिशतता	नमूना आकार	गैर अनुपालनकर्ता कैफ़्स	गैर अनुपालनकर्ता कैफ़्स की प्रतिशतता	नमूना आकार	गैर अनुपालनकर्ता कैफ़्स	गैर अनुपालनकर्ता कैफ़्स की प्रतिशतता	नमूना आकार	गैर अनुपालनकर्ता कैफ़्स	गैर अनुपालनकर्ता कैफ़्स की प्रतिशतता
टी एस पी															
एसएसैल	N/A	5326	-	212882	9216	4	532072	19400	4	519410	26495	5	701308	34482	5
बी ए एल	173640	51512	30	1119349	84833	8	1950324	124268	6	1638101	86854	5	2301235	106851	5
बी एस एन एल	100884	54272	54	462258	58045	13	764046	47664	6	685733	30230	4	919085	44134	5
आई सी एल	83285	7345	9	432263	26373	6	769748	34925	5	799695	40268	5	1217826	61886	5
आर सी एल	103487	41822	40	611385	88713	15	999348	88461	9	961124	86072	9	1122100	66822	6
टी एस एल	43560	12063	28	254121	19287	8	689309	36579	5	668590	30577	5	803888	38016	5
वोडाफोन	102012	25039	25	737856	54669	7	1331711	62462	5	1299215	53512	4	1751560	70169	4

अनुलग्नक-II (पैराग्राफ 3.1.7.1 (i) में संदर्भित)

2009-10 से 2011-12 के दौरान आकस्मिक बिलों के गैर समायोजन को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	डा ले का नाम	2009-10		2010-11		2011-12		कुल राशि
		बकाया बिलों की संख्या	राशि	बकाया बिलों की संख्या	राशि	बकाया बिलों की संख्या	राशि	
1	भोपाल	300	0.12	376	0.11	390	1.41	1.64
2	चैन्नई	उ न	उ न	उ न	उ न	उ न	19.05	19.05
3	कटक	24	2.92	8	4.35	11	7.07	14.34
4	दिल्ली	उ न	9.94	उ न	3.64	उ न	6.78	20.36
5	हैदराबाद	678	5.19	720	5.3	546	10.98	21.47
6	जयपुर	6	0.35	12	0.21	10	0.36	0.92
7	कपूरथला	उ न	उ न	उ न	उ न	उ न	0.54	0.54
8	कोलकाता	216	5.97	172	12.53	121	14.33	32.83
9	लखनऊ	66	13.32	72	14.46	50	25.37	53.15
10	नागपुर	136	0.94	134	2.18	140	5.3	8.42
11	पटना	उ न	28.36	उ न	37.4	उ न	48.87	114.63
12	रायपुर	उ न	3.44	उ न	6.8	उ न	9.26	19.5
13	त्रिवेन्द्रम	उ न	13.67	उ न	12.64	उ न	23.64	49.95
14	बंगलौर	उ न	उ न	उ न	उ न	उ न	9.76	9.76
15	अहमदाबाद	78	0.35	44	0.28	56	0.21	0.84
कुल			84.57		99.90		182.93	367.40

उ न - डेटा उपलब्ध नहीं

स्रोत: आकस्मिक व्यय से सम्बन्धित रजिस्टर व दस्तावेज

अनुलग्नक-III
(पैराग्राफ 3.1.7.1 (ii) में संदर्भित)

बैंक स्क्रोल के साथ डाकघर अनुसूचियों के गैर समाधान को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	1 अप्रैल 2009 को प्रा शे	2009-12 की अवधि में बढ़ी हुई राशि	राशि का समायोजन /मिलान	31 मार्च 2012 को अंतशेष
1	7 डा ले का के संबंध में बैंक से आहरण से संबंधित बैंक स्क्रोल में असम्बद्ध राशि	3171.21	13971.98	12007.02	5136.17
2	8 डा ले का के संबंध में बैंक से आहरण की राशि पर डाकघर अनुसूचियों में असम्बद्ध राशि	10300.02	33322.06	29403.36	14218.72
3	8 डा ले का के संबंध में बैंक स्क्रोल में प्रेषण असम्बद्ध रहे।	4716.45	65336.83	61981.59	8071.69
4	7 डा ले का के संबंध में डाकघर अनुसूचियों में प्रेषण असम्बद्ध रहे	15342.61	15856.53	12633.00	18566.14

स्रोत: बैंक स्क्रोल का रजिस्टर

अनुलग्नक-IV
(पैराग्राफ 3.1.7.2(i) में संदर्भित)

नकद प्रमाणपत्र कार्य में बकाया दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	डा ले का का नाम	बकाया कार्य तब से	प्रमाणपत्रों की संख्या जो दर्ज नहीं किये गये	मूल्य
1.	अहमदाबाद	1999	3389	2.49
2.	बंगलौर	2002	2492	1.64
3.	हैदराबाद	1999	176352	35.56
4.	कपूरथला	2001	71477	59.36
5.	कोलकाता	2000	34314	11.86
6.	नागपुर	2008	1130	2.33
7.	त्रिवेन्द्रम	2008	59261	37.89
8.	कटक	2009	57602	11.08
9.	चैन्नई	2000	1509957	708.76
10.	लखनऊ	1999	873714	549.66
11.	दिल्ली	1999	540	0.29
12.	भोपाल	2005	268726	66.76
13.	रायपुर	2005	73100	15.96
कुल			2790228	1420.92

स्रोत: दर्ज न की गई मदों का रजिस्टर

अनुलग्नक-V
(पैराग्राफ 3.1.7.3 (i) में संदर्भित)

लम्बित मामलों व भुगतान सूची को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	डा ले का का नाम	मु डा घ की संख्या जिनसे रिटर्न लम्बित है		तब से डा ले का में लम्बित युग्मन
		निर्गम सूची	भुगतान सूची	
1.	नागपुर (गुजरात)	7	14	दिसम्बर 2011
2.	नागपुर (महाराष्ट्र)	28	16	दिसम्बर 2011
3.	त्रिवेन्द्रम	37	22	अप्रैल 2010
4.	भोपाल	42	32	अगस्त 2011
5.	चैन्नई	13	13	अगस्त 2009
6.	हैदराबाद	95	95	अप्रैल 2005
7.	कटक	35	35	अप्रैल 2011
8.	रायपुर	9	6	अगस्त 2011
9.	लखनऊ	80	21	जनवरी 2011
10.	कोलकाता	44	44	अगस्त 2009

स्रोत: ध आ का निर्गम व भुगतान रजिस्टर

अनुलग्नक-VI
(पैराग्राफ 3.1.7.4 (i) में संदर्भित)

शास्ति ब्याज की गैर वसूली दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	डा ले का का नाम	अवधि जिसके लिये बकाया है	राशि
1	बंगलौर	2003-04 से 12/2011	2.74
2	भोपाल	2009-10 से 2010-11	0.09
3	चैन्नई	1/12 से 3/12	0.03
4	कटक	2008-09	0.04
5	दिल्ली	सितम्बर-08	1.12
6	हैदराबाद	2/2007 से 6/2011	2.06
7	जयपुर	9/10 से 3/12	0.26
8	कपूरथला	1/09 से 3/09	0.06
9	कोलकाता	2006 से 2008	0.04
10	नागपुर	9/2006 से 12/2010	0.04
11	पटना	दिसम्बर-11	1.96
12	त्रिवेन्द्रम	2007-08 से 2010-11	0.37
13.	रायपुर	2009-10 से 2010-11	0.05
	कुल		8.86

स्रोत: डा ले का में चालू खाता अनुभाग का रिकॉर्ड

अनुलग्नक-VII

(पैराग्राफ 3.1.7.4 (ii) में संदर्भित)

पेंशन व उस पर कमीशन की बकाया राशि की गैर वसूली दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	डा ले का का नाम	कुल राशि देय		तब से लम्बित
		राशि	कमीशन	
1	बंगलौर	7.70	1.11	2009-10
2	चैन्नई	1.26	0.37	2005-06
3	हैदराबाद	3.22	0.26	2008-09
4	लखनऊ	1.79	0.23	2011-12
5	नागपुर	1.42	0.47	2010-11
6	पटना	14.01	1.60	2002-03
7	दिल्ली	1.27	0.04	2011-12
8	कपूरथला	0.12	0.02	2009-10
9	कोलकाता	0.03	0.18	2011-12
10	अहमदाबाद	0	0.22	2011-12
11	कटक	0	1.48	2011-12
12	भोपाल	0.46	0	2009-10
13	रायपुर	0.78	0	2009-10
कुल		32.06	5.98	

अनुलग्नक-VIII
(पैराग्राफ 3.1.7.5 (ii) में संदर्भित)

निरीक्षण रिपोर्ट जारी करने में विलम्ब दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	डा ले का का नाम	कुल जारी नि रि	विलम्ब से जारी की गई नि रि की संख्या	विलम्ब (विलम्ब की रेंज) दिनों में
1.	अहमदाबाद	101	70	5 से 84
2.	चैन्नई	312	102	33 से 210
3.	कटक		41	30 से 365
4.	हैदराबाद	256	196	19 से 192
5.	लखनऊ	297	283	60 से 272
6.	नागपुर	185	184	1 से 29
7.	बंगलौर	167	131	30 से 365
8.	दिल्ली	99	78	-
9.	जयपुर	156	100	5 से 86
10.	भोपाल	112	108	21 से 223
11.	रायपुर	32	30	12 से 142
12.	त्रिवेन्द्रम	95	93	5 से 240

स्रोत: नि रि हेतु रखे गये रजिस्टर

अनुलग्नक-IX (पैराग्राफ 3.2 में संदर्भित)

मूक खातों पर पारिश्रमिक का अनियमित दावे को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	मु डा का नाम	मूक खातों की संख्या				गुजरात डाक परिमण्डल	पारिश्रमिक दावा की अवधि				2009-10 से 2012-13 में कुल दावित पारिश्रमिक
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
1	भावनगर	0	32671	32671	32671	0	4441949	4274347	4523953	13240249	
2	नवासरी/बिलीमोरा	0	0	29331	29331	0	0	3837375	4061464	7898838	
3	अमरेली	0	18570	18570	18570	0	2524777	2429513	2571388	7525678	
4	सूरत	0	0	77230	77230	0	0	10104001	10694038	20798039	
5	वालसाड	0	0	22345	22345	0	0	2923396	3094112	6017509	
6	पोरबन्दर	0	16218	16218	16218	0	2204999	2121801	2245706	6572507	
7	नवरंगपुरा	0	17378	17378	17378	0	2362713	2273564	2406332	7042608	
8	वड़ोदरा	861	34241	37611	37611	111491	4655406	4920647	5207995	14895540	
9	दाहोड	7622	7622	7622	7622	986973	1036287	997186	1055418	4075865	
10	मैहसाना/पाटन/पालनपुर	0	40936	40936	40936	0	5565659	5355657	5668408	16589723	
11	प्र डा घ अहमदाबाद	13918	15762	15762	15762	1802242	2143002	2062142	2182564	8189950	
12	राजकोट	23704	23704	23704	23704	3069431	3222796	3101194	3282293	12675714	
13	जूनागढ़	16254	16254	16260	16260	2104730	2209894	2127296	2251522	8693442	
	कुल				355638					134215662	

तमिलनाडु डाक परिमण्डल										
14	तंजौर			18594	18594	0	0	2432653	2574711	5007364
15	मईलादुथुरई				58549	0	0	0	8107280	8107280
16	चेंगलपट्ट	9474	17167	17858	17858	1226788	2334025	2336362	2472797	8369973
17	अम्बासमुद्रम	0	0	0	31628	0	0	0	4379529	4379529
18	कुन्नूर	0	0	0	9497	0	0	0	1315050	1315050
19	मनामादुरई	0	17611	21131	22366	0	2394391	2764569	3097020	8255980
20	पुडुकोट्टई	0	0	19161	19161	0	0	2506834	2653224	5160057
21	तिरुनलवेली	0	0	0	19611	0	0	0	2715535	2715535
	कुल				197264	0				43310768
राजस्थान डाक परिमण्डल										
22	मारवाड़ जंक्शन		1120	16613	0	0	453891	4473881		4927772
23	नसीराबाद		160	1346	1838		64842	362478	254507	681827
24	दोसा			795	0			214093		214093
25	श्रीमाधोपुर		2097	6816			849829	1835548		2685377
	कुल				1838					8509069
	कुल योग				554740					186035499

अनुलग्नक-X (पैराग्राफ 3.3 में संदर्भित)

तमिलनाडु डाक परिमण्डल द्वारा ₹8.91 करोड़ राजस्व की कम वसूली दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	डिवीजन का नाम	कवर किये गये मु डा घ की संख्या	मु डा घ का नाम	राशि
1.	कांचीपुरम	1	कांचीपुरम	0.29
		2	तिरुवल्लूर	
2.	तिरुवनमलाई	3	अरनी	0.02
		4	तिरुवनमलाई	
3.	नागापट्टिनम	5	नाटापट्टिनम	2.79
		6	त्रिवनूर	
4	डिंडीगुल	7	डिंडीगुल	0.65
		8	पलानी	
		9	नीलाकोट्टई	
5	कन्याकुमारी	10	नागरकोइल	2.65
		11	दुकाले	
6	कराइकुडी	12	कराइकुडी	0.18
		13	देवकोट्टई	
7	रामनाथपुरम	14	रामनड	0.13
		15	परमाकडी	
8	थेनी	16	बोडीनायकनूर	0.08
		17	पेरियाकुलम	
9	धरमपुरी	18	धरमपुरी	0.01
		19	कृषनगरी	
10	सलेम पूर्व	20	सलेम	0.37
		21	अतूर	
11	इरोड	22	इरोड	0.01
		23	भवानी	
		24	गोबी	
12	मुदरै	25	तल्लाकुलम	1.17
13	तंजौर	26	तंजौर	0.30
14	त्रिचि	27	त्रिचि	0.07
	राजपत्रित डा ले	28	अन्ना रोड़	0.19
कुल				8.91

अनुलग्नक-XI

(पैराग्राफ 5.1.3 में संदर्भित)

चयनित से स्वी क्षेत्रों में कवर किये गये भूखंडों की संख्या का विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	सर्किल का नाम	सर्किल में से स्वी क्षेत्रों की संख्या	सर्किल में भूखण्ड की संख्या	लेखापरीक्षा में कवर किये गये स्वी क्षेत्रों की संख्या	लेखापरीक्षा में कवर किये गये भूखण्डों की संख्या
1	गुजरात	अहमदाबाद टी डी#	1	134	1	134
2	आन्ध्र प्रदेश	गुजरात सर्किल	16	1468	3	307
3	बिहार	आन्ध्र प्रदेश	22	1410	3	321
4	पश्चिम बंगाल	बिहार	19	351	1	92
		कोलकाता फोन	1	72	1	72
		पश्चिम बंगाल	14	201	3	37
		चैन्नई फोन	1	112	1	112
5	तमिलनाडु	तमिलनाडु	17	887	17	880
6	केरल	केरल	11	725	11	725
7	कर्नाटक	बंगलौर टी डी #	1	90	1	88
		कर्नाटक	18	1232	3	265
8	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	31	1686	5	363

क्रम संख्या	राज्य का नाम	सर्किल का नाम	सर्किल में से स्वी क्षेत्रों की संख्या	सर्किल में भूखण्डों की संख्या	लेखापरीक्षा में कवर किये गये स्वी क्षेत्रों की संख्या	लेखापरीक्षा में कवर किये गये भूखण्डों की संख्या
9	मध्यप्रदेश	मध्यप्रदेश	34	1261	3	257
10	उड़ीसा	उड़ीसा	13	431	2	131
11	पंजाब	पंजाब	11	367	3	103
12	राजस्थान	राजस्थान	24	826	4	166
13	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	31	741	5	174
		कुल	265	11994	67	4227

चयनित परिमण्डलों में कुल 265 से स्वी क्षेत्र व 11994 भूखण्ड हैं जिनमें से 67 से स्वी क्षेत्र (कुल से स्वी क्षेत्र का 25.28 प्रतिशत) थीमैटिक लेखापरीक्षा के लिये चुने गये थे तथा 4227 भूखण्ड (सर्किल में उपलब्ध कुल भूखण्डों का 35.24 प्रतिशत) को कवर किया गया था।

अहमदाबाद टी डी तथा बंगलौर टी डी अलग सर्किल नहीं है लेकिन क्रमशः गुजरात व कर्नाटक सर्किल का भाग है।

अनुलग्नक-XII (पैराग्राफ 5.1.6.1 में संदर्भित)

भा सं नि लि के पूर्ण स्वामित्व व पट्टे पर रखे गये भूखण्ड का विवरण

क्रम सं.	सर्किल का नाम	डेटाबेस के अनुसार भूखण्ड	1.10.2000 को दू वि से उत्तराधिकार में प्राप्त भूखण्ड				1.10.2000 के बाद भा सं नि लि द्वारा प्राप्त भूखण्ड							
			पूर्ण स्वामित्व भूखण्ड	पट्टे पर रखे गये भूखण्ड	पूर्ण स्वामित्व भूखण्ड	पट्टे पर रखे गये भूखण्ड	पूर्ण स्वामित्व भूखण्ड	पट्टे पर रखे गये भूखण्ड	पूर्ण स्वामित्व भूखण्ड	पट्टे पर रखे गये भूखण्ड				
			पूर्ण स्वामित्व भूखण्डों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	अधिग्रहीत लागत (बी वी (₹लाख में))	पट्टे पर रखे गये भूखण्डों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	अधिग्रहीत लागत (बी वी (₹लाख में))	पूर्ण स्वामित्व भूखण्डों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	अधिग्रहीत लागत (बी वी (₹लाख में))	पट्टे पर रखे गये भूखण्डों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	अधिग्रहीत लागत (बी वी (₹लाख में))
1	ए और एन	47	41	130656	10.86	0	0	0	6	4794	0.62	0	0	0
2	अहमदाबाद	134	97	538813.1	360.93	25	109528	1275.72	4	6300	1.5	8	568	64.02
3	ए एल टी टी सी	1	1	327935	36.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	आन्ध्रप्रदेश	1410	1086	2742275	6520.04	9	25561	0.6	314	217318.3	477.37	1	373.25	0.234
5	असम	279	243	510714.6	973.91	0	0	0	36	52139.65	32.98	0	0	0
6	बंगालूरु	90	70	475570	2099.34	4	5602	59.1	16	18091.21	492.69	0	0	0
7	बिहार	351	322	838351.1	1057.67	1	4453	38.91	24	41652.75	248.94	4	5174	2.46
8	चेन्नई टी डी	112	102	875730.3	1967.65	5	17764	5.34	4	3726	41.89	1	2874	0.00001
9	छत्तीसगढ़	235	153	724720.3	278.16	10	44270.19	24.66	64	50371.53	0.67	8	5253	0.002
10	ई टी पी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ई टी आर	86	82	271070.15	166.18	4	10762.12	8.06	0	0	0	0	0	0
12	गुजरात	1468	970	1890770	234757.3	13	51136.92	343.11	479	473112.7	28023.62	6	12331.8	412.66
13	हरियाणा	225	191	906245.9	3161.9	0	0	0	34	100957	1307.85	0	0	0
14	हिमाचल प्रदेश	157	141	186190	214.31	5	4984	1.92	9	8347.2	16.87	2	1443	16.27
15	जबलपुर-टी टी सी	7	7	210491	6.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	जम्मू एवं कश्मीर	103	3	4112.36	12.84	85	262155.1	726.25	2	6004	2	13	28348.83	63.15
17	झारखण्ड	155	129	792502.5	1565.25	13	59559.72	112.76	9	12588.6	5.22	4	1426.31	4.91
18	कर्नाटक	1232	931	1915685.96	1621.93	6	16356	0.00001	293	227624.41	351.83	2	1530	0.98

क्रम सं.	सर्किल का नाम	डेटाबेस के अनुसार भूखण्ड	1.10.2000 को दू वि से उत्तराधिकार में प्राप्त भूखण्ड				1.10.2000 के बाद भा सं नि लि द्वारा प्राप्त भूखण्ड							
			पूर्ण स्वाभित्व भूखण्ड	अधिग्रहीत लागत (बी वी (रुलाख में))	पट्टे पर रखे गये भूखण्डों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	अधिग्रहीत लागत (बी वी (रुलाख में))	पूर्ण स्वाभित्व भूखण्ड	अधिग्रहीत लागत (बी वी (रुलाख में))	पट्टे पर रखे गये भूखण्डों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	अधिग्रहीत लागत (बी वी (रुलाख में))		
19	केरल	725	609	1603250	2684.47	12	31304	3.78	103	177395.4	1309.38	1	1000	0.01
20	कोलकाता टी डी	72	66	641599	1264.38	4	4	0.00001	1	2833	42.35	1	1339	70.66
21	मध्यप्रदेश	1261	802	2578086.55	13422.65	41	119647.9	412.64	399	559589.04	23.23	19	26845.39	27.4
22	महाराष्ट्र	1686	1155	4122724	4004.64	136	836969.2	1485.29	376	474873.54	580.47	19	40984	410.65
23	एन ई-1	242	123	337116.7	213.02	91	188282.2	0.00091	26	32516.14	85.01	2	2071.54	0.00002
24	एन ई - II	196	180	520167.1	349.9	2	5767	0.00002	14	27288.21	65.05	0	0	0
25	एन टी पी	15	14	6581.28	46.06	1	4080	3.76	0	0	0	0	0	0
26	एन टी आर	148	141	1240905	672.74	7	16596.75	33.46	0	0	0	0	0	0
27	उड़ीसा	431	168	603867	688.74	148	570057	694.82	21	74663	119.32	94	170853	522.23
28	पंजाब	367	326	1186944.99	4530.98	10	64540	56.64	31	81542.24	760.14	0	0	0
29	क्यू ए बंगलूरू	2	0	0	0	2	5907	0	0	0	0	0	0	0
30	राजस्थान	826	696	2521931.5	4590.3	7	30130	11.58	123	147890.9	286.29	0	0	0
31	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	741	713	2502113	4467.77	12	94468.55	90.75	16	65749.03	170.64	0	0	0
32	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	293	252	782934.9	5093.29	10	115074	700.96	30	76364.29	724.84	1	840	0
33	तमिलनाडु	887	764	2177557.98	4729.37	10	29012.8	5.14	110	137383.33	379.83	3	2778.8	0.48
34	उत्तरांचल	79	53	230542.8	1134.7	11	28983.18	53.27	8	15364.49	235.7	7	17124	62.6
35	एस टी पी	10	9	8140.19	2.95	0	0	0	1	1115.24	495.35	0	0	0
36	टी व डी जबलपुर	3	3	35587.1	11.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	टी एफ जबलपुर	20	17	337911.44	5.63	3	361549.36	5.46	0	0	0	0	0	0
38	टी एफ कोलकाता	5	2	52230	3.01	3	90862.8	14.15	0	0	0	0	0	0
39	टी एस कोलकाता	1	0	0	0	1	20655	NA	0	0	0	0	0	0

क्रम सं.	सर्किल का नाम	डेटाबेस के अनुसार भूखण्ड	1.10.2000 को दू वि से उत्तराधिकार में प्राप्त भूखण्ड						1.10.2000 के बाद भा सं नि लि द्वारा प्राप्त भूखण्ड					
			पूर्ण स्वामित्व भूखण्ड			पट्टे पर रखे गये भूखण्ड			पूर्ण स्वामित्व भूखण्ड			पट्टे पर रखे गये भूखण्ड		
			पूर्ण स्वामित्व भूखण्डों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	अधिग्रहीत लागत (बी वी (रुलाख में))	पट्टे पर रखे गये भूखण्डों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	अधिग्रहीत लागत (बी वी (रुलाख में))	पूर्ण स्वामित्व भूखण्डों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	अधिग्रहीत लागत (बी वी (रुलाख में))	पट्टे पर रखे गये भूखण्डों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	अधिग्रहीत लागत (बी वी (रुलाख में))
40	पश्चिम बंगाल	201	842929.9	522.6	36	177377.91	185.37	7	14070.03	69.4	4	4194	10.5	
41	डब्ल्यू टी एफ मुम्बई	2	264277.3	18.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	डब्ल्यू टी पी मुम्बई	10	6236.06	12.05	1	5806.25	5.67	1	6684.95	18.49	0	0	0	
43	डब्ल्यू टी आर	320	572908.6	433.99	12	24916.5	7.59	1	810	0.1	0	0	0	
44	एस टी आर	347	657608.8	216.49	8	20635.49	4.06	26	3532.7	2.51	0	0	0	
	कुल	14982	37175984.46	303932.47	748	3454758.94	6370.82	2588	3122692.88	36372.15	200	327351.92	1669.22	

नोट

भा सं नि लि द्वारा डेटाबेस सॉफ्ट कापी में आपूर्त डेटा में भेजे गये। कारपोरेट कार्यालय, सिविल विंग ने एक सर्किल को अर्थात् सू प्रौ सर्किल (पुणे) छोड़ दिया। अतः 45 सर्किल में से 44 सर्किल के विवरण दिये गये थे।

2001 को भा सं नि लि से संबंधित भूमि के लिये अधिग्रहण वर्ष मानते हुये दू वि तथा भा सं नि लि के मध्य डेटा का विरलेषण किया गया तथा उन्हें अलग किया गया—जब तक कि अधिग्रहण की सही तारीख डेटाबेस में प्राप्त नहीं हुई (1.10.2000 को अथवा उसके बाद)।

प्राप्त भूखण्ड	पूर्ण स्वामित्व भूखण्ड			पट्टे पर रखे गये भूखण्ड		
	पूर्ण स्वामित्व भूखण्डों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	अधिग्रहीत लागत (बी वी (रुलाख में))	पट्टे पर रखे गये भूखण्डों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	अधिग्रहीत लागत (बी वी (रुलाख में))
		11446	37175984.46	303932.47	748	3454758.94
अधिग्रहीत भूखण्ड	2588	3122692.88	36372.15	200	327351.92	1669.22
कुल	14034	40298677.34	340304.62	948	3782110.86	8040.04

अनुलग्नक-XIII (पैराग्राफ 5.1.6.3 में संदर्भित)

चयनित परिमण्डल के खाली भूखण्डों से संबंधित विवरण

क्रम संख्या	परिमण्डल	उत्तराधिकार में प्राप्त			प्राप्त		
		भूखण्डों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	मूल्य (₹लाख में)	भूखण्डों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	मूल्य (₹लाख में)
1	गुजरात	114	143285.54	557.7	101	74725.45	27419.66
2	कर्नाटक	167	282116.9	322.75	189	149039.56	347.94
3	केरल	37	44058.97	102.89	16	25092	281.11
4	कोलकाता	3	5788	63.81	0	0	0
5	पंजाब	20	45929	210.49	6	12812.24	155.73
6	राजस्थान	88	259013.84	518.12	26	26102.59	27.86
7	तमिलनाडु	24	53181.23	573.9	29	52175	147.54
8	पश्चिम बंगाल	4	2946	0.38	1	2732	12
9	चैन्नई	15	42954	396.99	4	3726	41.89
10	आन्ध्रप्रदेश	47	95839.54	1188.15	82	40658.21	17.87
11	बिहार	29	55883.99	152.05	7	10826.26	6.64
12	महाराष्ट्र	225	369230.3	554.14	201	252643	339.74
13	उड़ीसा	14	34624	135.52	11	33211	33.75
14	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	142	330952.1	306.67	3	10405.05	9.38
15	मध्यप्रदेश	59	153019.5	86.69	55	86917.16	6.84
कुल		988	1918822.9	5170.25	731	781065.52	28847.95

टिप्पणी: गुजरात, अहमदाबाद टी डी के आंकड़ों को सम्मिलित करता है व कर्नाटक बंगलौर टी डी के आंकड़ों को सम्मिलित करता है।

खाली भूखण्डों का सारांश			
	उत्तराधिकार में प्राप्त	प्राप्त	कुल
भूखण्डों की संख्या	988	731	1719
क्षेत्रफल	1918822.91	781065.52	2699888.4
बुक मूल्य (लाख ₹ में)	5170.25	28847.95	34018.20

अनुलग्नक-XIV

(पैराग्राफ 5.1.6.3 में संदर्भित)

भा सं नि लि के चयनित परिमण्डल के कुल पूर्ण स्वामित्व व पट्टे पर रखे गये भूखण्ड का विवरण

क्रम सं.	सर्किल का नाम	डेटाबेस के अनुसार भूखण्ड	1.10.2000 को दू वि से उत्तराधिकार में प्राप्त भूखण्ड				1.10.2000 के बाद भा सं नि लि द्वारा प्राप्त भूखण्ड							
			पूर्ण स्वामित्व भूखण्डों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	अधिग्रहीत लागत (बी वी (रुलाख में))	पट्टे पर रखे गये भूखण्डों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	अधिग्रहीत लागत (बी वी (रुलाख में))	पूर्ण स्वामित्व भूखण्डों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	अधिग्रहीत लागत (बी वी (रुलाख में))	पट्टे पर रखे गये भूखण्डों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	अधिग्रहीत लागत (बी वी (रुलाख में))
1	अहमदाबाद	134	97	538813.1	360.93	25	109528	1275.72	4	6300	1.5	8	568	64.02
	गुजरात	1468	970	1890770	234757.3	13	51136.9	343.11	479	473112.7	28023.62	6	12331.8	412.66
2	आन्ध्रप्रदेश	1410	1086	2742275	6520.04	9	25561	0.6	314	217318.3	477.37	1	373.25	0.234
	बंगलूरु	90	70	475570	2099.34	4	5602	59.1	16	18091.21	492.69	0	0	0
3	कर्नाटक	1232	931	1915685.96	1621.93	6	16356	0.00001	293	227624.41	351.83	2	1530	0.98
	बिहार	351	322	838351.1	1057.67	1	4453	38.91	24	41652.75	248.94	4	5174	2.46
4	चैन्नई टी डी	112	102	875730.3	1967.65	5	17764	5.34	4	3726	41.89	1	2874	0.00001
	तमिलनाडु	887	764	2177557.98	4729.37	10	29012.8	5.14	110	137383.33	379.83	3	2778.8	0.48
5	केरल	725	609	1603250	2684.47	12	31304	3.78	103	177395.4	1309.38	1	1000	0.01
	कोलकाता टी डी	72	66	641599	1264.38	4	4	0.00001	1	2833	42.35	1	1339	70.66
6	पश्चिम बंगाल	201	154	842929.9	522.6	36	177378	185.37	7	14070.03	69.4	4	4194	10.5
	मध्यप्रदेश	1261	802	2578086.55	13422.65	41	119648	412.64	399	559589.04	23.23	19	26845.39	27.4

क्रम सं.	सर्किल का नाम	डेटाबेस के अनुसार भूखण्ड	1.10.2000 को दू वि से उत्तराधिकार में प्राप्त भूखण्ड				1.10.2000 के बाद भा सं नि लि द्वारा प्राप्त भूखण्ड							
			पूर्ण स्वामित्व भूखण्ड	अधिग्रहीत लागत (बी वी (हलाख में)	पट्टे पर रखे गये भूखण्डों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	अधिग्रहीत लागत (बी वी (हलाख में)	पूर्ण स्वामित्व भूखण्ड	पट्टे पर रखे गये भूखण्डों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	अधिग्रहीत लागत (बी वी (हलाख में)			
11	महाराष्ट्र	1686	1155	4122724	4004.64	136	836969	1485.29	376	474873.54	580.47	19	40984	410.65
12	उड़ीसा	431	168	603867	688.74	148	570057	694.82	21	74663	119.32	94	170853	522.23
13	पंजाब	367	326	1186944.99	4530.98	10	64540	56.64	31	81542.24	760.14	0	0	0
14	राजस्थान	826	696	2521931.5	4590.3	7	30130	11.58	123	147890.9	286.29	0	0	0
15	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	741	713	2502113	4467.77	12	94468.6	90.75	16	65749.03	170.64	0	0	0
	कुल	11994	9031	28058199.4	289290.8	479	2183912	4668.79	2321	2723814.88	33378.89	163	270845.2	1522.284

अनुलग्नक-XV

(पैराग्राफ 5.1.6.3 में संदर्भित)

अपने गठन के पश्चात भा सं नि लि द्वारा हासिल की खाली जमीन का विवरण

(₹ लाख में)

सर्किल	सै स्वी क्षे	भूखण्डों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	अधिग्रहण का वर्ष	अधिग्रहण का प्रकार	अधिग्रहण की कीमत
महाराष्ट्र	कल्याण	1	6596.2	2003	पट्टा	211.24
		4	15000	2001 और 2007	खरीद	25.4
	पुणे	13	28900	2001 - 2007	खरीद	76.74
	शोलापुर	40	41751	2001 - 2003	खरीद	23.66
	नांदेड	3	3245.66	2001	खरीद	0.02
केरल	त्रिवेन्द्रम	1	2252	2007	खरीद	11.56
	कन्नूर	1	2400	2003	खरीद	13.27
	त्रिचूर	1	1447	2009	खरीद	15.01
तमिलनाडु	कड्डालोर	1	526	2001	खरीद	0.53
	कोयम्बटूर	1	2023	2001	खरीद	0
	धर्मपुरी	2	1512.08	2001 और 2006	खरीद	0.1
	कुम्बाकोलम	2	3482	2001 और 2008	खरीद	1.8
	सलेम	5	6181.17	2000 - 2008	खरीद	2.93
	तनजोर	1	607	2002	खरीद	0
	त्रिची	5	7600	2002 और 2004	खरीद	4.87
	विरधूनगर	1	2387.14	2001	खरीद	0
	वेल्लौर	2	2827.69	2001	खरीद	0.36
टूटीकोरीन	1	2023	2000	खरीद	0.001	
चैन्नई दूरभाष	चैन्नई	1	888	2000	खरीद	4.55
कर्नाटक	चिकमगलूर	3	2590.21	2001 और 2002	खरीद	0
	धारवाड़	2	17195.28	2003	खरीद	42.47
	शिमोगा	17	6667.85	2002 - 2011	खरीद	14.27
	बंगलौर	8	6676.89	2001	खरीद	172.93
पंजाब	चण्डीगढ़	1	836	2009	खरीद	45.15
	होशियारपुर	1	2841	2002	खरीद	22.5
कोलकाता दूरभाष	कोलकाता	1	1338.31	2003	पट्टा	70.67
कुल		119	169794.48			760.031

अनुलग्नक-XVI

(पैराग्राफ 5.1.6.4 में संदर्भित)

आच्छादित से स्वी क्षेत्रों में भूमि अतिक्रमण का विवरण

क्रम संख्या	सर्किल का नाम	आच्छादित से स्वी क्षेत्रों की संख्या	से स्वी क्षेत्रों का नाम जहाँ अतिक्रमण स्थापित हुआ	अतिक्रमण भूखण्डों की संख्या	अतिक्रमण के रूप में विरासत में प्राप्त		अतिक्रमण भूखण्डों की संख्या	विरासत में प्राप्त भूखण्ड जहाँ 1.10.2000 के बाद अतिक्रमण हुआ		अतिक्रमण भूखण्डों की संख्या	1.10.2000 के पश्चात नये अधिग्रहीत भूमि का अतिक्रमण		
					क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	बी वी (रु.लाख में)		क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	बी वी (रु.लाख में)		क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	बी वी (रु.लाख में)	
1	मध्यप्रदेश	3	मुरैना	-	-	-	1	2717	0.00025	-	-	-	
			इंदौर	6	12848	0.75125	-	-	-	-	-	-	-
2	महाराष्ट्र	5	शोलापुर	-	-	-	1	563	उ न	-	-	-	
			पुणे	-	-	-	-	-	-	-	2	1580	उ न
			नांदेड़	2	1914	उ न	-	-	-	-	-	-	-
3	कर्नाटक	4	कोई अतिक्रमण नहीं	1	73.65	0.00251	-	-	-	-	-	-	
			कोई अतिक्रमण नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	गुजरात	4	हिम्मतनगर	1	4850	4.12	-	-	-	-	-	-	
			सूरत	1	1000	1.05	-	-	-	-	-	-	
			जुनागढ़	1	629.11	5.13	-	-	-	-	-	-	
5	पश्चिम बंगाल	3	कोलकाता से स्वी क्षेत्र	-	-	-	1	36421.71	0.29	-	-	-	
			हैदराबाद टी डी	1	10000	35.64	-	-	-	-	-	-	
6	बिहार	1	पटना	2	81343	0.002	-	-	-	-	-	-	
			कोई अतिक्रमण नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

क्रम संख्या	सर्किल का नाम	आच्छादित से स्वी क्षेत्र की संख्या	सै स्वी क्षेत्र का नाम जहां अतिक्रमण स्थापित हुआ	अतिक्रमण की संख्या	अतिक्रमण के रूप में विरासत में प्राप्त		अतिक्रमण की संख्या	विरासत में प्राप्त भूखण्ड जहां 1.10.2000 के बाद अतिक्रमण हुआ		अतिक्रमण की संख्या	1.10.2000 के पश्चात नये अधिग्रहीत भूमि का अतिक्रमण	
					क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	बी वी (रूलाख में)		क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	बी वी (रूलाख में)		क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	बी वी (रूलाख में)
10	तमिलनाडु	17	कुड्डालोर त्रिची	-	-	-	-	-	-	1	550	0.7458
11	केरल	11	कोई अतिक्रमण नहीं	-	-	-	-	-	-	1	1700	0.12
12	कोलकाता टी डी	1	सी टी डी	-	-	-	1	2799	-	-	-	-
13	राजस्थान	4	भरतपुर उदयपुर जयपुर	1 1 1	3743 2132 1000	4.03 19.35 0.00001	-	-	-	-	-	-
14	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	5	बलिया	3	4542.01	30.58	-	-	-	-	-	-
15	उड़ीसा	2	कोई अतिक्रमण नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सै स्वी क्षेत्र		67	कुल	21	124074.8	100.65577	4	42500.71	0.29025	4	3830	0.8658

अनुलग्नक-XVII

(पैराग्राफ 5.1.6.5 (i) में संदर्भित)

भुगतान के बावजूद पट्टा विलेख के गैर निष्पादन का विवरण

भुगतान के बावजूद पट्टा विलेख के गैर निष्पादन का विवरण

क्रम संख्या	सर्किल का नाम	सै स्वी क्षेत्र का नाम	भूखण्डों की संख्या	कुल क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	मूल्य चुकाया (₹लाख में)	टिप्पणी
1	गुजरात	अहमदाबाद टी डी	8	592	55.5	पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किये
2		सूरत	1	400	1.05	वही
3	राजस्थान	जयपुर	5	5700	7.25	वही
4		उदयपुर	3	5353.29	0	वही
कुल पट्टा विलेख की गैर निष्पादन			17	12045.29	63.8	--

भुगतान के बावजूद फ्री होल्ड/बैनामा भुगतान के गैर निष्पादन का विवरण

क्रम संख्या	सर्किल का नाम	सै स्वी क्षेत्र का नाम	भूखण्डों की संख्या	कुल क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	मूल्य चुकाया (₹लाख में)	टिप्पणी
1	गुजरात	सूरत	5	2530	1.99	विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किये
2		हिम्मतनगर	55	78974	188.19	वही
3		जूनागढ़	3	1500	2.38	वही
4	पंजाब	चण्डीगढ़	1	843.13	81.62	वही
5	राजस्थान	भरतपुर	1	1590	0	वही
कुल फ्री होल्ड/सेल डीड की गैर निष्पादन			65	85437.13	274.18	--

अनुलग्नक-XVIII
(पैराग्राफ 5.3 में संदर्भित)

अप्रयुक्त एस एम पी एस पावर प्लांटों को दर्शाने वाला विवरण

सर्किल का नाम	एस एम पी एस पी पी (टाईप)	अप्रैल 2008 को प्रारंभिक शेष	2008-09 से 2011-12 के दौरान प्राप्त	जारी/ उपयोग/ 2008-09 से 2011-12 के दौरान विपथन	मार्च 2012 को अंत तक शेष	बेकार पड़े रहने की अवधि	एस एम पी एस पा प्लां का मूल्य (₹ में)
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	100 ए (3+1)	0	301	244	57	1 वर्ष से अधिक	9282279
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	100 ए (2+1)	126	1453	988	591	2 वर्ष से अधिक	82409631
आन्ध्रप्रदेश	100 ए (4+1)	4	32	21	15	1 वर्ष से अधिक	3154110
आन्ध्रप्रदेश	100 ए (3+1)	25	268	206	87	1 से 3 वर्षों से अधिक	13899033
आन्ध्रप्रदेश	100 ए (2+1)	7	83	49	41	1 से 2 वर्षों से अधिक	5623396
आन्ध्रप्रदेश	25 ए (7+1)	1	667	653	15	1 से 2 वर्षों से अधिक	1170060
आन्ध्रप्रदेश	25 ए (3+1)	16	281	167	130	1 से 2 वर्षों से अधिक	7307170
महाराष्ट्र (मुम्बई)	100 ए (3+1)	0	67	34	33	1 से 3 वर्षों से अधिक	4964156
महाराष्ट्र (मुम्बई)	25 ए (3+1)	16	2	6	12	3 वर्षों से अधिक	862178
महाराष्ट्र (मुम्बई)	25 ए (5+1)	3	0	0	3	4 वर्षों से अधिक	270987
महाराष्ट्र (नागपुर)	100 ए (3+1)	41	151	111	81	3 वर्षों से अधिक	18030114
महाराष्ट्र (नागपुर)	25 ए (7+1)	0	46	30	16	2 वर्षों से अधिक	1251264
महाराष्ट्र (नागपुर)	25 ए (5+1)	112	5	83	34	4 वर्षों से अधिक	2962352
महाराष्ट्र (नागपुर)	25 ए (3+1)	56	162	95	123	3 वर्षों से अधिक	7516653
जम्मू एवं कश्मीर	100 ए (2+1)	0	250	157	93	2 वर्षों से अधिक	15195363
गुजरात	25 ए (3+1)	0	100	77	23	1 वर्ष से अधिक	2310212
गुजरात	25 ए (3+1)	0	645	491	154	1 वर्षों से अधिक	15130654
गुजरात	25 ए (3+1)	0	366	262	104	1 वर्ष से अधिक	10387936
कुल		407	4879	3674	1612		201727548

उ प्र (पूर्व) – उत्तर प्रदेश (पूर्व); आ प्र – आन्ध्रप्रदेश; एम एच – महाराष्ट्र; जे एंड के – जम्मू एवं कश्मीर।

अनुलग्नक-XIX

(पैराग्राफ 5.5.6.1 (ii) में संदर्भित)

बी एल सी एस की क्षमता का उपयोग

वर्ष	सज्जित क्षमता (ई1 में यूनिट) ¹	उपयोगिता (ई1 में यूनिट)			फालतू	उपयोग प्रतिशतता में
		केरियर		अन्य आई एल डी आपरेटर को पदों पर दिया गया		
		भारत व श्रीलंका के मध्य यातायात हेतु भा सं नि लि द्वारा प्रस्तुत	विश्व के अन्य गन्तव्यों के लिये विदेशी आपरेटरों द्वारा प्रयुक्त			
2006-07	4032	10	63	--	3959	1.81
2007-08	4032	10	441	--	3581	11.19
2008-09	4032	10	525	--	3497	13.27
2009-10	4032	10	336	66	3620	10.22
2010-11	4032	10	126	570	3326	17.51
2011-12	4032	10	63	504	3465	14.31

स्रोत: कम्पनी द्वारा दिया गया डेटा

¹ 1 एस टी एम-1= 63ई1 और 1ई1 = 30 चैनल उदाहरणार्थ एक विशेष समय पर 30 व्यक्ति बात कर सकते हैं।

अनुलग्नक-XX
(पैराग्राफ 5.5.6.2 (ii) में संदर्भित)

यू के के लिए बैंडविथ² भाड़े पर लेना
(जनवरी 2012 से सितम्बर 2012 के बाद)

क्रम सं.	स्थान	आपरेटर का नाम	पट्टा अवधि	दर प्रतिवर्ष (₹ में)	राशि (₹ में)
1	चैन्नई	भारती एयरटेल लिमिटेड	1 वर्ष	1,25,70,000	1,25,70,000
2	मुम्बई	रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड	1 वर्ष	1,25,70,000	1,25,70,000
3	बंगलौर	भारती एयरटेल लिमिटेड	3 महीने	1,25,70,000	31,42,500
4	बंगलौर	टाटा कम्यूनिकेशन लिमिटेड	3 महीने	90,50,400	22,62,600
5	बंगलौर	भारती एयरटेल लिमिटेड	1 वर्ष	90,50,400	90,50,400
					3,95,95,500

स्रोत: कम्पनी द्वारा दिया गया डेटा

² एक वर्ष के लिए तीन आई पी एल सी एस टी एम-16 लिंक तथा तीन माह के लिये दो आई पी एल सी एस टी एम-16 लिंक का विस्तार

अनुलग्नक-XXI
(पैराग्राफ 5.6.5 में संदर्भित)

31 मार्च 2012 को समाप्त गत पांच वर्षों में दो यूनिटों में वायरलाइन और बेतार सेवाओं से आय

(₹करोड़ में)

विवरण	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
	दिल्ली	मुम्बई	दिल्ली	मुम्बई	दिल्ली	मुम्बई	दिल्ली	मुम्बई	दिल्ली	मुम्बई
(1) वायरलाइन सेवायें	1546	2450	1386	2306	1170	1834	1402	1688	1050	1618
(2) बेतार सेवायें	393	489	427	420	401	315	391	254	467	264
(3) सेवाओं से आय - कार्पोरेट आफिस	-156		-83		-63		-61		-26	
(4) वायरलाइन और बेतार सेवाओं का योग (1 + 2)	1939	2939	1813	2726	1571	2149	1793	1942	1517	1882
(5) कम्पनी की सेवाओं से आय (1+2+3)	4722		4456		3657		3674		3373	
(6) कम्पनी की सेवाओं से आय में कुल प्रतिशतता	41%	62%	41%	61%	43%	59%	49%	53%	45%	56%

स्रोत: कम्पनी के लेखापरीक्षित लेखे

अनुलग्नक-XXII
(पैराग्राफ 5.6.5 में संदर्भित)

क्षमता उपयोग

(आंकड़े लाख में)

	2007-08			2008-09			2009-10			2010-11			2011-12		
	क्षमता	अभिवृद्धि	वृद्धि/प्रतिशत	क्षमता	अभिवृद्धि	वृद्धि/प्रतिशत	क्षमता	अभिवृद्धि	वृद्धि/प्रतिशत	क्षमता	अभिवृद्धि	वृद्धि/प्रतिशत	क्षमता	अभिवृद्धि	
बेसिक वायरलाइन	56.71	36.78	64.86	56.71	35.73	63.00	54.97	34.97	63.62	54.49	34.63	63.55	53.43	34.57	64.70
दिल्ली	28.10	15.76	56.09	28.10	15.26	54.31	27.73	15.38	55.46	27.72	15.46	55.77	27.72	15.63	56.39
मुम्बई	28.61	21.02	73.47	28.61	20.47	71.55	27.24	19.59	71.92	26.77	19.17	71.61	25.71	18.94	73.66
डब्ल्यू एल एल - एम एवं एफ	10.98	2.90	26.41	10.98	3.05	27.78	10.92	3.10	28.39	10.92	2.79	25.55	10.92	2.47	22.62
दिल्ली	5.50	1.26	22.91	5.50	1.41	25.64	5.50	1.41	25.64	5.50	1.37	24.91	5.50	1.34	24.36
मुम्बई	5.48	1.64	29.93	5.48	1.64	29.93	5.42	1.69	31.18	5.42	1.42	26.20	5.42	1.13	20.85
बेतार (जी एस एम)	31.00	32.42	104.58	41.00	41.77	101.88	53.50	47.84	89.42	63.50	51.99	81.86	60.50	55.85	92.31
दिल्ली	17.75	14.79	83.32	17.75	19.18	108.06	25.25	22.64	89.66	30.25	25.06	82.81	30.25	27.52	90.98
मुम्बई	13.25	17.63	133.06	23.25	22.59	97.16	28.25	25.20	89.20	33.25	26.93	81.00	30.25	28.33	93.65

(स्रोत: एम टी एन एल वेबसाइट/वार्षिक प्रतिवेदन)

अनुलग्नक-XXIII

(पैराग्राफ 5.6.6.2 में संदर्भित)

दिल्ली और मुंबई में बेतार अभिदाता बेस के टेलीकॉम प्रदाता

सेवा सम्पन्नक	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		5 वर्षों से अधिक प्रतिशतता वृद्धि	
	दिल्ली	मुंबई	दिल्ली	मुंबई	दिल्ली	मुंबई	दिल्ली	मुंबई	दिल्ली	मुंबई	दिल्ली	मुंबई
म टे नि लि	1478440	1763411	1918496	2258180	2263620	2520833	2505841	2693496	2760058	2833320	87	61
भारती एयरटेल	3890698	2427460	4812579	2802180	5915225	3045394	7988121	3450682	8748943	3729476	125	54
वोडाफोन / इस्सार	3216769	3451567	4092931	4373872	5066868	5110911	7273088	5776011	8623098	5802365	168	68
आईडिया	1897693	NA	2405168	751757	2590843	1537515	3726043	2000466	4764047	2850249	151	शून्य
बी पी एल/वूप	शून्य	1294762	शून्य	2164211	शून्य	2844583	शून्य	3092398	शून्य	3261069	शून्य	152
एयरसेल	शून्य	शून्य	28798	शून्य	1119338	903357	2069914	1175693	2523574	1226795	शून्य	शून्य
एटीसलाट डी बी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	549815	शून्य	759210	469909	शून्य	शून्य
अन्य	-	-	-	-	-	-	-	2454988	-	2386549	-	-
कुल	10483600	8937200	13257972	12350200	16955894	15962593	24112822	20643734	28178930	22559732	169	152
कुल अभिदाता में म टे नि लि की प्रतिशतता	14.10	19.73	14.47	18.28	13.35	15.79	10.39	13.05	9.79	12.56		

(स्रोत: भारत के सेल्यूलर ऑपरेटर संघ की वेबसाइट)

अनुलग्नक-XXIV (षैराग्राफ 5.6.6.3 में संदर्भित)

वायरलाइन सेवाएं – गुणता सेवाओं के मापदंड

क्रम सं.	मापदण्ड	ट्राई मापदण्ड	वर्ष के दौरान एम टी एन एल की उपलब्धि											
			2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12			
			दिल्ली	मुम्बई	दिल्ली	मुम्बई	दिल्ली	मुम्बई	दिल्ली	मुम्बई	दिल्ली	मुम्बई		
1	प्रतिमाह प्रति 100 अभिदाताओं पर दोष भार	<5	6.46	6.79	6.81	8.52	7.71	5.14	7.59	6.05	7.15	7.35		
2	अगले कार्यदिवस तक दोष सुधार का प्रतिशत	>90%	90.34	89.95	93.10	92.79	79.53	93.68	79.80	93.28	83.77	89.18		
3	3 दिन के भीतर हुए सुधार का प्रतिशत	शहरी क्षेत्र हेतु =100%	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	83.08	97.35	89.00	97.51	92.06	95.23		
4	किराया छूट (कुल मामले)	लम्बित दोष हेतु >3 दिनों से >15 दिनों	83522	शून्य	93704	31687	167064	26950	189627	27370	89080	190129		
5	सुधार का औसत समय (एम टी टी आर)	<=8 घण्टे	7	13.11	7.76	10.2	10.61	10.78	11.64	11.72	7.96	15.25		
6	काल पूर्णता दर	>=55%	49.13	53.93	50.42	56.33	52.48	58.53	53.13	57.30	54.91	56.99		

(स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदत्त डाटा)

अनुलग्नक-XXV

(पैराग्राफ 5.6.6.3 में संदर्भित)

वायरलाइन सेवाओं में एम टी एन एल और निजी प्रदाताओं के मध्य गुणता सेवा निष्पादन में तुलना
(स्रोत: ट्राई की सिमाही रिपोर्ट के आधार पर)
दिल्ली

वायरलाइन सेवायें - वर्ष 2007-08

क्रम सं.	पैरामीटर	मापदंड	प्रदाता का नाम			
			एम टी एन एल (दिल्ली इकाई)	भारती/ एयरटेल	रिलायंस	टी टी एस एल
1	प्रति 100 अभिदाताओं पर प्रतिमाह दोष भार	<5	6.65	4.69	1.06	5.98
2	अगले कार्यदिवस तक दोष सुधार की प्रतिशतता	>90%	90.80	95.68	98.89	49.27
3	किराया छूट (कुल मामलों की संख्या)	लम्बित दोष हेतु >3 दिनों से >15 दिनों	83522	5101	51	5120
4	काल पूर्णता दर	>=55%	49.07	58.57	शून्य	64.71

वायरलाइन सेवायें वर्ष 2008-09

क्रम सं.	पैरामीटर	मापदंड	प्रदाता का नाम			
			एम टी एन एल (दिल्ली इकाई)	भारती/ एयरटेल	रिलायंस	टी टी एस एल
1	प्रति 100 अभिदाताओं पर प्रतिमाह दोष भार	<5	6.71	3.47	1.47	1.64
2	किराया छूट (कुल मामलों की संख्या)	लम्बित दोष हेतु >3 दिनों से >15 दिनों	93704	6343	9	40
3	सुधार का औसत समय (एम टी टी आर)	<=8 घण्टे	7.75	6.75	4.35	8.43
4	काल पूर्णता दर	>=55%	50.47	86.25	शून्य	94.33

वायरलाइन सेवायें वर्ष 2009-10

क्रम सं.	पैरामीटर	मापदंड	प्रदाता का नाम		
			एम टी एन एल (दिल्ली इकाई)	भारती/ एयरटेल	रिलायंस टी टी एस एल
1	प्रति 100 अभिदाताओं पर प्रतिमाह दोष भार	<5	7.71	3.41	0.84
2	अगले कार्यदिवस तक दोष सुधार की प्रतिशतता	>90%	83.04	95.74	99.82
3	किराया छूट (कुल मामलों की संख्या)	लम्बित दोष हेतु >3 दिनों से >15 दिनों	167064	9296	12
4	सुधार का औसत समय (एम टी टी आर)	<=8 घण्टे	10.70	7.45	3
5	काल पूर्णता दर	>=55%	52.53	96.65	शून्य
6	3 दिन के अन्दर दोष सुधार की प्रतिशतता	शहरी क्षेत्र हेतु =100%	90.93	99.18	100

वायरलाइन सेवायें वर्ष 2010-11

क्रम सं.	पैरामीटर	मापदंड	प्रदाता का नाम		
			एम टी एन एल (दिल्ली इकाई)	भारती/ एयरटेल	रिलायंस टी टी एस एल
1	प्रति 100 अभिदाताओं पर प्रतिमाह दोष भार	<5	8.10	2.96	0.53
2	अगले कार्यदिवस तक दोष सुधार की प्रतिशतता	>90%	77.30	96.69	100
3	3 दिन के अन्दर दोष सुधार की प्रतिशतता	शहरी क्षेत्र हेतु =100%	87.87	99.89	100
4	किराया छूट (कुल मामलों की संख्या)	लम्बित दोष हेतु >3 दिनों से >15 दिनों	165923	4187	0
5	सुधार का औसत समय (एम टी टी आर)	<=8 घण्टे	12.88	6.78	2.31
6	काल पूर्णता दर	>=55%	52.99	94.09	शून्य

वायरलाइन सेवायें वर्ष 2011-12

क्रम सं.	पैरामीटर	मापदंड	प्रदाता का नाम			
			एम टी एन एल (दिल्ली इकाई)	भारती/ एयरटेल	रिलायंस	टी टी एस एल
1	प्रति 100 अभिदाताओं पर प्रतिमाह दोष भार	<5	7.82	0.97	0.30	0.62
2	अगले कार्यदिवस तक दोष सुधार की प्रतिशतता	>90%	89	95.76	100	94.93
3	3 दिन के अन्दर दोष सुधार की प्रतिशतता	शहरी क्षेत्र हेतु =100%	95.23	100	100	100
4	किराया छूट (कुल मामलों की संख्या)	लम्बित दोष हेतु >3 दिनों से >15 दिनों	36473	12455	शून्य	शून्य
5	सुधार का औसत समय (एम टी टी आर)	<=8 घण्टे	15.30	4.76	0.00	5.53
6	काल पूर्णता दर	>=55%	57.00	92.41	शून्य	96.24

अनुलग्नक-XXVI

(पैराग्राफ 5.6.6.3 में संदर्भित)

मुम्बई वायरलाइन सेवाओं में एम टी एन एल व निजी आपरेटरों के मध्य गुणता सेवा निष्पादन में तुलना

वायरलाइन सेवायें वर्ष 2007-08

(स्रोत: ड्राई की लिमाही रिपोर्ट के आधार पर)

क्रम सं.	पैरामीटर	मापदंड	प्रदाता का नाम			
			एम टी एन एल (मुम्बई इकाई)	भारती/ एयरटेल	रिलायंस	टी टी एस एल
1	प्रति 100 अभिदाताओं पर प्रतिमाह दोष भार	<5	9.33	2.09	0.47	2.69
2	अगले कार्यदिवस तक दोष सुधार की प्रतिशतता	>90%	82.75	93.62	99.40	95.57
3	किराया छूट (कुल मामलों की संख्या)	लम्बित दोष हेतु >3 दिनों से >15 दिनों	131061	108	12	476
4	सुधार का औसत समय (एम टी टी आर)	<=8 घन्टे	20.79	3.70	4.41	6.24
5	अतिरिक्त सुविधा (अनुरोध का 95 प्रतिशत)	>24 घन्टे	82.53	98.96	97.00	96.27

वायरलाइन सेवायें वर्ष 2008-09

क्रम सं.	पैरामीटर	मापदंड	प्रदाता का नाम			
			एम टी एन एल (मुम्बई इकाई)	भारती/ एयरटेल	रिलायंस	टी टी एस एल
1	प्रति 100 अभिदाताओं पर प्रतिमाह दोष भार	<5	9.62	2.10	0.52	2.33
2	अगले कार्यदिवस तक दोष सुधार की प्रतिशतता	>90%	89.10	98.00	97.29	96.20
3	किराया छूट (कुल मामलों की संख्या)	लम्बित दोष हेतु >3 दिनों से >15 दिनों	75601	322	2.25	शून्य
4	सुधार का औसत समय (एम टी टी आर)	<=8 घन्टे	14.96	7.83	4.26	5.74

वायरलाइन सेवायें वर्ष 2009-10

क्रम सं.	पैरामीटर	मापदंड	प्रदाता का नाम			टी टी एस एल
			एम टी एन एल (मुम्बई इकाई)	भारती/ एयरटेल	रिलायंस	
1	प्रति 100 अभिदाताओं पर प्रतिमाह दोष भार	<5	7.29	1.70	0.53	1.23
2	अगले कार्यदिवस तक दोष सुधार की प्रतिशतता	>90%	89.53	95.26	99.79	96.78
3	किराया छूट (कुल मामलों की संख्या)	लम्बित दोष हेतु >3 दिनों से >15 दिनों	47777	262	4.67	शून्य
4	सुधार का औसत समय (एम टी टी आर)	<=8 घण्टे	14.38	9.00	3.24	4.24
5	ग्रहण अनुपात का उत्तर	>=75%	63.90	83.31	89.12	शून्य

वायरलाइन सेवायें वर्ष 2010-11

क्रम सं.	पैरामीटर	मापदंड	प्रदाता का नाम			टी टी एस एल
			एम टी एन एल (मुम्बई इकाई)	भारती/ एयरटेल	रिलायंस	
1	प्रति 100 अभिदाताओं पर प्रतिमाह दोष भार	<5	8.51	1.41	0.30	0.70
2	अगले कार्यदिवस तक दोष सुधार की प्रतिशतता	>90%	88.27	95.87	100	96.71
3	3 दिन के अन्दर दोष सुधार की प्रतिशतता	शहरी क्षेत्र हेतु =100%	94.85	99.65	100	100
4	किराया छूट (कुल मामलों की संख्या)	लम्बित दोष हेतु >3 दिनों से >15 दिनों	47341	716	0	0
5	सुधार का औसत समय (एम टी टी आर)	<=8 घण्टे	16.45	5.22	2.29	5.15
6	काल पूर्णता दर	>=55%	56.92	91.44	शून्य	81.34

वायरलाइन सेवायें वर्ष 2011-12

क्रम सं.	पैरामीटर	मापदंड	प्रदाता का नाम			
			एम टी एन एल (मुम्बई इकाई)	भारती/ एयरटेल	रिलायंस	टी टी एस एल
1	प्रति 100 अभिदाताओं पर प्रतिमाह दोष भार	<5	7.82	0.97	0.61	0.64
2	अगले कार्यदिवस तक दोष सुधार की प्रतिशतता	>90%	88.99	95.76	100	94.93
3	3 दिन के अन्दर दोष सुधार की प्रतिशतता	शहरी क्षेत्र हेतु =100%	95.23	100	100	100
4	किराया छूट (कुल मामलों की संख्या)	लम्बित दोष हेतु >3 दिनों से >15 दिनों	शून्य	103	0	0
5	सुधार का औसत समय (एम टी टी आर)	<=8 घण्टे	15.30	4.76	1.54	5.53
6	काल पूर्णता दर	>=55%	57	92.41	शून्य	96.58

अनुलग्नक-XXVII

(पैराग्राफ 5.6.6.3 में संदर्भित)

बेतार सेवाओं में एम टी एन एल और निजी प्रदाताओं के मध्य गुणता सेवा निष्पादन की तुलना

दिल्ली सर्किल – सैल्यूलर सेवा

(स्रोत: ट्राई की तिमाही रिपोर्ट के आधार पर)

बेतार – वर्ष 2007-08

क्रम सं.	पैरामीटर	मापदंड	वर्ष के दौरान उपलब्धि			
			एम टी एन एल (दिल्ली इकाई)	भारती/ एयरटेल	रिलायंस	वोडाफोन
1	काल लगाने की सफल दर (लाइसेंसधारी के अपने नेटवर्क के अन्दर)	>=95%	92.31	98.81	99.51	99.02
2	काल ड्रॉप की दर	<3% <2% (वर्ष 2009-10 से)	1.86	0.80	0.50	0.81

बेतार – वर्ष 2008-09

क्रम सं.	पैरामीटर	मापदंड	वर्ष के दौरान उपलब्धि			
			एम टी एन एल (दिल्ली इकाई)	भारती/ एयरटेल	रिलायंस	वोडाफोन
1	काल लगाने की सफल दर (लाइसेंसधारी के अपने नेटवर्क के अन्दर)	>=95%	94.04	98.69	99.29	98.74
2	सेवा की पहुंच में देरी (पेजिंग प्रयत्नों की संख्या पर निर्भर 9 से 20 सैकंड के मध्य)	100 कालों का औसत =<15 सैकंड	10.01	7.51	5.21	7.58
3	काल ड्रॉप की दर	<3%	1.13	1.01	0.60	0.88

बेतार – वर्ष 2009-10

क्रम सं.	पैरामीटर	मापदंड	वर्ष के दौरान उपलब्धि			
			एम टी एन एल (दिल्ली इकाई)	भारती/ एयरस्टेल	रिलायंस	वोडाफोन
1	बी टी एस का संचित डाउन टाइम (सेवा हेतु अनुपलब्ध) (प्रतिशत)	<=2%	2.21	0.15	0.15	0.04
2	डाउन टाइम के कारण बी टी एस के संचित डाउन टाइम से सर्वाधिक प्रभावित बी टी एस	<=2%	7.68	0.51	0.34	0.00
3	काल लगाने की सफल दर (लाइसेंसधारी के अपने नेटवर्क के अन्दर)	>=95	96.46	99.10	98.62	99.49
4	काल ड्राप की दर	<2%	0.99	0.83	0.64	0.76
5	अच्छी गुणता वाली आवाज के साथ कनेक्शन की प्रतिशतता	>=95%	98.36	96.92	99.08	98.17
6	पी ओ आई व्यस्तता (मानकों की पूर्ति न पाने वाली पी ओ आई)	<=0.5%	3.00	0.00	0.00	0.00

बेतार – वर्ष 2010-11

क्रम सं.	पैरामीटर	मापदंड	वर्ष के दौरान उपलब्धि			
			एम टी एन एल (दिल्ली इकाई)	भारती/ एयरस्टेल	रिलायंस	वोडाफोन
1	बी टी एस का संचित डाउन टाइम (सेवा हेतु अनुपलब्ध) (प्रतिशत)	<=2%	0.40	0.02	0.39	0.03
2	डाउन टाइम के कारण बी टी एस के संचित डाउन टाइम से सर्वाधिक प्रभावित बी टी एस	<=2%	3.67	0.01	0.72	0
3	काल लगाने की सफल दर (लाइसेंसधारी के अपने नेटवर्क के अन्दर)	>=95%	96.73	99.77	99.53	99.27
4	काल ड्राप की दर	<2%	1.33	0.61	0.49	1.0
5	3 प्रतिशत से अधिक टी सी एच की सर्वाधिक प्रभावित कॉल (काल ड्राप की दर) (प्रतिशत)	<=5%	4.62	0.82	0.78	3.38
6	अच्छी गुणता वाली आवाज के साथ कनेक्शन की प्रतिशतता	>=95%	98	99.09	98.40	98.19

बेतार – वर्ष 2011-12

क्रम सं.	पैरामीटर	मापदंड	वर्ष के दौरान उपलब्धि			
			एम टी एन एल (दिल्ली इकाई)	भारती/ एयरटेल	रिलायंस	वोडाफोन
1	बी टी एस का संचित डाउन टाइम (सेवा हेतु अनुपलब्ध) (प्रतिशत)	<=2%	0.28	0.01	0.27	0.03
2	डाउन टाइम के कारण बी टी एस के संचित डाउन टाइम से सर्वाधिक प्रभावित बी टी एस	<=2%	1.18	0.00	0.39	0.00
3	काल लगाने की सफल दर (लाइसेंसधारी के अपने नेटवर्क के अन्दर)	>=95%	97.52	99.62	99.74	99.66
4	काल ड्रॉप की दर	<2%	1.28	0.62	0.48	0.84
5	3 प्रतिशत से अधिक टी सी एच की सर्वाधिक प्रभावित कॉलें (काल ड्रॉप की दर) (प्रतिशत)	<=5%	1.57	0.96	0.53	3.31
6	अच्छी गुणता वाली आवाज के साथ कनेक्शन की प्रतिशतता	>=95%	98.20	99	99.60	97.75

अनुलग्नक-XXVIII
(पैराग्राफ 5.6.6.3 में संदर्भित)

बेतार सेवाओं में एम टी एन एल व निजी प्रदाताओं के मध्य गुणता सेवा निष्पादन की तुलना
मुम्बई सर्किल – सैल्यूलर सेवा
(स्रोत: ट्राई की तिमाही रिपोर्ट के आधार पर)

बेतार – वर्ष 2007-08

क्रम सं.	पैरामीटर	मापदंड	वर्ष के दौरान उपलब्धि			
			एम टी एन एल (मुम्बई इकाई)	भारती/ एयरटेल	रिलायंस	वोडाफोन
1	काल ड्राप की दर	<3% <2% (वर्ष 2009-10 से)	1.73	1.11	0.83	1.89
2	अच्छी गुणता वाली आवाज के साथ कनेक्शन की प्रतिशतता	>95%	96.35	97.93	99.47	95.30

बेतार – वर्ष 2008-09

क्रम सं.	पैरामीटर	मापदंड	वर्ष के दौरान उपलब्धि			
			एम टी एन एल (मुम्बई इकाई)	भारती/ एयरटेल	रिलायंस	वोडाफोन
1	काल लगाने की सफल दर (लाइसेंसधारी के अपने नेटवर्क के अन्दर)	>=95%	95.66	98.69	99.29	98.74
2	काल ड्राप की दर	<3%	1.62	1.31	0.75	1.31
3	काल जो 3 प्रतिशत से अधिक टी सी एच ड्राप की प्रतिशतता रखते हैं	<=3%	6.03	8.17	0.85	3.08
4	अच्छी गुणता वाली आवाज के साथ कनेक्शन की प्रतिशतता	>95%	96.51	98.08	99.14	95.82

बेतार – वर्ष 2009-10

क्रम सं.	पैरामीटर	मापदंड	वर्ष के दौरान उपलब्धि			
			एम टी एन एल (मुम्बई इकाई)	भारती/ एयरस्टेल	रिलायंस	वोडाफोन
1	बी टी एस का संचित डाउन टाइम (सेवा हेतु अनुपलब्ध) (प्रतिशत)	<=2%	1.25	0.27	0.22	0.11
2	डाउन टाइम के कारण बी टी एस के संचित डाउन टाइम से सर्वाधिक प्रभावित बी टी एस	<=2%	1.91	0.95	0.26	0.29
3	काल लगाने की सफल दर (लाइसेंसधारी के अपने नेटवर्क के अन्दर)	>=95%	97.04	98.42	74.49	99.36
4	टी सी एच कनेक्शन (प्रतिशत)	<=2%	1.67	0.42	0.25	0.28
5	काल ड्राप की दर	<2%	1.56	0.97	0.43	0.72
6	काल जो 3 प्रतिशत से अधिक टी सी एच की सर्वाधिक प्रभावित कालें (काल ड्राप की दर) रखते हैं (प्रतिशत)	<=5%	4.48	3.26	0.46	1.78
7	अच्छी गुणता वाली आवाज के साथ कनेक्शन की प्रतिशतता	>=95%	96.73	97.75	98.47	98.66
8	60 सैकण्ड के भीतर आपरेटर द्वारा उत्तर दी गई कालों का प्रतिशत	>=90%	95	86.33	86.40	93.05

बेतार – वर्ष 2010-11

क्रम सं.	पैरामीटर	मापदंड	वर्ष के दौरान उपलब्धि			
			एम टी एन एल (मुम्बई इकाई)	भारती/ एयरस्टेल	रिलायंस	वोडाफोन
1	बी टी एस का संचित डाउन टाइम (सेवा हेतु अनुपलब्ध) (प्रतिशत)	<=2%	0.41	0.12	0.14	0.01
2	डाउन टाइम के कारण बी टी एस के संचित डाउन टाइम से सर्वाधिक प्रभावित बी टी एस	<=2%	0.60	0.67	0.13	0.00
3	काल लगाने की सफल दर (लाइसेंसधारी के अपने नेटवर्क के अन्दर)	>=95%	98.22	99.18	99.40	99.18
4	काल जो 3 प्रतिशत से अधिक टी सी एच की सर्वाधिक प्रभावित कालें (काल ड्राप की दर) रखते हैं (प्रतिशत)	<=5%	2.86	1.12	0.52	1.37
5	अच्छी गुणता वाली आवाज के साथ कनेक्शन की प्रतिशतता	>=95%	96.34	98.43	98.54	98.53
6	मीटरिंग और बिलिंग विश्वसनीयता –पोस्ट पेड	<=0.1	0.17	0.06	0.07	0.02
7	मीटरिंग और बिलिंग विश्वसनीयता –प्रीपेड	<=0.1	0.07	0.01	0.03	0.02
8	कालसेंटर/ग्राहक सेवा केन्द्र की पहुंच	>=95%	99.91	100	92	100

बेतार – वर्ष 2011-12

क्रम सं.	पैरामीटर	मापदंड	वर्ष के दौरान उपलब्धि			
			एम टी एन एल (मुम्बई इकाई)	भारती/ एयरटेल	रिलायंस	वोडाफोन
1	बी टी एस का संचित डाउन टाइम (सेवा हेतु अनुपलब्ध) (प्रतिशत)	<=2%	0.51	0.02	0.25	0.02
2	डाउन टाइम के कारण बी टी एस के संचित डाउन टाइम से सर्वाधिक प्रभावित बी टी एस	<=2%	0.94	0.11	0.46	0.06
3	काल लगाने की सफल दर (लाइसेंसधारी के अपने नेटवर्क के अन्दर)	>=95%	98.32	99.77	99.29	99.99
4	काल ड्रॉप की दर	<2%	0.80	0.72	0.90	0.56
5	काल जो 3 प्रतिशत से अधिक टी सी एच की सर्वाधिक प्रभावित कालें (काल ड्रॉप की दर) रखते हैं (प्रतिशत)	<=5%	2.02	0.36	0.24	1.88
6	अच्छी गुणता वाली आवाज के साथ कनेक्शन की प्रतिशतता	>95%	96.67	99.44	98.99	97.78
7	कालसेंटर/ग्राहक सेवा केन्द्र की पहुंच	>=95%	95.80	99.00	99.47	99.00
8	समाप्ति के बाद जमावापसी की अवधि	100% 60 दिनांक के भीतर	73	100	100	100

अनुलग्नक-XXIX (पैराग्राफ 5.6.6.4 में संदर्भित)

वित्तीय पैरामीटर: कम्पनी के लक्ष्य बनाम उपलब्धियां

वर्ष	मापदंड	सकल मार्जिन/ सकल ब्लाक (प्रतिशत में)	निवल लाभ / निवल मूल्य (प्रतिशत में)	सकल लाभ/ लगाई गई पूंजी (प्रतिशत में)	सकल मार्जिन (₹करोड़ में)	सकल बिक्री (₹करोड़ में)
2007-08	लक्ष्य	6.56	3.73	4.5	1240	5494.83
	उपलब्धि	8.45	4.96	7.22	1338.49	4722
	ग्रेडिंग	श्रेष्ठ	श्रेष्ठ	श्रेष्ठ	श्रेष्ठ	खराब
2008-09	लक्ष्य	6.26	2.83	4.64	1204.66	5400
	उपलब्धि	5.92	1.77	2.3	963.79	4456
	ग्रेडिंग	अच्छा	खराब	खराब	खराब	खराब
2009-10	लक्ष्य	6.31	1.96	3.09	1103.78	5250
	उपलब्धि	-5.86	-27.63	-44.04	-1658.15	3656
	ग्रेडिंग	खराब	खराब	खराब	खराब	खराब
2010-11	लक्ष्य	5.81	1.89	3.03	1089	5250
	उपलब्धि	-3.11	-42.16	-18.63	-912.66	3674
	ग्रेडिंग	खराब	खराब	खराब	खराब	खराब
2011-12	लक्ष्य	2.94	-15.63	-4.31	900	5300
	उपलब्धि	-5.16	-162.01	-32.46	-1599.40	3624.41
	ग्रेडिंग	खराब	खराब	खराब	खराब	खराब

(स्रोत: भारत सरकार और एम टी एन एल के मध्य समझौता ज्ञापन)

अनुलग्नक-XXX (पैराग्राफ 5.6.6.4 में संदर्भित)

सक्रिय पैरामीटर: कम्पनी के लक्ष्य बनाम उपलब्धियां

मापदंड	2007-08			2008-09			2009-10			2010-11			2011-12				
	रु०	रु० प्रति 100 फोन/माह	श्रेष्ठ	रु०	रु० प्रति 100 फोन/माह	श्रेष्ठ	रु०	रु० प्रति 100 फोन/माह	श्रेष्ठ	रु०	रु० प्रति 100 फोन/माह	रु०	रु० प्रति 100 फोन/माह	रु०	रु० प्रति 100 फोन/माह	रु०	रु० प्रति 100 फोन/माह
दोष दर प्रति 100 फोन/माह	9.50	7.89	श्रेष्ठ	8	6.71	श्रेष्ठ	8	7.71	श्रेष्ठ	7.50 डी एल 6.00- मुम	7.59 डी एल 8.49- मुम	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
उसी दिन से दोष निपटान	80.00	70.35	खराब	82	73.2	उचित	82	68.33	खराब	83	65.25	खराब	खराब	खराब	खराब	खराब	खराब
अगले दिन से दोष निपटान	95.00	88.21	उचित	95	90.75	अच्छा	95	86.33	उचित	96	83.36	उचित	उचित	उचित	उचित	उचित	अच्छा
सैल्यूलर अभिदाताओं में बाजार शेयर	18.00	16.69	उचित	18	16.38	उचित	18	14.53	खराब	18	11.62	खराब	खराब	खराब	खराब	खराब	खराब
एम टी एन एल ए आर पी यू के अनुपात की तुलना में निजी क्षेत्र ए आर पी यू सैल्यूलर सेवायें	71.00	62.00	उचित	72	56	खराब	72	48.08	खराब	60	40.62	खराब	खराब	खराब	खराब	खराब	खराब

(स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदत्त डाटा)

अनुलग्नक-XXXI (पैराग्राफ 5.6.6.4 में संदर्भित)

भौतिक पैरामीटर: कम्पनी के लक्ष्य बनाम उपलब्धियां

(हजार में)

	पैरामीटर के विवरण	कुल अभिदाता बेस में वृद्धि	ब्राडबैंड सेवा का कुल अभिदाता बेस	स्थिर सी डी एम ए और जी एस एम आदि सहित निवल स्विचिंग क्षमता की वृद्धि
2007-08	लक्ष्य	1160	उ न	2000
	वास्तविक	678.78	उ न	767.34
	आधिक्य	-481.22	उ न	-1232.66
	आधिक्य की %	-41%	उ न	-62%
2008-09	लक्ष्य	950	उ न	1000
	वास्तविक	970.78	उ न	1000
	आधिक्य	20.78	उ न	0
	आधिक्य की %	2%	उ न	0%
2009-10	लक्ष्य	1000	उ न	1000
	वास्तविक	655.38	उ न	1070
	आधिक्य	-344.62	उ न	70
	आधिक्य की %	-34%	उ न	7%
2010-11	लक्ष्य	उ न	2000	1000
	वास्तविक	उ न	1514.84	952.36
	आधिक्य	उ न	-485.18	47.64
	आधिक्य की %	उ न	-24%	-5%
2011-12	लक्ष्य	300*	उ न	1000
	वास्तविक	97.874	उ न	0
	आधिक्य	-202.13	उ न	-1000
	आधिक्य की %	-67%	उ न	-100%

(स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदत्त डाटा)

*यह मात्र स्थिर लाइन अभिदाताओं से जुड़ी ब्राडबैंड अभिदाताओं में वृद्धि है

अनुलग्नक-XXXII
(पैराग्राफ 5.6.6.5 में संदर्भित)

वायरलाइन सेवायें

दिल्ली और मुम्बई इकाइयों (एम टी एन एल) से संबंधित वायरलाइन सेवाओं की आय, अभिदाता बेस और ए आर पी यू

वर्ष	दिल्ली			मुम्बई		
	आय (₹करोड़ में)	अभिदाता बेस (लाख में)	ए आर पी यू/माह (₹ में)	आय (₹करोड़ में)	अभिदाता बेस (लाख में)	ए आर पी यू/माह (₹ में)
2007-08	1545.62	15.79	815.95	2450.30	19.26	1060.26
2008-09	1386.26	15.51	744.60	2306.01	17.92	1072.39
2009-10	1169.68	15.32	636.36	1833.92	16.96	901.05
2010-11	1419.34	15.42	767.07	1687.73	16.43	855.80
2011-12	1050.49	15.63	560.07	1617.81	16.04	840.25

(स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदत्त डाटा और कम्पनी के लेखापरीक्षित लेखे)

बेतार सेवायें

दिल्ली और मुम्बई इकाइयों (एम टी एन एल) से संबंधित बेतार सेवाओं की आय, अभिदाता बेस और ए आर पी यू

वर्ष	दिल्ली			मुम्बई		
	आय (₹करोड़ में)	अभिदाता बेस (लाख में)	ए आर पी यू/माह (₹ में)	आय (₹करोड़ में)	अभिदाता बेस (लाख में)	ए आर पी यू/माह (₹ में)
2007-08	393.00	14.78	221.52	489.19	17.63	231.18
2008-09	427.35	19.18	185.63	419.76	22.58	154.91
2009-10	400.74	22.64	147.53	315.17	25.21	104.19
2010-11	391.17	25.06	130.08	254.02	26.93	78.59
2011-12	467.34	28.86	134.94	263.68	29.46	74.59

(स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदत्त डाटा और कम्पनी के लेखापरीक्षित लेखे)

परिशिष्ट - I

सितम्बर 2013 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2011-12 तक के लिये दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय व सूचना प्रौद्योगिकी के अधीन भारत संचार निगम लिमिटेड व महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड से की गई कार्यवाही टिप्पणी की संक्षिप्त स्थिति।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संख्या व वर्ष	की का टि देय	प्राप्त नहीं हुई	पत्राचार के अन्तर्गत
भारत संचार निगम लिमिटेड			
2000 का 6	2	शून्य	2
2001 का 6	2	शून्य	2
2002 का 3	1	शून्य	1
2002 का 6	1	शून्य	1
2003 का 5	6	शून्य	6
2004 का 5	2	शून्य	2
2005 का 5	3	शून्य	3
2006 का 9 (पी ए)	1	शून्य	1
2006 का 13	8	2	6
2007 का 12	10	शून्य	10
2008 का 12 (सी ए)	10	2	8
2008 का 9 पी ए, (टेलीकॉम)	1	शून्य	1
2008 का 10 (सी ए)	1	शून्य	1
2009 का 25 (सी ए)	10	1	9
2009-10 का पी ए-27	1	शून्य	1
2009 -10 का 9	3	शून्य	3
2010-11 का पी ए-10	2	शून्य	2
2011-12 का सी ए-3	8	2	6
कुल	72	7	65
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड			
1997 का 3	1	शून्य	1
1999 का 3	1	शून्य	1
2003 का 5	1	शून्य	1
2004 का 5	3	1	2

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संख्या व वर्ष	की का टि देय	प्राप्त नहीं हुई	पत्राचार के अन्तर्गत
2005 का 5	1	शून्य	1
2006 का 13	2	शून्य	2
2007 का 10 (पी ए)	1	शून्य	1
2007 का 12	3	शून्य	3
2008 का 12 (सी ए)	2	2	शून्य
2009 का 25 (सी ए)	3	शून्य	3
2009-10 का 9	2	1	1
कुल	20	4	16
कुल योग	92	11	81

परिशिष्ट - II

सितम्बर 2013 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2011-12 तक के लिए संचार मंत्रालय व सूचना प्रौद्योगिकी (सं म व सू प्रौ) के अधीन विभाग से प्रतीक्षित की गई कार्रवाई टिप्पणी की संक्षिप्त स्थिति।

क्रम सं.	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संख्या व वर्ष	की का टि देय	प्राप्त नहीं हुई	पत्राचार के अन्तर्गत
1	डा वि	2008 का 1(सी ए)	1	शून्य	1
2	डा वि	2009 का 14 (सी ए)	1	शून्य	1
	कुल		2		2
1	दू वि	1998 का 6	1	शून्य	1
2	दू वि	2004 का 2	2	शून्य	2
3	दू वि	2005 का 2	1	शून्य	1
4	दू वि	2006 का 9 (एन टी आर)	1	शून्य	1
5	दू वि	2008 का 1 (सी ए)	1	शून्य	1
6	दू वि	2010-11 का 19	1	शून्य	1
	कुल		7		7
1	डी ई आई टी वाई	2002 का 5	1	शून्य	1
2	डी ई आई टी वाई	2004 का 5	2	शून्य	2
3	डी ई आई टी वाई	2006 का 12	1	शून्य	1
	कुल		4		4
	कुल योग		13		13

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
वेबसाइट : www.cag.gov.in